राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या: 07

गुरुवार,

24 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

ई-मित्र केन्द्रों का संचालन

84. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने ई-मित्र केन्द्र संचालित हैं? जिलेवार संचालित ई-मित्र केन्द्रों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों को संचालित करने के लिए किन-किन कम्पनियों व संवेदकों को कार्य दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ई-मित्र केन्द्रों द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन किए जाते हैं? यदि हां, तो किन-किन योजनाओं के आवेदन किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए जिला जोधपुर में किस-किस ई-मित्र संचालक को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि दी गई है व कितनी दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): (1) प्रदेश में वर्तमान में 84079 ई-मित्र कियोस्क कार्यरत हैं। प्रदेश में संचालित ई-मित्र कियोस्कों की जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत कम्पनियों (स्थानीय सेवा प्रदाताओं) की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। ई-मित्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं की सेवाएं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

आमजन को प्रदान की जाती हैं। ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) ई-मित्र परियोजना के अन्तर्गत नागरिकों को दो तरह की सेवाएं दी जाती हैं:-

1- पहले प्रकार में वे सेवाएं आती हैं, जिनमें सेवा की राशि नागरिक द्वारा वहन की जाती है। इस प्रकार की सेवाओं का कमीशन ई-मित्र कियोस्कों को प्रत्येक माह वितरित कर दिया जाता है तथा माह जनवरी, 2022 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है।

2- दूसरे प्रकार में वे सेवाएं आती हैं, जो नागरिकों के लिए नि:शुल्क हैं तथा सेवा की राशि सम्बन्धित विभाग द्वारा दी जाती है। इस प्रकार की सेवाओं में निम्न सेवाओं का कमीशन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ई-मित्र कियोस्कों को वितरित किया जा चुका है तथा अन्य सेवाओं का कोई बकाया शेष नहीं है:-

- चिरंजीवी योजना का माह सितम्बर, 2021 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है।
- SJE Disability Registration सेवा का माह जुलाई, 2021 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है।
- Jan Aadhar and Ration Mapping सेवा का माह सितम्बर, 2021 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है।
- Ration Card Seeding सेवा का माह अगस्त, 2021 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है।
- Jan Aadhar Card Distribution सेवा का माह सितम्बर, 2021 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है।
- Jan Aadhar Enrollment सेवा का माह सितम्बर, 2021 तक का कमीशन जारी किया जा चुका है।

जोधपुर जिले में संचालित ई-मित्र कियोस्कों को सरकारी सेवाओं (जो नागरिकों के लिए नि:शुल्क है तथा सेवा की राशि सम्बन्धित विभाग द्वारा दी जाती है) हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई कमीशन राशि (माह अप्रैल 2021 से माह जनवरी 2022 तक) का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ई-मित्र संचालकों द्वारा सरकार द्वारा नि:शुल्क की गई सेवाओं के लिए भी नागरिकों से राशि वसूल की जाती है और निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि वसूल की जाती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आपके पास कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ई-मित्र कियोस्क के द्वारा निर्धारित राशि से यदि कोई राशि ज्यादा वसूल की जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और उस पर शास्ति भी लगायी जाती है। तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर तो उसको हमेशा के लिए बन्द कर दिया जाता है।

समय-समय पर जो-जो शिकायतें आयी हैं, उनके अनुसार कार्यवाही की गयी है। जोधपुर में भी, आप यह देखिये कि शुरू-शुरू में जो कियोस्क काम कर रहे थे, करीब-करीब 5,672 कियोस्क्स को यह काम दिया गया था और वर्तमान में मात्र 4,046 कियोस्क ही काम कर रहे हैं।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): कितनी शिकायतें आल-ओवर आयी थीं? कितनी शिकायतें आयीं और कितनों पर कार्यवाही हुई?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): शिकायतों के बारे में आपने मूल प्रश्न में प्रश्न नहीं किया था लेकिन जो-जो ...(व्यवधान)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सप्लीमेंट्री तो बन ही रहा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आप बता दें। जिन कियोस्क्स के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, एस.डी.एम. के माध्यम से शिकायत की जांच की जाती है और जांच करने पर यदि उसकी गलती पायी जाती है तो उसके खिलाफ शास्ति लगायी जाती है।

जैसे, मैं आपको यह बताता हूं कि गत दो वर्षों में ईमित्र संचालकों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित रेट लिस्ट नहीं लगाने एवं निर्धारित राशि से अधिक राशि लेने की 1,879 शिकायतें प्राप्त हुईं। उसमें अस्थायी रूप से इसको बन्द करने और शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की गयी। 22 ई-मित्र कियोस्कों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए उनको ब्लैक लिस्ट कर स्थायी रूप से बन्द किया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

85. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित अनेक शिक्षकों व गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्तियों पर लगा रखा है? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस के आदेश से कहां-कहां पर कब से तथा किस-किस कारण से? विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन, जिला बूंदी में स्थित राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित कोई भी शिक्षक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी अपने मूल पदस्थापन स्थान से अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त नहीं है।

अत: प्रतिनियुक्तियों के कारण छात्र-छात्राओं का अध्ययन-अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

(2) प्रश्नोत्तर के खण्ड 01 में उल्लेखितानुसार।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जब मैंने इस उत्तर को पढ़ा। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहती हूं कि यह मैंने जो प्रश्न पूछा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। प्रश्न नहीं है तो आप अलग से पूछ लेना।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): प्रश्न ही पूछ रही हूं। मेरे पास आदेश की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि मुझे इतना-सा बता दें कि कल की तारीख में मेरे विधान सभा क्षेत्र से एस.डी.एम. कार्यालय, कलेक्टर साहब के यहां से दूसरे जिले में जोधपुर से कितने डेपुटेशन निरस्त किये और कितने टीचर्स ने, मंत्रालयिक कर्मचारियों ने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

मेरे यहां पर ज्वाइन कर लिया और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये कितने लोग थे, उसकी मुझे लिस्ट देने की कृपा करें। यह मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मेरे यहां पर स्कूल में ताले लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बिलकुल प्रश्न पूछ रही हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप सीनियर हैं। मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बूंदी जिले में 09.12.2021 से पहले यहां पर प्राथमिक शाला में तीन व्यक्ति जो थे, वे प्रतिनियुक्ति पर थे। माध्यमिक में 13 थे। 09.12.2021 को हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा ने परिपत्र जारी करके पूरे राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर जो लगे हुए थे, उनको कार्य-मुक्त करने का आदेश जारी किया और उसके बाद इनके विधान सभा क्षेत्र में, जैसा मैंने मूल प्रश्न में यह बताया कि प्रतिनियुक्ति पर कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। अंकित नहीं होगा। जब है ही नहीं प्रतिनियुक्ति में।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Mr. Dilawar, you have no right to intervene. गलत बात करते हैं आप। Not allowed. अंकित नहीं होगा।

अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सीनियर हैं। कैसे एग्जाम्प्ल सेट कर रहे हैं आप? Please. Are you a senior member or a junior member? Please be seated. क्या मतलब हुआ? ऐसे बैठे-बैठे बोल रहे हैं आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: Are you a senior member or a junior member? Please, I said, I will name you. I said, this is not the way.

डूंगरपुर में निगम की बंद बसों का पुन: संचालन

86. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पूर्व में संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कई बसें वर्तमान में बंद होने के कारण आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है व सरकार को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र से वाया मोदर, पालीसोड़ा गुजरात बोर्डर तक परिवहन निगम की बंद बसों को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों के 77 वाहनों का संचालन किया जा रहा है, जिनका विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है। बन्द की गई बसों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

निगम द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं निगम के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए निगम वाहनों का संचालन किया जाता है। निगम वाहन सेवाओं को संचालन अवधि में आय/व्यय के आधार पर ही बन्द किया जाता है, अत: आर्थिक नुकसान नहीं होता है।

(2) जी नहीं। जिला मुख्यालय डूंगरपुर से वाया मोदर, पालीसोड़ा, गुजरात बोर्डर तक पूर्व में निगम की ग्रामीण बस सेवा संचालित थीं, जिसे कम आय एवं यात्री भार के कारण बन्द कर दिया गया।

वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल उक्त निगम बस सेवा को संचालित किये जाने का विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है टी.एस.पी. क्षेत्र है और गुजरात बोर्डर से जो छात्र-छात्राएं कालेज तक पढ़ने आते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, वह ही पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह बताया है कि आय-व्यय एवं यात्री भार के कारण यह बन्द कर दिया गया है। सर, बसें वहां पर पहले चल रही थीं। कंडक्टर टिकट (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न नहीं है। आप बैठें। अगला प्रश्न। ...(व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, आय-व्यय का भार हो तो मेरी तनख्वाह से आप ले लें, लेकिन बस चालू करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। उन्होंने कह दिया, आप उत्तर पढ़ें। संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरू नहीं होगा। आप बैठें।

अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

उदयपुर सम्भाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना

87. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर सम्भाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना की मांग की जा रही है? यदि हां, तो कब से व उक्त मांग पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्भाग में अधिकांश आबादी जनजाति की है व उनको न्याय प्राप्त करने के लिये जोधपुर जाना सम्भव नहीं होने के कारण वे न्याय से वंचित रहते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि देश के कई प्रान्तों में जहां जनजाति आबादी निवास करती है वहां पर उच्च न्यायालय बैंच की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो लम्बे समय से मांग होने के पश्चात् भी उक्त सम्भाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। उदयपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना की मांग लगभग 37 वर्षों से की जा रही है।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

द स्टेट री-ओर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 की धारा 51 के अनुसार उच्च न्यायालय की स्थाई बैंच की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय राज्यपाल और उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से की जाती है।

अत: उदयपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र परामर्श/प्रस्ताव भिजवाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय को अग्रेषित किये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में उदयपुर में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापना के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि उदयपुर सम्भाग में अधिकांश आबादी जनजाति की है, जिन्हें न्याय प्राप्ति हेतु जिला एवं सेशन न्यायधीश एवं अन्य न्यायालय उदयपुर में स्थापित हैं। कुछ मामलों में ही अपील हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में जाने की आवश्यकता होती है।

(3) जी नहीं। प्रान्तों में माननीय उच्च न्यायालय की स्थापना जातिगत आधार पर नहीं की जाती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह विषय उदयपुर के जनजाति क्षेत्र के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इस बात को लेकर है। मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। यह जो High Court at Patna, यह जो establish हुई है, यह रांची में हुई है 1976 में। इसके 'Statements of Objects and Reasons' में है -

"A circuit bench of the Patna High Court was established at Ranchi with effect from 6th March, 1972 under clause 36 of the Letter Patent of that High Court. The bench was established to meet the needs of the Adivasi Population of the Chota Nagpur area in the State of Bihar. The functioning of the circuit bench was causing considerable difficulties besides involving heavy expenditure." And objects में रांची में जो बैंच स्थापित की, उसके आब्जेक्ट में लिखा है कि छोटा नागपुर एरिया के आदिवासी लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इस कोर्ट को बनाया गया। मेरा भी आपसे यही आग्रह है, क्योंकि इस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह विषय बहुत ही संवेदनशील है। इस पर विचार करने के लिए बराबर हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। यह जातीय आधार से नहीं है। उस क्षेत्र की आबादी को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ध्यान में रखते हुए रांची में बैंच की स्थापना 1976 में हुई है, वैसे ही यहां हो सकती है, नम्बर एक।

दूसरा, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यह जो आपने रेंफरेंस दिया है कि गठन में स्टेट री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 की धारा 51 के अनुसार बनाया। इसमें महामहिम राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा की बात कही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल से भी इस बारे में अनुशंसा कर सकते हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत, विशेषाधिकार के तहत जनजाति क्षेत्र को न्याय प्रशासन के लिए भी राज्य में उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना की जा सकती है। शिड्यूल 5 का भी आप लाभ ले सकते हैं और उसके लिए आप सीधा भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्रश्न पूछें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इतना ही जानता हूं कि रांची में बैंच की जो स्थापना हुई है, उसके पीछे वहां के आदिवासी लोगों को राहत देने के लिए थी या नहीं थी? यदि थी तो क्या हमारे यहां इस प्रकार से राहत देना चाहते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रांची का तो सवाल आपने पूछा भी नहीं था, लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि खण्डपीठ एक ही जगह नहीं, कम से कम 22 जगहों पर स्थापित की गयीं। उसका प्रोसिजर यही है कि जितने भी प्रस्ताव हमारे पास आते हैं, वे प्रस्ताव आते हैं डिटेल में। उदयपुर के सारे प्रस्ताव आये, उनमें सब में यही है, जनजाति, ये, वह, वगैरह-वगैरह, सब कुछ लिखा हुआ था। उन प्रस्तावों को हमने उठाकर हाई कोर्ट में भेज दिया। प्रोसिजर उसका यही है। हाई कोर्ट यदि उन प्रस्तावों को मंजूर कर देता है और राज्य सरकार को वापस भिजवाता है तो राज्य सरकार फिर राज्यपाल महोदय को लिखेगी। राज्यपाल महोदय फिर राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर खण्डपीठ की स्थापना होगी या नहीं होगी, यह राष्ट्रपति तय करेंगे। कुल मिलाकर प्रोसिजर यह है। आप सवाल यह पूछ रहे हैं कि साहब, रांची में आदिवासी के कारण हुआ। हुआ होगा। उसका तो हम भी क्या करें। वह तो महामहिम राष्ट्रपति करते हैं। प्रोसिजर यही है। वहां के राज्यपाल ने लिखा होगा। वहां की राज्य सरकार ने लिखा होगा और उसको राष्ट्रपति ने मंजूर कर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिया होगा। 22 जगह हैं, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडू में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, असम में, नागालैण्ड में, मिजोरम में, अरुणाचल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, केरल में, गुजरात में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, वगैरह-वगैरह। 22 जगह खण्डपीठ की स्थापना हुई है, लेकिन राजस्थान में नहीं हो रही। आज से ही नहीं है। आपने यह भी पूछा है कि राज्य सरकार ने क्या प्रयास किये।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 10 फरवरी, 1997 को लिखा, 16 अप्रैल, 2009 और 22 जुलाई, 2009, वहां के रजिस्ट्रार जनरल ने चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को बता दिया कि हम तीन अलग अलग चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर चुके। राज्य सरकार के जितने भी पत्र थे, जो भी ज्ञापन राज्य सरकार के मिले थे, उन सबको दिखा चुके। उन्होंने उनको कतई अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद भी राज्य सरकार ने एक नहीं, कम से कम 17 पत्र लिखे। 2019 में भी चार पत्र लिखे हैं, 2020 में एक पत्र लिखा है, 2021 में भी लिखा है और 2022 में भी लिखा है। इतने प्रयास करने के बावजूद भी अगर चीफ जस्टिस इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं और वह राज्य सरकार को वापस नहीं लिखते हैं तो राज्य सरकार भी असक्षम है। कुछ नहीं कर सकती।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैं आपको submit करता हूं। माननीय मंत्रीजी, माननीय कटारियाजी ने जो प्रश्न पूछा है, उसमें एक बात है। कांस्टीट्यूशन में गवर्नर को अधिकार है। कांस्टीट्यूशन के शिड्यूल में अधिकार है। क्या उसके अनुसार सरकार गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को लिखने की कार्यवाही करेगी?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ऐसा नहीं है, साहब। मोटी बात यह है कि हमें चीफ जस्टिस को लिखना पड़ता है और अगर चीफ जस्टिस प्रस्ताव/परामर्श को मंजूर कर लेते हैं तो हम राज्यपाल के पास भेजते हैं। प्रोसिजर यही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं एक सिम्पल कह रहा हूं। The rights of the Hon'ble Governor available suo motu and as per the provisions of the Constitution. कांस्टीट्यूशन में गवर्नर को यह अधिकार दे रखे हैं कि शिड्यूल्ड एरिया के अन्तर्गत वह अपनी बात को कर सकता है। क्या सरकार गवर्नर से कहेगी कि वे चीफ जस्टिस को लिखकर उसका उपयोग करें। That's the question.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह जो स्टेट री-आर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 है, इसकी धारा 51 में यह प्रोविजन नहीं है। उसमें तो प्रोविजन सीधा-सीधा यह है कि राज्य सरकार चीफ जस्टिस को लिखेगी और अगर चीफ जस्टिस परामर्श करते हैं तभी हम राज्यपालजी के पास जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप जिस री-आर्गेनाइजेशन एक्ट का प्रोविजन कोट कर रहे हैं that is a normal procedure for the Government, but Constitution में गवर्नर को अधिकार दिये हुए हैं। कांस्टीट्यूशन में गवर्नर को अधिकार दे रखे हैं कि शिड्यूल एरिया के अन्तर्गत वह सुओ-मोटो बिना गवर्नमेंट की रिकमंडेशन के भी कुछ एक्शन ले सकता है। क्या इस पोसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। That's all.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एग्जामिन करवा लेंगे, साहब।

प्रश्न संख्या 88

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली में खेल प्रशिक्षकों का बकाया मानदेय

89. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) जिला पाली में 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 तक किन-किन खेलों के किस-किस कोच ने कितनी-कितनी अवधि तक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खेल प्रशिक्षकों को प्रति माह कितनी-कितनी मानदेय राशि दी जाती थी व उक्त राशि के स्थान पर उन्हें कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खेल प्रशिक्षकों की बकाया राशि कितनी-कितनी अवधि से किन-किन कारणों से लम्बित है व अब उक्त को बकाया राशि का भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) पाली जिले में 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 तक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

स्थाई प्रशिक्षक एवं संविदा पर प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के माध्यम से अल्पकालिक खेल प्रशिक्षक उपलब्ध करवाकर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्रशिक्षक का नाम	खेल का नाम	प्रशिक्षण अवधि
1	लहरीदास वैष्णव	फुटबाल	स्थाई प्रशिक्षक
2	अमित कुमार	जिम्नास्टिक	स्थाई प्रशिक्षक 11.09.2018 से 17.08.2021 तक पाली में प्रशिक्षक पद पर कार्यरत रहे।
3	अशोक कुमार (अल्पकालिक प्रशिक्षक)	जिम्नास्टिक	जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक
4	हिमांशु प्रिंकले सेन (अल्पकालिक प्रशिक्षक)	तीरंदाजी	जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक सितम्बर, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020
5	मोनी रानी (अल्पकालिक प्रशिक्षक)	कुश्ती	जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 नवम्बर, 2021 से दिसम्बर, 2021
6	विजय राज चौधरी (अल्पकालिक प्रशिक्षक)	बॉक्सिंग	जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018
7	पीयुष वैष्णव (अल्पकालिक प्रशिक्षक)	बैडमिंटन	जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 मार्च, 2020 एवं जुलाई, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक
8	प्रकाश सिसोदिया (अल्पकालिक प्रशिक्षक)	बास्केटबाल	जनवरी, 2018 से दिसम्बर 2018 सितम्बर, 2019 से अक्टूबर, 2019 तक दिसम्बर, 2019 से दिसम्बर, 2020 तक
9	विनोद कुमार (अल्पकालिक प्रशिक्षक)	हैण्डबाल	जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

(2) स्थायी प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की निर्धारित पे-स्केल के अनुसार मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। श्री लहरीदास वैष्णव को पे-स्केल एल-12 एवं श्री अमित कुमार को पे-स्केल एल-10 के अनुसार मासिक भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में भुगतान हेतु कोई राशि शेष नहीं है।

मैनपावर संस्था द्वारा पाली जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध करवाया गया है, जिन्हें 15,000/- प्रतिमाह का मानदेय नियत है।

पाली जिले में अल्पकालिक खेल प्रशिक्षकों के मानदेय हेतु परिषद् द्वारा मैनपावर संस्था को किये गये भुगतान का विवरण, 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 तक का, परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) संवेदक संस्था द्वारा प्रशिक्षकों को भुगतान किये जाने के उपरान्त क्रीड़ा परिषद में बिल प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनकी उपस्थिति के आधार पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा संवेदक संस्था को पुनर्भरण किया जाता है। वर्तमान में खेल प्रशिक्षकों की कोई बकाया राशि नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, आपने पैरा-2 में उत्तर दिया है कि परिषद् ने मैनपावर संस्था को पेमेंट कर दिया, पर मैनपावर संस्था ने उस प्रशिक्षक को पेमेंट किया कि नहीं किया, थोड़ा उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। वैसे आपने पैरा संख्या-3 में उत्तर दिया है कि संवेदक संस्था द्वारा प्रशिक्षकों को भुगतान किये जाने के बाद उसके द्वारा जो बिल प्रस्तुत किये जाते हैं, तो ही उसको भुगतान किया जाता है। उसने आपको बिल प्रस्तुत कर दिये, लेकिन उसने उन अस्थायी खेल प्रशिक्षकों का भुगतान नहीं किया, तो क्या आप उस मैनपावर संस्था के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे कि उसने आपको फर्जी बिल पेश कर दिये?

तीसरा, वर्तमान में आपके कितने खेल प्रशिक्षक कार्यरत हैं? यह जो आपके पांच-छह साल से खेल प्रशिक्षक कार्य कर रहे थे, आपकी सरकार ने आते ही उनको हटा दिया, क्या आप इनको कंटीन्यू करेंगे और वापस काम पर लगायेंगे? इन बातों का जवाब दे दो आप।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि संस्था को भुगतान किया गया तो क्या उसने प्रशिक्षक को दिया कि नहीं दिया? पहला तो मैंने

(श्री अशोक)

खण्ड-3 में जवाब दिया है कि भुगतान किये जाने के उपरान्त ही क्रीड़ा परिषद् में बिल प्रस्तुत किये जाते हैं। यदि कोई उसके अन्दर खोट है, कोई बेईमानी है और कोई शिकायत करेगा तो उसकी पूरी तरीके से जांच होगी और यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत आयी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको उत्तर नहीं सुनना? मंत्री बोल रहे हैं, आप सीनियर आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अभी तक ऐसी कोई शिकायत आयी नहीं है। यदि कोई शिकायत आयेगी तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर देंगे। पर जब तक शिकायत नहीं आयेगी तब तक कैसे करें।

आपने आगे पूछा कि पूर्व में जो प्रशिक्षक लगे हुए थे, उनको बीच में हटाया गया। क्या उनको वापस लगाने की सरकार मानसिकता रखती है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2020 में जो कोरोना काल आया, उसके बाद सात महीने तक गाइडलाइन रही, जिसके कारण स्टेडियम चालू नहीं हो सके। तीन बार लगातार प्रतिबन्ध हुआ। दो महीने काम चलता है, फिर एक लहर आती है और ऐसे प्रतिबन्ध हो जाते हैं कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते प्रशिक्षण के लिये, खिलाड़ियों को, बच्चों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। इसके कारण बीच-बीच में काफी समस्याएं रहीं, लेकिन आज की तारीख में भी जब से वापस ये सारी सीमाएं और प्रतिबन्ध हटे हैं, 287 प्रशिक्षक राजस्थान में लगे हुए हैं। पाली में चार, दो परमानेंट और दो टेम्परेरी, वापस प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार की मंशा है कि इसको बढ़ाकर 500 प्रशिक्षक तक पूरे राजस्थान में किया जाए। पूर्व में जो प्रशिक्षक काम कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर लोग नेशनल मेडलिस्ट थे, वह आउट आफ टर्न से, माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही राजस्थान की लोकप्रिय योजना रही है, आउट आफ टर्न से, वे सब नौकरी लग चुके हैं। उन सब में से ज्यादातर लोगों ने गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें संशोधन करके हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इसमें नेशनल पार्टिसिपेंट्स को भी अलाउ किया जाए। एन.आई.एस., ज्यादातर हम लोगों ने यह जो 287 लगाये हुए हैं, तकरीबन-तकरीबन एन.आई.एस., जिन्होंने भी

(श्री अशोक)

एप्लाई किया, हमने सबको लगा दिया है। आगे भी यदि कोई कोच एप्लाई करेगा तो हमें कोई हर्ज नहीं उसको लगाने में, हम चाहते हैं कि खेल सुविधाओं में प्रशिक्षण का कार्य बढ़े।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा। आपने कहा कि शिकायत नहीं आयी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आपको सदन से जानकारी दे रहा हूं, वह शिकायत करे, नहीं करे, उसने कितनी बार शिकायत की, यह विषय नहीं है। हिमांशु प्रशिक्षक है, उसको अप्रैल, 2020 से भुगतान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब इन्होंने कह दिया है कि आप शिकायत करें, कार्यवाही होगी। अब इसको असेम्बली में डिस्कस करने से क्या होगा? Please, you have a right. The House is not meant for this. आप लिख दें, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जिला बना दो, ये बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में हैं।

श्री अध्यक्ष: क्यों आप इनको तकलीफ दे रहे हैं, माननीय सदस्य।

ब्यावर के सुराघाटा फीडर की मरम्मत

90. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सुराघाटा फीडर का निर्माण कब हुआ तथा उक्त के निर्माण तथा मरम्मत पर कब-कब कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में उक्त फीडर की मरम्मत हेतु तीन करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् उक्त स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फीडर की मरम्मत हेतु पुन: आवश्यक राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) सुराघाटा फीडर का निर्माण कार्य अकाल राहत योजनान्तर्गत वर्ष 1963 में शुरू करवाया

(जल संसाधन मंत्री)

गया था, जिसके निर्माण पर स्वीकृत/व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) सुराघाटा फीडर की मरम्मत हेतु राज्य सरकार के आदेश, दिनांक 22.05.2018 द्वारा राशि रुपये 289.40 लाख रुपये की डब्ल्यू.एच.एस. (WHS) मद में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नाबार्ड से वित्त पोषण प्राप्त होने की शर्त पर जारी की गई थी, परन्तु नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 28.08.19 द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

(3) सुराघाटा फीडर की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कराया जाना विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी प्रश्न नहीं है क्या?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें मेरा यह निवेदन है कि इस फीडर के ऊपर सरकार अब तक 10 करोड़ 22 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। यह आपका जवाब है। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक भी वह पानी पूरा, जिस जगह पर प्रस्तावित था, वह नहीं पहुंच पाया है। इस प्रकार की कछुआ चाल से सरकार किस प्रकार से इस पैसे का दुरुपयोग करती रहेगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न। आपका प्रश्न क्या है?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): यह पानी कब तक पहुंच जाएगा? यह आप बताएं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1963 से 2022 तक सबकी सरकारें रही हैं। यह कार्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कठिन कार्य है, जब भी इसकी खुदाई की जाती है तो मिट्टी और पत्थर, इसका स्लाइड होकर वापस भर जाता है। जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने अधिकारियों से बुलाकर बात की। आगे इसकी योजना बनाकर हम यह कोशिश करेंगे कि इस काम को जैसे-तैसे करके पूरा किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमित चाचाण। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बैठें। बात हो गयी न। आपकी बात मान ली, अब क्या है? अब और क्या बाकी बच गया, बैठें प्लीज। अंकित नहीं होगा। प्लीज बैठें। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया। प्लीज बैठें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुन नहीं रहे। आप सीनियर सदस्य हैं।

श्री अमित चाचाण।

हनुमानगढ़ की सहकारी स्पिनिंग मिल को पुन: चालू करने की योजना

91. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त मिल बंद करते समय लाभ में थी या हानि में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बंद हुई मिल में कितने कर्मचारी कार्यरत थे? उक्त कर्मचारियों को कौन-कौन से विभाग में समायोजित किया गया व कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मिल को पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। मंत्रिमण्डलीय आज्ञा 131/2016, दिनांक 21.11.2016 के जरिये अनुमोदित मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन के बिन्दु संख्या 7(1) की अनुपालना में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रम विभाग, राजस्थान सरकार से अनुमति प्राप्त कर स्पिनफैड इकाइयों को दिनांक 22.07.2017 से विधिक रूप से बन्द किया गया। विभागीय आदेश दिनांक 28.11.2017 के द्वारा स्पिनफैड को अवसायन में लाया गया। सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ बन्द करते समय हानि में थी। वर्ष 2015-16 की बैलेन्स शीट के अनुसार सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ 105,872,370.54 रुपये हानि में थी। बैलेन्स शीट की प्रति परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(2) सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ बन्द होने के समय 37 कर्मचारी एवं 685 श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 56 श्रमिक रिटर्न श्रमिक (अस्थाई श्रमिक) की श्रेणी के थे। समायोजित कर्मचारियों/श्रमिकों की सूचना निम्नानुसार है:-

I. 37 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी विद्युत वितरण निगम में तथा

(सहकारिता मंत्री)

6 कर्मचारी स्वायत्त शासन विभाग में समायोजित हो चुके हैं। 29 कर्मचारी स्वैच्छिक सेवा निवृत्त/सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

II. 685 श्रमिकों में से 451 श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं तथा 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। 56 रिटर्न श्रमिक (240 दिन से कम काम करने वाले अस्थाई श्रमिक), 40 श्रमिक विभिन्न संस्थाओं में समायोजित हो चुके हैं, 133 श्रमिक विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर लगे हैं एवं शेष 2 श्रमिक कहीं पर भी कार्यरत नही हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

(3). वर्तमान में उक्त मिल को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, यह हनुमानगढ़ जिले का बहुत ही गम्भीर इश्यू है। उक्त वक्त 3 मिल्स गुलाबपुरा, गंगापुर और हनुमानगढ़ बन्द की गयी थीं। हनुमानगढ़ इकाई के 133 श्रमिक अन्य विभागों में मात्र 9 हजार रुपये में राजस्थान के कोने-कोने में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से गंगापुर इकाई के कार्मिकों को 25.02.2021 को डी.एल.बी. में समायोजित किया गया था, क्या सरकार हनुमानगढ़ के 133 कार्मिकों को भी डी.एल.बी. में समायोजित करना चाहती है? इसके अलावा करोड़ों रुपयों से मशीनों का जो आधुनीकरण किया गया था, उन मशीनों का सरकार क्या करना चाहती है? इसके साथ ही मिल पर कितना ऋण कौन-कौनसी वित्तीय संस्थाओं का बकाया है? कृपया मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न से सम्बन्धित रहें। कहां जा रहे हैं आप? माननीय मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार ने सोच-विचार करके ही घाटे में चलने के कारण इन इकाइयों को बन्द किया है। इनको आगे चलाने का कोई प्रपोजल अभी तक सरकार के पास नहीं आया है। अगर माननीय सदस्य ऐसा कोई प्रपोजल लाते हैं, मशीनें नयी हैं और उनको चालू किया जा सकता है, पी.पी.पी. मोड पर कोई प्रपोजल देंगे तो विचार किया जा सकता है।

(श्री अंजना उदयलाल)

जो श्रमिक अभी तक प्रतिनियुक्ति पर दूरस्थ स्थान पर विभिन्न संस्थाओं में लगे हुए हैं तथा आप ऐसा कोई सुझाव देंगे तो हनुमानगढ़ में ही अगर किसी संस्था में रिक्त स्थान हैं तो वहां लगा दिया जायेगा, ताकि अल्प वेतन भोगी व्यक्तियों को दूर काम नहीं करना पड़े।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र।

देवली-उनियारा में नवीन सब-स्टेशन

92. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में 33/11 के.वी. के कितने नये विद्युत सब स्टेशन स्थापित किए गए? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में उक्त के.वी. के नवीन सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में (दिसम्बर, 2018 से जनवरी, 2022 तक) बनाये गये नये 33/11 के.वी. सब स्टेशनों की डिस्काम वार एवं विधान सभा क्षेत्र वार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में ग्राम सावता एवं कोटड़ी मोड़ में नये 33/11 केवी सब-स्टेशन बनाने के प्रस्तावों का प्रारम्भिक स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाये जाने पर स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया, वह मैंने सुना। मेरा जो इलाका है, निर्वाचन क्षेत्र है, वह पूरा ही कैनाल इर्रिगेटेड है। वहां ट्यूबवैल्स बहुत ज्यादा हैं। वहां वाटर लेवल भी ऊंचा है। सब जगह सिंचित है। वहां बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। जहां पर कनेक्शन हैं, वहां फ्लक्चुएशन बहुत आता है क्योंकि ग्रिड सब स्टेशंस नहीं हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पाड़ली, कोटड़ी मोड़, पायगा, कचरावता

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

और सीतापुरा में सरकार अविलम्ब जी.एस.एस. लगाने की घोषणा करे। वहां के प्रस्ताव आपके पास आ गये हैं और ये सम्भव हैं, ऐसा विभाग ने कहा है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने अभी अपनी बात में कहा है, कोटड़ी मोड़, पायगा, इनका तकनीकी और वित्तीय परीक्षण हम अभी करवा रहे हैं। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। जहां तक पाड़ली की बात है, वहां 33 के.वी. का नवीन जी.एस.एस. अतिशीघ्र बनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

जयपुर के पर्यटन स्थलों पर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की योजना

93. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2021 में आमेर (जयपुर) में वाच टावर पर बिजली गिरने की घटना हुई थी? यदि हां, तो उक्त घटना में कितनी मौतें हुई व कितने घायल हुए तथा सरकार द्वारा उक्त प्रभावितों को किसकिस प्रकार की सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बारिश के दौरान पर्यटक एवं स्थानीय सहित अन्य लोग घूमने की दृष्टि से आमेर, नाहरगढ़ किले, हवामहल सहित राजधानी में ऊंचाई पर मौजूद मान्यूमेण्ट्स पर जाते हैं? यदि हां, तो भविष्य में उक्त प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सरकार कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) वर्ष 2021 में आमेर महल के समीप वाच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 12 व्यक्ति घायल हुए थे। मृतक 11 व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि से 04 लाख रुपये प्रति व्यक्ति एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, कुल 05 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी गयी है। घायल 12 व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि से 4300 रुपये प्रति व्यक्ति एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,95,700 रुपये प्रति व्यक्ति, कुल 02 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दी गयी है।

(2) जी हां। भविष्य में बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

कम करने के लिए आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जयपुर स्थित प्रमुख स्मारकों यथा आमेर महल, नाहरगढ़ किला, हवामहल, अल्बर्ट हाल, जन्तर-मन्तर, सिसोदिया रानी का बाग, विद्याधर का बाग, ईसरलाट, विरासत संग्रहालय में तड़ित चालक लगाये जा रहे हैं। आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के कार्यादेश, दिनांक 10.01.2022 को जारी कर दिये गए हैं व तड़ित चालक लगाने का कार्य प्रगति पर है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 की घटना है और 2022 को एक वर्ष बाद वर्क आर्डर जारी हुए। यह कब तक पूरा होगा? भविष्य में इस तरीके के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के जो स्थान हैं, वहां पर भी इस सम्बन्ध में सरकार की कोई कार्ययोजना है?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 10.01.2022 को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। जल्द ही कार्य पूरा होगा और जहां भी डिमाण्ड आयेगी, जिला कलेक्टर महोदय से कहकर वहां और तड़ित चालक लगा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरपत सिंह राजवी।

नवीन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के भवन निर्माण

94. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2022 तक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय खोले गये हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि में कहां-कहां एवं कब खोले गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जमीन आबंटित कर भवन निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई व किस-किस का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है व किन-किन का अपूर्ण है?

(3) क्या उक्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य भामाशाह, दानदाताओं से करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन का तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2022 तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार दवारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन खोले गये राजकीय महाविद्यालयों की वर्षवार सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है। उपर्युक्त अवधि में खोले गये राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है। अन्य विभागों द्वारा खोले गये महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(2) उच्च शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि, बजट राशि एवं भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट '4' पर संलग्न है। विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट '2' में निहित है। अन्य विभागों द्वारा खोले गये महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट '3' में निहित है।

(3) उक्त राजकीय महाविद्यालयों में से 05 राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण कार्य भामाशाह/दानदाताओं के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी सूची मय भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट '5' पर संलग्न है। विश्वविद्यालयों के भवनों का निर्माण भामाशाह/दानदाताओं से नहीं करवाया जा रहा है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, नवीन महाविद्यालय खोलने के मापदण्ड क्या हैं? क्या बिना भवन के भी महाविद्यालय खोले जा सकते हैं? आपने 122 महाविद्यालय खोले हैं। एक में भी भवन निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र आरम्भ होगा ही नहीं। बहुत सी कमियां हैं। जब आपके खुद के विभाग का यह आदेश है, मापदण्ड है कि बिना भवन निर्माण के महाविद्यालय सैंक्शन नहीं कर सकते। इसके वायलेशन में आपने जो 120 कालेज खोलने की घोषणा की है, उसमें आप अमेंड कर लें।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं मापदण्ड पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा जब कालेज का होता है तो इसके लिए पहले घोषणा होती है और उसके बाद फाइनेंस से पैसा मिलता है। होता इसमें यह है। हमारे यहां जो पिछले तीन वर्षों में 122 महाविद्यालय खोले गये हैं, उनमें से केवल 12

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

महाविद्यालयों में अभी जमीन का आबंटन नहीं हो पाया है और बाकी हमारे 82 महाविद्यालयों की जमीन आबंटित हो चुकी है। इनमें निर्माण शेष है, बाकी में कार्य चल रहा है। 32 महाविद्यालयों में से 23 स्टेट फंड से, 6 पी.एम.जे.वी.के. से, 2 भामाशाहों से और 1 डी.एम.एफ.टी. से है, जिनका अभी बाकी है। 82 में हमारा कार्य चल रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो मापदण्ड पूछे और मापदण्ड इनके विभाग से ही जारी हुए हैं। इसमें पहला मापदण्ड है, महाविद्यालय के लिए आवश्यक भवन आदि उपलब्ध हो। प्रस्तावित संस्थान के 20 किलोमीटर परिधि में कम से कम 4 सीनियर सैकण्डरी स्कूल संचालित हों।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य मापदण्ड के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं, बता दें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मापदण्ड के लिए जब कालेज की घोषणा होती है तो व्यवस्थित कहीं पर भी जगह मिल जाती है, तो उसमें कालेज खोल दिया जाता है। जैसे अभी हमारे जहां स्कूल की बिल्डिंग मिल रही है, उनमें महाविद्यालय खोल दिये हैं और उनका बिल्डिंग का काम चल रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, खोल दिये, उसके लिए धन्यवाद। मापदण्ड में अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करके इसको रेक्टिफाई करें और बिल्डिंग वहां बने और अध्ययन वहां पर हो।

अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

कोटा सम्भाग में साइबर क्राइम के दर्ज प्रकरण

95. **श्री पानाचन्द मेघवाल** (बारां-अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा सम्भाग में विगत तीन वर्षों में ऑनलाइन ठगी व साइबर क्राइम के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? उक्त में से पुलिस कितने मामलों का खुलासा कर पायी? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में कितने अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी व कितने मामलों में चालान पेश किये गये तथा कितनों में एफ.आर. लगायी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(3) कोटा सम्भाग में हत्या, लूट, डकैती, महिला अपराध और नाबालिग गुमशुदा बच्चों के कितने मामले ऐसे हैं, जिनका पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पायी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) कोटा सम्भाग में विगत तीन वर्षो में ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम के कुल मिलाकर 167 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 80 प्रकरणों का पुलिस द्वारा खुलासा कर चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। इनका जिलेवार और वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(2) उक्त में से 80 प्रकरणों में चालान कर कुल 157 अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी है। 71 प्रकरणों में एफ.आर. लगा दी गयी है। 16 प्रकरण अनुसंधानाधीन हैं। इनका जिलेवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(3) कोटा सम्भाग में विगत एक वर्ष में हत्या के 9 प्रकरण, लूट के 7 प्रकरण, डकैती के शून्य प्रकरण, महिला अपराध के 3 प्रकरण एवं नाबालिग गुमशुदा बच्चों के 26 प्रकरण ऐसे हैं, जिनका पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पायी है, जिनका जिलेवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'ब, स, द, य' पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कल बजट घोषणा में हर जिला मुख्यालय पर साइबर क्राइम थाना खोलने की घोषणा की है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही जिस प्रकार से कोटा में घटना घटी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): उसमें हमारे मंत्री श्री शान्ती कुमारजी धारीवाल ने जिस प्रकार तत्परता से पूरे पुलिस प्रशासन को लगाकर अपराधी को पकड़ा, मैं पूछना चाहता हूं कि कोटा में क्राइम में जिस प्रकार से मुलजिम को पकड़ा है अन्य जिलों के इस प्रकार के अपराधों में पुलिस इसी तत्परता से कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न को कहां ले जा रहे हैं कोटा? कोई अन्य प्रश्न पूछना है आपको? बैठें आप।

अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

नोखा में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

96. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बद्दू, गुन्दुसर, अणखीसर, सीलवा को उच्च माध्यमिक में; राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभासर, माडिया, लिखालों की ढाणी-बंधड़ा को माध्यमिक विद्यालय में तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय भादुओं की ढ़ाणी-सारूण्डा, शिवराज की ढ़ाणी-जयसिंहदेसर मगरा, हिंगडो की ढाणी-सीलवा, भाटियों की ढाणी-बासी, भौम बिलनियासर, लूम्बासर, मूरीदसर व सिंवरों की ढाणी-दावा को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 95 के अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उ.मा.वि. तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में सम्भावित गैप को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

उक्त की पालना में विभाग को प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जा सकेगी।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 41 के अनुसार प्रदेश में 50 राजकीय विद्यालय खोले जायेंगे।

उक्त की पालना में विभाग को प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन किया जाकर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालय खोले जा सकेंगे।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया वह 2020-21 और 2021-22 के बजट प्रावधानों के अनुसार है और कल नया बजट आ गया 2022-23 का, इसके बिन्दु संख्या 25 के अनुसार मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय घड्डू, गुन्दुसर, अणखीसर, धुपालिया, नोखा गांव, पितरासर, सीलवा को इसी अगले सत्र में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा क्या? इसी तरह ग्राम पंचायत मुख्यालयों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधा उच्च माध्यमिक बनाने का निर्णय किया है, बिन्दु संख्या 28(3) में। इसी प्रकार मेरी ग्राम पंचायत माडिया के विद्यालय को यू.पी.एस. से सीनियर सैकण्डरी कर दिया जायेगा क्या इसी सत्र में? साथ ही कुम्भासर व देपालों की ढाणी, बन्धा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कल आपको कह दिया कि हर सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल कर देंगे। आठवीं को ये कर देंगे, उसके बाद कौनसी बची है अपनी, उसको पूछो आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के 3,820 सैकण्डरी स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का कहा है, कोई राजस्थान का रहा नहीं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं बताना चाहूंगा कि इनके 2014-19 तक के कार्यकाल में 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया और हमारे 3 साल में हमने 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया। इन्होंने 5 साल में 1 प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक शाला में बदला, हमने 3 वर्षों में 15 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में बदला है। हम तो कोई भेदभाव करते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

नदबई में अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड की स्थापना

97. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नदबई में अन्तरराज्यीय बस स्टैण्ड स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): जी नहीं। नदबई में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अन्तरराज्यीय बस स्टेण्ड स्थापित करने का विभागीय स्तर पर फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बजट की उपलब्धता अनुरूप अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मास्टरप्लान 2011-31 में, खसरा नम्बर 4244, 3907, 4243, 3908, 4242, 4240, 3912, 3911, 3910, 3914, 3913, 3922, 3921, 3923, 3917, 3933, जो भूमि मास्टर प्लान में चिन्हित की गयी थी बस अड्डे के लिए और उस वक्त कहा गया था कि बहुत शीघ्र यहां बस अड्डा खुलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि नदबई से जयपुर, नगर, अलवर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया कि नहीं खुल सकता, तो उस पर प्रश्न पूछकर क्या करेंगे?

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): 55 बसों के ट्रिप हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार वहां पर बस अड्डा बनाने की मंशा रखती है या नहीं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मास्टर प्लान परिवहन विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है। वह आने वाले कई सालों की योजना होती है जो नगरीय विकास विभाग द्वारा बनायी जाती है शहर के लिए या उस क्षेत्र के लिए। मैंने आपको निवेदन कर दिया कि ज्यों ही हमारे पास बजट की उपलब्धता होगी, हम इस पर प्राथमिकता से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में सीवरेज के कार्य

98. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर में सीवरेज समस्या से निजात दिलाने के लिए कौन-कौनसी योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कार्य चल रहे हैं व कितने प्रक्रियाधीन हैं? उक्त की निविदा कब जारी हुई व निर्माण की क्या शर्तें थीं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) क्या यह सही है कि निर्माण कम्पनी द्वारा शहर की सड़कों को पूरी तरह खोद दिया गया? यदि हां तो उक्त सड़कों को पुन: बनाने का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) अजमेर शहर में सीवरेज समस्या से निजात दिलाने के लिए अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन योजनान्तर्गत राशि रुपये 156.94 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है। प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त कार्य की निविदा दिनांक 20.03.2020 को जारी की गयी। निर्माण की शर्तों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

अमृत योजनान्तर्गत राशि रुपये 82.70 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, जिसमें 46.39 किलोमीटर सीवर लाइन, 9400 हाउस सीवर कनेक्शन व मौजूदा 20 एम.एल.डी. एवं 40 एम.एल.डी. खानपुरा एस.टी.पी. का अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य की निविदा दिनांक 13.10.2016 को जारी की गयी। निर्माण की शर्तों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) सीवर लाइन डालने एवं घरेलू कनेक्शन करने हेतु सड़कों को खोदा गया है। बगैर खुदे तो सीवर लाइन कैसे डलेगी? खोदी गयी सडकों को पुन: बनाने का कार्य दिनांक 15.03.2022 तक कर लिया जायेगा। कार्यवार विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले प्रश्न के खण्ड-अ में से दो जानकारियां इनसे चाह रहा हूं। अब तक कुल कितने किलोमीटर सीवर लाइन खुद गयी? कितने मेनहोल्स बनाये गये? कितने घरेलू कनेक्शंस दिये गये?

इसी का 'बी' पार्ट है कि आपने 2016 में अमृत योजना शुरू की, जिसे 2019 में खतम हो जाना चाहिये था, वह अब तक चल रही है और अब तक समय मांगा जा रहा है तो उसे समय पर पूरा न करने के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हां तो क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, वहां दो तरह की योजनाएं चल रही हैं। एक तो स्मार्ट सिटी की और दूसरी अमृत योजना। स्मार्ट सिटी की योजना में 85 करोड़ 46 लाख की राशि जारी की गयी थी कार्यादेश

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

की। उक्त कार्यों की कार्यावधि सिर्फ दो वर्ष की ही थी। अजमेर शहर में सीवरेज फ्लो जो आनासागर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसे तो आनासागर जोन कहते हैं और जो सीवरेज फ्लो खानपुरा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसे सिटी जोन कहते हैं। दोनों अलग-अलग जोन्स हैं। मैं दोनों का आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। स्मार्ट सिटी में जो काम प्रस्तावित किये गये, आनासागर में 122 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का और 16,115 हाउस सीवर कनेक्शंस करने का तथा आनासागर में 13 एम.एल.डी. का और आनासागर एस.टी.पी. जो चल रहा है, उसकी क्षमता बढ़ाने का। यह काम तो आनासागर जोन में किया। आपने यही पूछा है न?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह तो लक्ष्य है। लक्ष्य में से अब तक कितना हु आ है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको वह भी बता देता हूं। यह तो मैंने प्रश्न के जवाब में ही आपको दे दिया है आलरेडी। जोन सीवर लाइन के डालने के लिए 28 किलोमीटर डामर की सड़क और 10 किलोमीटर सीसी की सड़क काटी गयी थी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सीवर लाइनें कितनी डाली गयीं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वही बता रहा हूं न। सवाल आपने पूछा कि कितनी काटी गयीं?

श्री अध्यक्ष: सीवर लाइनें कितनी डाली गयीं, यह पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, यही बता रहा हूं।

आनासागर जोन में 1,500 हाउस सीवर कनेक्शंस के कार्य 20 करोड़ रुपये खर्च करके कर दिये गये हैं और 54 किलोमीटर सीवर लाइन डालने का कार्य पूरा कर दिया गया है। मार्च, 2023 तक यह काम पूरा हो जायेगा।

स्मार्ट सिटी अजमेर योजना के अन्तर्गत आनासागर जोन और सिटी जोन सीवरेज में कुल-मिलाकर 3,252 मेनहोल्स बनाये जा चुके हैं। इसके साथ-साथ सिटी जोन में 33 किलोमीटर की लाइन और 1,450 हाउस सीवर कनेक्शंस का भी कार्य किया जा चुका है। इसके साथ-साथ 20 एम.एल.डी. क्षमता का मौजूदा खानपुरा एस.टी.पी. और 40 एम.एल.डी. क्षमता का खानपुरा एस.टी.पी. का भी निर्माण किया जा रहा है।

रोड जो काटी गयी है, जैसा कि आपने सवाल पूछा, पूछना चाहते हैं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कि नहीं आप, रोड काटी गयी है कि नहीं? कितनी पूरी हुई है, यह बता दूं? चलिए, बता देता हूं आपको। आनासागर जोन का बता देता हूं। आनासागर जोन में कुल-मिलाकर कार्यादेश जो हुआ, कार्य पूर्ण हो गया। सीवर लाइन 112 किलोमीटर, मेनहोल्स 4,874. इसी तरीके से सिटी जोन में आपका 56 किलोमीटर और मेनहोल्स 225, ये सब कम्प्लीट हो चुके हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा दूसरा प्रश्न है कि परिशिष्ट 'ब', 'स', 'द' आपने दिये हैं। उसमें ठेकेदार की जो शर्तें हैं, उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

i. संवेदक द्वारा सीवरेज लाइन हेतु खुदाई की यथासम्भव योजना इस प्रकार बनायी जायेगी, जिससे ट्रैफिक में व्यवधान न्यूनतम हो।

ii. सीवर लाइन डालने के समय क्षतिग्रस्त हुई रोड व पाथवे को यथास्थिति में संवेदक द्वारा रेस्टोर किया जायेगा।

iii. यूटिलिटीज यथा पानी, बिजली, टेलीफोन की लाइनें बरसाती नाले इत्यादि को नुकसान न हो।

iv. उसको बराबर मौजूदा रोड के लेवल के बराबर रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सारी सड़कें अजमेर (उत्तर) की, जिसमें वार्ड नम्बर 1, 2, 3, फॉय सागर रोड, 67, 69, 71, 77, 79, 80, मैं कालोनियों का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं केवल वार्ड के नाम ले रहा हूं, सारी सड़कें खुदी हुई हैं 6-6 महीनों से। लोग गिर रहे हैं। पानी भरा हुआ है। लोग चल नहीं पा रहे हैं। इंजीनियर को कहते हैं। सारा उत्तर यह गलत है, इसलिए जिसने यह गलत उत्तर दिया है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अलग प्रीविलेज लाइये उनके खिलाफ। अगला प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसका जवाब तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: आपका गलत तरीका है। आप सीनियर मेम्बर हैं।

अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

कोटा में वन भूमि पर बसी कालोनियों का नियमितीकरण

99. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) जिला कोटा में वन भूमि पर कौन-कौनसी कालोनियां कब से बसी हुई हैं? सरकार द्वारा उक्त कालोनियों में आधारभूत सुविधाओं के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में उक्त जिले की किन-किन कालोनियों के नियमितीकरण के लिए केन्द्र को कब-कब प्रस्ताव भेजे गये? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जिला कोटा में वन भूमि पर बसी हुई अवैध कालोनियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

वन क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं, जैसे- सड़क, बिजली व पानी की आपूर्ति आदि गैर वानिकी कार्यों के अन्तर्गत आती हैं एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानान्तर्गत वर्तमान में गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार की पूर्वानुमति से ही किया जाता है।

(2) वन भूमि पर बसी कालोनियों के नियमन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है। अत: विभाग द्वारा भारत सरकार को कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मेरे पास आ गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं डायरेक्ट प्रश्न कर लूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर मान लिया। प्रश्न पूछने दें उन्हें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपके बताये अनुसार लगभग दो लाख से अधिक लोग 35 वर्षों से भी अधिक समय से इन कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। इनके जीने के अधिकार की गारंटी के तहत इन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, इसके लिए सरकार की क्या योजना है? यदि है तो बताएं, यदि नहीं तो बताएं। ये बरसात, गर्मी और धूप में किस प्रकार अपने सिर को छिपा पायेंगे? क्या आप केन्द्र सरकार के पास इन वन भूमियों में जो कच्ची बस्तियां हैं, उन्हें अन्यत्र बदलने के लिए कोई प्रस्ताव भेजने की योजना बना रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विस्तार से उत्तर दे दिया गया है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वीकार कर लिया। इन्होंने ये जो बस्तियां वन खण्ड क्षेत्रों में बसी हुई हैं, इनके नियमितीकरण के लिए पूछा है। वन खण्ड क्षेत्रों में जो भी आबादी भूमि हुई है उसके नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से नियमितीकरण सम्भव नहीं है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानान्तर्गत वर्तमान में गैर वानिकी कार्य हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारत सरकार की पूर्वानुमति से ही किया जाता है, लेकिन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवासीय परियोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है, इसलिए इसके बारे में जब यह प्रत्यावर्तन अनुमत ही नहीं है तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदत्त किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी वन भूमि का प्रत्यावर्तन हुआ है। ऐसी कई वन भूमियां हैं जिनका प्रत्यावर्तन करके हस्तान्तरित करके भूमि दी गयी है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि उप-वन संरक्षक, वन मण्डल (कोटा) द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कितनी जगहों पर वन भूमि पर अवैध कब्जा करने, अवैध खनन रोकने के लिए कितनी बार वे मौके पर पहुंचे? यदि गये तो कब गये? क्या-क्या कार्रवाई की? वन विभाग के नियमानुसार कितनी बार रात्रिकालीन गश्त उन्होंने की?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वन भूमि पर अवैध खनन या अतिक्रमण रोकने के लिए विभाग सतत प्रयत्नशील है और इसके लिए त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है। एक गश्ती दल भी गठित किया गया है, जो पूरे प्रदेश में यदि कहीं कोई अवैध खनन हो रहा है या अतिक्रमित है तो अतिक्रमियों या अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करे। आप स्वयं कह रहे हैं कि एक तरफ वन भूमि को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए और

(समय: 12.00 बजे)

दूसरी तरफ वन भूमि पर जो इस प्रकार से लोग आबाद हो गये हैं, उनको बसाने की बात करते हैं जो सम्भव नहीं है। आप जो कह रहे हैं, 1980 से पहले के जो अवैध कब्जे थे, जिनके बारे में राज्य सरकार अवैध कब्जों की मात्र श्रेणी को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले निर्णय ले चुकी थी। 1980 के बाद में जो भी कब्जे हैं

(श्री हेमाराम चौधरी)
उनके बारे में कोई भी किसी प्रकार का नियमितीकरण किया जाना सम्भव नहीं है। जहां तक डाइवर्जन का सवाल है तो वह दूसरे कार्यों के लिये है। अगर वन भूमि से कोई सड़क निकालनी है तो उसमें डाइवर्जन हो सकता है, लेकिन आबादी भूमि के लिए इसमें अनुमत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। बैठें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

माननीय सदस्य, I am on legs. Please be seated. (व्यवधान) I am on legs. Please be seated. मुझे देने दीजिये। I am on legs. Don't break the rules.

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से पीलीबंगा व रावतसर में सेम समस्या का समाधान कर किसानों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के पलोट गांव में अनुसूचित जाति की महिला से हुए बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में हो रहे विकास कार्यों में लापरवाही बरतने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से छबड़ा विधान सभा क्षेत्र सहित सम्पूर्ण प्रदेश में गाय की उचित देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर के कारण फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से पीपाड़ शहर में शराब पीये हुए ड्राइवर की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटना में पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में

(श्री अध्यक्ष)

स्थित महामाया मन्दिर, बन्दौल की जमीन को भू-माफियाओं व अधिकारियों की मिलीभगत से खुर्द-बुर्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में मूक बधिर नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान में मौसम खराब होने से प्रभावित किसानों/काश्तकारों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से अलवर शहर में 16 वर्षीय मूक बधिर नाबालिग के साथ गैंगरेप के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में बाकली बांध में साकदड़ा माइंस का दूषित पानी आने से कैचमेंट एरिया एवं एरिया में आने वाली किसानों की जमीन के बंजर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ आये दिन हो रही दुष्कर्म, बलात्कार, हत्या आदि घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से राजस्थान के पूर्व राज्यपाल महामहिम अंशुमान सिंह की पुण्यतिथि पर अवकाश नहीं रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। कुछ जो स्थगन प्रस्ताव हैं वे डिमांड के अन्दर डिस्कस करने के लिए हैं, उनको डिमांड के कारण इसमें नहीं लिया है।

(15) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में बतीसा बांध के निर्माणाधीन होने से भाखर क्षेत्र के लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(16) श्री नारायण सिंह देवल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मौसम की खराबी से जीरे की फसल में हुए नुकसान का गैर बीमित किसानों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से कोविड-19 में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति में आवेदन हेतु छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री समाराम गरासिया, श्री नारायण सिंह देवल, श्री जब्बर सिंह सांखला को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की सड़कों की हालत सुधारे जाने हेतु बजट में विशेष प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति बनाये जाने तथा बछड़ों के विक्रय पर लगी रोक हटवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में बिजली विभाग अधिकारियों की लापरवाही के कारण बिजली उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर आडिट के नाम से अधिक राशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से नीमकाथाना को जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से प्रक्रियाधीन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में वर्ष 2018 से रिक्त चल रहे 300 पदों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में स्थित सुमेरपुर महाराजा उम्मेदसिंह कृषि उपज मण्डी की डी.एल.सी. दर राजस्थान की अन्य मण्डियों से ज्यादा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में निराश्रित बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से पैराटीचर्स/शिक्षाकर्मी/संविदाकर्मी अध्यापकों को समायोजित/नियमित करते हुए अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उदयपुर शहर की कालोनियों को नगर निगम में स्थानान्तरित नहीं किये जाने से सफाई व्यवस्था चरमरा जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की सरकारी भूमि पर निजी कम्पनी द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री समाराम गरासिया।

अनुरोध एवं मांग

महिलाओं पर एक माननीय सदस्य की अभद्र टिप्पणी पर माफी की मांग

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो शानदार बजट राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने पेश किया, उससे बौखलाकर आमेर से आए हुए माननीय सदस्य ने राजस्थान की महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की, महिलाओं को पेश करने जैसी बात बोली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से मांग करना चाहूंगी कि वे माफी मांगें राजस्थान की महिलाओं से। (व्यवधान) वे माफी मांगें, उन्होंने महिलाओं के लिए अभद्र

(श्रीमती ममता भूपेश)

टिप्पणी की। अच्छे बजट से बौखलाकर इनके पास में कोई टिप्पणी नहीं थी और इन्होंने महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी की। काली शब्द क्या होता है, काली दुल्हन क्या होता है? क्यों बोला इन्होंने ऐसा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठें।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आमेर से आये हुए माननीय सदस्य माफी मांगें। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व बैनर प्रदर्शन।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, माननीय संजय, आप इधर कर रहे हो या इधर कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? (व्यवधान) माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, बैठें। माननीय मंत्री जी, बैठें प्लीज। Be seated. बैठें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): 000

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व बैनर प्रदर्शन)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अंकित नहीं होगा। बैठें, प्लीज। पहले बैठें। माननीय सदस्य, बैठें। सुन नहीं रहे हो क्या आप? माननीय मंत्री जी। I am on legs. माननीय मंत्री जी, आप अपनी जगह पर जायें। आपका काम है क्या? मेरा काम है या आपका काम है? आपका काम है या मेरा काम है? आप अपनी जगह पर जाइये। आप अपनी जगह पर जाइये। (व्यवधान) मेरा काम है, कोई आपका काम है क्या? (व्यवधान) राजेन्द्र जी, मेरा काम है, आप अपनी जगह पर जायें। माननीय सदस्य, आप अपनी जगह पर जाइये, यह मेरा काम है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, प्लीज, हो गया। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.08 बजे 12.38 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 12.38 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

सदन में बैनर व उनका प्रदर्शन अनुज्ञेय नहीं तथा विरोध प्रदर्शन हेतु प्रजातांत्रिक तरीकों का उपयोग

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, I am on legs. Please understand it. I will not tolerate indiscipline in the House. You be a gender, male or female, I don't care for this. मैं फिर दुबारा कह रहा हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में गलत परम्परा पड़ रही है। यहां पर ऐसे बैनर लेकर आते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, हाउस में आज के बाद इस तरह के बैनर अलाउ नहीं हैं और कोई भी सदस्य लेकर आयेगा तो मार्शल से कहकर मैं बाहर ही रखवाने का काम करूंगा। ये पहले भी नियम रहे हैं, इस तरह के कानून रहे हैं और हम परम्परा तोड़ रहे हैं, यह गलत है।

माननीय सदस्य, लोकतंत्र में डिबेट और डिस्कशन से अपनी बात करते हैं। प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, प्रोटेस्ट करने के बाद, प्रोटेस्ट कोई कुश्ती नहीं है कि उस पर फैसला करना पड़े। मैं महिला, जो हमारी माननीय सदस्य हैं, उनकी भावनाओं को एप्रिसिएट करता हूं, but I say it very categorically, you have expressed your concern and you cannot impose it on the House. मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका प्रोटेस्ट रिकार्ड हो गया है। माननीय सदस्या, आपने सुबह भी यह बात कह दी है। इस तरह से यदि सदन नहीं चलाना है तो मैं वह स्पीकर हूं, सरकार सदन नहीं चलाना चाहती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर I will not allow it. I will not tolerate any indiscipline और माननीय सदस्य, फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलत परम्परा डालकर राजस्थान के सदन की जो गरिमा है उसको हम कम कर रहे हैं, सदन की गरिमा को कम नहीं करें। हम सब मिलकर अपनी बात कहें, प्रोटेस्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन सदन की जो कार्यवाही है, उस कार्यवाही में उसी ढंग से प्रोटेस्ट करें जिस ढंग से डेमोक्रेसी में होता है। आपने प्रोटेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट करने के बाद इस चीज का कोई अन्त नहीं है। मैं समझता हूं कि भावना को पूरे राजस्थान ने देखा, यू-ट्यूब पर सब

(श्री अध्यक्ष)
चीजें जाती हैं। आपके प्रोटेस्ट को यू-ट्यूब पर देखा है। यू-ट्यूब पर देखने के बाद सब लोगों को आपकी बात मालूम है और इसके बाद आप हाउस में क्या करके निर्णय करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह परम्परा ठीक परम्परा नहीं है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर बैठें और हाउस की कार्यवाही चलेगी। नहीं चलाना है, तो माननीय संसदीय मंत्री महोदय मुझे कह दें कि हमें हाउस नहीं चलाना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि मैं हाउस चलाऊंगा तो बिलकुल डिसीप्लीन से चलाऊंगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठे-बैठे अलाउ नहीं है। माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जिस तरीके का आदेश दिया है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और यह निश्चित तौर पर आपके द्वारा दिया गया आदेश इस सदन की गरिमा को बचाये रखने के लिए, बल्कि बढ़ाने के लिए बिलकुल कारगर रहेगा, लेकिन सवाल यह आता है कि महिला का मामला है। महिलाओं के लिए अगर इस तरीके की बात कही जाती है तो मेरा आपसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में यह निवेदन है कि इस मामले में कम से कम आधा घण्टे की चर्चा यहां जरूर करवा लें। आधा घण्टे की चर्चा करवा लें, क्योंकि यह महिलाओं का मामला है। आप यह देखिये, प्राथमिकता के तौर पर जहां पर भी हम कोई भी फैसला करते हैं उसमें महिला को आगे रखते हैं। महिला के नाम पर ही मकान का पट्टा मिल रहा है। महिला को ही परिवार की मुखिया माना जा रहा है। हर तरह से महिलाओं को आगे रखने का, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा महिलाओं को आगे रखती है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट और वह भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिया जाये, यह निन्दनीय है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस यह चाहती है कि महिलाओं के अपमान के बारे में आधे घण्टे की चर्चा हो, तो आप अपनी तरफ से एक नोटिस दो, हम मंजूर करते हैं उसको और चर्चा में आयेंगे और चर्चा में बतायेंगे क्या है, क्या नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मैं माननीय संसदीय मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता दोनों की भावना को सम्मान देते हुए विधान सभा नियम, कानून और प्रक्रिया के अन्दर चलती है, आपको लगता है तो नियम और कानून के अन्तर्गत आप लें। यह मेरा डिस्क्रिशन है, नियम और कानून के अन्तर्गत जैसे

(श्री अध्यक्ष)

आपने भावना बतायी है कि डिस्कशन अलाउ है, तो मैं अलाउ करूंगा। नियम कानून के अन्तर्गत यदि नहीं है, तो अलाउ नहीं करूंगा। आपको पूरा अधिकार है, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। आप नियम और कानून के अन्तर्गत इस पर लेकर आयें। मैं इस पर विचार करके निर्णय करूंगा और मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आज सभी माननीय सदस्य अपनी तख्ती को नीचे रखें, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों। आज के बाद हाउस के अन्दर कोई भी माननीय सदस्य चाहे, पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, आप नियम और कानून देख लें, विधान सभा के पुराने जितने भी निर्णय हैं उनको पढ़ लें, यह इस तरह के सदन में अलाउ नहीं है। यह आपका जो व्यवहार है, I will take cognizance on this. यदि फिर मार्शल के बाद भी नहीं मानेंगे तो सदन चलाने के लिए मुझे जो कार्यवाही करनी है, मैं करूंगा इसलिये आज के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा।

मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी तख्ती को प्लीज अपनी जगह पर रखें और सबसे अच्छा तो आप सब बाहर जाकर 'हां पक्ष' की लॉबी में रख दें। वह ज्यादा अच्छा है। सदन की कार्यवाही हम प्रारम्भ करना चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री समाराम गरासिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। I will not allow. Govind Ji, I will not allow. मैंने कॉल कर लिया, इसलिये। I have called his name. बाकी मैं अलाउ कर देता आपको, but I have called his name.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : इनके बाद में बोल लूं?

श्री अध्यक्ष: How can we say at this moment? I am on legs. I am on legs. आप तो खुद ही पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, प्लीज। श्री समाराम गरासिया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं निवेदन करता हूं, यह नीचे रख लें आप। आदेश की पालना करें। मेहरबानी करके नीचे रखें।

श्री अध्यक्ष: इन्द्रा जी, आपके पीछे वालों का भी पीछे रख दें। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री समाराम गरासिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

निर्माणाधीन बतीसा बांध से हो रही परेशानी से बचाव हेतु वैकल्पिक सड़क निर्माण

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बतीसा बांध बन रहा है, उससे, जो 24 गांव पड़ते हैं, उनको जो देलदर उप तहसील वहां बनायी है आपने और वहां पर हास्पिटल है, तो वहां आने-जाने के लिए 45 से 60 किलोमीटर की दूरी पड़ती है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। I will name you, जगदीश जी, प्लीज।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो 24 गांव पड़ते हैं उनको जो एक उप तहसील देलदर को बनाया है और वहां अस्पताल भी है, वहां लोगों के आने-जाने की दूरी 45 से 60 किलोमीटर पड़ती है, जबकि पहले 13 किलोमीटर ही थी और अभी भी वहां ग्रेवल कच्ची सड़क है, उसको अगर बनाया जाये, वहां लोगों ने एक सामूहिक धरने की प्रक्रिया रखी थी, मैं भी उसमें गया था तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि वहां 13 किलोमीटर रोड में कुछ भाग वन विभाग में आता है, उसको कैसे भी करके 13 किलोमीटर की रोड अवाप्त करके वन विभाग से अभयारण्य से निकाल करके उसको किया जाये, ताकि जनता को राहत मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

जीरे की फसल को हुए नुकसान हेतु आर्थिक सहायता

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: रूल-50, प्लीज।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): नियम-50, देश के अन्दर कुल उत्पादन जो जीरे का होता है, उसमें 28 प्रतिशत जीरा राजस्थान में होता है। राजस्थान के जालौर जिले के अलावा सिरोही, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, नागौर में जीरा पूरी तरह से जल चुका है। समय-समय पर किसान और भारतीय

(श्री नारायण सिंह देवल)

किसान संघ ने भी सरकार का ज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षण किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरे की खेती में 30 से 35 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर खर्चा आता है और अगर जीरा सही पके तो एक हैक्टेयर में सात से आठ क्विंटल पैदा होता है। हमारे देश में ज्यादातर किसानों पर मौसम की मेहरबानी कम रहती है। कभी अकाल पड़ता है, कभी फसल पकने के समय बारिश हो जाती है और कभी ठंड पड़ जाती है। इस कारण से फसल का नुकसान होता रहता है। पिछली बार भी ज्यादा ठंड पड़ी और उसके कारण से अरबों रुपये की जीरे की फसल का नुकसान किसानों का हुआ। अब की बार तेज गर्मी और हवा चलने के कारण जीरा पूरी तरह से जल चुका है। दिन में और रात के तापमान में काफी फर्क रहने के कारण जीरे की फसल का दाना भी सूख गया है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले दो साल से प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ कभी मौसम ने, कभी टिड्डी ने क्रूर मजाक किया है।

अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले के रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, सांचौर, चितलवाना, भीनमाल, सायला और जालौर तहसील में जीरा 70 से 80 प्रतिशत खराब हो चुका है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन काश्तकारों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा रखा है उनको तो मुआवजा मिल जायेगा, लेकिन जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है उनको बड़ा नुकसान होने की सम्भावना है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सरकार ने अभी कृषि बजट में कल घोषणा की है। राम तो रूठे, पर राज नहीं रूठे, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेष गिरदावरी करके किसानों को तुरन्त प्रभाव से मुआवजा प्रदान करने का आदेश फरमायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद जी पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मात्र पाली जिला ही नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो यह गरम हवा चली, कभी बूंदा-बांदी भी हुई तो जीरे के साथ-साथ चने की फसल भी पूरी बरबाद हो गयी। मेरा इलाका है रोहट तहसील। हर बार वहां चने की बहुत बेहतर फसल होती है, अच्छी फसल होती है। लम्बे समय बाद ऐसा हुआ है कि यह जो मौसम का अचानक परिवर्तन और उसके चलते चना लगभग बरबाद हो गया। रोहट तहसील के

(श्री ज्ञानचंद पारख)

अलावा पाली जिले में और तहसीलें हैं, जहां जीरे की बुआई होती है, चने की बुआई होती है, उन फसलों का भी लगभग यही हाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि वह राजस्व के अधिकारियों को निर्देश दे कि पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले हैं, जहां चना है, जीरा है उनकी उदारता से गिरदावरी करवा दें और गिरदावरी में जितना आकलन खराबे का बताया जाता है, उसके अनुसार सरकार मुआवजा देने की घोषणा करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषि बजट अलग से रखा और लगभग जो घोषणा की है न, उसकी जोड़ बनती है 78 हजार करोड़, और ऐसे में यदि...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): ऐसे में यदि जो खराबा हुआ है उन किसानों को भी राहत मिल जायेगी तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि रबी की फसल में बिजली के बिल को मेहरबानी करके सरकार माफ करे। अभी जो आपका जबरन ऋण वसूली का कार्य चल रहा है, उसको फिलहाल रोकें और फसल बीमा के साथ-साथ सरकार की ओर से कोई न कोई अनुदान उनको मिल जाये, जैसे भारत सरकार देती है, वैसे ही कोई न कोई अनुदान राजस्थान सरकार की ओर से इन प्रभावित किसानों को मिल जाये, यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह।

कोविड-19 में मृतक कर्मचारी आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे नियम 50 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा। इस वर्ष कोविड-19 के तहत जो एक महामारी आई थी, उससे हम सब भी गुजरे और हम सबने उसको झेला है, देखा है और भुगता है। उस महामारी में हमारी राजस्थान सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह न करते हुए राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता की मन से सेवा की है। उसी दरमियान कुछ कर्मचारियों ने इस कोविड की महामारी से अपनी जान गंवा दी है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। जिन कर्मचारियों ने अपनी

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

जान गंवायी है, आज उनके परिवार बहुत दुखी हैं और जो पीड़ा वे झेल रहे हैं वह मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी खुद की विधान सभा बदनोर और आसीन्द में ही ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मृतक कर्मचारियों के किसी भी एक सदस्य के राज्य सेवा में होने से, विधवा पत्नी अथवा आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं मिलने से इनका भरण-पोषण दूभर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अनुकम्पात्मक नियुक्ति में आप बड़ा मन रखते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए इनके परिवार को रियायत प्रदान करें और इनके परिवार से अगर कोई भी एक व्यक्ति राज्य के किसी भी विभाग में सेवा दे रहे हैं तो मेरा मानना है कि इनके पीछे जो परिवार है, वह बहुत दुखी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): मेरा पुन: एक बार आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि आप इनको रियायत दें और इनको अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 पढ़े हुए माने जायेंगे।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन। श्री महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 27)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार दिनांक 24 फरवरी 2022 से गुरुवार, दिनांक 03 मार्च 2022 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद
शनिवार, दिनांक 26 फरवरी 2022 रविवार, दिनांक 27 फरवरी 2022 सोमवार, दिनांक 28 फरवरी 2022 मंगलवार, दिनांक 01 मार्च, 2022	बैठक नहीं होगी
बुधवार, दिनांक 02 मार्च 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद
गुरुवार, दिनांक 03 मार्च 2022	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 31 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-103 दिनांक 23.02.2022

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए एमनेस्टी स्कीम-2022 लागू की गई है;

2. अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-104 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा जीएसटी में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है;

3. अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-105 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 को संशोधित किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-106 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा राजस्थान वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, 2000 के अधीन संदेय कर पर छूट प्रदान की गई है;

5. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-107 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-108 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन या विपर्ययेन से संबंधित लिखतों या सहकारी सोसायटी, सोसायटी, स्वत्वधारी फर्म या किसी व्यापारिक इकाई के किसी कम्पनी में संपरिवर्तन के लिखतों पर स्टाम्प इयूटी 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत और पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम रुपये 10,000/- किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-109 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा किसी विद्यार्थी या उसके निमित्त शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए निर्धारित ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

8. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-110 दिनांक 23.02.2022

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निष्पादित प्रतिगामी बंधक पर स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

9. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-111 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा कम्पनियों के आमेलन, डीमर्जर या पुनर्गठन के दस्तावेज पर अधिकतम स्टाम्प ड्यूटी 200 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ रुपये की गई है;

10. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-112 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति के निर्मुक्ति विलेख पर स्टाम्प शुल्क रुपये 5000/- से घटाकर रुपये 500/- किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-113 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा चार तलों से अधिक बहुमंजिला भवन की इकाई को छोड़कर स्थावर सम्पत्ति के पश्चातवर्ती अंतरण विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क को घटाया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-114 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को संशोधित किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-115 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा पुत्री, पुत्रवधू तथा पत्नी के पक्ष में निष्पादित दान पत्र पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

14. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-116 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति की लोक नीलामी के मामले में निष्पादित विक्रय प्रमाण पत्र, विक्रय विलेख या पट्टा विलेख की लिखत स्टाम्प शुल्क नीलाम राशि पर प्रभारित किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-117 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा 100 वर्गगज तक के आवासीय या 50 वर्गगज तक के व्यावसायिक भूखण्डों पर स्टाम्प ड्यूटी 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है;

16. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-118 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा चार तलों से अधिक के बहुमंजिला भवन में 50 लाख

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रुपये तक के फ्लैट या आवासीय इकाई के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-119 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा ब्याज व शास्ति में 100 प्रतिशत छूट तथा स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट हेतु एमनेस्टी योजना जारी की गई है;

18. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-120 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा संपरीक्षा या निरीक्षण के आधार पर सृजित की गई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की मांग प्रथम मांग नोटिस से एक माह की अवधि में जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति का परिहार किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-121 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(2)/वित्त/कर/2021-272 दिनांक 24.02.2021 को संशोधित किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-122 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा ऋण समनुदेशन, ऋण एग्रीमेण्ट, साम्यक बंधक, अतिरिक्त प्रभार तथा बिना कब्जे वाले बंधक पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये की गई है;

21. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-123 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा 01.01.1950 से पूर्व निर्मित हैरिटेज सम्पत्ति में होटल स्थापित करने के लिए हैरिटेज सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे की लिखत पर स्टाम्प शुल्क 75 प्रतिशत घटाया गया है;

22. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-124 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा प्रोन्नति विनिधान स्कीम के अधीन पात्र किसी उद्यम के पक्ष में निष्पादित लीज या विक्रय विलेख पर स्टाम्प शुल्क 75 प्रतिशत घटाया गया है;

23. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-125 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा डा. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम विनिधान स्कीम, 2022 के अधीन पात्र किसी उद्यम के पक्ष में निष्पादित भूमि के क्रय, पट्टे की लिखत या बंधक से संबंधित लिखतों पर स्टाम्प शुल्क 75 प्रतिशत घटाया गया है;

24. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-126 दिनांक 23.02.2022

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन पैकेज या स्कीम के अधीन पात्र पर्यटन इकाई के पक्ष में भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत पर स्टाम्प शुल्क 75 प्रतिशत घटाया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2022-127 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के तहत विभिन्न श्रेणी की भूमियों की दरें पुनरीक्षित की गई हैं;

26. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/1 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 को संशोधित किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/8ए दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा मूल विनिर्माता द्वारा निर्मित तथा केवल एलपीजी/सीएनजी से चलने वाले वाहन तथा रेट्रो फिटमेंट किट द्वारा परिवर्तित होकर केवल सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर देय मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

28. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2022-23/3ई दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा संभागीय परमिट वाहनों पर कर की दर कम करने तथा ग्यारह माह तक निरंतर समय पर कर जमा कराने वाले मंजिली यानों को मार्च माह में एक चौथाई कर की छूट प्रदान की गई है;

29. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2021-22/पार्ट/4 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा दिव्यांगजनों द्वारा स्वयं के नाम पर एवं स्वयं के उपयोग के लिए खरीदे गये दस लाख तक की कीमत वाले दुपहिया/तिपहिया/चार पहिया तथा आटोमैटिक ट्रांसमिशन कारों को एक बारीय कर में छूट प्रदान की गई है;

30. अधिसूचना संख्या: प.6(260)परि/कर/मु./2011/2 दिनांक 23.02.2022 जिसके द्वारा नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के कर एवं शास्ति तथा उनके अतिरिक्त अन्य वाहनों पर 31.12.2021 तक के बकाया कर पर शास्ति की छूट प्रदान की गई है; एवं

31. अधिसूचना संख्या: प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट-1/5 दिनांक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

23.02.2022 जिसके द्वारा खान विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना की सूचना के आधार पर कारित ओवरलोडिंग के प्रकरणों पर देय प्रशमन रकम में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

आउटपुट बजट (वर्ष 2020-21) एवं आउटकम बजट (वर्ष 2021-22)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2020-21 एवं आउटकम बजट वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शाले मोहम्मद।

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 की धारा 20 के अन्तर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भजनलाल जाटव।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2020-21)

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 5 वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री भंवर सिंह भाटी)

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21;

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (वर्ष 2020-21)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2020-21;

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2020-21)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2020-21;

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21; एवं

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (वर्ष 2020-21)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2020-21।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्रीमती मंजु देवी।

समिति प्रतिवेदन

पर्यावरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 1 व 2)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण संबंधी समिति, 2021-22, समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र यादव।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र यादव।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र यादव।

गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं -

(श्री अध्यक्ष)

1.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घंटे 36 मिनट
2.	भारतीय जनता पार्टी	5 घंटे 41 मिनट
3.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	15 मिनट
4.	कम्यूनिस्ट पार्टी आफ़ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट)	10 मिनट
5.	भारतीय ट्राइबल पार्टी	10 मिनट
6.	राष्ट्रीय लोक दल पार्टी	5 मिनट
7.	निर्दलीय	1 घंटा 3 मिनट
	कुल समय	**16 घंटे**

आय-व्ययक अनुमान 2022-23, सामान्य वाद-विवाद, प्रथम वक्ता श्री राजेन्द्र राठौड़।

(समय: 13.00 बजे)

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के नौजवानों की रीट की चीट की चीत्कार के बीच में कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा मैराथन बजट इस सदन में प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय जीवन में 2 घंटे 57 मिनट में पढ़ा हुआ पहला बजट मैंने सुना। यह पहला मौका रहा, जब बजट से पहले सरकारी मशीनरी सक्रिय हुई। पूरे राजस्थान के अन्दर सप्ताह भर पहले से विज्ञापन जारी किये गये, 'किसान हितैषी सरकार का क्रान्तिकारी कदम, पहला कृषि बजट सदन में प्रस्तुत होगा'। ग्राम विकास अधिकारियों को कहकर राजीव गांधी केन्द्र खुलवाये गये। ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां, जिला परिषद् और जिला कलेक्ट्रेट में पहली बार सरकारी अहलकारों को कहा गया कि आप इस बजट को सुनें। मैं समझता हूं कि जब राजीव गांधी केन्द्र पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लाये गये किसान जब वापस निकल रहे थे तो मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा कि हम कृषि बजट सुनने गये थे। न कृषि मंत्री का चेहरा दिखा, न अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। बस, उसी पुराने बजट में एक चैप्टर को बढ़ाया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगर इस पूरे कृषि बजट की जान है तो 11 मिशन हैं। मैं आगे साबित कर दूंगा कि ये 11 मिशन कोई नये मिशन नहीं हैं। केन्द्र सरकार की योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को अगर मिशन का नाम देकर आप अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, पर मैं यह जरूर कहूंगा कि वे लोग बात कर रहे थे कि खोदा पहाड़, पर चुहिया भी दिखायी नहीं दी।

(समय: 13.02 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के आर्टिकल 112 में यह व्यवस्था दी गयी है कि चाहे लोक सभा हो, विधान सभा हो, हर वर्ष हर सरकार अपने वित्तीय विवरण का, आय-व्ययक का लेखा-जोखा सदन के माध्यम से राजस्थान की अवाम के सामने रखती है। हमारे नियमों के नियम 138 में भी इसी तरह की व्यवस्था है। सभापति महोदय, कौल एण्ड शकधर ने तो एक बात और कही कि संसदीय लोकतंत्र में आय-व्ययक विवरण एक पवित्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह जनतंत्र में सरकार बनाने वाले जन के बीच में सरकार का सदन के द्वारा किया गया एक वादा है। हम सब जानते हैं कि बजटीय घोषणा होती है। बजट बनता है, उस वित्तीय वर्ष के लिए बनता है। हर लोकतांत्रिक सरकार का राजधर्म है कि बजट की घोषणाएं उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हों। मुझे अफसोस है कि यह राजधर्म इस सरकार के लिए अधर्म बन गया और इसीलिए जब कभी भी बजट रखने का मौका आया, पिछले बजट में की गयी घोषणा में किसी ने दृष्टिपात नहीं किया। मुख्य मंत्री जी ने आकर एक बार जादूगर के नाम पर जादुई पिटारा खोला, तालियां बजती गयीं और उन तालियों की गूंज राजस्थान का वह व्यक्ति छाती पीटकर करता रहा, जब उसने अन्त में देखा कि कुछ भी नहीं मिला।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैं जनता का ट्रस्टी हूं। इन ट्रस्टी जी ने कितना ट्रस्ट जनता का तोड़ा है? मैं निवेदन करूं, 10 जुलाई, 2019 को पहला बजट; 20 फरवरी, 2020 को दूसरा बजट; 24 फरवरी, 2021 को तीसरा बजट और अब यह 2022-23 का बजट। इस पर जब मैं दृष्टि डालता हूं और पूर्ववर्ती बजटों पर दृष्टि डालता हूं तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। हम संसदीय लोकतंत्र को कितना छोटा कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैंने रात को इस 123 पृष्ठीय बजट भाषण को पढ़ा। मुझे मोटी-मोटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

74 घोषणाएं दिखीं। मैं कैलकुलेटर से उसके आंकड़े जोड़ रहा था। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि 1 लाख 36 हजार 450 करोड़ की आपने घोषणाएं कर डालीं और जब मैं आपका प्लान साइज देखता हूं, 1 लाख 69 हजार 655 करोड़। जब मैं देखता हूं कि लगातार राजस्व घाटा बढ़ रहा है, लगातार रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, मुझे इस बात का अफसोस होता है कि सरकार को, शायद बजट प्रस्तुत करके आज मेज थपथपाने वाले लोगों को जनता के बीच में जाकर अपनी छाती पीटनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, चाहे बजट का भाषण हो, चाहे इनमें रिप्लाई हो; घोषणा करो और भूल जाओ, यह इस सरकार की फितरत रही है। सभापति महोदय, जिस सरकार की बुनियाद अन्तर्विरोध से हो, जो सरकार राजस्थान में मात्र 1 लाख 70 हजार अधिक वोट लेकर सत्ता में आ जाये, अगर मैं तीन बजटों की विवेचना करूं, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, 48 परसेंट ऐसी घोषणाएं हैं, जो बजट के बस्ते से बाहर नहीं निकलीं। ये बातें मैं हवा-हवाई में नहीं कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सिद्ध करूंगा, मैं उन घोषणाओं को लिपिबद्ध करके लाया हूं, जो घोषणाएं इन्होंने पूर्व के बजटों में कीं। 2022-23 के बजट में पैरा 133 में 11 मिशन बनाने की बात कही है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 2020-21 के अन्दर सदन के नेता ने जो कहा, वह उद्धृत करना चाहूंगा। पैरा 9 में इन्होंने कहा कि 'सम्पूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है, इस परिवार के लिए मैं सात संकल्पों को इस बजट की प्राथमिकता बनाना चाहता हूं'। मारवाड़ के गांधी ने संकल्प ले लिया, संकल्प था- निरोगी राजस्थान होगा; सम्पन्न किसान होगा; महिला, बाल का कल्याण होगा; सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान होगा; शिक्षा का प्रावधान होगा, पानी बिजली सड़क का जाल होगा; कौशल और तकनीकी प्रबंधन होगा।

सभापति महोदय, इस बार 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके पैरा 7 में दो बातें कही गयीं, निरोगी राजस्थान भी कर देंगे, यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज भी कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह निरोगी राजस्थान तो आप कर देना, पर कम से कम भगवान के लिए इस वैश्विक महामारी से जो काल-कवलित हो गये, जिनके लिए आपने लम्बे-चौड़े मुआवजे की बात कही। सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार के बाद आप थोड़े से हिले, परन्तु आप फिर वापस वहीं बैठ गये। आज भी बड़ी संख्या में लोग, जिनको आपने कोविड के अन्दर पैकेज अनाउंस किया था, वे महरूम हैं, कम से कम उनको तो दे दो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने सम्पन्न किसान की बात कही। सभापति महोदय, इस बार भी 2022-23 के बजट पैरा 31 में 'समर्थ किसान और खुशहाल राजस्थान'। वाह! क्या बात है? आज सम्पन्न किसान की कहानी राजस्थान के गांवों में गूंज रही है। किसान की आत्महत्या, सभापति महोदय, सोहनलाल किडेल की आत्मा, नेतराम, सूरजाराम की आत्मा आपसे आज भी सवाल कर रही है कि आपने कर्जा माफी के लिए राजस्थान के किसानों को एक भ्रम जाल में क्यों फंसाया? एक बार नहीं, मैं आगे इस बात को सिद्ध करूंगा कि सात बार इस पवित्र सदन में पवित्र दस्तावेजों के माध्यम से एक बात बार-बार कही गयी कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जो शिड्यूल्ड बैंक हैं, जिनमें 30 नवम्बर, 2018 का जो अवधि पार फसली ऋण है, वह 2 लाख रुपये तक का ऋण हम माफ करेंगे। क्या ऋण माफ हो गया? कृषि बजट लेकर आये हैं, पर बोले नहीं। सभापति महोदय, मैं दर्द के साथ जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि राजस्थान में 9 हजार किसानों की जमीनें नीलाम हो गयीं, जिन्होंने कॉमर्शियल बैंक से, शिड्यूल्ड बैंक से, ग्रामीण बैंक से के.सी.सी. के माध्यम से फसली ऋण लिया। सरकार के वादे के कारण से हो गयी। सात बार सरकार बोल गई कि हम वन टाइम सैटलमेंट करायेंगे। मैं इस बात को आगे कहूंगा और 1 लाख 54 हजार किसानों को रोडा एक्ट के तहत नोटिस जारी हो गये। इनकी जमीनें भी नहीं बचेंगी।

आज संसदीय मंत्री जी, आपने कहा कि महिलाओं के मान-सम्मान की बात के लिए महिलाओं पर बहस करवा लें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रतिपक्ष के नेता, मुझे गर्व है आप पर, आपने उसके लिए कहा कि आप जरूर करवायें। परन्तु महिला, बाल, वृद्ध कल्याण, जो संकल्प आपने लिया था, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो एन.सी.आर.बी. के आंकड़े हैं, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, आपके मुख्य मंत्री जी कह देते हैं कि इन आंकड़ों के लिए प्रिएम्बल में दूसरी बात लिखी है। ये आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं कि आप 2019-20 और 2020-21 के अंदर राजस्थान में दुष्कर्म में पहले पायदान पर पहुंचे। पुलिस प्रतिवेदन, जो पुलिस एक्ट, 2003 के बाद में जारी किया जाना अनिवार्य हो गया था, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं लम्बी बात कहूंगा, मुझे कुछ मेरी बात कहनी है, मैं एक-एक आंकड़े को नहीं, सामूहिक आंकड़े कह रहा हूं। इन तीन सालों में 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में 1 लाख 15 हजार 746 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए। 18 अबलाओं की इज्जत जिस राजस्थान में रोज लूटी जा रही हो, जिसका डी.जी.पी. यह कह दे कि 48 परसेंट असत्य मामले आते हैं, एक लाइसेंस दे दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, अभी मैं क्या कहूं, आपने बालक की बात कही, नीति आयोग ने नवम्बर, 2021 में एक मल्टी-डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स (एम.पी.आई.) की रिपोर्ट जारी की। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जरूर पढ़ी होगी। उसमें लिखा है कि राजस्थान में बालकों में कुपोषण 42.6 परसेंट है। ये हालात हैं राजस्थान के। आपने कहा कि हम सक्षम मजदूर, संकल्प है हमारा राजस्थान के लिए, छात्र, युवा, जवान, मैं समझता हूं किएक रिपोर्ट जो मेरी नहीं है, सेन्टर फार मोनिटरिंग इंडिया एंड इकोनोमी की है, जिसमें यह कहा कि हरियाणा के बाद में राजस्थान में 27.1 फीसदी बेरोजगारी देश में दूसरे पायदान पर है। उसी रिपोर्ट ने यह कहा कि राजस्थान के अंदर हर दूसरा ग्रेजुएट, 53.8 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार हैं।

अब 2022-23 के बजट में पैरा 31 में आपने 19 जिलों में 36 महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं माननीय राजवी साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकेएक सवाल ने सारी कलई खोल दी। इसके साथ ही मैं बात को लम्बी नहीं करते हुए, यह जो यू.जी.सी. की ताजा रिपोर्ट है 2021 की, जिस रिपोर्ट ने कहा है कि राजस्थान में 33 जिलों में से 30 जिले उच्च शिक्षा की दृष्टि से फिसड्डी हैं। इन तीन बजटों में आपने पहले तीन के अंदर 122 अरब, 31 महाविद्यालय खोल दिये, परंतु कोई बजट का प्रावधान नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है। मैंने बजट की पुस्तिका के उस हैड में भी ढूंढने की कोशिश की, सभापति महोदय, मुझे नजर नहीं आयी। आज प्रिंसिपल की 292 पोस्ट्स हैं, उनमें से 208 खाली पड़ी हैं। हद हो गयी अब, और 12,799 लेक्चरर्स और अशैक्षणिक कर्मचारियों में से 6 हजार 432 हैं, यानी बिना फैकल्टी, बिना बजट, बिना भवन, खोलो आप महाविद्यालय।

आपने बिजली की बात कही। अब 2022-23 के अंदर से फिर जोर से थपथपाई इन्होंने मेजें, जब कहा कि 118 लाख उपभोक्ता हैं, 100 यूनिट तक जो खर्च करेगा, 50 यूनिट मुफ्त में; 150 यूनिट करेगा, उसके तीन रुपये माफ; 150 से 300 करेगा, उसको दो रुपये कम। आज राजस्थान में, जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के बाद सबसे महंगी बिजली इस राजस्थान में है। मैं वे सारे टैक्स रिकार्ड पर लाना चाहता हूं। शहरी सैस, बिजली की दर अलग है, शहरी सैस के नाम पर 35 पैसे प्रति यूनिट; विद्युत शुल्क के नाम पर 40 पैसे प्रति यूनिट; फ्यूल चार्ज के नाम पर 35 पैसे; अब 8 पैसे और लेकर आये हैं, आपने पढ़ा होगा कि 8 पैसे और उसके अंदर एड

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होंगे दिसम्बर के बिल में; जल संरक्षण उपकर के रूप में 10 पैसे प्रति यूनिट। एक अडाणी टैक्स चल रहा है, हमारा नाम लेते हैं, आपको अडाणी को पैसा देना है, अडाणी को आपको 2,552 करोड़ रुपये देने हैं, इसलिए उपभोक्ता पर टैक्स 5 पैसे अलग चल रहा है और टी. एंड डी. लोस है 20 परसेंट; इसका पैसा भी उसी उपभोक्ता पर। महंगी बिजली खरीदने का घोटाला, मैं जिक्र करूंगा, सभापति महोदय, आपको आगे और, 50 यूनिट से 300 यूनिट तक जो बिजली का उपयोग करता है, उसका बिल आता है 8 रुपये 31 पैसे से लेकर 13 रुपये 34 पैसे तक। ये हालात हैं, जब आप मेज थपथपा रहे थे और आपके कौशल तकनीकी प्रधान, क्या कौशल है? कौशल, आर.एस.आर.डी.सी. का कौशल तो महान है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि बिना ट्रेनिंग के और ट्रेनिंग करने वाले कौशल सेंटरों पर जिस प्रकार ए.सी.बी. भी शरमा गई कि चौथ वसूली का क्या तरीका है? दो छोटे-से लोगों को पकड़ लिया, एक मैनेजर को और एक स्कीम कोर्डिनेटर को, और फिर बड़ी मछली तैर कर निकल गयी। संसदीय कार्य मंत्री जी, यह पब्लिक है, यह सब जानती है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, यह सब पहचानती है, सुना है न वह गाना आपने? आप देख लेना। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं। 2023-24 के बजट को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, माउथ मीडिया से भी लोग कह रहे थे। गांव के चौपाल, शहर की डगर पर जो चर्चाएं हो रही थीं, वे ये हो रही थीं कि एक बार फिर जादूगर जी का कमाल, पिटारा जोरदार खोला। परन्तु साथ में यह भी कह रहे थे कि इस बार प्रतिपक्ष ने भी जो जमकर रीट की चीट से लेकर सारे मुद्दे उठाए, उससे भी घबराए। जो कुछ करना है, अगला साल मत देखो, अभी कर दो। सरकार ढहती नजर आती है।

सभापति महोदय, मैं कई दर्जन बजटीय भाषण सुनने का साक्षी रहा हूं। मैंने मौजूदा सरकार के महामहिम राज्यपाल के चारों अभिभाषण गौर से पढ़े हैं, 168 पृष्ठ, और चारों बजटीय भाषण, 350 पृष्ठ के मैंने पढ़े। मैं संसदीय लोकतंत्र के सबसे इम्पोर्टेंट इन आठ डाक्यूमेंट्स, पवित्र दस्तावेजों के लिए कह सकता हूं, मुझे दो शब्दों में कोई कहे कि इन महान दस्तावेजों की सेंक्टिटी को लेकर, पवित्रता को लेकर वादे करके भूलना, ये गुनाह जो सबसे ज्यादा हुआ है, वह गहलोत साहब की सदारत में चलने वाली सरकार में हुआ। कल तो मुख्य मंत्री जी बहुत खुश थे। वसुन्धरा जी आ गयीं इसलिए आप चुप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो गये। हम पर कह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, परन्तु वसुन्धरा जी जब नहीं होतीं, तो नाराज भी बहुत होते हैं।

15 फरवरी को हम रीट की चीट को लेकर राजस्थान के नौजवानों की आवाज बने हुए थे। रिप्लाई में आए नहीं। मुख्य मंत्री जी का रिप्लाई मैंने जाकर यूट्यूब पर देखा। किसको जवाब दूं, क्यों जवाब दूं, क्या जवाब दूं, प्रतिपक्ष तो गायब है। सभापति महोदय, मैंने भी सोचा सदन में ये कहूं, क्यों सुनूं, किसके लिए सुनूं, क्योंकि बातें तो वही कापी पेस्ट भाषण की हैं। राज्यपाल अभिभाषण के प्रति उत्तर में मुख्य मंत्री जी बोले अब तक, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, 5 घंटे 22 मिनट और तीन बजटों के प्रति उत्तर में बोले 4 घंटे 3 मिनट, ये सारे कंटेट मिला लो, 70 परसेंट कापी पेस्ट भाषण मुख्य मंत्री जी का, मैं सुनता तो क्या सुनता? जिस तरह कई बार पुराने रिकार्ड प्लेयर में सुई अपने आप अटक जाती है, वहीं घूमने लग जाती है। अब इन 7 भाषणों में मैं कहूं तो पहली बार तो उन्होंने हमेशा कहा कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और संविधान निर्माण किया। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेअंत सिंह जी ने कुर्बानी दी, किसने मना किया? कौन इत्तफाक नहीं रखता? क्यों बार-बार सदन का समय जाया करते हैं आप एक ही बात बोलकर। फिर उन्होंने अपने हर भाषण के अंदर रिफाइनरी की बात कही। 26 परसेंट रिफाइनरी का हिस्सा कैसे हुआ? उसकी बात कही। फिर पांच वर्ष रिफाइनरी विलम्ब कर दी, यह हम पर आरोप लगाया।

सभापति महोदय, अध्यक्ष जी को देखकर वह भीलवाड़ा का मेमू केस क्या हो गया कि आपको न जाने क्या हो गया? उसकी चर्चा, आप उठाकर देखिए भाषण, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। एक जयपुर में जैसे हमेशा, इस बार भी कह दिया, जयपुर का मैट्रो फेज दो, इसकी तो डी.पी.आर. बना ही डालूंगा। आज तक वह डी.पी.आर. कौन से पी.आर. में चली गयी, मुझे मालूम नहीं। एक, बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेलवे ट्रेक की चर्चा कर दी। एक, 13 जिलों की ई.आर.सी.पी. की वह घोषणा जो प्रधान मंत्री जी ने की। मैं दोनों सभाओं में था। मैंने प्रधान मंत्री जी को, मेरे दिल-दिमाग ने खूब याद किया, कि प्रधान मंत्री जी ने कब घोषणा की थी कि हम ई.आर.सी.पी. परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अगर है तो सदन के नेता जवाब दें, तो मुझे बताएं। फिर, 25 सांसद दे दिये, अहसान कर दिया? एक ही तोता रटंत बात। उसके बाद, लोकतंत्र फिर खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ई.डी., सी.बी.आई., इनकम टैक्स। फिर कभी बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आई, हमें पैसा केन्द्र सरकार देती है। केन्द्र सरकार में हमारा हिस्सा, अहसान नहीं है, 14वें व 15वें फाइनेंस कमीशन के कारण से मिलता है। फिर कभी बात कही, तो सब जगह एक ही बात, प्रतिपक्ष के नेता, आप तो बड़े भावुक हो। आप आंकड़ों की चिन्ता क्यों करते हो। आंकड़ों का जवाब तो, मुझे और मेरे साथियों को इसकी चिन्ता करनी चाहिये। प्रतिपक्ष के नेता के आंकड़ों का जवाब नहीं।

मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि 19 महीने बचे हैं। आपका हाथ किसने पकड़ा है कि मेमू कोच नहीं बनाओ। हां, अबकी बार, आपने एक कमाल जरूर कर दिया। ई.आर.सी.पी. का आपने इस बार कारपोरेशन जरूर बना डाला। ई.आर.सी.पी. कारपोरेशन, बजट पैरा 140 में। अब देखना है कि क्या कमाल करते हो।

सभापति महोदय, मैं 23 जनवरी, 2019, बड़ी जिम्मेदारी से, सदन के नेता द्वारा कहे गये भाषण को पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा नेशनलाइज्ड बैंक, शिडयूल्ड बैंक, 24 जनवरी, 2020 को भी उन्होंने यह बात कही और 2021-22 के बजट में भी कही। 23 जनवरी, 2019 को क्या कहते हैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, नेशनलाइज्ड बैंक, शिडयूल्ड बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो कृषि ऋण एन.पी.ए. हैं, मैंने घोषणा कर रखी थी कि डिफाल्टर हैं। उसके बारे में हमने घोषणा की थी कि उनके दो लाख तक के कर्ज माफ होंगे। इसको लेकर हमने बातचीत शुरू कर दी, 23 जनवरी, 2019 को कह रहे हैं।

जिस प्रकार उद्यमियों के, व्यापारियों के, वन टाइम सैटलमेंट होते हैं, ओ.टी.एस., उसी ओ.टी.एस. के माध्यम से हम सेटलमेंट करेंगे। इसके लिए किसानों का दो लाख तक का कर्जा माफ हो सके। प्रधान मंत्री जी को हमने पत्र लिखा है। आप स्वयं आकर कर्जा माफ करें, परन्तु हम इसका इन्तजार नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं किअगर सहयोग नहीं मिला, तो हमारी सरकार कर्जा माफ करेगी।

आगे क्या कहते हैं, यह सद्भावी किसान, इनके लिये स्पेशल पैकेज बनायेंगे। ये गुड बोरोअर हैं। इसके लिये कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखण्ड, उड़ीसा, पंजाब आदि राज्यों में जो टाइम पर ऋण चुकाते हैं। उनकी स्टडी करके, देश की सबसे अच्छी योजना, स्पेशल स्कीम लेकर आयेंगे, 19 जनवरी, 2019।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, नतीजा क्या निकला, आज 1 लाख, 53 हजार किसानों को रोडा एक्ट, 1974 के सैक्शन 13 व 14 में नोटिस मिले। अब एक बात कह दी कि सी.पी.सी. एक्ट 1908 में, जो सैक्शन 7 (एक) (बी) में हम संशोधन लेकर आये हैं कि पांच एकड़ तक की भूमि नीलाम नहीं होगी। किसी किसान की नहीं होगी। मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, अगर सी.पी.सी. का संशोधन लागू भी हो गया, तो आपका वकील, यह सिविल प्रोसिजर कोर्ट में है संशोधन, मामला सिविल कोर्ट में जायेगा। जज तब देखेगा कि यह पांच एकड़ की जमीन आई, इसको आप नीलाम नहीं कर सकते। आप जब तक रोडा एक्ट, 1974 में संशोधन नहीं करोगे, सहकारी में, 2009 में संशोधन नहीं करोगे, इन दोनों के अन्दर आपने सिंगल राइट दे रखे हैं। सिविल कोर्ट के राइट्स दे रखे हैं। जमीन नीलाम करने से कोई बचा नहीं पायेगा। 2018 के 12 लाख किसान, इन पर 5 हजार 600 से ज्यादा लोन हैं। दो लाख रुपये लोन लिया था, चक्रवर्ती ब्याज आज सात-साढ़े सात लाख हो गया। आपने उस समय, राहुल गांधी जी घोषणा कर रहे थे, उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी का अता-पता नहीं था, पर वे मित्र नहीं हैं, महेश जी, मैं देख रहा था, वह धीरे -धीरे, यूं जा रहे थे, कान में यह तो कह देते, यह नहीं कर पायेंगे, पहले मोदी जी से पूछेंगे। आज राजस्थान का किसान कराह रहा है।

मैं निवेदन करूं, आपने एक काम और किया। मैं सदन का ध्यान 2019-20, पैरा 7 व 8, जन घोषणा पत्र के लिये आपने क्या कहा, कि जन घोषणा पत्र हमारी प्राथमिकता है। इसमें हमारी प्राथमिकताएं दर्ज हैं। इसमें सरकार की कार्ययोजना है। इसको हमने योजना का अंग बनाया है। इसको पूरा करने के लिये, चरणबद्ध तरीके से, दृढ निश्चय कर लिया। मुख्य मंत्री जी कहते हैं, 70 परसेंट वादे जन घोषणा पत्र के पूरे कर दिये। मुझे कहना नहीं चाहिये, पर जिस किसी ने केलकुलेशन करके बताया है, निश्चित तौर पर, उसकी गणित में सप्लीमेंट्री आई है। सभापति महोदय, किताब सामने पड़ी है, घोषणाएं सामने पड़ी हैं और 70 परसेंट। यह कोई मजाक की बात नहीं है। उस अधिकारी का रिकार्ड भी चेक कराओ। वह फर्जी डिग्री से मुख्य मंत्री जी का एडवाइजर बना हुआ है। (व्यवधान) पेपर चुराकर आया होगा।

सभापति महोदय, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सरकार का धन नहीं लग रहा था, कार्यप्रणाली से जुडी हुई थीं। अब इनको कोई कहे 38 महीने गुजर गये। नई खनिज नीति 2019-20 में इन्होंने कहा, क्या हुआ?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हरियाणा, पंजाब की तर्ज पर नई खेल नीति कहां चली गयी? 2019-20 में नई शिक्षा नीति ला रहे थे, शिक्षा नीति कहां चली गयी? यह राइट टू हैल्थ का झुनझुना कितनी बार बजाओगे?

मैं एक बार फिर, सदन का ध्यान जन घोषणा पत्र, पृष्ठ 3 क्रमांक 6, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिये, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल को खरीदने का पुख्ता इन्तजाम करेंगे। चलो, यह घोषणा पत्र में बोल गये। फिर, 2019-20 में बजट में क्या बोलते हैं, पैरा-17 में, किसान भाइयों के लिये 'ease of doing business' की तर्ज पर 'ease of doing farming' की ओर पहला कदम उठाते हुए, मैं एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष की घोषणा करता हूं। इस कोष से किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाया जायेगा। यह मैं नहीं कह रहा, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं। इस बार भी इन्होंने किया। 2022-23 के पैरा 133 में, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि दो हजार से पांच हजार कर रहा हूं। मेरा निवेदन है, मुख्य मंत्री जी उत्तर दें, तब यह जरूर बताएं कि आपने किसान कल्याण कोष से कितने लोगों को अनाज के लिये, कितने लोगों को सब्सिडी, किस-किस अनाज में दे दी? मेरी समझ के बाहर की बात है।

आपने घोषणा की, पशुधन के लिये आसान दरों पर ऋण दिलवायेंगे। कितने पशुओं को दिला दिया? 2019-20 में, 2020-21 में, 2021-22, कहां-कहां बजट प्रोविजन है? सभापति महोदय, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने सारी किताब देखी, वह बजट प्रोविजन मुझे बता दो कि आपने किसान का पशुधन के लिये, सस्ते में ऋण देने के लिये योजना बनाई।

अब आप कृषि बजट लेकर आये हो। आपके, गोचर विकास बोर्ड के गठन की घोषणा का क्या हुआ? क्या हुआ ग्रामीण अभियांत्रिकी का अलग से गठन करना था? हस्तशिल्प कला, हथकरघा का क्या हुआ? राइट टू हैल्थ की तो मैं क्या बात करूं।

सभापति महोदय, मुझे एक बड़ा आश्चर्य है। एक नया कमाल हुआ। हिन्दुस्तान में पहले मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी, महंगाई के विरुद्ध में, अपने मंत्रिमण्डल के साथ, गांधी जी की मूर्ति के नीचे जा बैठे। महंगाई ज्यादा थी। मैं जन घोषणा पत्र का, पृष्ठ 14, क्रमांक 8 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने कहा, महंगाई के विरुद्ध आवश्यक कदम उठायेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य। मैं पूछना चाहता हूं कि महंगाई के विरुद्ध में आंदोलन और महंगाई के विरुद्ध में राजस्थान की अवाम से वादा, कि हम कदम उठायेंगे, कितने कदम उठाये? उपभोक्ताओं को, प्रतिदिन, रोजमर्रा काम आने वाले, किस जिन्स में, किस चीज में, किस पेट्रोल में, किस डीजल में, किस चीज में, कितनी-कितनी दी?

आज मुझे कहते हुए अफसोस है, इस हिन्दुस्तान में अगर सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल मिल रहा है तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिल रहा है। पेट्रोल 111 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर, 94 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर डीजल। देश के अन्दर सर्वाधिक महंगा, किसी राजधानी में पेट्रोल-डीजल मिल रहा है, तो जयपुर में मिल रहा है। पेट्रोल 107 रुपये 14 पैसे और 90 रुपये 78 पैसे डीजल। देश में सर्वाधिक महंगी बिजली, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, तो यहां मिल रही है।

सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, NFSA की पात्रता सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी, 2022 तक शेष छूटे परिवारों को, 10 लाख परिवारों को जोड़ने की घोषणा। किसने मना किया? आपने जन घोषणा पत्र में यह कहा था कि 59 परसेंट की पात्रता को हम 100 परसेंट करेंगे। चार बजट लेकर आये हो, करते अपने बजट में यह प्रावधान, 17 लाख 80 हजार तो आपने नाम काट दिये।

संविदाकर्मियों पर तो क्या बात करूं? मतलब, लम्बी-चौड़ी घोषणा, कल्लाजी, आपके लिए मुश्किल हो गयी। यह जो कल्ला कमेटी है न, आप भला तो कर नहीं पाये। आप सीधे आदमी हो और अच्छे आदमी हो। यह आप पर तो, यह पैराटीचर हो, चाहे आपके लोक जुम्बिश हो, एन.आर.एच.एम., यह लाल कपड़े से भैंस चमकती है न, वैसे आप ध्यान रखना, चुनाव में जाओ तो मेरी थोड़ी सी राय ले लेना।

अब यह 11 जनवरी, 2022 को अधिसूचना क्रमांक 17/प. 4, दिनांक 04.02.2014, पांच वर्ष पुराने नये पद सृजित होने पर स्क्रीनिंग कमेटी करेगी और नये पद सृजित होने पर नियमित करने के बारे में विचार करेंगे। नया पद सृजित करेगा तो एफ.डी. तो करता नहीं है, और आपने इस अधिसूचना में अभी आपने कुछ लोगों के बोनस को बढ़ाने की बात कही है, पर इस 11 जनवरी की अधिसूचना में, 11 (3) में आपने यह लिख दिया कि संविदाकर्मी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की या संविदा की कालावधि समाप्त होने पर स्वत: ही पद समाप्त। वाह। इनका जो मानदेय था, वार्षिक दर उसको 10 परसेंट से घटाकर 5 परसेंट कर दिया और आप लेकर आये हैं Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 को, मैं समझता हूं कि यह कोई माफ नहीं करेगा।

आपने यह कहा कि इस बार कर्मचारियों को हमने बहुत कर दिया। पैरा 123 ए.सी.पी. स्कीम से सम्बन्धित है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर, 2017 को वेतन विसंगतियों को लेकर जो सामंत कमेटी बनी, 31 जुलाई, 2019 को जिसने रिपोर्ट दे दी, आपने वह रिपोर्ट क्यों नहीं ली? सामन्त समिति वेतन विसंगति पर बनी थी। आपने एक नयी कमेटी बना दी खेमराज की, अब तो वह भी आदेश दो। आप उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते और एक यह झुनझुना पैरा 126 में, 01 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त समस्त कार्मिकों को आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना, ओ.पी.एस. लागू करेंगे। क्या होगा इसमें? कब रिटायर होगा वह? वह रिटायर होगा 2034 में, जब न जाने हम कहां होंगे?

यह एक मैंने पहली बार देखा है पैरा 30 में, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के 225 करोड़ रुपये। क्या है यह इंस्टीट्यूट? मेरा आरोप है कि यह वह इंस्टीट्यूट है, जिसने 2019-20, 2020-21, इन दो सालों में राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उसको 80 करोड़ रुपये दिये +++।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि हमें जो पैसा मिलता है वह केन्द्रीय वित्त आयोग के कारण से मिलता है। आज राजस्थान के सारे सरपंच ज्ञापन देने के लिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? 73वें संविधान के संशोधन के माध्यम से जो आर्टिकल 243 (i) के अन्दर एक संशोधन हुआ था कि हर पांच साल के लिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अन्दर पंचायती राज संस्थान हो, स्थानीय निकाय हो, राज्य की शुद्ध आय में से यह जो राज्य वित्त आयोग बनता है, एक निश्चित प्रतिशत देता है। यह मैन्डेटरी है, संविधान में लिखा है, पर आपने क्या किया? आप जब यह, पांचवें वित्त आयोग का समय समाप्त हो गया 31 मार्च को, भूल गये। एक साल बाद गठन किया छठे का 12 अप्रैल, 2020 को और आज राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन के, 11,341 ग्राम पंचायत, 352 पंचायत समितियां, 33 जिला परिषद् के आपने वर्ष 2020-21 के 2 हजार 784 करोड़, दो किश्तों में से एक किश्त भी अब दी है 1,387 की और 2021-22 की तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक भी नहीं दी। तीन हजार की ओर इशारा कर दिया इन्होंने। 4,387 करोड़ रुपया राजस्थान के ग्राम पंचायत का वैधानिक पैसा रोकने वाले आप वित्त आयोग की बात करते हो, मैं समझता हूं कि इसमें आपको देखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामले में अपनी बात कहना चाहता हूं। जन घोषणा पत्र में मिङ्डे मील के लिए इन्होंने कहा। बच्चों के मिड-डे मील में पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध करवाने के लिए इन्होंने घोषणाएं कीं। अब नीति आयोग ने, जिस तरह से मैंने कहा कि dimensional poverty index में भी 42 पाइंट कुछ परसेंट को माना। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना है 2013 में, उसके रूल्स बने हैं 2015 में और उसी में 5(1) में यह कहा गया कि एक से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को निश्चित तौर पर गर्म खाना मिलना चाहिए और इसी के सैक्शन-8 में यह लिखा है कि यदि गर्म खाना नहीं मिले तो खाद्य सुरक्षा नियम बता दो।

राजस्थान के अन्दर जो स्कूल हैं कक्षा एक से आठ तक के सरकारी, अनुदानित, मदरसा टीचर, नेशनल चाइल्ड हैल्थ प्रोजेक्ट से आने वाले, इनकी संख्या है, 66 लाख 22 हजार 323 विद्यार्थी इनमें पढ़ते हैं, पर आपने इस बार जो इन विद्यार्थियों के खाने पर डाका मारा है, एक टेंडर किया है आपने कॉनफैड के माध्यम से और टेंडर किया डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कॉम्बो पैक, ग्रोसरी, दैनिक उपभोक्ता और प्रदेश के विद्यालयों के लिये। मैं वह बिड डाक्यूमेंट लेकर आया हूं, उसमें यह लिखा है कि यह 200 करोड़ रुपये का बिड है, पर शर्तें क्या लगायीं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, शर्त संख्या 2 पेज संख्या 1 पर, ग्रोसरी दैनिक उपभोग की वस्तुएं आदि का अनुभव रखने वाली वह फर्म और संस्था, जिसका तीन वर्ष तक का टर्नओवर 500 करोड़ रुपये होना चाहिए और फिर दूसरी शर्त लगा दी कि राजकीय विभाग, उपक्रम, संस्थान में ग्रोसरी दैनिक उपभोक्ता फर्म और संस्था का गत दो वर्ष में 250 करोड़ रुपये होना चाहिए और कमाल तो तब हो गया जब इसके अंदर जिन संस्थाओं को इम्पैनल किया, केन्द्रीय भण्डार गृह, NCCF और MACA, 200 करोड़ की जगह पर इन्होंने आर.टी.पी.पी. रूल, 2013 को धत्ता बताते हुए 1,678 करोड़ का यह घोटाला, महा घोटाला, 1,678 करोड़ का आदेश दे दिया। यह साईं ट्रेडिंग कम्पनी को दिया इन्होंने 782, यह तिरुपति ट्रेडर्स को दिया 418, एम.टी. एंटरप्राइजेज को दिया, कितना दिया इन्होंने? 80 करोड़ रुपये। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, मैं यह निवेदन करूं, मैं वह आदेश की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कापी लेकर आया हूं। यह पहला आदेश दिया इन्होंने आदेश संख्या 357, 18.12.2020 और अवधि जिसके लिए कॉम्बो पैक देने थे, 14.03.2020 से 30.06.2020 और कॉम्बो पैक वितरण इन्होंने किया 2020 को, जनवरी, 2021 और मार्च, 2021 में, 308 करोड़ के और दूसरा आदेश दिया 851, 31.03.2021 और अवधि जो कॉम्बो पैक की इन्होंने की, 01.07.2020 से 31.03.2021 यानी, अप्रैल, 2021 और जून, 2021, मतलब, 700 करोड़ का। यह 1,678 करोड़ रुपये का घोटाला जो आपके पंचांग, शिविरा पंचांग, जो विद्यालय के अन्दर दिनों को तय करता है, 2019-20 के अंदर, चूंकि स्कूल खुले नहीं, 2020-21 के आधार को मानते हुए 200 करोड़ रुपये का टेंडर और आप दे रहे हो 1,678 करोड़ का, यह किरदार कौन है? यह यक्ष प्रश्न खड़ा है। अगर जवाब दें तो पता लगेगा क्या है?

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मुझे कहना तो थोड़ा सा था। मैं यह निवेदन करूं कि यह जो मुख्य मंत्रीजी ने, एक राजवेस्ट विद्युत कम्पनी है, ए.जी. ने इस पर 3,436 करोड़ 8 लाख रुपये की डिमांड निकाली। खनि अभियंता, बाड़मेर ने अपने पत्र से डाइरेक्टर को कहा कि इसकी डिमांड को लेना है और डाइरेक्टर ने पूछ लिया अतिरिक्त मुख्य सचिव से और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस पूरे 3,436 करोड़ 8 लाख रुपये की वसूली, इस वसूली में एक निजी विद्युत उत्पादनकर्ता जिंदल की कम्पनी है राजवेस्ट, उसको स्टे कर दिया। 3,436 करोड़ 8 लाख रुपये, वह क्यों कर दिया, वह कागज दिखाना चाहता हूं। यह वह अधिकृत कागज है कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में यह पांच करोड़ रुपया, यह मेरा कागज नहीं है, आपके अकाउंट से निकला हुआ, पांच करोड़ रुपया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में अगर कोई चंदा दे दे, उसको अधिकार हो गया, मैं ए.जी. की रिपोर्ट टेबल करना चाहता हूं, जिसमें यह कहा कि गलत तरीके से खनन किया है और इस पर कोई कार्यवाही हो।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि अब मुझे आपने यह कहा कि मेरे को समाप्त करना है, इसलिए मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करते हुए एक जो बिजली खरीद के अन्दर इन्होंने यह कहा कि हम तो आत्मनिर्भर हो गये। अब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिजली खरीद में हमारा उत्पादन इन्होंने बता दिया, 23,309 मेगावाट और हमारी फरवरी में मात्र 14,277 मेगावाट की जरूरत हमें रही पीक आवर्स में, फिर भी यह 14,470 करोड़ रुपये की बिजली, यह कल्लाजी, आपने 2019-20 में खरीदी और 2020-21 में 13,793 की, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कागज कह रहा है। यह कागज जो है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का, 'Detail of Power Purchasing Rate from Out of State', मतलब हम आत्मनिर्भर हैं, 23,309 मेगावाट से, टी. एण्ड डी. लोसेज भी मान लो, बिजली कंजम्पशन भी मान लो। क्या है? 16 रुपये 20 पैसे में यह इतनी महंगी बिजली खरीदकर किसको उपकृत करना चाहते हो? ये कई अनुत्तरित सवाल हैं, जो निश्चित तौर पर कह रहे हैं। सभापति महोदय, मेरी बातें रह गईं, पर अब मैं अन्त में एक बात कहकर दो मिनट में खतम करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह जो बजट पेश हुआ है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं बजट एट ए ग्लांस 2022-23 पेज 2, जिसके अन्दर राजस्व घाटे का जिक्र किया है, यह राजस्व घाटा 2020-21 की बी.ई. में था 12 हजार 378 करोड़, आर.ई. में बढ़कर हो गया 47 हजार 721 करोड़, यानी 29 हजार 343 करोड़ बढ़ा और 2021-22 में बी.ई. में आपने रखा 23 हजार 750 करोड़, आर.ई. में बढ़कर हो गया 35 हजार 679 करोड़, यानी 11 हजार करोड़ से ज्यादा बढ़ा। अब इस बार आपने 23,488 करोड़ रखा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सुरसा के मुंह की तरह जो राजस्व घाटा बढ़ रहा है, राजस्थान की इकोनॉमी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रही है। हाई फिस्कल स्ट्रेस के अन्दर हमारा राज्य आ गया।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो कर्जा है, एफ.आर.बी.एम. एक्ट 22-23 में पेज 24 पर, वह कर्जा बढ़ते-बढ़ते हो गया 5 करोड़ 5 लाख 31 हजार करोड़ रुपये। यानी 63 हजार करोड़ रुपये इस सरकार ने हर साल कर्जा लिया है। सभापति महोदय, हमारी इकोनॉमी कहां जायेगी?

अन्त में, मैं यह कहूंगा आपका जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, वे आंकड़े लेकर आया हूं, उस टैक्स रेवेन्यू का 2022-23 की बी.ई. के अनुसार 125 परसेंट ब्याज, पेंशन और वेतन में जा रहा है। 1 लाख 23 हजार 650 करोड़, इन तीन मदों में खर्च हो रहा है। आपकी 98 हजार 293 करोड़ बी.ई. है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बी.ई. कभी पूरी होगी नहीं। अब आप केन्द्र को कोस रहे हैं। केन्द्र सरकार का अनुदान 15वें वित्त आयोग का है, कुल मिलाकर कर और अनुदान, दोनों ही बता दूं, क्योंकि आप मुझे टोकने वाले हैं, 2020-21 में था 60 हजार 370 करोड़ रुपये, कर और अनुदान। 2021-22 में 80 हजार 80 करोड़, आप जम्प देखो। लिखो इसको। 2022-23 में हो गया 94 हजार 528 करोड़, और मुख्य मंत्रीजी ने इसी बजट में पैरा 5 में कह दिया कि केन्द्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें नहीं हों। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के हालात क्या हैं। अभी नीति आयोग ने एक इन्डेक्स जारी किया। राजस्थान की आर्थिक विकास दर 5.4, बेरोजगारी दर 26.9, गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले 34.7, कच्चे घर हैं 2.08 और अभी 'Ministry of Statistics and Programme Implementation' हमारी जो अर्थव्यवस्था है, GSDP उसको बताया है 11.42 लाख करोड़। हम देश की आठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और दुर्भाग्य देखिये, प्रति व्यक्ति आय में 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में हमारा 22वां स्थान। ह्यूमन डवलपमेंट इन्डेक्स में 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में हम 29वें नम्बर पर। इण्डिया हैप्पीनेस इन्डेक्स में मार्च से 20 जुलाई तक जो जारी हुई है, उसमें 36 नम्बर। यू.जी.सी. वाली बात तो मैंने बता ही दी। क्या हालात बना दिए आपने राजस्थान के। यह मैं नहीं कह रहा, यह अधिकृत डाक्यूमेंट जो नीति आयोग ने जारी किया, इसमें सारी तस्वीर आ गयी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बस, एक मिनट।

पहली बार आपने वेज एण्ड मीन्स को लेना स्वीकार किया है। आप देखें बजट एट ए ग्लांस, यह जो टेबल है 2021-22 की, इसमें पहली बार मार्गोपाय अग्रिम बजट सहित 3 लाख 46 हजार 182 करोड़ और मार्गोपाय अग्रिम बजट, वेज एण्ड मीन्स रहित 2 लाख 71 हजार 8 सौ 81 करोड़ यानी 2021-22 में इस राजस्थान की सरकार को वेज एण्ड मीन्स के लिए 48 हजार करोड़ रुपये, ओ.डी. में जाना पड़ा। यह कहां की अर्थव्यवस्था है, कहां से पैसा लायेंगे यह? यह की यह बात 52 हजार करोड़ रुपये ओ.डी. में गये, 2022-23 में इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है, उसमें जा रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे नरेगा की बात हो, नरेगा में 100 दिन करेंगे, 125 दिन किया।

श्री सभापति: मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपको बैठने के लिए निदेशित करूंगा। विराजें अब आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नरेगा में 2 लाख 36 हजार लोगों को टोटल ही अब तक 100 दिन का काम मिला है। टोटल 1 करोड़ 19 लाख जॉबकार्ड हैं, एक्टिव में हैं 79 लाख और 60 लाख लोगों ने काम लिया। क्यों बिना मतलब, 'नाखून कटा लिया मैंने, शहादत पे नाम लिख देना मेरा।'

सभापति महोदय, आप समय नहीं दे रहे, पर यह राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना किसकी है, हिन्दुस्तान की सरकार की। सूक्ष्म सिंचाई के लिए राजस्थान जैविक खेती, राष्ट्रीय परियोजना आर्गेनिक बायोलॉजिकल, यह किसकी है। राष्ट्रीय उत्पादन निगम के अन्दर सरकार ने 2014-15 में शुरू की। यह तो धन्यवाद दो, मुझे समय नहीं मिला, हमारे प्रधान मंत्रीजी को, जिन्होंने यूएनओ में इस बात को रखा, इन्टरनेशनल ईयर आफ द मिलेट घोषित हुआ। मैं समझता हूं किसकी योजना है यह। किसको कपड़े पहना रहे हो आप। फिर आप कहोगे कि आपने यह बात कह दी। आज ये सारी बातें सिद्ध कर रही हैं कि राजस्थान के अन्दर अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर गयी है, बल्कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह चोर दरवाजे से उन स्कीम्स के आधार पर किया है। बिना पैसे और बिना अर्थव्यवस्था के घोषणा दर घोषणा कर देना, आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज आपने इस टेबल को पीटा है, जनता के बीच में जाओगे, छाती पीटोगे। आपने समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय। सबसे पहले मैं सदन के सभी सदस्यों को उत्तम और प्रगतिशील बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय के अपने कार्यकाल के चौथे बजट के लिए धन्यवाद। यह एक ऐतिहासिक बजट है क्योंकि पूरे देश में किसी भी राज्य में पहली बार कृषि बजट दिया गया है। हमारे डायनेमिक सी.एम. साहब ने अपनी संवेदनशीलता और कुशलता का फिर एक बार परिचय दिया है।

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री अक्सर यह सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया तो मेरे ख्याल से यहां खड़े होकर मुझे इसका उत्तर देने के लिए पूरे तीन दिन लग जायेंगे तब मैं बता पाऊंगा कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं सिर्फ आपके चिट्ठे खोलना चाहता हूं कि इन 7 साल में आपके प्रधान मंत्रीजी ने इस देश की क्या दशा बना दी है और यह मेरे को

(श्री रोहित बौहरा)

इसलिए करना पड़ रहा है, मैं तो सेन्ट्रल बजट पर बोलता भी नहीं, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जी.एस.टी. आपने जिस तरह से लागू की है, आपने राज्यों को मजबूर कर दिया है कि उनकी निर्भरता केन्द्र सरकार के ऊपर बढ़ती जा रही है। 7 साल में पैट्रोल और डीजल के जो भाव हैं, सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। 7 साल में पैट्रोल और डीजल पर सैस लगाने का काम किसी ने किया तो प्रधान मंत्रीजी ने किया, सबसे ऊंचा सैस लगा दिया। 7 साल में, प्रधान मंत्री बनने से पहले बोलते थे कि हम 40 रुपये पर ले आयेंगे। आज सबसे ऊचाइयां छू रहा है। 75 रुपये का डालर हो चुका है। 7 साल में हमारी इकोनॉमी में पहली बार डिग्रोथ हुई पिछले साल 7.7 परसेंट की। 7 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसके समय हुई, प्रधान मंत्रीजी के समय। 7 साल में 84 परसेंट लोग, जो गृहस्थ थे, उनकी आमदनी का स्रोत नीचे चला गया। यह नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 7 साल में पहली बार 4.6 करोड़ जनता बी.पी.एल., यानी गरीबी रेखा के नीचे चली गयी है। जहां हम भारतीयों को गौरवशाली इतिहास में गर्व था वहां नये प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किये हैं 7 सालों में।

सरकारी बैंक्स द्वारा सबसे ज्यादा एन.पी.ए. यदि किया है तो सरकारी बैंक्स ने किया है। वह भी आपके राज में। 7 साल में कुछ धुरंधर प्रतिभाशाली व्यवसायी और उद्योगपति करोड़ों रुपये की चपेट आपकी सेन्ट्रल बैंक्स को लगाकर चले गये और देश से फरार हो गये। मोदी सरकार उनकी शक्लें देखती रह गई और उनको भारत भी वापस प्रत्यार्पण करके नहीं लायी। 7 साल में 1 परसेंट पापुलेशन की आमदनी को 13 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है और उधर दूसरों का क्या हुआ, यह आप सब जानते ही हैं। 7 साल में हमारे अमीर समाज और गरीब समाज के बीच खाई जो गहरी की है, वह इतनी गहरी कभी नहीं हुई है।

हमारे वित्त मंत्री महोदय के अनुसार, उनमें चार, आज चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट में हर साल बजट देना चाहिए, मैं खुद मानता हूं, लेकिन यह परिपाटी किसने शुरू की? सेन्टर की सरकार ने शुरू की। आपने टारगेट रखे 4 साल के। (व्यवधान)

श्री सभापति: इन्टरवीन नहीं बीच में। माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सुनिए, सीखिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर मुखातिब हों। इनवाइट मत करिए उनको। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 2022 के अन्दर केन्द्र सरकार को हमारे किसानों की आमदनी दुगुनी करनी थी। कुछ ऐसा हुआ क्या? आज की डेट में वह सब फुर्र हो गयी। आपने केन्द्र के पूरे बजट भाषण में यह नहीं बताया कि आज किसान की आय कितनी बढ़ी है। डेढ़ लाख वैलनेस सेण्टर 2022 तक कम्पलीट होने थे, किसी ने बताया बजट के अन्दर उन वैलनेस सेण्टरों का क्या हुआ? 2022 तक शहरी इलाकों में करीब 54 लाख मकान बनने थे। उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। जब प्रतिवेदन पढ़ते हैं उसका, तब पता पड़ता है टोटल मकान बने 47 प्रतिशत। ये भाषण से लुप्त कर दिये जाते हैं और नई चीजें शुरू हो जाती हैं। अब वे बातें खतम हो गयीं। अब क्या नया भाषण दिया? काम्प्रीहेन्सिव अरबन प्लानिंग का नाम देकर यह सब पुरानी चीजों को भूल गये। नई चीज वापस शुरू कर दी काम्प्रीहेन्सिव। हण्ड्रेड स्मार्ट सिटीज का, जो प्रस्तावित थे, उसका आज पता ही नहीं कि कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया, कितना काम हुआ, नहीं हुआ। इसके बारे में केन्द्र सरकार के बजट में कोई चीज नहीं थी।

'कुसुम योजना' बड़ी जोर-शोर से शुरू की गयी थी, जिसमें केन्द्र सरकार को दो लाख पम्प सैट्स देने थे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि वह कम्पलीट ही नहीं हुई। अब आपने क्या नई चीज शुरू की? प्रधान मंत्रीजी ने एक नया नारा दिया 'पी.एम. गति शक्ति योजना' उस पर हम 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे। कहीं बजट में नहीं दिया कि 100 लाख करोड़ कहां से आयेंगे? यह बताया कि पांच साल में 100 लाख करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कहां से खर्च करेंगे। आपका जो कैपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टोटल साढ़े सात करोड़ का है। टोटल साढ़े सात करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें से एक लाख करोड़ स्टेट्स को दे देंगे और 51 हजार करोड़ उस कैपेक्स में से ही, पहली बार हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, इमेजिन करिए कि केन्द्र सरकार अपने बजट में किस तरह से जगलरी कर रही है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि 51 हजार करोड़, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, आप लोस बना चुके थे, आप वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में से निकाल रहे हैं और यह इसी साल नहीं किया है, यह पहले कई सालों से, जब से आपकी सरकार आयी है, यह परिपाटी आप

(श्री रोहित बौहरा)

लोगों ने कई साल से की है। बस हर साल यह कहते हैं कि कैपेक्स हमने बढ़ा दिया है। कैपेक्स बढ़ा दिया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उसके अंगेस्ट खतम कर देते हो आप। इन्फ्रास्ट्रक्चर साढ़े सात करोड़, बाकी आप बताएं साढ़े बारह करोड़ रुपये कहां से आएंगे? हम यह और मान लें कि तीन लाख-चार लाख करोड़ स्टेट्स में से इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, डवलपमेंट पर हो जाएगा। जो 9 लाख करोड़ का घाटा है, जो 9 लाख करोड़ रुपया पता ही नहीं है, कहां से आएगा, उसका कुछ पता नहीं। वह आसमान से आएगा। पता पड़ा दो साल बाद 'पी.एम. गति शक्ति योजना' खतम हो जाएगी, उसकी गति ही रुक जाएगी, क्योंकि इतना पैसा तो देश के पास नहीं होगा।

आपने बड़ी-बड़ी बातें कीं कि सोवरेन फण्ड्स का पैसा लाएंगे, कभी जापान से पैसा लाएंगे, कभी सऊदी अरेबिया के अरब शेख से पैसा लाएंगे। वह सोवरेन फण्ड्स का पैसा ही नहीं है। आपके यहां कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा है। जापान की जो आपकी बुलेट ट्रेन चल रही है, उसका आपका काम ही शुरू नहीं हुआ। उसी का अभी तक पूरा पैसा नहीं आया। इस हिसाब से जो असत्य बोला जा रहा है, जो मिथ्या भाषण दिये जा रहे हैं बजट में, उसकी परिकल्पना करना मेरी समझ से तो बाहर है।

आज आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देश में फेडरल स्ट्रक्चर तार-तार होकर खतम हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां फेडरल स्ट्रक्चर खतम हो रहा है। आपको एक्साइज ड्यूटी लगानी थी, पेट्रोल और डीजल पर...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनको लोक सभा भेज दो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं राजस्थान बजट पर भी आऊंगा और सब चीजें बताऊंगा, आप चिन्ता नहीं करें। मेरे पास टाइम बहुत है।

पेट्रोल और डीजल पर आपने सैस लगा दिया। लगानी थी आपको एक्साइज ड्यूटी, जिससे कि पैसा स्टेट्स को मिलता। सात साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैस 56 प्रतिशत से 96 प्रतिशत हो गया पेट्रोल पर और 35 प्रतिशत से 94 प्रतिशत सैस हो गया डीजल के ऊपर। इससे क्या होता है, 4 लाख करोड़ की टोटल रेवेन्यू आयी लास्ट ईयर, 3 लाख 80 हजार करोड़ केन्द्र सरकार ने अपने पास रख लिये, 20 हजार करोड़ सिर्फ स्टेट्स को बांटा। फिर

(श्री रोहित बौहरा)

हमारे चूरू से आने वाले विधायक महोदय कहते हैं कि स्टेट कर्जा क्यों ले रहा है? पैसा ही आप खाये जा रहे हो स्टेट का, तो कर्जा तो हमें लेना ही पड़ेगा। हम लोग कहां जाएंगे? आपने हमारा गला घोंट रखा है, वह आप गले को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो, आप हमारा गला घोंटना चाहते हो, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आगे चलेंगे, हमें जो भी करना है, करेंगे।

इस राजस्थान सरकार का जो बजट है, बहुत ही शानदार बजट दिया। इतने बड़े किसान आन्दोलन के बाद भी इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इतने किसान शहीद हुए, फिर भी कोई मदद नहीं हुई। बजट में कहा गया कि एम.एस.पी. खरीद करेंगे, गेहूं और व्हीट पर ही नहीं, मिलेट्स और पल्सेज पर भी करेंगे। बहुत खुशी हुई यह जानकर कि ऐसा भी होने वाला है। लेकिन बजटरी प्रावधान क्या किया, साहब, पिछले साल 2021-22 में बजटरी प्रावधान था 2 लाख 42 हजार करोड़ का और इस साल बजटरी प्रावधान कर दिया 2 लाख 37 हजार करोड़ का। पांच हजार करोड़ इसमें भी कम कर दिये। आपके पास तो पल्सेज और मिलेट्स को खरीदने के लिये पैसा ही नहीं है। कहां से आएगा पैसा? आपके पास पैसा ही नहीं है। किसान की इतनी बुरी हालत होने के बाद आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी को 24 प्रतिशत से घटा दिया। एक लाख 41 हजार करोड़ की सब्सिडी पिछले साल मिली थी, इस साल बजट का प्रावधान कर दिया एक लाख 7 हजार करोड़, क्योंकि डी.ए.पी. इस पूरे देश में कोई भी कम्पनी नहीं बनाती। डी.ए.पी. इम्पोर्ट होता है। लास्ट ईयर हमारे किसानों ने खूब लाठियां खायीं पूरे देश में। इम्पोर्ट टाइमली नहीं किया गया और किसान लाठियां खाता रहा। उसको एक-एक बोरी डी.ए.पी. की बड़ी मुश्किल से मिली।

इसी तरह से 'पी.एम. फसल बीमा योजना' बहुत जोर-शोर से शुरू की गयी थी। 16 हजार करोड़ का पिछले साल प्रावधान था। इस साल वह 3 प्रतिशत से घटाकर साढ़े 15 हजार करोड़ कर दिया। क्या किसान को फसल बीमा योजना से भी आप धीरे-धीरे लुप्त कर दोगे। जिस तरह से आपने उज्ज्वला योजना से किसान और सब गरीबों को लुप्त कर दिया, आपने गैस सब्सिडी बिलकुल खतम कर दी। जहां 35 हजार की सब्सिडी थी, वहां 5 हजार 800 करोड़ की सब्सिडी छोड़ दी, बाकी आपने सब खतम कर दिया। चूरू से

(श्री रोहित बौहरा)

आने वाले माननीय विधायक महोदय बोले थे कि आपको धन्यवाद देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि आपका यह जो कृषि बजट है, उसी में से सब पालिसी आयी हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस बार संचय योजना में सेंट्रल का जो पिछले साल का बजट था 4 हजार करोड़ था, इस बार 2 हजार करोड़ बचा है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने ड्रिप इर्रिगेशन और स्प्रिंकलर इर्रिगेशन पर 2,700 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। यह तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। यह प्रावधान इस बजट में है, जितना आपका बजट नहीं है, उतना राज्य सरकार का बजट है। पूरे देश का बजट संचय योजना में नहीं है, उतना बजट राज्य सरकार का है। इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें कीं।

कृषि अनुसन्धान पर इनका बजट है 8 हजार 514 करोड़। समझ में आता है कि कृषि अनुसन्धान पर काम होगा, लेकिन जब आप डिटेल में जाते हो, कमेटी आफ एम.पीज. कहती हैं कि इस प्रावधान को आप बढ़ाओ। इसमें से 80-85 प्रतिशत सैलेरी और वेजेज में चला जाता है, तो आप क्या नया अनुसन्धान करोगे? आप क्या बात करोगे कि किस तरह से आप किसान के लिये नई चीजों का काम करोगे?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह लोक सभा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये-बैठिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपके काले कारनामे निकल रहे हैं, इसलिए आप यह सब बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज, क्या हो रहा है यह? वह अपना जवाब देने में सक्षम है, कृपया इन्टरवीन नहीं करें बीच में।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मनरेगा योजना कांग्रेस गवर्नमेंट ने चालू की, जो इसके ऊपर इन्होंने खूब बोला कि मनरेगा योजना क्या है, यह योजना बन्द हो जानी चाहिए। फिर प्रधान मंत्रीजी ने उसको कन्टीन्यू कराया। 98 हजार करोड़ का पिछले साल का बजट था, इस बार उसको 73 हजार करोड़ कर दिया। 73 हजार करोड़ करने के बाद भी 13 हजार करोड़ की पुरानी लायबिलिटी इस साल दी जाएगी तो एक्चुअल बजट तो 60 हजार करोड़ रह गया। क्या 60 हजार करोड़ देने के बाद कोई डिमाण्ड जनरेट होगी रूरल सैक्टर से, जहां डिमाण्ड जनरेट नहीं हो रही है, क्योंकि रूरल सैक्टर के पास पैसा नहीं है। यह सबसे बड़ा काम था मनरेगा के थ्रू जो हम कर सकते थे।

(श्री रोहित बोहरा)

(समय: 14.00 बजे)

हमारी इकोनोमी को सुधार सकते थे। यदि हम उसमें ज्यादा पैसा डालते तो डिमाण्ड जनरेट होती। हमारा रूरल सेक्टर बढ़ जाता। आप यह देखो, अमेरिका ने आज पैसा दिया, लोगों के हाथ में पैसा दिया। 23 ट्रिलियन की इकोनोमी 7 परसेंट से बढ़ी। हमारी सरकार ने एक आदमी को भी उसके हाथ में पैसा नहीं दिया डिमाण्ड जनरेट कराने के लिये। उनकी सोच क्या थी कि किसी को कुछ नहीं देंगे। उनकी सोच यह थी कि हम कैपेक्स के थ्रू करेंगे लेकिन यह समझ में नहीं आया कि कैपेक्स खर्च करने में कम से कम 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। तब तक इकोनोमी की क्या हालत होगी? आपने क्या हालत बना रखी है इकोनोमी की?

मेरा आपसे सिर्फ यह कहना है कि 23 ट्रिलियन की इकोनोमी 7 परसेंट से बढ़ी। 3 ट्रिलियन की इकोनोमी, जो इंडियन इकोनोमी है, वह 9.2 प्रतिशत से बढ़ी जी.डी.पी. में और पिछले साल का घाटा यदि 7.7 प्रतिशत आप ले लेते हो, जिससे घटी थी, तो एक्चुअल ग्रोथ जो पिछले साल आयी वह सिर्फ डेढ़ परसेंट की आयी। ओवर दी प्री-कोविड लेवल सिर्फ डेढ़ परसेंट की ग्रोथ आयी, जिसमें इन्होंने दिखा दिया कि हमारे पास 9.2 परसेंट की ग्रोथ है।

आज मैं कहना चाहता हूं कि अनएम्प्लायमेंट में आप देखो, मेनुफैक्चरिंग सेक्टर में 9.8 मिलियन का अनएम्प्लायमेंट हो गया, कोविड की वजह से और नोटबंदी की वजह से। केन्द्र सरकार में 3.29 मिलियन जगहें पड़ी हुई हैं, जो भरी नहीं जा रही हैं। रेलवेज में 1.4 मिलियन जगह पड़ी हुई हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। शिक्षा विभाग में कोविड की वजह से जो प्राइवेट स्कूल्स थे गांवों में, वे बन्द हो गये। पूरे देश में उनमें करीब 4 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं। होटल और ट्यूरिज्म में 5 मिलियन और अन्य सेवाओं में डेढ़ मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं।

एम.एस.एम.ई. सेक्टर को आपने कुछ नहीं दिया। आपने क्या किया कि पैसा खर्च नहीं करना है। आपने क्या किया कि बैंक्स को बोला, कामर्शियल बैंक्स को कि इनको लोन दे दो। हम गारण्टी लेते हैं। गारण्टी क्या ली आपने? आपने बोला कि एम.एस.एम.ई. सेक्टर को साढ़े 7 परसेंट पर आप लोन दे दो। यदि उनको चाहिए तो आप लोन दे दो। जितना लोन ले रखा है उसका 25 या 30 परसेंट आप उनको लोन दे दो। बहुत अच्छी बात है। गारण्टी सरकार ले रही है लेकिन उससे सस्ती रेट पर कामर्शियल बैंक्स आज सवा 7 परसेंट पर,

(श्री रोहित बोहरा)

7.15 परसेंट पर लोन दे रही हैं। जिनके स्ट्रेस्ड असेट्स हैं, आज लोन लेने कौन जायेगा, जिनके स्ट्रेस्ड असेट्स हैं या जो दिक्कत में हैं। स्ट्रेस्ड असेट्स वालों को उन कामर्शियल बैंक्स में लोन नहीं मिल रहा है।

आज बोलना आसान है। जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो बहुत दिक्कत होती है। मैं इसको खतम कर रहा हूं सेण्टर वाले बजट को। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि बात होनी चाहिए थी कि 'यू' शेप में हमारी इकोनोमी को बढ़ना चाहिए था। 'यू' शेप में बढ़ने का मतलब होता है कि हमारी इकोनोमी के सब पैरामीटर्स, सब उद्योग, सब सर्विस सेक्टर्स, manufacturing sectors, everybody grows in U-shape economy. ग्रोथ कैसे आ रही है? ग्रोथ 'के' शेप में आ रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं टोकना नहीं चाहता था। अच्छा बोल रहे हैं। आफिसर्स गैलेरी में कोई नहीं है।

श्री सभापति: सरकार के संज्ञान में है। आप विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 'के' शेप की ग्रोथ हो रही है। 'के' शेप की ग्रोथ का मतलब है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी कम्पनियां और एनबीएफसी कम्पनियों की ग्रोथ हो रही है, बाकी किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है।

अब मैं आपका ध्यान, जो हमारा राजस्थान का बजट मुख्य मंत्री जी ने दिया, उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा। राजस्थान में कल काफी लोगों से बात हो रही थी। लोगों का यह कहना था कि यह पैसा कहां से आयेगा? राजस्थान में जो मुख्य मंत्री जी ने इतना बड़ा बजट दिया, उसका पैसा कहां से आयेगा? हमारे चूरू वाले सदस्य भी पूछ रहे थे कि कहां से आयेगा? 98 हजार करोड़ हमारे पास खुद की रेवेन्यु है जो हमारी आन रेवेन्यु सोर्सेज से आयेगी। 49 हजार करोड़ रुपये सेण्टर से डेवोलुशन से आयेगा। 45 हजार करोड़ ग्राण्टस इन एड्स से आयेगा। 22 हजार करोड़ अदर सोर्सेज से आता है। एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अण्डर जो आपने 4 कण्डीशंस लगायी थीं कोविड 19 के समय, जो कि आपने नहीं लगानी चाहिये थीं, लेकिन आपके फाइनेंस कमीशन में जो आपके पुराने आदमी ही चैयरमेन बैठे थे, उन्होंने 4 कण्डीशंस ऐसी लगा दीं, उन्होंने सोचा कि यह स्ट्रेटस पैसे ना ले पायें लेकिन हमने उसमें से 3 कण्डीशंस का काम पूरा कर लिया। पावर सेक्टर के रिफार्म्स में आधा कर लिया तो हम एफ.आर.बी.एम. एक्ट में 5 परसेंट तक लोन ले सकते हैं। हम वह लोन लेंगे। आप हमारा गला घोंट रहे हो। आप हमें पेट्रोल और डीजल का

(श्री रोहित बौहरा)

पैसा नहीं दे रहे हो तो हम कहां जायें? हमें लोन लेकर के इस राजस्थान की जनता का भला करना पड़ेगा, because our economy is at the lowest.

आपने किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया। आपने डिमाण्ड जनरेट नहीं की। रुरल सेक्टर में लोगों ने त्राहि-त्राहि मचाई हुई है क्योंकि वहां डिमाण्ड जनरेट नहीं हो रही है। लोकल कम्पनीज की हालत खराब है। एम.एस.एम.ई. सेक्टर को आपने खतम कर दिया। टाइनी सेक्टर को आपने खतम कर दिया। किसका बोलबाला चल रहा है? सिर्फ 2 फैमेलीज, अडाणी और अम्बानी का बोलबाला चलता है। उनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते। चूरू वाले बोले थे। नम्बर कट जायेंगे। आप बोले थे अडाणी के खिलाफ कि वह पैसा, पैसा तो आप ही करके गये थे। सुप्रीम कोर्ट से ही डिसिजन हुआ। हम तो डिसिजन करके नहीं गये। आपके कर्मों की सज़ा हमको मिली। राजस्थान की जनता को मिली। हम नहीं करके गये थे। आप ही करके गये थे।

आपने बड़े-बड़े भाषण दिये। आप बजट पर तो बोले ही नहीं क्योंकि आपको पता था कि बजट पर बोलते ही आपको दिक्कत आ जाती। आप पुराने भाषणों को लेकर घूमते रहते हो। आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने आयुष्मान भारत में क्या किया? आप सिर्फ 5 लाख रुपये का इन्श्योरेंस देते हो। हम 10 लाख का दे रहे हैं।

श्री सभापति: इधर देखें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं।

एक्सीडेंटल इन्श्योरेंस 5 लाख का और बढ़ा दिया। आप क्या कर रहे हो? किसी ने आपको रोका? हमने तो नहीं रोका। आप देते न। नरेगा में हमने 100 दिन का रोजगार अरबन में दे दिया जो आज तक आप नहीं कर पाये। अरबन में 100 दिन का किया। गांव में जहां आप 100 दिन का रोजगार कर रहे हो, वहां हम 125 दिन का रोजगार कर रहे हैं। वहां हम 800 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। बड़ा पेट में दर्द हुआ है कि राजस्थान की जनता को यह क्यों मिल रहा है। यह मुख्य मंत्री जी की सोच है।

आप कहते हो हैल्थ वाला, आज आप पूछो, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूं। एक किडनी का पेशेंट आया। जिसकी एक बार किडनी ट्रांसप्लाण्ट हो चुकी थी। उसका घर बिक चुका था। मैं भी यह सुनकर के काफी उद्वेलित था। उसकी बीवी, बच्चे सब रोते हुए मेरे घर पर आये कि

(श्री रोहित बौहरा)

क्या होगा? मुख्य मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा। मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त उसको चिरंजीवी योजना में एड करा दिया। आज उसका फ्री आफ कास्ट महात्मा गांधी हास्पिटल में इलाज हो रहा है। ऐसा मुख्य मंत्री है जो गरीबों की सुनता है। यह चीज की चिरंजीवी योजना ने।

आज हम बात कर रहे हैं कि 550 करोड़ की सब्सिडी दूध उत्पादकों को देना, एक बहुत बड़ी चीज है। पहले 2 रुपये की सब्सिडी मिलती थी। अब 5 रुपये की सब्सिडी मिल गयी। आज आप क्या करना चाह रहे हो? जो अच्छे-अच्छे अर्थशास्त्री नहीं कर पाये, वह इस मुख्य मंत्री ने इस बजट में करके दिया है। We are empowering people by giving money in their hands; to create demand and to generate demand, so that economy grows. इकोनोमी बढ़ेगी, नयी इंडस्ट्री लगेगी। नया एम्प्लायमेंट आयेगा। इसी तरफ यह पूरा बजट है। पूरा बजट इसी तरफ चल रहा है कि किस तरह से डिमाण्ड जनरेट हो। वह आपकी केन्द्र सरकार ने नहीं किया है कि डिमाण्ड जनरेट हो। डिमाण्ड जनरेट की हो तो आप बता दें। आपने एक पैसा खर्च किया हो, आप बता दीजिये। आपके भी यहां से वक्ता बोलेंगे, आप बता दीजिये कि आपने डिमाण्ड जनरेशन में क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ कैपेक्स का पैसा खर्च किया। कैपेक्स कहां हो रहा है? रोड बिल्डिंग में।

अब आप क्या चाहते हो कि जो होटल इण्डस्ट्री में काम कर रहा है वह रोड इण्डस्ट्री में जाकर काम करे, लेबर जैसे। वह कर सकता है? जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, वह रोड, बिल्डिंग में वहां तसले डालेगा क्या? कैसे होगा? उनके बारे में आपने क्या सोचा? आपने सिर्फ एक सेक्टर को पकड़ लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, क्योंकि इनके यहां मंत्री ही एक है जो काम करने वाला है। अन्य किसी मंत्री का कोई काम ही नहीं सुनता है। वह एक मंत्री है, उसकी हम भी तारीफ करेंगे। He is an efficient person. वह शानदार तरीके से काम करते हैं। पूरा बजट ही वे लेकर के चले जाते हैं। यही बजट नहीं है। उन्होंने तो 1 लाख 40 हजार करोड़ टोल टैक्स, नाकों से भी उठाये हैं। उसके बारे में नहीं बोलते। ये कोई नहीं बोलते कि सैस का पैसा भी वही लेकर चले जाते हैं। यह टोल टैक्स का पैसा भी वही लेकर चले जाते हैं। सब पैसे को तो वही ले जाते हैं, बचेगा क्या? और फिर आप चाह रहे हो कि पी.एम. गति योजना शुरू कर दें, हम ये कर दें और इधर हमारे चूरू से आने माननीय सदस्य ने एक बहुत तगड़ी चीज कही कि सरकार ने माफी कर दी

(श्री रोहित बौहरा)

और दूसरे हमारे किसान भाइयों को नोटिसेज मिल गये। बैंक राज्य सरकार के नीचे नहीं हैं, कामर्शियल बैंक्स आर अंडर केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार ने ही वे नोटिसेज दिलवाये होंगे। वन टाइम सेटलमेंट के लिए, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जब फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी तो आप वन टाइम सेटलमेंट बोलते, करवा देते आप वन टाइम सेटलमेंट, ऐसी कौनसी बड़ी चीज थी जो आप नहीं करा सकते हो। बैठे-बैठे आप लोगों के यहां ई.डी., इनकम टैक्स के छापे पड़वा सकते हैं तो एक भलाई का काम तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कम से कम हमारे किसान भाइयों के लिए वही एक भला काम कर देते, वह भी नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, ये डिमांड जनरेशन की बात कर रहे थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार जो खर्च कर रही है, आज सरकारी नौकरी, हम एक लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। सवा लाख नौकरियों पर भर्ती हमारे यहां चालू है। फिर डिमांड जनरेशन के लिए कि किस तरह से अनएम्प्लायमेंट को खतम किया जाये, एक लाख नौकरियां और दी जा रही हैं। आप देखिये, वर्क फ्रोम होम, नया प्रयोग, जो पहली बार हो रहा है, वर्क फ्रोम होम, जो हमारी महिलाएं करना चाहती हैं, उस पर 100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। 100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है राजस्थान सरकार। इसी तरह से इनोवेशन सेन्टर्स, इनोवेशन हब्स बन रहे हैं हमारे यहां यूथ के लिए उस पर हम करीब-करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, जिससे हम लोगों का एम्प्लायमेंट जनरेशन करा सकें।

माननीय सभापति महोदय, 500 करोड़ रुपये से दो जगह मल्टी परपज इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स बन रहे हैं। It will take time. हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक और चीज जबरदस्त बोली कि जब मैंने पूरा बजट पढ़ा तो मुझे पता पड़ा कि इसमें एक लाख छत्तीस हजार चार सौ पचास करोड़ रुपये का एडिशन हुआ। आप मुझे एक चीज बतायें, आप बड़े विद्वान हैं, मैं तो आपका छोटा भाई हूं, ये बतायें कि एक लाख छत्तीस हजार चार सौ पचास करोड़ रुपये क्या एक ही साल में खर्च हो जाता है सरकार का बजट के लिए? उसमें से चौंतीस हजार करोड़ रुपये कैपेक्स के हैं। कैपेक्स एक साल में खतम नहीं होता, यह आपको बताना चाहूंगा। चौंतीस हजार कैपेक्स एक साल में खतम नहीं होता, इस साल कैपेक्स पर हमने ...

श्री सभापति: आप ज्ञान की बात इधर देखकर करो, वे तो पहले से ही ज्ञानी हैं। वे तो पहले ही बहुत ज्ञान रखते हैं, मेरी ज्ञान वृद्धि करो आप तो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं तो आप ही की तरफ देखकर बोल रहा हूं।

चौंतीस हजार करोड़ रुपये का कैपेक्स हम इस साल कर रहे हैं। Which is an increase of 24 percent over last year और यही केन्द्र सरकार का आप देख लीजिये। उनका कितना इन्क्रीज हुआ इस साल? साढ़े चौबीस परसेंट, बट उन्होंने क्या किया कि कैपेक्स में से एक लाख करोड़ रुपये स्टेट्स को खर्च करने के लिए दे दिया, जो ग्रांट इन एड में हमारे यहां पैसा आता था, वह हमने खतम कर दी। मैंने कहा न कि किस तरह से गला दबाया जाये स्टेट्स का, वही फार्मूला अब वापस एप्लाई हो गया। एक लाख करोड़ रुपये हमारे स्टेट्स को दिया, क्या कहकर कि टू बी रिपेड आफ्टर फिफ्टी ईयर्स, ग्रांट इन एड में तो आप खुश रहते हैं कि ग्रांट इन एड मिल गयी, हमारे को चुकाना नहीं पड़ेगा। इनने क्या किया, गला दबाना है स्टेट्स का, किस तरह इनको काबू करना है, एक लाख करोड़ दो, पचास साल बाद वापस दे दो। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता, पचास साल में न तो मैं रहूंगा, न आप रहोगे, कोई भी नहीं रहेगा, इतनी अपन कोई करके नहीं आये कि इतनी उम्र पायेंगे, पर इश्यु यह है कि कहां गया फैडरल सिस्टम?

श्री सभापति: देने वाले श्रीनाथजी, पाने वाले श्रीनाथजी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): श्रीनाथजी देने वाले, श्रीनाथजी ही पाने वाले, ठीक है। जो आप बोलें, बिलकुल ठीक है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एम.एस.एम.ई. के अन्दर जो किसी ने नहीं किया, इसमें हमने 150 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया। पिछले साल हमने 50 करोड़ रुपये का किया था, इस बार हमने 150 करोड़ रुपये का एम.एस.एम.ई. के लिए प्रोविजन किया, फोर इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब हम उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, एम.एस.एम.ई. को, इनकी किस तरह से जान बचायी जाये, हमने वह किया है।

इसी तरह से कई बार क्या होता है कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत से लोग जमीन नहीं ले पाते, क्योंकि उनको वहां की जमीन एक्सपेंसिव लगती है। इसी मद में कृषि से इंडस्ट्रियल कन्वर्जन में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, कन्वर्जन चार्ज नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ा कहते हैं फायदा किया है, इंडस्ट्री को वह किया है।

इसी तरह से पचपदरा में 383 किलोमीटर का जो डाउनस्ट्रीम

(श्री रोहित बौहरा)

पेट्रोकैमिकल हब बनाना चाहे रहे हो, जिससे अकोर्डिंग 1.4 लाख लोगों का आप रोजगार सृजन करना चाह रहे हो, वह यदि हो जायेगा तो वह एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि गुजरात से लेकर राजस्थान में वे इंडस्ट्रीज स्थापित होना शुरू हो जायेंगी। गुजरात की हालत देखते हुए ये वाली इंडस्ट्रीज आपके यहां आ जायेंगी।

इसी तरह से एस.सी.एस.टी. वालों के लिए आप देखिये, जिससे कि वे नये आयाम स्थापित कर सकें, उनके लिए 100 करोड़ रुपयों से इन्क्यूबेशन सेंटर की घोषणा की मुख्य मंत्रीजी ने, वे जब लैंड लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, कुछ भी करायें, उनके लिए स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन प्लस आसान किश्तों पर लैंड की जो कोस्ट है, उसका ऋण भी उनको दिया जायेगा। हंड्रेड परसेंट रिएम्बर्समेंट आफ एस.सी.-एस.टी., यदि कोई भी एस.सी.-एस.टी. के लोग लगाना चाहेंगे, उनको हंड्रेड परसेंट एग्जम्प्शन है, सेवन ईयर्स का, Which is a very big thing, सात साल तक हंड्रेड परसेंट एस.सी. एस.टी. का रिएम्बर्समेंट मिलेगा, प्लस मुख्य मंत्री कोष से एक परसेंट की एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी और मिलेगी।

इसी तरह से हमारे सौर ऊर्जा की बड़ी सम्भावनाएं हैं राजस्थान में और सौर ऊर्जा में हम नम्बर एक पर भी हैं सभी प्रदेशों में। हमारे यहां इस बार करीब 92 एम.ओ.यू. साइन हुए आठ लाख करोड़ रुपये के, यदि ये एम.ओ.यूज. सब साइन होकर जमीन पर, धरातल पर आ जाते हैं तो करीब-करीब दो लाख लोगों को इससे नौकरी मिलेगी। ये आयेंगे भी धरातल पर, क्योंकि पिछली बार जैसे नहीं हैं। इन्होंने अनिल अम्बानी से कर लिया था करीब सैंतालीस हजार करोड़ रुपये का एम.ओ.यू., उसकी एक भी कम्पनी नहीं थी, क्योंकि उनकी आल आर बी.आई.एफ.आर. कम्पनीज। इस बार तो मिस्टर अम्बानी, मिस्टर अडाणी, सबने पैसा दिया, सब आकर यहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहां एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेट डवलप हो गया।

दो महीने पहले मुझे भी कलकत्ता जाने का मौका मिला था इंडस्ट्रियल कन्वेन्शन में, जो सी.आई.आई. की ओर से था। वहां लोगों में जो जोश देखा राजस्थान के प्रति कि Rajasthan is coming up is a industrial destination, आपने इतने सारे रीको इंडस्ट्रियल एरियाज खोल दिये। आपने यह कन्वर्जन वाली प्रोब्लम सॉल्व कर दी तो ये सब मिलाकर, जब हमारे शान्ती धारीवालजी यू.ए.ई. गये, 4016 एम.ओ.यू. साइन हुए। मैं ये

(श्री रोहित बौहरा)

नहीं कहता कि वे सब एम.ओ.यू. हंड्रेड परसेंट जमीन पर, धरातल पर आ जायेंगे, नहीं, नहीं आते, It is not possible. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इंडस्ट्री लगाने के लिए, आदमी वही इंडस्ट्री लगाता है, जिसको वहां पर दो पैसे का फायदा दिखता हो। हम किसी को खींचकर नहीं ला सकते। हम बता सकते हैं कि हम ये-ये दे सकते हैं, बट खींचकर नहीं ला सकते किसी को। आदमी वही लगायेगा, जिसको दो पैसे यहां पर मिलेंगे। बट ये जोश दिख रहा है, मैं कह रहा हूं कि इनमें से आधे एम.ओ.यूज. भी पूरे हो गये, आज की डेट में साढ़े दस करोड़ रुपये के हैं ये, आप यह मानकर चल लेना कि It is another employment scheme. ढाई लाख लोगों के लिए एम्प्लायमेंट जनरेट होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर इसको कहते हैं एम्प्लायमेंट जनरेशन के लिए, सबसे ज्यादा आदमी लगते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे मध्यमवर्गीय परिवार हैं, जो पचास लाख रुपये तक के फ्लैट खरीदना चाहते हैं उनको दो परसेंट स्टाम्प ड्यूटी का रिलेक्सेशन दिया है। इसी तरह से वन परसेंट ड्यूटी का रिलेक्सेशन हमारे सीनियर सिटीजन को मिला। 100 स्क्वायर यार्ड्स और 50 स्क्वायर यार्ड्स में स्टाम्प ड्यूटी का रिलेक्सेशन वापस वन परसेंट दे दिया, जो आम आदमी को दे दिया। इससे क्या होगा साहब, ग्रोथ स्पर होगी। मैं जो कह रहा था न बार-बार कि डिमांड कैसे स्पर करें, इन सबसे डिमांड स्पर होगी। बाजार में डिमांड स्पर होगी, एम्प्लायमेंट आयेगा, नयी इंडस्ट्री आयेगी, नये लड़के नौकरियों पर लगेंगे, बैंक का क्रेडिट देना आसान हो जायेगा, सब चीजें होंगी। इकोनोमी में एक बूम आयेगा। साहब, पहली बार हुआ, जब 7.70 परसेंट से पूरे देश की इकोनोमी टूटी, तब ममता बनर्जी की सरकार ऐसी थी, जहां पर इकोनोमिक ग्रोथ 1.20 परसेंट की थी, क्योंकि वहां उन्होंने डिमांड जनरेशन का काम शुरू किया। डिमांड जनरेशन के लिए बजट में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने एन.एफ.एस.ए. में 10 लाख लोगों को और एड करने की बात कही है। जिन लोगों ने अपील दायर कर रखी है, जिनके जबरदस्ती नाम काटे गये, क्योंकि केन्द्र सरकार का एक हुक्म आया कि एक रात में नाम काट दें तो कई लोगों के नाम कट गये, पोर्टल बन्द कर दिया, तो 10 लाख लोगों को इस बार हम पोर्टल पर एड करेंगे, उनका निस्तारण करेंगे।

(श्री रोहित बौहरा)

आप पर्यटन को देखें। राजस्थान में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं हैं। पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दे दिया। दिया कि नहीं? आप बताएं। उन्हें रिप्स-2019 के जितने आप अपने एन्टरप्रिन्योर्स को दे रहे हैं, जैसलमेर-बाड़मेर वाले सुन लें, रिप्स-2019 में आपको भी पैसा मिलेगा, नये होटल बनायेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, डिमांड जनरेशन होगा, कोई टैक्सी चलायेगा, कोई होटल्स में काम करेगा, कोई गाइड बनेगा, सब अपनी रोजी-रोटी कमा सकेंगे। यह डिमांड जनरेशन की बात है।

साहब, पहली बार हुआ है कि जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक पर्यटन उद्योग वालों ने जो एस.जी.एस.टी. का पैसा जमा कराया है, 50 परसेंट पैसा उन एन्टरप्रिन्योर्स को वापस मिलेगा, जिससे कोविड-19 में जो उनके दु:ख-दर्द थे, वे दूर हो सकें। क्या केन्द्र सरकार ने ऐसा किया कभी? किसी को भी दिया पैसा हाथ में? डिमांड जनरेट कहां से करेंगे? सबसे बड़ी चीज है डिमांड जनरेशन की। डिमांड जनरेट होगी तो इकोनोमी चलेगी, नहीं तो इकोनोमी के हाल बहुत बुरे होंगे।

साहब, जो इस बार दूसरी चीज की, हमारी हवाई सेवाएं और शुरू करवा दीं। इंटर स्टेट हवाई सेवाएं हमारी काफी शुरू होंगी। सरकार ने करीब-करीब उस पर 15 करोड़ रुपये की सब्सिडी करी है। हवाई सेवाएं शुरू होने से लोगों को आने-जाने में काफी सहूलियत मिलती है। वह भी एक इकोनोमी के लिए, It is a very good step.

(समय: 14.22 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

गरीब और एससी-एसटी महिला वर्ग के उत्थान के लिए सरकार ने क्या किया? आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं क्या किया। सरकार ने 50 यूनिट बिजली फ्री की। गरीब आदमियों के लिए 50 यूनिट फ्री की और 50 से 150 यूनिट तक 3 रुपये की सब्सिडी और 150 से 300...रुपये की सब्सिडी। हमारे अगले चुनाव के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगी, इसीलिए तो आपके पेट में दर्द है। तभी तो कल वसुन्धरा जी ने यह बोला कि यह तो इलेक्शन बजट है। मतलब यह भी आप मानते हैं कि अच्छा बजट था, नहीं तो आपकी लीडर यह थोड़ी बोलतीं कि यह इलेक्शन बजट है और हम कह रहे हैं, इलेक्शन में तो अभी दो साल हैं। एक साल का बजट और देंगे। आप देखते रहना।

आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल की बजट घोषणाओं में 85 परसेंट

(श्री रोहित बौहरा)
चीजें पूरी हो चुकी हैं और बाकी की 15 परसेंट इस साल पूरी हो जायेंगी। आपको दिक्कत यही है। एकाध सेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर बोलते रहते हैं। रोड्स बनना शुरू हो गयीं, नगरपालिकाओं में रोड्स के टेंडर हो गये, सब चीजें बनना शुरू हो गयीं। (व्यवधान) अब यही तो आपकी प्रोब्लम है कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति: प्लीज सुनिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसी तरह एससी-एसटी के लोगों के लिए 500-500 करोड़ रुपये सरकार ने इस बजट में दिये। पहली बार सरकार ने ई.डब्ल्यू.एस. को रेकग्नाइज किया कि ई.डब्ल्यू.एस. की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। जो Economically Weaker Section of Society हैं, जो नार्मल क्लासेज से आते हैं, उनमें भी गरीब लोग हैं, उनके लिए 100 करोड़ किया। हमारे जो 100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, वे हो रहे हैं एम्प्लायमेंट जनरेशन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए। यह 1,100 करोड़ का जो नया फंड सरकार ने बनाया है, वह एक बहुत ही अच्छा फंड बनाया है, जिससे उन्हें मेनस्ट्रीम में हम ला सकेंगे, उनके लिए एम्प्लायमेंट जनरेशन करा सकेंगे।

एक जो हमारे मुख्य मंत्री जी का नारा है, ''कोई भूखा नहीं सोयेगा'', इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्दिरा गांधी रसोइयों की जो हमारी तादाद है, वह 1,000 कर दी गयी है, जिस पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह से आप सीनियर सैकंडरी स्कूल्स देखें। Across the state, सब सैकंडरी स्कूल्स सीनियर सैकंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट हो जायेंगे। एक हजार नये महात्मा गांधी विद्यालय बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 36 नये महाविद्यालय बनाने की घोषणा की है। इसी तरह से एजुकेशन लोन, लाहोटी जी, यह सुन लीजिये, यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे देश-विदेश जाना चाहते हैं...।

श्री सभापति: नहीं, नहीं आपस में बात नहीं करेंगे। You Kindly address me.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, हम लोगों को क्या तकलीफ है?

श्री सभापति: नहीं, अलाउड नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जो बच्चे देश-विदेश में पढ़ने जाना

(श्री रोहित बौहरा)

चाहते हैं, उनके एजुकेशन लोन पर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज 100 परसेंट माफ कर दिया गया है। कितना बड़ा स्टेप है। किसी भी स्टूडेंट को उस पर खर्च नहीं करना पड़ेगा।

जहां तक हमारे दिव्यांगजनों की बात है, पिछली बार 2,000 स्कूटीज दी थीं और उनमें से काफी बंट भी गयी हैं। इस बार सरकार ने 5,000 स्कूटीज का किया है और मेरे जैसे कई एम.एल.एज. ने भी अपने फंड से दिव्यांग लोगों को काफी स्कूटीज दी हैं। हम अभी तक दिव्यांग लोगों को 50 स्कूटीज बांट चुके हैं, क्योंकि हम उन्हें मेनस्ट्रीम में लेकर आना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वे अलग-थलग रहें, क्योंकि परिवार वाले भी दिव्यांगों की उतनी कद्र नहीं करते, पर आज यदि उन्हें समाज की मेनस्ट्रीम में लाना है तो हमें उन्हें किसी न किसी तरह से सशक्त करना पड़ेगा, जिससे वे अपना रोजगार कर सकें। आना-जाना उनके लिए दूभर होता है। वे आ-जा सकेंगे तो वे अपनी नौकरी, नया धन्धा, नया पेशा, ये सब कर सकेंगे।

इसी तरह से सड़कें देखें। इस बार सड़कों पर करीब-करीब 15 परसेंट का बजट इन्क्रीज किया है हमने। हम सड़कों पर 9,200 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। 33 जिलों में 3-3 सड़कें, चाहे वे जितनी भी वैल्यू की हों, पर वे सड़कें यदि खराब कंडीशन में हैं तो उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने हर जिले से 3-3 सड़क चूज करके दे दीं और 10 करोड़ रुपये हर विधायक को उसकी कान्स्टीट्यूएंसी के लिए दे दिये, ताकि वह अपने हिसाब से पुनर्डामरीकरण और मिसिंग लिंक में जहां चाहे, वहां पैसा दे सकता है। कुछ उसमें बाइफरकेशन है, वह मिला।

इसी तरह से जल जीवन मिशन में हम करीब-करीब 46 लाख 21 हजार घरों को नल के कनेक्शंस देंगे टोटल। इस स्कीम में केन्द्र सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में 90 परसेंट सब्सिडी दे रही है। हमारा प्रदेश भी रेगिस्तानी प्रदेश है। जहां ढाणी-ढाणी पर घर बसे हुए हैं, वहां एक-एक नल ले जाने के लिए कई जगह तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा, पर केन्द्र सरकार को उससे मतलब नहीं है। केन्द्र सरकार उस पर पैसा नहीं देना चाहती। केन्द्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार कैसे भी करे, 50 परसेंट का पैसा हम लोग दें। इस वर्ष करीब-करीब 13,921 करोड़ रुपये विभिन्न स्कीम्स पर हम खर्च करेंगे, 5,833 गांवों को पानी मिलेगा और 5,182 करोड़ रुपये रूरल सप्लाई स्कीम्स और इसी तरह से 2,500 करोड़ रुपये अरबन सप्लाई स्कीम्स पर खर्च

(श्री रोहित बोहरा)

किये जायेंगे। यह टोटल प्रोजेक्ट करीब-करीब 60 हजार 600 करोड़ रुपये का है, जिसमें राज्य सरकार को करीब-करीब 30 हजार करोड़ रुपये देने पड़ेंगे।

इसी तरह से आप बिजली सेक्टर ले लीजिये। उसमें भी हमारा बजट काफी बढ़ा है। बिजली सेक्टर में budget has increased by 9 percent. इस बार हमारा 9 परसेंट बजट इन्क्रीज हुआ है ओवर द लास्ट ईयर। इसमें सबसे अच्छा काम जो हो रहा है हमारे ईस्टर्न राजस्थान के लिए, जहां नीचे पानी है वहां 2.5 लाख नये कुओं के पूरे कनेक्शन इस साल तक मिल जायेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री महोदय को कि धौलपुर में जो वोल्टेज समस्या थी, उसके निराकरण के लिए धौलपुर में एक 400 केवी का नया जी.एस.एस. स्थापित किया है। उसके लिए मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

इसी तरह से, क्योंकि आपकी सरकार ने एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं तो हमें 48 लाख प्रीपेड भी इसीलिए आपकी वजह से लगाने पड़ रहे हैं, नहीं तो आपके एफ.आर.बी.एम. एक्ट की हम अवहेलना करेंगे। इसी तरह से बिजली उत्पादन में भी नया पैसा खर्च कर रहे हैं और करीब-करीब 10 हजार करोड़ रुपये से बिजली उत्पादन में नया सेट-अप कर रहे हैं, थर्मल पावर से सुपरक्रिटिकल पावर सेट-अप कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में पिछली बार मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं एक वादा करता हूं कि किसानों को दिन में बिजली दूंगा, जिससे उनकी रात की नींद खराब नहीं हो। करीब-करीब 15 जिलों में यह हो चुका है। मेरे जिले में किसान को दिन में बिजली मिलती है, मेरे यहां कोई किसान रात को नहीं जगता है क्योंकि हमारे को अपना तंत्र ठीक करना था, इसलिए एक साल लगा, पर अब पूरे प्रदेश में बिजली सुबह मिलना शुरू हो जायेगी। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और कम से कम किसान भाइयों को जो दु:ख-दर्द थे, वे हम इससे दूर कर सकेंगे।

इस तरह से आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण देने के लिए कानून व्यवस्था को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए गृह विभाग नये 500 पुलिस मोबाइल यूनिट और 20 हजार नये कैमरे लगा रहा है। एक नई आर.आई.एस.एफ. का भी इस साल गठन हो रहा है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी सारी घोषणाएं हैं कि यदि मैं उनको पढ़ता रहूंगा तो मेरे ख्याल से पूरा टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं अब बजट पर कुछ कहना चाहूंगा।

(श्री रोहित बौहरा)

हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2022-23 का है, वह प्रोडक्ट इस साल 2022-23 में 13 लाख 34 हजार 310 करोड़ का है, which is a growth of 11.6 per cent over the last year और जो जी.डी.पी. ग्रोथ सेंट्रल सरकार ने की है, वह सिर्फ 11 परसेंट की की है, जबकि हमने 11.6 परसेंट की हमारी जी.डी.पी. ग्रोथ दिखायी है, 2022-23 में जो मेरे ख्याल से पूरी फुलफिल होगी।

इसी तरह से हमारा जो डेट री-पेमेंट है, 2022-23 में, expenditure excluding the debt payment. हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है 2 लाख 73 हजार 468 करोड़, which is an eight per cent increase. हम खर्च कर रहे हैं, 8 परसेंट इन्क्रीज कर रहे हैं over the revised estimates. इसमें जो यह बात थी न कि आप कर्जा ले रहे हो वह कहां से, तो इसमें 72 हजार 715 करोड़ का डेट भी हम इस बार चुकायेंगे, उसके बाद हम 2 लाख 73 हजार करोड़ पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आप रिसीट्स देख लें कि 2 लाख 15 हजार 256 करोड़ an increase of 12 per cent, इन्क्रीज हुई हैं हमारी रिसीट्स इस साल। 2021-22 में receipts excluding borrowings का एस्टिमेट बजट से जो था वह आर.ई. में हमने एक्सीड किया 6 हजार 805 करोड़ से। जो बात थी न कि 12 परसेंट आप कैसे बढ़ाओगे, तो जब मरे हुए टाइम में, जब केन्द्र सरकार ने हमें हैल्प नहीं की, कोविड-19 चल रहा था, तब 6 हजार 800 करोड़ रुपये हमने ज्यादा अर्जित किये थे और अभी टाइम अच्छा आने वाला है तो हमारी उम्मीद है कि हमारे जो रिसीट्स हैं वे करीब-करीब 12 परसेंट इस साल बढ़ जायेंगे तो हमारा जो टार्गेट है, वह पूरा हो जायेगा।

इसी तरह से हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था, लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था, वह 2.98 परसेंट था। इस साल हमारा रेवेन्यू डेफिसिट has gone down to 1.76 per cent. ये नहीं बोले, जो बजट की अच्छी चीजें हैं, वह कोई नहीं बोलता। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कम हुआ। इसी तरीके से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, पिछले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ गया था, कोविड की वजह से खर्चे ज्यादा हो गये थे, हमें कोविड में बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़े हमारा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, यह सब करने के लिए और कोविड में हमने खर्चे ज्यादा किये। उस सबको ठीक करने के लिए पिछली बार हमारा 5.14 परसेंट था और इस बार हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, वह सिर्फ 4.36 परसेंट है। It is well within the FRBM limit of the Central Government.

(श्री रोहित बौहरा)

इसी तरह से जो हम खर्च कर रहे हैं, हम जो डिफरेंट सेक्टर्स पर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एण्ड कल्चर पर हमारा इस बात का बजट हमने 11 परसेंट बढ़ाया है, जो average of all over India से हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं हमारी एजुकेशन पर, क्योंकि हमारे बच्चों के दो साल खराब हो गये हैं। मुख्य मंत्री जी ने सोचा कि दो साल खराब हुए हैं एजुकेशन सेक्टर पर थ्रस्ट करो, जिससे बच्चों की जो पढ़ाई मिस हुई है वह पढ़ाई जल्दी से जल्दी करें इसीलिए 10 हजार कम्प्यूटर के टीचर्स हम भर्ती कर रहे हैं। आज हमारे यहां पर करीब-करीब 70 परसेंट बारहवीं तक में कम्प्यूटर लैब्स बनी हुई हैं। जितने जल्दी ये भर्ती हो जाएंगे तो कम्प्यूटर लैब के माध्यम से यदि कभी दिक्कत भी हुई तो हम एजुकेशन को बीम कर सकते हैं, कहीं से भी बीम करा सकते हैं, हम उनकी एक्स्ट्रा क्लासेज दिला सकते हैं। मास्टर हो या न हो, वह कम्प्यूटर लैब्स में बैठकर, एक्स्ट्रा क्लासेज करके अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। इसी के तहत यह हुआ है।

इसी तरह से रूरल डवलपमेंट। रूरल डवलपमेंट में over the last year we have taken 24 per cent increase in the budget. रूरल डवलपमेंट में we have taken that. यह आपको भी नहीं है, आपके यहां तो रूरल डवलपमेंट में आपने पैसा घटाया है क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि किसानों का कुछ फायदा हो सके। आपके प्रधान मंत्री जी के पास टाइम भी नहीं था, जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो उनसे मिल भी सकें, वह टाइम नहीं था। इसीलिए आप चाहते ही नहीं कि रूरल डवलपमेंट में आप करें।

इसी तरह से हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, बड़ी एस्टोनिशिंग चीज है। लास्ट ईयर बजट में प्रोविजन किया था, जो हमें इनॉक्यूलेशन के लिए डोजेज लगती है, उसमें 35 हजार करोड़ का किया था और करीब-करीब 800 करोड़ का बजटरी प्रोविजन किया था जो हैल्थ वर्कर थे, उनको डोजेज लगने का, कोविड-19 की जो दो डोजेज लगी थीं, उनका किया था। इस साल का बजट मैं आपको बताना चाहता हूं....।

श्री सभापति: हाउस में आप बात नहीं करें प्लीज। सुनिये, प्लीज, माननीय सदस्य, बैठिये प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इस साल बजटरी प्रोविजन 39 करोड़ से सिर्फ 5 हजार करोड़ रह गया है और जो हैल्थ वर्कर को डोज लगनी थी, जो 800 करोड़ का प्रोविजन था वह सिर्फ 200 करोड़ का प्रोविजन कर दिया। खुदा

(श्री रोहित बौहरा)

ना खास्ता यदि कोविड-19 की वापस लहर आ गई तो आप क्या करोगे, कहां से पैसा लाओगे? कहां से पैसा लाओगे? तो यह तो सोचो, बजटरी प्रोविजन तो करके चलो। आपको अन्देशा है कि एक नया म्यूटेंट और डवलप हो रहा है, फिर क्या होगा? कुछ नहीं साहब, वह सोच ही नहीं है। सोच होती तो यह सब कुछ होता ही नहीं, हम गड्ढे में नहीं जा रहे होते।

5 ट्रिलियन इकोनोमी की बात कर ली, एक साल और बचा है 5 ट्रिलियन इकोनोमी होने में। सिर्फ एक साल और बचा है, कहां से कर दोगे? 3 ट्रिलियन इकोनोमी की भी हमारी अभी अर्थव्यवस्था नहीं है। कितना असत्य और वह भी सफेद। आदमी तो कई बार आंकड़ों को छिपाता है, पर वे छिपाते भी नहीं हैं। आज 5 ट्रिलियन की बात की, कल कह देंगे हम तो 8 ट्रिलियन इकोनोमी की बात कर रहे थे तो यह सब जो कर रहे हैं that I don't know, कहां लेकर जायेंगे।

पुलिस वेलफेयर में हमारी ग्रोथ हो गई, हमने वापस ग्रोथ की है, 8 परसेंट बजट की ग्रोथ की है, क्योंकि हम नये थाने खोल रहे हैं, नये वैन्स लगा रहे हैं, 20 हजार नये कैमरा अभय कमाण्ड में लगा रहे हैं, उनको सशक्त कर रहे हैं तो यह सब करने में हम 8 परसेंट ग्रोथ कर रहे हैं।

इसी तरह से एनर्जी में पूरी कंट्री का एवरेज है, 4.2 per cent of the GDP they are spending on energy sector. मुख्य मंत्री जी ने हमारे गरीब मोहल्लों को इतनी छूट दी है कि 50 यूनिट तक फ्री, 150 तक तीन रुपये, फिर दो रुपये यूनिट। इससे हमारा बजट बढ़ा और करीब-करीब 8 परसेंट बजट हम एनर्जी के ऊपर खर्च कर रहे हैं which is commendable. 4.2 से हम करीब-करीब 8 परसेंट खर्च कर रहे हैं। हम तंत्र सुधार रहे हैं, नये जी.एस.एस. डाल रहे हैं। यह सब हमें क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि हम नये बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। मुझे भी एक 33 के.वी. का नया जी.एस.एस. दिया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

राजस्थान में पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में 78 हजार करोड़ की स्पेंडिग हो रही है। यदि आप इनका कम्पेयर करेंगे एग्रीकल्चर बजट growth is one per cent. यदि हम इनके inflation की ग्रोथ रेट ले लें तो 5 परसेंट, मतलब degrowth में आ गया इनके एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट।

श्री सभापति: आप मेरी तरफ आमुख रहें, कंटीन्यू कीजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इनके पेट में बहुत दर्द है, पेट में दर्द ठीक कर लें। इसीलिए, कह रहा हूं इनके दर्द नहीं होता तो ये इलेक्शन बजट की बात ही नहीं करते, इलेक्शन बजट की बात इसीलिए इन्होंने की है, साहब। क्योंकि, ये नहीं चाहते, ये लड़-लड़कर अपना काम खतम कर लेंगे। इनका एक लीडर है ही नहीं, पांच-पांच मुख्य मंत्री के दावेदार हैं तो इनका क्या होगा?

श्री सभापति: आप सब्जेक्ट पर, आप अपने विषय पर वापस आइये। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, इनके दिक्कत ही यही है।

श्री सभापति: विषय पर आइये और पांच मिनट में कन्क्लूड कर लीजिये, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मेरा सिर्फ यह कहना है कि हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर पर हमने बजट करीब-करीब 18 परसेंट बढ़ाया है और मुख्य मंत्री जी ने जो सबसे अच्छी पहल की है, हर एम.एल.ए. को एक सी.एच.सी. को मॉडल सी.एच.सी. बनाने के लिए दे दिया, तीन साल में हर एम.एल.ए. की सी.एच.सी., जो मन से काम करता है, जो दिमाग से करता है, उसकी सी.एच.सी. would be a 'Model CHC' उससे क्या होगा? इनकी खुद की रिपोर्ट है गवर्नमेंट आफ इंडिया, हैल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि CHCs and PHCs are in very bad condition. People have to spent money there. इनका बजट होना चाहिए था, जी.डी.पी. का 2.6 परसेंट, ये डेढ़ परसेंट खर्च कर रहे हैं। इनके एम.पीज. कह रहे हैं, डेढ़ परसेंट खर्च कर रहे हैं।

आपको पता है साहब, दुनिया भर में हास्पिटल में हर हजार आदमी पर 4 बैड्स हैं और इंडिया में जब से ये आये हैं, एक बैड इन्क्रीज नहीं हुआ, इन्होंने एक बैड इन्क्रीज नहीं किया, एवरेज में पापुलेशन बढ़ती जा रही है, एक बैड इन्क्रीज नहीं हुआ। हम Still we are going at a level of 1.5 beds per one thousand. जबकि इनके खुद की एम.पीज. की जो कमेटी है, वह खुद कह रही है कि ढाई बैड तक तो कम से कम बढ़ाओ और इसका पैसा बढ़ाओ, पर पैसा ही नहीं बढ़ रहा है।

श्री सभापति: अभी आपका टर्न आ रहा है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, दूसरा मेरा यह कहना है कि यह बजट बहुत ही शानदार बजट है, राजस्थान में डिमाण्ड जनरेट करने वाला बजट है और हर सेक्टर को मुख्य मंत्री जी ने करीब-करीब इसमें कवर कर

(श्री रोहित बौहरा)

लिया है। ऐसा कोई सेक्टर उन्होंने नहीं छोड़ा, कृषि पर इतना, मैंने आपको बताया कृषि संचय पर हम 2,700 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, ये 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

ड्रिप इर्रिगेशन, जो कि नीड है राजस्थान की, इतने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वह किसलिए कर रहे हैं, जिससे किसान की जो इनकम है, वह बढ़ती जाये। इसीलिए, हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की है और कई जगहों पर तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर एक-एक करोड़ रुपये की राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। यदि आप सरसों की मिल लगा रहे हो तो एक करोड़ की सब्सिडी, ईसबग़ोल की मिल लगा रहे हो तो दो करोड़ की सब्सिडी, इससे ज्यादा क्या चाहिए? फिर, एम.एस.एम.ई. की कल्पना में आप आ जाओगे, इस सब्सिडी के अलावा इंट्रेस्ट सब्सिडी और।

श्री सभापति: कन्क्लूड कीजिये, प्लीज।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, इनको प्रोब्लम क्या है कि सरकार कुछ करना चाहती है।

श्री सभापति: आप विषय पर कन्टीन्यू कीजिये और कन्क्लूड भी कीजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, मेरा सिर्फ यही कहना है कि बहुत ही शानदार बजट।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): रोहित जी, 5 करोड़ से 3 करोड़।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सब लोगों को साथ लेने वाला बजट, इसीलिए यह शानदार बजट है। मैं मुख्य मंत्री महोदय को फिर बधाई देता हूं। अपने दिल की गहराइयों से उनको बधाई देता हूं कि ऐसा बजट आज तक किसी ने नहीं दिया, न कोई दे पायेगा और यह राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राम-राम सा, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान) सुनिये, आपको भी सुनेंगे, नहीं इस तरह से नहीं, हाउस में this is not allowed.

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति जी, यह बजट सुनने में तो अच्छा लगा और जब घर जाकर इसको पढ़ा तो भी अच्छा लगा, पर बजट घोषणाओं के बाद राज्य के वित्तीय संसाधनों की टेबल पर मैंने नजर डाली तो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

यह एहसास हुआ कि जितनी भी बजट घोषणाएं हैं और जितने वित्तीय संसाधन हैं, उससे तो ये घोषणाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। जिस करिश्माई नेतृत्व के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी पूरे देश में चर्चित हैं, उसकी झलक इस बजट में दिखती है। पूरे देश में एक के बाद एक राज्य में लुप्त होती जा रही कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में बचाये रखने के लिए, जो लुभावनी घोषणाओं का आक्सीजन माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, यह असफल प्रयास है।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता ही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी दोनों ने अपने हाथों की लकीरों को एक दूसरे को दिखाया था कि कितने-कितने साल, कौन-कौन शासन करेगा। अब कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन जो दुर्दशा कांग्रेस की पूरे देश में हो रही है, आने वाले कल में राजस्थान उसी दुर्दशा को देखेगा। फिर आपने जो घोषणाएं की हैं, ये पैसा आयेगा कहां से? कोई राहुल गांधी जी ने आलू से सोना बनाने की मशीन, अगर सरकार को दे दी और उससे कोई पैसा आ जाये, तब तो ये घोषणाएं पूरी हो सकती हैं, वरना लगता नहीं कि ये घोषणाएं पूरी हो सकती हैं और आपके पास जो पैसा अभी है।

श्री सभापति: सुनिये, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): चाहे माननीय मुख्य मंत्री जी कह दें कि केन्द्र से हमको कम पैसा मिला है, लेकिन केन्द्र से जो आपको पैसा मिला है, आपकी इन पूरी घोषणाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी भूमिका उसी की रहेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, इससे डिस्टर्ब होता है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था खस्ता हालत में गयी, उससे राज्य सरकारों को सम्बल देने के लिए एफ.आर.बी.एम. एक्ट में जो बदलाव किया कि आप जी.डी.पी. का तीन परसेंट तक लोन ले सकते हो, वह 4 किया और आने वाले कल में 5 कर रही है, तो उससे जो आपको लोन मिलेगा, उससे हो सकता है कि आपकी कुछ घोषणाएं पूरी हो जायें, और आपने क्या किया? ज्यों ही आपको छूट दी, आपने पहले ही वर्ष में पूरा का पूरा डेढ़ गुना, पहले का 3 और बाद में तो 4.37 तक आपको लेने की छूट थी, 0.5 इलेक्ट्रिक वाला जोड़कर तो आपने 4.37 के अगेंस्ट में आपने 4 लाख 36 हजार करोड़ का लोन ले लिया।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र से राज्य सरकार को कोई कम राशि नहीं मिली है। केन्द्र के करों में राज्य सरकार का जो हिस्सा है न, आपने अनुमान किया था कि 40 हजार 107 करोड़ रुपये आपको केन्द्र से मिलेंगे, पर हुआ क्या? आर.ई. में बढ़कर आपको 44 हजार 791 करोड़ रुपये मिला, यह कोई मामूली बात नहीं है। करीब 4 हजार 700 करोड़ आपके अनुमान से ज्यादा। अब 2022-23 के लिए आपने अनुमान किया था, केन्द्रीय सहायता का, वह 36 हजार 475 करोड़ रुपया था और आर.ई. में बढ़कर आपको मिल रहा है 43 हजार 290 करोड़ लगभग। मतलब आपको इन दोनों में मिलाकर 11 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि आपके अनुमान से केन्द्र सरकार से आपको ज्यादा मिली है और उसके बाद में आप कहते हो कि केन्द्र ने कम पैसा दिया है। आपकी खुद की रेवेन्यु पर भी थोड़ा नजर डाल लो। आपका अपना कर राजस्व आपने अनुमान किया था 90 हजार 50 करोड़ का। आर.ई. में घटकर वह आपका 82 हजार 306 करोड़ रह गया। 8 हजार करोड़ आपने रेवेन्यु कम जनरेट की है। आपने कुशल प्रबन्ध नहीं किया, उसका परिणाम रहा है यह। यही हाल आपका नॉन रेवेन्यु टैक्स का भी है। आर.ई. के अनुमान से आप कोई मामूली आगे बढ़े हो वरना यहां भी आप अपने संसाधनों से कोई इन्कम नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने वार्षिक बजट के साथ-साथ एक नयी पहल राजस्थान में शुरू की है। अच्छी पहल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि हम अलग से कृषि बजट देंगे। लेकिन कृषि एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्रों हेतु आपने जो बजट प्रावधान किया है न, यह आपके बजट प्रावधान का पेपर पढ़ लेना। आपने बजट प्रावधान किया है 43 हजार 478 करोड़ रुपये का आगामी वर्ष के लिये। यानी पिछले वर्ष की तुलना में भी 21 करोड़ रुपये कम और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कल सदन में घोषणा की किसानों के लिए या उससे जुड़े क्षेत्र के लिए, वह है 78 हजार करोड़ की। अब आपने प्रावधान किया लगभग 13 हजार 491 करोड़ का और घोषणाएं आपकी 78 हजार करोड़ की। यह आपकी घोषणाएं वैसे ही साबित होंगी, जैसी आपने चुनाव के पहले आपके अपने नेता राहुल गांधी जी के मुख से राजस्थान की चुनाव सभाओं में कहलवायी थी कि हम प्रत्येक किसान का दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ कर देंगे और वह भी एक से दस दिन के भीतर-भीतर। यही हश्र उसका होने वाला है और, माननीय सभापति

(श्री ज्ञानचंद पारख)

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने नाराज किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए यह जो अलग से कृषि बजट का एक झुनझुना पकड़ाया है न, तो किसान को आपके बजट प्रावधान के अनुसार कोई ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। आप किसानों के कितने हितैषी हैं, अगर इसकी आप बानगी देखेंगे, और यह जो सहकारिता विभाग के माध्यम से दो बीमे होते हैं, किसानों के सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना और सहकार दुर्घटना बीमा योजना, माननीय सभापति महोदय, आपको खुद को पता है कि आपकी सरकार के अधिकारियों की लापरवाही से बीमा कम्पनियों से जिस समय एम.ओ.यू. होना था, 6 महीने बीत जाने के बाद भी आप एम.ओ.यू. नहीं कर पाये और उसका खामियाजा किसान को भुगतना पडा। इस अवधि के दौरान चाहे किसान की मृत्यु हुई या दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसको जो प्रीमियम भरने के बाद भी लाभ मिलना था, सरकार की लापरवाही से वह लाभ से वंचित रह गया। यह तो आपका काम करने का तरीका है और आप कह रहे हो कि हम किसानों के लिए बहुत काम करेंगे। आपने कौन सा काम कर दिया? आपने तो वसुन्धरा जी की सरकार की जो योजना थी न 'अपना खेत अपना काम', एक खेत के लिए सवा दो लाख की राशि मिलती थी उसके टांका निर्माण के लिये, आपकी सरकार आने के बाद में इस योजना को बंद कर दिया। किसी किसान को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया। पशुपालकों के लिए भी वसुन्धरा जी ने कैटल फीड योजना प्रारम्भ की थी। अनेकों पशुपालकों को उसका फायदा हुआ था, पर क्या किया आपकी सरकार ने? आते ही इस योजना को बंद कर दिया और, माननीय सभापति महोदय, आपने अगर 78 हजार करोड़ की घोषणा की तो कम से कम एम.एस.पी. में सरकार कितनी खरीद करेगी, थोड़ा उसका भी जिक्र बजट डाक्युमेंट में कर देते न तो शायद आपके लिए किसान मानता कि हां, ये हमारा वास्तविकता में हित करने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो किसान है न, अब 70 साल बाद आपकी बातों में आने वाला नहीं है। यह पहले जो आपने किया, पहले जो आपने घोषणा की, उन सबकी जानकारी रखता है और आने वाले कल में जब मौका मिलेगा तो दिखा भी देगा वह।

श्री सभापति: आप लोग आपस में बात नहीं करें। इससे वक्ता को डिस्टर्ब होता है। प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जब उसको मौका मिलेगा तो वह इस बात

(श्री ज्ञानचंद पारख)

का एहसास भी करा देगा जैसा पहले कराया था 2013 में 21 सीटों तक सिमटा दिया था। इस बार भी आपका उससे बदतर हश्र वह करेगा, यह देख लेना आप। आप कैसा भी बजट पेश कर दो। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो धरातल पर वह काम आप करवा नहीं पाओगे और आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अच्छी घोषणाएं नहीं कीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी घोषणाएं भी की हैं, चाहे चिरंजीवी योजना का प्रावधान बढ़ाया हो या दुर्घटना बीमा चालू किया हो, काफी सारी अच्छी घोषणाएं भी हैं। हम चाहते भी हैं कि इन घोषणाओं का लाभ जनता को मिले, लेकिन आपके जो वित्तीय संसाधन हैं, उनको देखते हुए लगता है कि उन घोषणाओं का लाभ नहीं होगा।

आपने पहले भी जो घोषणाएं की हैं, आपने प्रदेश में नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जारी की राजस्थान में, उद्यमी और निवेशक ने आपकी घोषणा के ऊपर विश्वास करके उस दिशा में योजना बना कर काम भी चालू कर दिया। आपकी घोषणा पूर्व में चल रहे उद्योगों को विस्तार करने पर दस करोड़ रुपये तक के इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट सब्सिडी देने का आपने वादा किया कि जो भी इंडस्ट्री वाला अपनी इंडस्ट्री का एक्सपांशन करना चाहता है, अगर दस करोड़ तक का वह ऋण लेगा तो हम उसको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। प्रदेश के अनेक उद्यमियों ने, अनेक निवेशकों ने घोषणा पर विश्वास करके इस दिशा में काम चालू कर दिया। बैंकों से लोन की सहमति भी ले ली। अपना आवेदन भी कर दिया और बाद में क्या किया, आपके पास पैसा नहीं था न तो आपने वह सीमा दस करोड़ से घटा कर, माननीय पूर्व उद्योग मंत्री जी बैठे हैं यहां पर, बाद में आपने वह सीमा घटा कर दस करोड़ से एक करोड़ कर दी। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि आपने जो पहले घोषणा की और बाद में आपने जो संशोधन किया उस अवधि के बीच में यदि किसी निवेशक ने, यदि किसी उद्यमी ने इस दिशा में काम चालू कर दिया और उद्योग विभाग ने उसका साक्षात्कार भी ले लिया, उसने मशीनरी का आर्डर भी दे दिया, इस बात के प्रमाण पेश कर दिये तो यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आने वाले कल में मत देना, पर जिसने यह काम प्रारम्भ कर दिया, मेहरबानी करके उसको तो उस योजना का लाभ आप दे दो।

माननीय सभापति महोदय, सोलर ऊर्जा प्लान्ट में भी आपने क्या

(श्री ज्ञानचंद पारख)

किया, आपने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में सोलर प्लान्ट लगाने पर इंटरेस्ट सब्सिडी की घोषणा की। लोगों ने आपकी घोषणा पर विश्वास करके इस दिशा में काम चालू कर दिया और बाद में आपने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो मात्र कम्पोजिट यूनिट जो मशीनरी और मशीनरी के संचालन के जितने सोलर की आवश्यकता है, उतने प्लान्ट पर ही हम इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। जिन लोगों ने आपकी घोषणा पर विश्वास करके सोलर प्लान्ट लगा दिया, आपने उनकी फाइल, जो इंटरेस्ट सब्सिडी का उनका हक बनता था, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। मेरा आग्रह रहेगा मुख्य मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से कि आपकी घोषणा के अनुरूप जिन लोगों ने सोलर प्लान्ट पर खर्चा कर दिया, आप उनके प्रकरण को रीओपन करें और उनको उनकी सब्सिडी दें। माननीय सभापति महोदय, इसमें एक मजाक और किया। उन्होंने वापस नये आदेश जारी कर दिये कि हम सोलर प्लान्ट पर भी इन्टरेस्ट सब्सिडी देंगे, लेकिन तब जब दूसरे जो इंटरेस्ट सब्सिडी वाले प्रकरण हैं सोलर के अलावा उनको जितनी राशि बजट में प्रस्तावित है, उसके अतिरिक्त बच जाती है तो उन पर हम उनको कंसीडर करेंगे। अब आपने उसको मझधार में छोड़ दिया, अधरझूल में। उसको पता ही नहीं कि यह लगाऊंगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने शर्त डाल दी वो कि बचेगी तो देंगे और बचने वाली है नहीं, क्योंकि राशि का प्रावधान आपने बहुत कम किया है।

(समय: 15.00 बजे)

आप कोई भी नीति बनाओ, कोई भी योजना बनाओ तो कम से कम स्पष्ट बनाओ कि सरकार यह योजना बना रही है। यह सरकार वादा कर रही है, सरकार कमिटमेंट कर रही है। सरकार कम से कम स्पष्ट कमिटमेंट करे कि हां हम इतना देंगे ही। माननीय सभापति महोदय, आपने कइयों का कितना घाटा कर दिया, आपको पता ही नहीं। जिसने मशीनरी का आर्डर दिया, एडवांस पैसा भेज दिया, जिसने सोलर प्लांट का खर्चा कर दिया और बाद में उसको सब्सिडी नहीं मिली, आपने फायदा दिया नहीं, उलटा उसका नुकसान कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, यह जो आपके निवेशक हैं, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपके उद्योग मंत्री जी पूरे देश में घूम लिये, बात कर ली निवेशकों से, बात कर ली उद्यमियों से और हमारे बारे में बता रहे हैं कि हम राजस्थान में यह सुविधा देने वाले हैं। आपकी बात पर विश्वास करके अगर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

राजस्थान की धरती पर कोई उद्योग लगा देगा तो जैसा हश्र आपने इन दो प्रकरणों में किया है, कहीं वही हश्र उसका हो न जाये, इस बात को लेकर वह हमेशा भयभीत रहता है, आशंकित रहता है। एम.ओ.यू. आपसे कर लेते हैं, कमिटमेंट आपसे कर देते हैं पर धरातल पर आपकी इंडस्ट्री नहीं आती। माननीय सभापति महोदय, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, जब तक आपकी इंडस्ट्री राजस्थान में नहीं पनपेगी तब तक रोजगार के अवसर जितने आप चाहते हो उतने आपको मिलेंगे नहीं। अगर राजस्थान की आर्थिक स्थिति को बदहाली से निकालकर खुशहाली की ओर बढ़ाना है तो आपको इंडस्ट्री के लिये कई सारे प्रावधान करने पड़ेंगे, उनको छूटें देनी पड़ेंगी, उनको राहत देनी पड़ेगी, उससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी उससे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, वादा खिलाफी के और भी प्रकरण हैं जो मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा। मैंने पहले ही कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी सारे काम किये हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि इस बजट में अच्छी घोषणाएं नहीं हैं। परन्तु उन्होंने जो कमियां रखी हैं, मैं उनकी जानकारी में लाकर उनके माध्यम से दुरुस्त कराने के लिये निवेदन कर रहा हूं कि आपके किये गये वादे के अनुरूप आप उनका काम कर दो। आपने जो वादा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कर दिया आपने, कम से कम उसमें तो उसको राहत मिल जाय, ऐसा आप काम कर दो।

माननीय सभापति महोदय, रिप्स में भी सरकार ने टैक्सटाइल इकाई में ई.टी.पी. लगाने पर अनुदान की राशि देने की घोषणा की। मैं सरकार के कदम का स्वागत करता हूं। सरकार ने राहत दी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अधिकतम राशि बढ़ाकर एक से दो करोड़ की, उसके लिये भी सरकार को धन्यवाद देता हूं, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। परन्तु इसमें बीच में एक शर्त डाल दी, सीमा बढ़ा दी दो करोड़ की, पर कर दिया लागत का 20 परसेंट तक और वह भी मात्र मशीनरी पर। यह बढ़ी हुई सीमा भी किसी को लाभ नहीं देगी, उसको फायदा नहीं देगी, क्योंकि लागत का 20 परसेंट एक करोड़ से ज्यादा होगा नहीं और आपकी जो दो करोड़ की घोषणा है, उस पर आपका कोई व्यय भार बढ़ेगा नहीं। साथ में जो मशीनरी लगाता है, उसके साथ सिविल वर्क भी होता है। आपने क्या किया, कि हम सिर्फ मशीनरी पर पैसा देंगे। मशीनरी के साथ जो सिविल वर्क है, उसको भी आप लागत में

(श्री ज्ञानचंद पारख)

जोड़ो, तब कहीं जाकर वास्तविक लाभ उसको मिलेगा। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि आपने जो यह अधिकतम 20 परसेंट टोटल लागत की सीमा लगा दी है, उसको आप आपके जोधपुर में किये गये कमिटमेंट के अनुसार, यहां तो नहीं किया, पर आपने जोधपुर की उद्यमियों की पब्लिक मीटिंग में किया था, उसके कमिटमेंट के अनुसार इसको आप 50 परसेंट तक करो।

(समय: 15.03 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपकी घोषणाओं के भरोसे, सरकार की घोषणाओं के भरोसे कई लोगों ने ई.टी.पी. लगा दिये। वैसे रिप्स में नियम था कि अपनी औद्योगिक इकाई में जो व्यक्ति ई.टी.पी. लगायेगा, उसको सब्सिडी देय होगी। माननीय सभापति महोदय, कई ऐसी औद्योगिक इकाइयां थीं जहां ई.टी.पी. लगाने के लिये खाली जमीन नहीं थी तो उन्होंने आस-पास के खाली भूखण्ड को अधिक राशि देकर भी ई.टी.पी. के लिये क्रय किया और बाद में रीको से परमिशन ली। पोल्यूशन बोर्ड से कन्सेंट टू एस्टेब्लिश लिया, कन्सेंट टू आपरेट लिया। अपनी इकाई से जहां-जहां ई.टी.पी. लगी है, वहां तक पानी पहुंचाने के लिये रीको के निर्देशानुसार पाइप भी लगाये, रोड कटिंग का पैसा भी उन्होंने भरा। प्लांट लग गया, प्लांट चालू हो गया और प्लांट पूरे मानकों के अनुरूप चलकर प्रदूषण की समस्या को, पानी की समस्या को मिटा भी रहे हैं, पर आपने यह कहकर उनकी सब्सिडी रोक दी कि आपने इकाई में यह प्लांट नहीं लगाया, इसलिए हम आपको सब्सिडी नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, कई बार एक ही मालिक की अलग-अलग भूखण्डों पर अलग-अलग औद्योगिक इकाई होती है। मालिक एक ही होता है, एक ही परिवार की होती है और ऐसे में उन्होंने अपनी 3-4 जितनी भी इकाइयां थीं, उनका जितना पोल्यूटेड पानी का डिस्चार्ज था, उसकी गणना करके एक बड़ा ई.टी.पी. लगा दिया। शुरू में आपने परमिशन दे दी कि एक लगा दो, सारी व्यवस्था उसने कर दी और बाद में आपने यह कहकर उसकी सब्सिडी रोक दी कि यह तो 3-4 इकाइयों का एक संयुक्त प्लांट है, यह ई.टी.पी. नहीं, एस.टी.पी. है, जबकि एक ही मालिक की है। चूंकि पहले वहां छोटे-छोटे भूखण्ड मिले हैं और उसने अपनी इंडस्ट्री का एक्सपांशन कर लिया, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पर मालिक एक ही है, प्रोसेस एक ही है, आपने उसकी भी सब्सिडी रोक दी। माननीय सभापति महोदय, कोई पिता और पुत्र मालिक और

(श्री ज्ञानचंद पारख)

किरायेदार हैं, उनका अपना बुक्स में एडजस्टमेंट है, उसने भी कोई इसी प्रकार का प्रकरण कर लिया तो उसकी सब्सिडी भी आपने रोक दी। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा कि जब एक ही मालिक की सारी यूनिट्स हैं और आपके सरकारी विभाग से बाकायदा उसने अनुमति ली है और आप खुद चाहते हो कि राजस्थान में टैक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा मिले और यह बढ़ावा तभी मिलेगा जब प्रदूषण और पानी की समस्या का समाधान होगा और इस ई.टी.पी. के माध्यम से प्रदूषण और पानी, दोनों समस्याओं का समाधान हो रहा है तो जिन लोगों ने आगे बढ़कर ई.टी.पी. लगाने की पहल की है, उन सारी इकाइयों को आप मेहरबानी करके आपकी घोषणा के अनुसार ई.टी.पी. की सब्सिडी जारी करें, माननीय सभापति महोदय, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने बजट देखा होगा, इस बजट में भी इंडस्ट्री और माइनिंग के लिये जो प्रावधान किया गया है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। योजना उदयन में आपने 1,59,655 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है। इसमें आपने इंडस्ट्री और माइनिंग को मात्र 2,093.59 करोड़ दिये हैं। यानी उदव्यय का 1.23 परसेंट। आप पूरे हिन्दुस्तान में घूम रहे हो कि राजस्थान में आकर निवेश करो, हम आपको सुविधा देंगे, तरह-तरह की बातें करते हो और आपने प्रावधान मात्र 1.23 परसेंट किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा आग्रह रहेगा, अगर वास्तव में आपके मन में है कि राजस्थान उद्योग में प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़े तो यह प्रावधान आप बढ़ाओ और जो-जो आपने पहले कमिटमेंट किये हैं, जो आपने वादे किये हैं, जो आपने नीति बनाई है, उस नीति के अनुरूप उस समय के दौरान जिस व्यक्ति ने कार्यवाही चालू कर दी, उन सबको आप लाभ दो।

माननीय सभापति महोदय, बजट बहुत अच्छा है, यह कहने में कोई शक नहीं है, परन्तु उन्होंने कई चीजें छोड़ दीं। पढ़ने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, परन्तु कई चीजें उन्होंने छोड़ी हैं। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो खाद्य सुरक्षा का जिक्र कर रहे थे कि इस सिस्टम को लॉक कर दिया। यह कोई केन्द्र सरकार लॉक नहीं करती, आपका जो पोर्टल लॉक हुआ है, वह आपका राजस्थान का जो मुख्यालय है, वहां से लॉक हुआ है। आपने जिस प्रकार नरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर बाकी के 25 दिन राज्य सरकार के बजट मद से राशि देने का प्रावधान कर 125 दिन का रोजगार देने की बात कही है, ऐसे व्यक्ति जो केन्द्र सरकार की निर्धारित सीमा

(श्री ज्ञानचंद पारख)

के बाहर, लेकिन वह पात्रता रखते हैं, चाहे वह विधवा है, चाहे विकलांग है, चाहे वह पेंशनधारी है, आपका जो मापदंड बना हुआ है, उसकी पात्रता में आते हैं। राज्य सरकार को जब अपने बजट से भी कुछ राशि देकर उन पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना है तो लाभ देने के लिए पहल करनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी से भी मेरा इस बात के लिए आग्रह रहेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, यह जो श्रमिक कार्ड योजना है। आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया, सब वर्गों के लिए कर दिया। इन तीन सालों में श्रमिक कार्ड योजना का हश्र जो आपकी सरकार ने किया है, उसके लिए लेबर आपसे पूछेगी, कार्डधारी आपसे पूछेगा कि जब वसुन्धरा जी थीं तो बेटी की शादी होती थी तो 55 हजार रुपये मिलते थे। किसी कार्डधारी की मृत्यु हो जाती थी तो 2 लाख रुपये मिलते थे। बच्चे पढ़ते थे तो पढ़ाई का पैसा मिलता था, पर आपकी सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिये। इस योजना में आपने तीन सालों में कितनी बेटियों को शादी का पैसा दे दिया, थोड़ा यह आंकड़ा भी सदन की जानकारी में ले आना तो आपको पता लग जायेगा कि बेटियों के प्रति भी आपकी हमदर्दी नहीं रही। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है कि आपकी सरकार आने के बाद, जिस बेटी को पहले 55 हजार रुपये की राशि शादी के लिए दे दी, उससे वापस राशि वसूलने का नोटिस जारी कर दिया कि आपको गलत राशि दे दी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परम्पराएं हैं कि हम बेटी के घर का पानी नहीं पीते, पर आपने 55 हजार रुपये की वसूली के लिए कुर्की के आदेश तक जारी करवा दिये। जिन बेटियों को पहले पैसा दिया, हो सकता है कि अधिकारियों ने जांच में कहीं कोई कमी या त्रुटि रख दी, उसके खाते में पैसा चला गया, उसकी शादी हो गयी, तो मेहरबानी करके उससे 55 हजार रुपये वापस वसूल न करें, उसके पास रहने दें। यह मुख्य मंत्री जी की ओर से बहुत बड़ा योगदान होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पहले ही बजट में कन्यादान योजना की घोषणा की थी। उनका यह चौथा बजट है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट की बात है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मैंने पहले भी जिक्र किया है। माल पुराना है, बस पैकिंग नयी है। पहले भी इस योजना का लाभ मिलता था। आपने कोई नया काम नहीं किया है। आपको अलग से, जो पहले मिलता है, उसके बाद मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, उस राशि को जोड़कर आप राशि देंगे तो वाकई में आपकी कन्यादान योजना का लाभ बेटियों को मिलेगा, वरना इसका लाभ तो मिल नहीं रहा है।

अंत में, एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता ही है कि कोरोना ने पता नहीं कितनों के जीवन को हमसे छीन लिया। सरकार का भी यह मानना है कि जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके परिवार को कोई न कोई सहायता राशि मिलनी चाहिए, पर आपकी शर्तें इसमें भी आड़े आ रही हैं। भर्ती के समय और मौत के दौरान यदि किसी की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव है, ऐसे मृतकों के लिए ही यह सहायता राशि देय है, पर ऐसे व्यक्तियों को यह सहायता राशि देय नहीं है, जिनकी कि RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव हो या पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव आ गयी हो, पर वे कोरोना प्रोटोकोल के तहत इलाज करवा रहे थे, कोरोना वार्ड में भर्ती थे, जिनकी HRCT के लिए आई.सी.एम.आर. ने मापदण्ड तय किया कि 06 से ज्यादा का स्कोर होगा, अगर RT-PCR नेगेटिव भी आती है तो उसको कोरोना माना जायेगा, इसलिए उसको कोरोना माना जाये। ऐसे केस, जिनमें आक्सीजन की कमी थी और आपके डाक्टर से इलाज कराते हुए मौत हो गयी। पता है कि यह कोरोना वार्ड में कोरोना से लड़ता हुआ मरा है तो ऐसे परिवारों को भी चिह्नित करके उनको भी सहायता राशि दिलवा दें, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। आपने मुझे बोलने के मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, कल लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने बजट प्रस्तुत किया। यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जितना मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक, सभी 36 कौमों को साथ में लेकर, सभी वर्गों के हित को देखते हुए शानदार बजट दिया है, इसकी राजस्थान में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। कल आपने टेलीफोन में, वीडियो में, टेलीविजन में देखा होगा कि कल पटाखे छूटे, खुशियां मनाई गयीं और मिठाइयां बांटी गयीं और बी.जे.पी. वालों के आप चेहरे देख लें कि कल के बजट के बाद आज इनके पास बोलने के लिए क्या रहा है? क्या बजट के बारे में कुछ बोल पा रहे हैं?

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब गत बजट प्रस्तुत किया, आपने पूरे राजस्थान और देश की परिस्थिति देखी होगी, कोविड से जूझ रहे थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी और उद्योग, इंडस्ट्रीज, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार और सारे ही व्यापार ठप थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद जब बजट प्रस्तुत किया गया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने गत वर्ष का भी बजट प्रस्तुत किया तो इतना शानदार बजट पेश किया कि प्रतिपक्ष वालों का एक ही कहना रहा कि चुनावी बजट है, कुछ नहीं होगा, ये तो थोथी घोषणाएं हैं। सभापति महोदय, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि गत बजट के अन्दर जो घोषणाएं की थीं, आज 75 से 80 प्रतिशत वे घोषणाएं जमीन पर उतरीं और काम हो रहे हैं व लोग सन्तुष्ट और खुश हैं।

कल जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया, किसानों के लिए अलग प्रस्तुत किया। चाहे मजदूर हो, एस.सी. या एस.टी. हो, माइनोरिटीज हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, संविदा कर्मचारी हो, युवा हो, महिला हो, सभी वर्गों के लिए इस बजट के अन्दर जो घोषणाएं हुईं एवं जो कार्य स्वीकृत किये गये, वह अपने आप में एक मिसाल कायम की है। ऐसा ऐतिहासिक बजट आज दिन तक कभी प्रस्तुत नहीं हुआ। इसकी चारों ओर प्रशंसा की जा रही है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है कि उन्होंने इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया है।

माननीय सभापति महोदय, कोविड के अन्दर शानदार व्यवस्था की गयी। जिस तरह से पूरे भारत के अन्दर राजस्थान मिसाल बना, सारे हालात और स्थितियों को देखते हुए भी और केन्द्र में बीजे.पी. की सरकार होने से राजस्थान के बजट में कटौती करना और हर तरह से राजस्थान की सरकार को कमजोर करने के प्रयास करने के बावजूद भी राजस्थान में सरकार के मुखिया ने बजट में जो घोषणाएं की हैं, अभी मेरे से पूर्व प्रतिपक्ष के उप नेता भी बोले। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इतना तो माना कि बजट तो अच्छा है, कमियां निकालने वाली बातें जरूर हैं, पर वे अपने मुंह से इतना तो बोले कि बजट तो ठीक प्रस्तुत किया।

यह जो बजट जिस तरह से पेश किया गया है, इसमें हर विभाग की बात करें, चाहे इन्दिरा गांधी स्वरोजगार गारंटी योजना की बातें करें, शहर के अन्दर जो गरीब बैठे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था, उनके लिए सौ दिन के रोजगार की घोषणा करना, मनरेगा में 100 से 125 दिन अपने खर्च

(श्री मेवाराम जैन)

पर करने की घोषणा करना, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया है। चाहे चिरंजीवी योजना की बात हो, मुख्य मंत्री जी ने पांच लाख से बढ़ाकर उसको दस लाख किया और उसमें जो बड़ी-बड़ी बीमारियां थीं, जिनका इलाज पांच लाख में नहीं हो पा रहा था, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इसके साथ ही एक्सीडेंट बीमे की भी घोषणा की है, यह स्वागत योग्य है। दर्द किसको है? जिसको पता है कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मुखिया फ्री इलाज करा रहा है, उनके मन में कितनी खुशी है, वे ही जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चिकित्सा में माननीय मुख्य मंत्री जी की निःशुल्क दवा हो। किस तरह से निरोगी राजस्थान में कितने लोगों को लाभ मिला, चाहे स्वास्थ्य बीमा में लाभ मिला हो, 7 लाख 41 हजार 930 करोड़ रुपये के इलाज की सुविधा प्रदान की गयी है।

राज्य के सभी श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर-इनडोर की सुविधाएं निःशुल्क करने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट के अंदर घोषणा की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1 हजार 224 करोड़ से अधिक लागत से 3 हजार 674 बैड के 15 नवीन हास्पिटल्स के निर्माण की घोषणा, 18 जिलों में नर्सिंग कालेजों की घोषणा और मेडिकल कालेज में चाहे न्यूरोलोजी हो, यूरोलोजी हो, कार्डियोलोजी हो, गेस्ट्रोलोजी हो या सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू करने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इसमें हमारा बाड़मेर भी शामिल किया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, 1000 नये स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की। 50 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की कि गांवों के अंदर लोगों को किस तरह से अच्छी चिकित्सा सेवा मिले और 50 नवीन स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी बात की। मेरे बाड़मेर विधान सभा में भाडखा को पी.एच.सी. से सी.एच.सी. की। अन्य जिलों में सी.एच.सी. क्रमोन्नत करना, नई सी.एच.सी. स्वीकृत करना, उप जिला अस्पताल को क्रमोन्नत करना, ये जो इस तरह से चिकित्सा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं और राजस्थान के चिकित्सा ढांचे को जिस तरह से आम आदमी का कैसे शानदार इलाज हो, फ्री इलाज हो, जो ये घोषणाएं की हैं, स्वागत योग्य हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में शिक्षा के लिए जो नवाचार किया है, जिस तरह से नामांकन 20 परसेंट बढ़ा, उसको देखते हुए और इन तीन सालों में प्रदेश के अंदर जिस तरह से शिक्षा में नवाचार लाए, एक साथ 3,820 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना, एक बहुत ही बड़ा निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000-1,000 नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुलेंगी। गांवों में जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ रहा था और वे गरीब जा नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, उन गांवों के अंदर ये स्कूल खुलेंगी तो उनको शिक्षा में कितनी खुशी होगी और वे आगे बढ़ेंगे। वे माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहे हैं।

इसके साथ-साथ 200 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, वहां खोलने की घोषणा बहुत ही स्वागत योग्य है। 200 करोड़ की लागत से 3,800 कक्षा कक्ष, पुस्तकालय आदि की घोषणा की। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालयों की घोषणा करना, 25 कन्या महाविद्यालयों के नये विषय, इस तरह से शिक्षा के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं कीं। प्रत्येक जिले के अंदर 50-50 लाख के सावित्री बाई फूले वाचनालय की घोषणा करना, प्रदेश में युवाओं को दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से 500 युवक-युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल बनाने की घोषणा करना, अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। युवाओं को पढ़ने के लिए और कोचिंग के लिए दिल्ली में कितने महंगे मकानों में रहना पड़ता था। वे शिक्षा से वंचित रहते थे। उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत शानदार घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, रीट के अंदर आपने देखा होगा कितना आन्दोलन चला। नकल के बारे में बात कर रहे हैं। इनके समय में कितनी भर्तियां निरस्त हुईं? उसके बावजूद इनको पूछो कि आपने कभी उनकी जांच कराई? ठंडे बस्ते में रही और कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको एस.ओ.जी. को देकर कितनी ठोस कार्यवाही की और उस रीट की भर्ती को निरस्त कर और डबल, 32 की जगह 62 हजार की भर्ती रीट की

(श्री मेवाराम जैन)

निकालकर युवाओं के लिए जो कार्य किया, वह स्वागत योग्य है। इनको आज जो तख्तियां थी, वह बंद करके रखनी पड़ीं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार कल, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी 2004 के अंदर जो पेंशन बन्द की थी, उस पेंशन के लिए वे कितना आन्दोलन कर रहे थे और कल जब यह घोषणा हुई तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये घोषणा कोई कर सकता है? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर पहला उदाहरण पेश किया कि उस पेंशन योजना को लागू किया, जिससे आज लाखों कर्मचारी जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसा मुख्य मंत्री, ऐसा निर्णय हमने ही नहीं सोचा था। जिस तरह का शानदार पूरे राजस्थान में माहौल बना है, अब ये तो रीट को भूल ही गए कि रीट को तो अब छोड़ो, आगे की सोचो कि हालत क्या होगी? कैसा शानदार बजट जो प्रस्तुत किया है, अब हमारे पास बोलने के लिए क्या है? 2022 के अंदर जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है, ये मुंह देखते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे कि जादूगर ने किस तरह से जादूगरी की है।

माननीय सभापति महोदय, कह रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे? आपको क्या तकलीफ है? जिनको काम कराना है, तकलीफ तो उनको है, अपने आप व्यवस्था करेंगे। आप चिन्ता मत कीजिए, कोई पैसे की कमी नहीं आएगी, न दूसरी आएगी। जो घोषणाएं की हैं, वे घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी। आप देखेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, चाहे विद्युत की बात करें, जिस तरह से 50 यूनिट तक की बिजली को नि:शुल्क करना, 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान, 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये का अनुदान देना, इसमें 4 हजार 500 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। इस तरह से किसानों को जो छूट दी है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे नवीन 132 के.वी. के जी.एस.एस. हों, 33 के.वी. के जी.एस.एस. हों, छबड़ा तापीय विद्युतगृह का विस्तार कर अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक आधारित दो इकाइयां स्थापित करने की बात हो, चाहे बिजली के तंत्र को मजबूत करने की बात हो, और तो और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो कृषि कनेक्शन थे, 2012 से लगाकर कल तक जिन्होंने आवेदन किया है, उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि दो साल के अंदर सारे के सारे कनेक्शन, कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे।

(श्री मेवाराम जैन)

किसानों को कितनी बड़ी राहत दी है, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए, जिस तरह से प्रदेश में पेयजल के लिए 60 हजार 600 करोड़ की पेयजल योजना स्वीकृत हुई, जिसमें 86 लाख 21 हजार घरों को नल कनेक्शन मिलेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर 25 सांसद बी.जे.पी. के हैं। हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान के जोधपुर से हैं। इसके बावजूद जो पहले 90 परसेंट सब्सिडी पानी के अन्दर इन योजनाओं के अन्दर देते थे, उसको इन्होंने काटकर 50 परसेंट किया है। करोड़ों रुपये का भार राजस्थान सरकार पर डाला है। अब पूछिए आप 25 एम.पी., आपको राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता ने चुन कर भेजा है, आपने क्या किया? राजस्थान की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज पानी से ज्यादा अमूल्य कोई चीज नहीं हो सकती। आपने उसमें कुछ नहीं किया। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 50 परसेंट देने के बाद भी वह इस परियोजना को आगे आकर धरातल पर ला रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, 13 हजार 921 करोड़ की 24 परियोजनाएं स्वीकृत कीं। बाड़मेर में हमारे लिफ्ट कैनाल द्वितीय चरण पार्ट-ब में 155 करोड़ शामिल हैं। जल जीवन मिशन के तहत 10 हजार करोड़ से अधिक लागत की 36 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्य, जिसमें 5 हजार 500 गांवों में 20 हजार घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। बाड़मेर द्वितीय चरण पार्ट-स में 497 करोड़ रुपये और 41 लाख की योजना के लिये राशि स्वीकृत की है, इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी को, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के अंदर, एस.सी., एस.टी. विकास कोष की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ करना; सामान्य श्रेणी के ई.डब्ल्यू.एस. परिवार को, आर्थिक उन्नति के लिये 100 करोड़ रुपये का, ई.डब्ल्यू.एस. कोष बनाने की घोषणा करना; इंदिरा रसोई योजना की संख्या बढ़ाते हुए, 358 से बढ़ाकर 1000 करना; मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, पूर्व में 2 हजार स्कूटियों की संख्या को बढ़ाते हुए 5 हजार करना; दिव्यांगों के लिये बाबा आम्टे विश्वविद्यालय, जामडोली, जयपुर में स्थापित करने की घोषणा करना; प्रदेश के मिरासी, ढाढी, मांगणियार आदि के आर्थिक उत्थान के लिये 20 करोड़ का प्रावधान करना; पालनहार योजना में 6 वर्ष तक आयु के

(श्री मेवाराम जैन)

बच्चों को 500 से 1 हजार, 500 व 6-18 के लिये 1 हजार से 2 हजार 500 रुपये की वृद्धि करना, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता है कि किस तरह से सामाजिक सुरक्षा में, असहाय, एस.सी., एस.टी. हो या सामान्य वर्ग हो, जिस तरह से ये घोषणाएं की हैं, मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात करें, इसमें, विपक्ष जिस तरह से बार-बार बात कर रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिये कोई कसर नहीं छोडी। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिये, 108 की तर्ज पर अभय कमाण्ड सेंटर, डायल से जोड़ते हुए 500 मोबाइल यूनिट गठन की घोषणा करना; प्रदेश में सभी ज़िलों में, साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हर जिले पर पुलिस चौकी, पुलिस थाने, पुलिस अधीक्षक के नये कार्यालय खोलना; प्रदेश में किस तरह तीव्र गति से न्याय मिले, उसके लिये न्यायालय खोलना; कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, बहुत ही स्वागत योग्य हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सड़क की बात करें, प्रत्येक ज़िले की तीन महत्वपूर्ण सड़कों को इसमें लिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। नगरीय निकायों में भी, 40 किलोमीटर नगर निगम में और 25 किलोमीटर नगर परिषद् में, 15 किलोमीटर नगरपालिकाओं में घोषणा की है, बहुत ही स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में स्मार्ट सिटी योजना हेतु, 1,500 करोड़ का प्रावधान। जयपुर मैट्रो का विस्तार, प्रदेश में विभिन्न शहरों में सुनियोजित विकास, सौन्दर्यीकरण हेतु 525 करोड़। केन्द्र सरकार ने सिर्फ चार सिटी ली थीं, परन्तु राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 6 और लेकर 10 सिटी को स्मार्ट सिटी में जोड़ा है, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, चाहे सिंचाई की बात करें, उसके अन्दर भी, जिस तरह से ये घोषणाएं हुई हैं, बहुत ही स्वागत योग्य है। सरकार ने कल्याणकारी योजना में, घर बैठे पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों को, महिलाओं को, इंटरनेट

(श्री मेवाराम जैन)

सुविधा के साथ स्मार्ट फोन दिये जायेंगे। इस हेतु 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे सामने राठौड़ साहब, आप पहले कह रहे थे कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये रेवड़ियां नहीं बांट रहे, ये इलेक्शन में आपका इलाज कर देंगी। महिलाओं को फोन पहुंचे नहीं, आपने पहले भी यह प्रयास किया था, वह प्रभावी नहीं रहा।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक इकाइयों, नवीन भवनों, नये उप तहसील खोलना आदि ये घोषणाएं हुई हैं। मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने का प्रावधान; स्वायत्तशासी विश्वविद्यालयों के कार्मिकों को सातवें वेतन का लाभ नहीं मिल रहा था, उनको वेतन देने की घोषणा; संविदा कर्मचारियों के लिये 20 प्रतिशत वृद्धि करना; मुख्य मंत्री जी ने यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास की बात मेरे से पूर्व में कर रहे थे। बाड़मेर में रिफाइनरी की बात कर रहे थे। बाडमेर में रिफाइनरी का काम तीव्र गति से चल रहा है। अभी पेट्रो कैमिकल हब्स के लिये भी घोषणा की है। इसके अन्दर एक लाख से ऊपर लेबर लगेगी, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

कृषि का बजट, शानदार बजट, जिसमें 11 तरह की, किस तरह से कृषि में राहत दी है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहला ऐतिहासिक कृषि बजट दिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहता हुआ, इस शानदार बजट के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे सोलर पम्प की बात हो..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पांच मिनट।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं, अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): पांच मिनट। डेयरी एवं पशुपालन की बात करें, चाहे...

श्री सभापति: प्लीज, नो-नो। एक मिनट में समाप्त करें । प्लीज, सहयोग करें ।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, गायों की बात कर रहे हैं। वोट के लिये हमेशा गौ-माता की जय और गौ-माता के नाम से ही वोट ले रहे थे। इनको पूछिये, आपने क्या किया? माननीय मुख्य मंत्री जी ने खाली वोटों की राजनीति नहीं की। बेसहारा, जिनका कोई मालिक नहीं है, उन गायों के लिये नंदीशाला, गोशाला खोलने की घोषणा की। अनुदान, 16 से छोटे बछड़े को 20 रुपये किया; बड़ी गाय को 32 से बढ़ाकर 40 रुपये किया। अभी पंचायत समिति मुख्यालय पर नंदीशाला के लिये 1 करोड़ 57 लाख रुपये तथा उसको 9 महीने की सब्सिडी देने की घोषणा की। अभी इस बजट में, पंचायत स्तर पर, नंदीशाला, गोशाला खोलने के लिये एक करोड़ रुपये देने की घोषणा, उसमें अनुदान देने की घोषणा, एक सराहनीय कदम है। मैं पक्ष और विपक्ष, दोनों से ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से रोड़ पर घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, गांवों में घूम रहे हैं, आप मेहरबानी करके, इसमें राजनीति नहीं करके, आप गो सेवा में लगें। आप नंदीशालाएं खोलें, गोशालाएं खोलें। राजस्थान सरकार हर तरह से आपके साथ है। इसमें पैसों की कोई कमी नहीं आने देगी।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप पशुधन को बचाने के लिये प्रयास करें।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अन्त में, माननीय मुख्य मंत्री जी को, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ऐतिहासिक व शानदार बजट दिया है। आने वाले समय में, इनके पास बोलने के लिये, आने वाला 2023 बताएगा कि यह बजट किस तरह से शानदार है। यह जादूगर की जादूगरी चलेगी। 2023 में वापस कांग्रेस की सरकार आयेगी। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आसन की तरफ से जब निर्देश हों कि आप विराजें, तो आप विराज जायें। कारण क्या है कि अभी काफी वक्ता बोलने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय का सीधा निर्देश है कि सात बजे तक हाउस चलेगा। आप सहयोग नहीं करेंगे, तो यह सम्भव नहीं होगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से, जो वक्ता हैं, उनसे विशेष आग्रह है। उनके सचेतक और इधर माननीय राठौड़ साहब से, इनसे बात हो गई। इन्होंने आपका समय कम किया है। कृपया सहयोग करें। निर्देश हो, तब आप विराजें। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। मैं बजट 2022-23 पर बोलने से पहले, आपको कुछ बताना चाहती हूं।

मुझे सौभाग्य मिला, अजमेर की जनता ने, बार-बार इस सदन में चुनकर भेजा। इसलिये, पिछले 20 वर्षों का बजट मैंने देखा है। जब मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी दिसम्बर, 2008 में दूसरी बार मुख्य मंत्री बने, उनका वर्ष 2009-10 का बजट मेरे पास है। जिसमें उन्होंने घोषणाएं कीं, जो आज तक पूरी नहीं हुई। इसके साथ ही, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2009-10 के बाद 2010-11 का बजट मेरे पास है, जिसकी घोषणाओं का उल्लेख भी, मैं अभी सदन में करूंगी कि कौन-कौनसी घोषणाएं अभी तक भी लम्बित हैं। इसके बाद, 2011-12 का बजट है, फिर 2012-13 का बजट, उसके बाद 2013-14 का बजट। 2008 से 2013 के बीच, जब मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के ये 5 बजट मेरे पास हैं। इस कार्यकाल का यह चौथा बजट भी मेरे पास है, तीन बजट पहले के तीन सालों के और यह चौथा बजट।

माननीय सभापति महोदय, राज्य की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है और कैसे आकड़ों को हेरफेर करके आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो सरकार यह कहती है कि यह हमारी महत्वाकांक्षी योजना है। जब पहली बार वर्ष 1998 से 2003 के बीच अशोकजी मुख्य मंत्री थे, तब मुझे यह सौभाग्य नहीं था कि मैं विधान सभा में चुन कर आऊं, परंतु मैं नगर परिषद् की सभापति थी, इसलिए विधान सभा में क्या सवाल लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, इसकी जानकारी उस समय से मुझे थी, पर जब 2003 में मैं पहली बार विधायक बनी और उसके बाद में 2009 में अशोकजी मुख्य मंत्री बने, हमारी सरकार चेंज हो गयी, तब मैंने बजट का तुलनात्मक अध्ययन किया तो मुझे यह लगा कि यह क्या चीज है? मतलब, असत्य भी बोल रहे हैं, और इतना साफ असत्य बोल रहे हैं, और पूरा हर वर्ष मीडिया के माध्यम से जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, तब बहुत अच्छे-अच्छे से यह सपना, यह होगा, यह होगा, वह होगा, ऐसे होगा, यूं परिवर्तित हो जायेगा, लेकिन एक वर्ष बाद जब हम देखते हैं उस बजट को कि उस बजट में से कौन-कौनसी घोषणाएं पूरी हुई हैं तो उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि स्वयं मुख्य मंत्रीजी एक बात को पिछले दस-पन्द्रह सालों से कहते आये हैं, लेकिन वह पूरी क्यों नहीं हो रही, यह समझ में नहीं आ रहा है। जो अधिकारी उनसे बजट बनवाकर बुलवाते हैं मंच से, तो वे पूछते नहीं हैं क्या उन अधिकारियों से कि मैंने वर्ष 2009-10 में यह बात कही थी, अब 2009-10 के बाद में आप 2022 के बजट में भी यही बात कहलवाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? परंतु वे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता की याद्दाश्त बहुत ज्यादा लम्बी दूरी पर नहीं जाती है, वह शॉर्ट टर्म की ही होती है, इसलिए लोग तो भूल गये होंगे। जब लोग भूल गये होंगे तो हम तो नयी चीज वापस नये सिरे से उसमें रख देते हैं। क्या लाभ मिलेगा उससे? हमारी वाहवाही हो जायेगी। यदि यह वाहवाही होती और जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, जैसा धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जी.एस.टी. के कारण से हमको यह पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारी यह स्थिति है तो यह वर्ष 2009-10 के समय तो जी.एस.टी. लागू नहीं था। 2009-10 के समय जब जी.एस.टी. लागू नहीं था तो आपका घाटा, आपका रेवेन्यू लोसेज क्यों हो रहा था और आप बोरोइंग क्यों कर रहे थे? आप पैसा ब्याज पर क्यों ले रहे थे? उस समय यह जी.एस.टी. लागू नहीं था, उस समय तो आपकी गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंहजी की सरकार थी और मनमोहन सिंहजी की केन्द्र में सरकार थी, फिर भी बजट भाषण के कई पैराज में आपको यह देखने को मिल जायेगा, जिसमें वे यह कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है और इस महंगाई को कम करने के लिए, अभी यहां पर दूदू से आने वाले माननीय सदस्य बाबूलालजी नागर नहीं हैं, जो खाद्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसी सदन में यह बात कही थी कि हम फोर्टिफाइड आटा लोगों को देंगे, एक रुपये किलो में आटा देंगे। हम खाद्य सुरक्षा के लिए, राशनिंग के लिए, कालाबाजारी नहीं हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए कालाबाजारी को रोकना बहुत जरूरी है तो ऐसी स्थिति में उस कालाबाजारी को रोकने के लिए हम सरकारी कर्मचारियों को राशन की दुकानों पर बैठायेंगे, ताकि राशन की दुकानों से ठीक प्रकार से वितरण हो सके और वह ब्लैकमेलिंग न हो।

वर्ष 2009-10 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही है। फिर 2009 के बाद में जब 2013 में वसुन्धराजी वापस मुख्य मंत्री बनीं तो वे इस राशनिंग में कालाबाजारी को खतम करने के लिए बायोमैट्रिक

(श्रीमती अनिता भदेल)

सिस्टम लेकर आये और बायोमैट्रिक सिस्टम से उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था की कि इस कालाबाजारी को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन आपने वह व्यवस्था नहीं की और उस समय मनमोहन सिंहजी की सरकार थी, तो मेरा यह बहुत बड़ा प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि जब वे बार-बार केन्द्र की बात कहते हैं तो अपनी रिप्लाई में यह कहें कि पिछले दो कार्यकालों में जब उनकी ही सरकार थी, तब इस स्टेट का जो बजट है, जो रेवेन्यू है, वह घाटे का बजट कैसे साबित हुआ? वह घाटे का बजट क्यों साबित हुआ? तब तो आपकी ही सरकार थी तो फिर घाटे का बजट नहीं होना चाहिए था। जब तो जी.एस.टी. लागू नहीं था। तब तो वैट की व्यवस्था थी, तब घाटे का बजट क्यों हुआ और इतने लोसेज क्यों हुए?

मैं अब एक-एक करके आपको उदाहरण के सहित, एक बजट स्पीच के पैरा नम्बर पर क्या बात लिखी है वर्ष 2009-10 में, 2010-11 में और 2022-23 में उसी बजट स्पीच को किस तरह से घुमाकर कहा गया है, यह मैं उदाहरण के रूप में आपको बताती हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण है, आप ध्यान से सुनें और मैं मुख्य मंत्रीजी से भी पूछना चाहती हूं। बजट घोषणा वर्ष 2010-11, यह वर्ष 2010-11 का बजट मेरे पास है। इसके पेज नम्बर 57 पर, मैं पैरा नम्बर 57 खोलती हूं मतलब, कितना बड़ा फ्रॉड है लोगों से? हद हो गयी आपकी तो। आप सोचते हो कि कोई देखेगा ही नहीं इन चीजों को तो पता ही नहीं पड़ेगा। देखिये, मैं इसी से पढ़ती हूं। हालांकि, मैंने इसमें भी लिखा हुआ है पर मैं इसी में से पढ़कर आपको यह बताती हूं।

चित्तौड़गढ़ जिले में, यह चित्तौड़गढ़ जिले की ही बात है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित राजकीय सांवलिया अस्पताल में जन सहभागिता योजना के माध्यम से जनरल नर्सिंग कालेज की स्थापना प्रस्तावित करता हूं। यह वर्ष 2010-11 का मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का बजट था। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी क्या कह रहे हैं वर्ष 2022-23 में आप देखिये, यह वर्ष 2010-11 में इन्होंने कहा, फिर 2021-22 में भी इन्होंने यह बात रिपीट की। 2021-22, कितने साल बाद में? 2021-22 के बिन्दु संख्या 11, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसमें करीब-करीब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में आठ जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं। शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं और उसमें भी चित्तौड़गढ़ शामिल है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अब वर्ष 2022-23, यह 2022-23 का बजट है, यह रहा। इस 2022-23 के बजट के बिन्दु संख्या 11, यह फ्रंट पर ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है पेज, यह रहा। मैं पढ़ती हूं इस पैराग्राफ को। आप भी सुनें। गत बजट में, यानी कि 2021-22 के बजट में जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। वर्तमान में आठ जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं तथा सात जिलों- बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर में इनकी स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों- बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़; फिर चित्तौड़गढ़ आ गया।

माननीय सभापति महोदय, यह एक घोषणा नहीं है, बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं। मैं अब आपको शुद्ध के विरुद्ध युद्ध वाली घोषणाएं बताती हूं। घोषणावीर की घोषणा है। शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, कैसे युद्ध होगा शुद्ध के विरुद्ध बताइये? यह देखिये। बजट भाषण में शुद्ध के विरुद्ध युद्ध की बात कहते हैं और क्या कहते हैं? 2010 में माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि मिलावटियों पर कार्यवाही करने और रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल बनाया जायेगा। 2010 में फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल हो गया। 2010 के बाद में यह अथोरिटी हो गया, फिर डाइरेक्ट्रेट हो गया और अभी इन्होंने क्या बात कही है वर्ष 2021-22 के बजट में कि हम फूड सेफ्टी के लिए, जो लोग मिलावटखोरी करते हैं, उन मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलेंगे।

अब मुझे, इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, वे यह बता दें कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे ही, 2010 में जैसे घोषणा की है कि हम अथोरिटी बनायेंगे तो अथोरिटी के जैसे ही यह बीस साल और लगायेंगे इस शुद्ध के विरुद्ध युद्ध में और हो क्या रहा है? सिर्फ राजस्थान में आठ जिलों में ही लैब संचालित हैं। धन के लिए युद्ध है, सही बात कही है इन्होंने। सिर्फ बड़े व्यापारियों से कैसे भ्रष्टाचार किया जाये, कैसे मुनाफाखोरी की जाये, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाये, क्योंकि जो नमूने लिये जाते हैं, वे नमूने, कुछ नमूने ऐसे होते हैं दूध के और बाकी की चीजों के तो उनको टाइमली आपको लैब में भेजना पड़ता है और टाइमली उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन आपकी पोस्टें ही नहीं हैं। आपकी पोस्टें ही नहीं हैं, वहां जिलों में प्रयोगशाला ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह शुद्ध के विरुद्ध युद्ध क्या कर रहा है, मुझे यह मुख्य मंत्रीजी बता दें। 2010 से ये घोषणाएं कर रहे हैं। अलग-अलग यह घोषणाएं करते जा रहे हैं कि कैसे इनको काम करना है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

आप देखिये, अभी बिजली की बहुत सारी बात हुई। रोहित बौहराजी ने बहुत सारे आकड़े रखे कि हमने बिजली में ऐसा किया, हमने बिजली में वैसा किया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान बेरोजगारी की दृष्टि से पूरे इण्डिया में पहले नम्बर पर है। इस बेरोजगारी वाले प्रदेश में आप सरकारी नौकरी दे नहीं रहे। रीट की परीक्षा में जो भर्ती की है, वह किस स्थिति में पहुंची, वह आपको मालूम है। आप वायदे तो बहुत बड़ेबड़े करते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने पहले घोषणा की। कांग्रेस के संकल्प पत्र में यह बात घोषित की कि यदि कोई परीक्षा रद्द करते हैं या किसी कारण से वह परीक्षा फेल हो जाती है तो हम उस परीक्षा का जो आवेदन शुल्क हमने लिया है वह पूरा का पूरा लौटायेंगे। सिर्फ रीट की परीक्षा रद्द नहीं हुई है, उसके पहले भी कई परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आपने उनके शुल्क तो लौटाये नहीं हैं। अभी आपने बजट घोषणा में सिर्फ रीट की परीक्षा के लिए कह दिया कि हम शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, माननीय सभापति महोदय।

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, क्योंकि पैट्रोल और डीजल की जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, वह हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश प्रदेश के लिए लोसेस हैं। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम हमारे देश में सूर्य की इतनी मेहरबानी है, सौर ऊर्जा, उस सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करें और महंगी बिजली को खरीदना बन्द करें। सौर ऊर्जा की बिजली के लिए केन्द्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं में छूट दी, प्रोत्साहन के लिए स्कीम बनायी। सौर ऊर्जा के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन बनाया गया है। इस मिशन से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति जारी की जाएगी। फिर यही बात 2010-11 के बजट घोषणा पत्र में दोहराते हैं। 2012-13 के बजट घोषणा में भी वापस यही बात फिर दोहराते हैं कि हम सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर हैं और पहले स्थान को हम लगातार बनाये रखेंगे। फिर दुबारा इसी बात को तीसरी बार वापस यही कहते हैं कि हम सौर ऊर्जा में जोधपुर सिटी को सौर सिटी के रूप में विकसित करेंगे 100 करोड़ रुपये का फण्ड लगाकर। पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही। उनके पिछले कार्यकाल में 2009 से 2013 के बीच में। आज भी यदि कोई उसको

(श्रीमती अनिता भदेल)

देखने जाये तो 100 करोड़ रुपये लगे कहां हैं, सौर ऊर्जा के, कुछ पता नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा धोखा दिया है लोगों को। पहले तो सौर ऊर्जा के लिए मोटिवेट किया और उसके बाद मोटिवेट करने के स्थान पर उनको लूटने का काम यह सरकार कर रही है। लूटने का काम कैसे कर रही है, माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, कि इन्होंने सौर ऊर्जा के लिए कैप लगाया है। 500 किलोवाट की सीमा का कैप इन्होंने लगा दिया। राजस्थान में इण्डस्ट्रियल बिजली की दरें 8 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट है, जबकि गुजरात, पंजाब और हरियाणा जो हमारे आसपास के प्रदेश हैं, उनमें इण्डस्ट्रीज के लिए बिजली की दरें बहुत कम हैं। उसके कारण से हमारी इण्डस्ट्री, जो भिवाड़ी में है, वह शिफ्ट हो रही है हरियाणा में। जो भीलवाड़ा में पावरलूम की इण्डस्ट्री है, वह शिफ्ट हो रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। अब ऐसी बिजली का उपाय सोलर पैनल हो सकता है, लेकिन सोलर पैनल पर आपने 500 किलोवाट की कैप लगा दी कि इससे ज्यादा का पैनल आप लगा नहीं सकते। परसादीजी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि आप तो इण्डस्ट्री मिनिस्टर भी रहे हैं, यहां इण्डस्ट्री मिनिस्टर नहीं बैठी हैं, मैं उनकी जानकारी में लाना चाह रही थी।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता, लेकिन मैं बता दूं कि गुजरात में इण्डस्ट्रीज की बिजली राजस्थान से महंगी है। मैं अभी अहमदाबाद जाकर आया हूं और पावर प्लांट जो लगाते थे इण्डस्ट्रीज वाले, उसको आपकी ही सरकार बन्द कर गयी थी 2016 में। प्राइवेट जो पहले लगाते थे, उनको बन्द कर दिया। आपकी ही सरकार बन्द करके गयी थी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ये आर्डर तो अभी निकला है। उस समय का आर्डर नहीं है। यह रिटन में आर्डर निकला है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पावर प्लांट जो लगाते थे, उनके लिए आपकी सरकार 2016 में बन्द करके गयी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरा यह कहना है कि यदि आप इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको यह कैप नहीं लगानी चाहिए थी। कैप नहीं लगाओगे तो सोलर इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ई-व्हीकल पालिसी आ रही है। ई-व्हीकल पालिसी में चार्जिंग, सेविंग बैट्रीज की

(श्रीमती अनिता भदेल)

केन्द्र सरकार की स्कीम है। इसको हमको एडोप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पैट्रोल-डीजल को कम करना है। ऐसी स्थिति में यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहते हैं या सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करके सस्ती दरों पर करना चाहते हैं, आपने क्या किया, ओपन एक्सेस के ऊपर भी आपने टैक्स लगाया। 60 पैसे प्रति यूनिट, शायद उसके ऊपर भी लगाया है। यदि उद्यमी कहीं और से एक्सेस करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में उसको 8 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट पड़ जायेगी। फिर इण्डस्ट्री लगाने वाला क्यों आयेगा इण्डस्ट्री लगाने, मुझे बताइये। जब इण्डस्ट्री नहीं लगायेगा तो रोजगार कैसे उत्पन्न करोगे आप, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में तो आप रोजगार दे नहीं सकते। बिजली को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा निवेदन है कि आप इस कैप को हटायें और बाकी के जो मेन्युफेक्चरर्स हैं, मेरा तो निवेदन है, क्योंकि सरकार में आप बैठे हैं और बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज्यादा है।

सभापति महोदय, दो-चार चीजें और निवेदन करना चाहती हूं। मैंने शुद्ध के विरुद्ध अभियान की बात आपको बतायी है कि किस-किस समय पर क्या-क्या उन्होंने बात कही। अथोरिटी की घोषणा की और फिर अभियान चलाया जायेगा। मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं के सम्बन्ध में इस बजट में सिर्फ स्मार्ट फोन देने के अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही है। मैं बताती हूं। माननीय मंत्री महोदया, आपको भी जानना चाहिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा 2011-12 की है, यह है मेरे पास। आप मुझसे ले लेना। सभापति महोदय, 2011-12 के बिन्दु संख्या 40 पर मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। बालिकाओं के जन्म पर नसबन्दी आपरेशन करवा लिया है, उन्हें समाज में रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ज्योति योजना चलायी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत इन महिलाओं के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार सृजन के विशेष प्रयास किए जायेंगे। इस ज्योति योजना को नेट पर पढ़कर के कई लोग हमारे पास भी आते हैं कि हमारे सिर्फ बेटियां ही हैं, कोई योजना चल रही है तो हमें आप लाभ दिलाइये, लेकिन इस योजना में कोई लाभ अभी तक नहीं है। इसके अतिरिक्त बजट घोषणा 2012-13, मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी, उन्होंने क्या कहा था, राज्य में दो लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 20 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से आगामी वर्ष प्रत्येक जिले में एक-एक ब्लाक में धन लक्ष्मी केन्द्र की स्थापना की जाएगी। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है

(श्रीमती अनिता भदेल)

कि जिस वर्ष बजट भाषण में जो घोषणा की जाती है, यदि उसी वर्ष उसको पूरा कर दिया जाए तो बजट की लागत नहीं बढ़ती है। यह घोषणा 2012-13 की है। आज तक पूरे राजस्थान में धन लक्ष्मी केन्द्र नहीं बने हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। बिराजें आप। इन्टरवीन नहीं करें। कोई नहीं करेगा इन्टरवीन।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं बता रही हूं।

धन लक्ष्मी केन्द्र नहीं बने और जब मैं खुद इस विभाग की मंत्री बनी तो हमने बहुत प्रयास करके जमीन आबंटन कराया, फिर भी आज भी एक धन लक्ष्मी केन्द्र जयपुर का नहीं बना। आज तक नहीं बना और वह बन भी नहीं सकता है। इसलिए नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय ढाई लाख रुपये का बजट आबंटित हुआ था। एक धन लक्ष्मी केन्द्र के लिए ढाई लाख रुपये था। आज ढाई लाख रुपये में धन लक्ष्मी केन्द्र बना ही नहीं सकते तो कैसे बनेगा। ऐसी स्थिति में वह बजट पूरा लटकता रहता है। फिर आडिट होती है कि आपने पैसा खर्च नहीं किया। पैसा तो कैसे खर्च हो, क्योंकि ढाई लाख में वह बनने वाला नहीं है और सरकार उसको बनाने के लिए पैसा दे नहीं रही है तो मेरा यह निवेदन है कि जिस दिन बजट घोषणा हो, उसी दिन से अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आपको यह काम कराना है या नहीं कराना है और कराना है तो पूरा कराना चाहिए।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। बिराजिए आप। श्री मुकेश भाकर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूं।

श्री सभापति: मैंने आप सभी से व्यक्तिगत आग्रह किया था कि समय का ध्यान रखें। निर्देश के बाद आप बिराज जाएं। सदन में बाकी वक्ता बोल नहीं पायेंगे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बस, दो-तीन चीजें। फटाफट।

श्री सभापति: नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अंकित नहीं होगा। श्री मुकेश भाकर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: बिराजें आप। आप बहुत वरिष्ठ हैं। प्लीज सहयोग करें। बिराजिए अब आप। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। आसन पैरों पर है। इतने

(श्री सभापति)

आग्रह के बाद भी आसन की अवहेलना ठीक बात नहीं है। आपका 20 मिनट का समय था। मैंने आपको 23 मिनट दे दिये। प्लीज बिराजें आप।

श्री मुकेश भाकर।

(समय: 16.00 बजे)

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने बजट 2022-23 पर बोलने का मुझे मौका दिया। आज इस बजट पर बोलने से पहले मैं उन शहीद किसानों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने, आजादी के आन्दोलन के बाद अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई आन्दोलन हुआ है तो वह किसान आन्दोलन था और भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार द्वारा जिस तरह से दुर्भावनावश और जिस तरह से किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और अनेक तरह की परिभाषाएं दी गयीं, जो हमारे किसान साथी शहीद हुए, उनको याद करते हुए इस बजट पर आना चाहूंगा।

2022-23 का यह बजट इस राजस्थान को नये आयाम और विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला है। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, छत्तीस कौमों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बात रखी, उन्होंने मुख्य तौर पर सभी बातों को अपनी ओर से रखा। मैं मेरी ओर से संक्षिप्त में मुख्य बातें इस बजट को लेकर जो आज आम आदमी चर्चा कर रहा है, पूरे राजस्थान में हर गांव, हर चौपाल पर जिसकी चर्चा है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिनको कुचलने का काम किया, उन किसानों के लिये कांग्रेस पार्टी अलग से बजट लेकर आयी है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में कांग्रेस पार्टी ने यह ध्यान रखा कि किस तरह से हम किसान को मजबूत कर सकते हैं। अलग से बजट की घोषणा हुई। किस तरह से किसान समृद्ध हो, किस तरीके से आर्थिक स्थिति किसानों की सुदृढ़ हो सके, उसको लेकर इस बजट में ध्यान रखा गया। किसानों के लिये इस बजट में चाहे सोलर पर सब्सिडी हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देना हो और चाहे कृषि कनेक्शन, जो 2012 से बन्द पड़े थे, उन कृषि कनेक्शनों को वापस शुरू करने का काम कांग्रेस पार्टी और मुख्य मंत्रीजी ने शुरू करवाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो दो मुख्य तौर पर सबसे बड़ी घोषणाएं इस बजट में

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

हुई, कृषि को लेकर अलग से बजट और जो 2004 से लेकर सरकारी कर्मचारी थे, उनको लेकर जो पुरानी पेंशन योजना थी, उसको बहाल किया गया। माननीय सभापति महोदय, आज हर गांव, हर चौपाल पर, हर कस्बे में इस बात की चर्चा है कि 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, जिनको नई पेंशन योजना की वजह से दिक्कत थी, पूरे राजस्थान में आन्दोलन हुए और पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसमें पुरानी पेंशन योजना शुरू की गयी।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं को लेकर इस बजट में एक लाख नये रोजगार की घोषणा की गयी और साथ ही जिस रीट परीक्षा भर्ती को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही है, उसमें 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार पद मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में युवाओं को, चूंकि यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर हम यहां पर पहुंचे और जो छात्र कम्पीटिशन की तैयारी करते हैं, जो दिल्ली और जयपुर में आकर रहते हैं, उनकी परेशानी को हम भली-भांति समझते हैं। इस बजट में पहली बार 300 करोड़ की लागत से 500 से ज्यादा युवा, दिल्ली में जिनको भारी किराया देना पड़ता था, उन युवाओं को रहने के लिये एक नये हॉस्टल की घोषणा की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं स्वास्थ्य सैक्टर की बात करूंगा। उसमें चिरंजीवी योजना मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की, उसका दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करके मुफ्त इलाज की घोषणा इस बजट में हुई है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे युवा हो और चाहे किसान हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजे जी कल बोलीं कि यह चुनावी बजट है। हर आम वर्ग और हर जगह से इनके पास यह रिपोर्ट आयी कि जिस तरह का बजट कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री लेकर आये हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल बनाना चाहती थी, उसमें पूरी तरह से ये फेल हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी, जिनका नया नारा आज पूरे देश में बन चुका है कि 'हम राम-रहीम को लाये हैं, हम आसाराम को भी लाएंगे।' एक बलात्कारी को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा किस तरह से दी गयी, किस तरह से जेल से निकालकर अपने चुनाव में वोटों के फायदे

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

के लिये इन्होंने निकालकर आज 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी गयी है। इनका नया नारा, माननीय सभापति महोदय, 'राम-रहीम को लाये हैं, हम आसाराम को भी लाएंगे।' बलात्कारियों की मदद करने वाली यह पार्टी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये, प्लीज सहयोग कीजिए। अंकित नहीं करें। विराजिए। आप सहयोग करें, प्लीज। (व्यवधान) समय कम है, प्लीज सहयोग करें। बिराजिए अब आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, ये कह दे कि राम-रहीम की जमानत नहीं करायी जाये (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप उनको इन्वाइट मत करिए। आप अपनी बात कहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: बिराजिये, आप बहुत वरिष्ठ हैं। माननीय, क्यों समय खराब कर रहे हैं? मैं वक्ताओं के नाम काट दूंगा। मैं आपको सही बता देता हूं। सात बजते ही हाउस एडजोर्न होगा, फिर जो नहीं बोल पायेगा वह नहीं बोल पायेगा। ..(व्यवधान).. आप बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये आप, इतने वरिष्ठ हो गये। क्या स्वभाव हो गया आपका? कोई भी सीख आपको लगती नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: बिराजिये। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे सदन से कि आप पूरे सदन को हाईजैक कर रहे हो। माननीय सदस्य, सीधे-सीधे अपनी बात पर आइए। आप उनको इन्वाइट मत करिए।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): बिलकुल सीधी-सीधी कह रहा हूं। इन्होंने अगर राम-रहीम की जमानत नहीं करायी हो और 'जेड' सिक्योरिटी नहीं दी हो तो कह दें मदन दिलावर जी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप दोनों ही बैठें, माननीय सदस्य। मैं सही सात बजे हाउस एडजोर्न कर दूंगा। जो नहीं बोल पाएगा वह नहीं बोल पाएगा। आप अपने लोगों को बता दीजिए। (व्यवधान) आप अपनी बात जारी रखें। आप अपनी बात कहें।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने इतने लम्बे समय तक राज करते हुए कभी सिद्धान्तों से समझौता नहीं किया। आज ये कह रहे हैं कि पंजाब इनके हाथ से गया। अगर पूरा हिन्दुस्तान भी हाथ से जाएगा तो कभी किसी बलात्कारी की मदद कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, किसी को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लाडनूं में डीवाई.एस.पी. आफिस, जिसके लिये हर छोटे से छोटे मुकदमे के लिये लाडनूं से बाहर जनता को जाना पड़ता था, डीवाई.एस.पी. आफिस की घोषणा हुई। अल्पसंख्यक समुदाय के लिये बालिका छात्रावास पहले से घोषित था और बालक छात्रावास की यहां घोषणा हुई। साथ ही एसी.जे.एम. कोर्ट की घोषणा हुई और आज इस बजट पर बोलते हुए मैं मेरी ओर से राजस्व मंत्रीजी का और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लाडनूं से थोड़ी दूरी पर मीठड़ी एक कस्बा है, जिसमें लोगों को छोटे से छोटे काम के लिये लाडनूं आना पड़ता है, उसके लिये मैंने उप तहसील की मांग की है। मैं समझता हूं कि जब मुख्य मंत्रीजी अन्त में दुबारा अपनी बात को रखेंगे, उस समय मीठड़ी को उप तहसील के तौर पर घोषणा करके लाडनूंवासियों को एक नई सौगात के तौर पर, सुविधा के तौर पर देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा इस बजट पर कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर समुदाय को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को फ्री इंटरनेट, युवाओं के लिये रोजगार, किसानों के लिये अलग से बजट, तो यह एक तरह से इस राजस्थान को प्रगति के पथ पर, विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट घोषित होगा। आपने बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां। माननीय बाबु लाल जी। आप खड़े नहीं हुए। मौके की बात है, आप नहीं खड़े हुए तो वह खड़े हो गये। बिराजिए अब आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मेरा है नम्बर तो।

श्री सभापति: इनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। आप बिराजिए प्लीज। इनका स्वास्थ्य खराब है, इनको जाना है। बिराजिए अब आप।

श्री बाबु लाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभार और धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, काफी विधायकों ने बजट की प्रशंसा की

(श्री बाबु लाल)

और काफी विधायकों ने इसकी आलोचना भी की है। माननीय सभापति महोदय, मैंने यह चौथा बजट आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का पढ़ा है। इस पूरे बजट में अधिकतर घोषणाएं हैं। हमें खुशी होगी कि ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये जमीनी स्तर पर पूर्णरूप से उतरें लेकिन मुझे शंका इस बात की है कि अब तक की जितनी भी घोषणाएं हुईं, उन घोषणाओं पर ठीक से अमल नहीं हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपसे मेरे क्षेत्र की घोषणाओं के विषय में जिक्र करना चाहूंगा। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कों के विषय में बहुत कुछ बातें कहीं। विधायकों को 10 करोड़ रुपये देकर के मिसिंग लिंक और नवीनीकरण का काम करेंगे, अच्छी बात है। जब सड़कें अच्छी होंगी तो आवागमन सुगम होगा। इससे जनता-जनार्दन को अच्छा लाभ होगा, फायदा होगा। उस समय घोषणा हुई थी कि देवला से कोटड़ा, जो जिले की एक मुख्य सड़क है, उसका हम नवीनीकरण कराएंगे। आज तक वहां एक भाटा भी नहीं लगा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक डिलीवरी वाली माता को अगर गाड़ी में ले जाते हैं तो उसका जापा रास्ते में ही हो जायेगा। डिलीवरी सड़क के नाम से वह फेमस है।

सभापति महोदय, विद्युत के सम्बन्ध में काफी बातें मुख्य मंत्रीजी ने कही हैं। विद्युत का जो बिल है, सरकार कुछ वहन करेगी। अच्छी बात है। उन्होंने पिछली बार भी कहा कि हम किसानों को सोलर कृषि कनेक्शन देंगे। मेरी विधान सभा में तो आज तक एक भी सोलर कृषि कनेक्शन नहीं हुआ है। हम शंका जाहिर कर रहे हैं कि इसमें क्या होगा।

कोटड़ा में 132 के.वी. जी.एस.एस. की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। हमने स्वागत किया था। हमने भी टेबल थपथपाई थी। वहां विद्युत की यह स्थिति है कि पता ही नहीं चलता कि बिजली आती और जाती कब है। कृषि कनेक्शन की तो यह स्थिति है कि बिजली का पावर कभी ज्यादा हो जाता है, कभी पावर कट हो जाता है। उसके कारण से उनकी मोटरें जल जाती हैं। गांव का एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से मोटर लाता है। अगर महीने में, 2 महीने में मोटर जल जाती है तो उसके साथ क्या गुजरती है? जो जी.एस.एस. की घोषणा हुई थी, वहां केवल बाउण्ड्री खड़ी की हुई है। आज तक भी जी.एस.एस. के लिये कोई प्रगति नहीं हुई है।

सभापति महोदय, दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल

(श्री बाबु लाल)

के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने बड़ी बातें कहीं। जल जीवन मिशन में केन्द्र का पैसा भी आता है। केन्द्र ने जिस दिन से काम शुरू किया अगर उसी दिन से हमने भी काम शुरू किया होता तो आज आधा काम हम पूर्ण कर देते लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर बैठी रही। अब जाकर इन्होंने काम शुरू किया है। 2024 में सम्पूर्ण लोगों को शुद्ध पेयजल पिलाने का प्रधान मंत्री जी का जो सपना है, वह किस प्रकार से पूरा होगा? यह मुझे लगता नहीं है।

सभापति महोदय, अभी मुख्य मंत्री जी ने 2 घोषणाएं कोटड़ा के लिये की हैं। कोटड़ा में पानी बहुत बरसता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं। वहां पर 2 बांधों की घोषणा हुई है। एक साबरमती में सांडमरिया में और एक बूझा में। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह पानी पेयजल स्कीम के लिये जोधपुर सम्भाग में जायेगा। मैं इस मंच के मार्फत यह कहना चाहता हूं कि साबरमती में जो बांध बनाएंगे इससे वहां की 3 पंचायतें प्रभावित होंगी। जो बूझा में बनाएंगे उसमें 2 पंचायतें प्रभावित होंगी। यहां किसान की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। वहां का किसान कहां जाकर के गुजर करेगा? यह एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री इन घोषणाओं पर पुनर्विचार करें। कोटड़ा पहले से ही 2 बांधों का पानी जोधपुर सम्भाग को दे रहा है। सही डैम का पानी जोधपुर में जाता है। काली बोरबना का पानी जोधपुर में जाता है। इस प्रकार से ये जो लोग विस्थापित होंगे, इनका पुनर्वास कहां होगा? मेरा आपके मार्फत निवेदन है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, युवाओं को रोजगार की बातें कही गयीं। मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कहा था कि जो युवा टेलेण्टेड हैं और कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिये दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 250 कमरे कोचिंग के लिये रिजर्व रखेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज 4 साल हो गये हैं, उस आदिवासी क्षेत्र के गांव का आदमी पढ़ना चाहता है, प्राइवेट कोचिंग्स में जाता है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि प्राइवेट कोचिंग्स में आप उन लड़कों को कोचिंग करायें। आप जनजाति विभाग से उनको पैसा दीजिये। उससे वह लड़का वहां से पास होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी यह जो घोषणा की है, उससे मुझे लगता नहीं है कि कोई आर.ए.एस., आई.ए.एस. निकलेंगे।

अभी विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। अगर अध्यापक हैं तो वहां पर विद्यालय भवन नहीं हैं। ऐसी स्थिति कोटड़ा तहसील की है। झाड़ोल विधान

(श्री बाबु लाल)

सभा की है। अभी नीति लाये थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और उनको शैक्षणिक व्यवस्था में लगाएंगे। लेकिन अब सरकार ने उसको संशोधित करके दिशा-निर्देश दिये कि अब जो शिक्षण व्यवस्था में लगेंगे, वे सेवानिवृत्त अध्यापक ही लगेंगे। उन युवाओं में पहले भरोसा हुआ था कि रोजगार मिलेगा, लेकिन आज उन युवाओं में रोष है। कोटड़ा और झाडोल जैसी जगहों पर आपको पूरे सेवानिवृत्त अध्यापक नहीं मिल सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर भी विचार करें।

मैं आपसे आगे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये घोषणाएं हुई हैं, उन पर कितना अमल होगा, नहीं होगा, इसमें मुझे शंका है। यही कहकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2 घण्टे 57 मिनट और 50 सैकण्ड तक 226 बिन्दुओं का बजट भाषण दिया। उसमें समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ बजट पेश किया। शुरुआत में ही यह बात कही कि अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी प्रगति सम्भव नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, बजट को लेकर प्रदेश का आमजन टकटकी लगाये जो उम्मीद कर रहा था, वह पूरी नहीं हो पायी। सबसे ज्यादा उम्मीद आपके किसान बजट से थी। वह भी खोखला ही साबित हुआ। माननीय राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती करके जिस तरह किसानों से सम्पूर्ण ऋण माफी का वादा किया था, तो किसानों को लगा कि अब उनकी किस्मत बदल जायेगी लेकिन अब 3 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि वह वादा तो मोदी जी के 15 लाख रुपये खाते में आने से भी बड़ा वादा निकला।

इस बजट से भी किसानों को सम्पूर्ण ऋण माफी की उम्मीद थी लेकिन वह भी धूमिल हो गयी। मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया है, लेकिन इसमें वित्तीय प्रबन्धन कौशल एवं दूरगामी सोच की पूर्ण कमी नजर आ रही है। कृषि का बजट अलग से पेश करना मात्र छलावा ही है। राज्य की जी.डी.पी. में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले कृषि क्षेत्र के लिये आशानुरूप बजट

(श्री नारायण बेनीवाल)

नहीं दिया जाना किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता एवं उपेक्षा को दर्शाता है। किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी के अपने चुनावी वादे को ताक पर इस सरकार ने रखा है।

माननीय सभापति महोदय, किसान आन्दोलन के बाद सत्ता पार्टी ने किसानों की मांगों पर पूरी संवेदनशीलता की बातें कही थीं। लेकिन एम.एस.पी. पर किसी भी तरह के बोनस की घोषणा इस बजट में नहीं करके सरकार ने किसानों को उलटा नाराज ही किया है।

कृषि बिजली कनेक्शनों को लेकर के भी इस बजट में कुछ उत्साहजनक नहीं है। बिजली के पैण्डिंग कनेक्शनों को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है। हालांकि विद्युत तंत्र अभी इतना विकसित नहीं है। अभी बहुत सारे 132, 220 और 33, 11 के.वी. के जी.एस.एस. जब तक प्रदेश में नहीं बन जाते हैं, तब तक इतने बड़े लोड की क्षमता इस सारे सिस्टम को फेल्योर करेगी।

कृषि बिजली कनेक्शन को लेकर बिजली के स्पेशल श्रेणी के कनेक्शन जैसे बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में बदलने के सम्बन्ध में कोई भी प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। आशा है कि जब मुख्य मंत्री जी इस बजट पर बहस का जवाब देंगे तो इस बाबत घोषणा करेंगे। इसके साथ ही फसल बीमा पर भी समुचित एवं न्यायोचित लाभ किसानों को मिले, यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार अब अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगी, ऐसा ठोस आश्वासन एवं सुनियोजित योजना भी सदन में प्रस्तुत करेगी, ऐसी अपेक्षा है।

आपने कृषि एवं इससे सम्बन्धित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मिशन मोड पर कार्य करने के लिये 11 मिशन बताये हैं। राजस्थान जैविक खेती मिशन की बात इस बजट के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर की गयी है। जैविकता की बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गांवों के अंदर गौ वंश एवं अन्य जो पशु हैं, उनके हालात ठीक नहीं हैं। जैसे नागौरी नस्ल के बछड़ों की मैं बात करूं, मेले जो होते थे, वे किसानों की आमदनी का सबसे बड़ा साधन होते थे। नागौरी नस्ल के 2-3 साल से कम उम्र के बछड़ों को लेकर जो रोक लगी थी, उसको लेकर हमें सदन में आश्वस्त भी किया गया कि इसके लिये कमेटी बनायी है और इस पर हम विचार करेंगे। ऐसा कोई ठोस आश्वासन बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी देते तो निश्चित रूप से किसानों के हालात सुधर सकते थे।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, शिव से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य ने ऊंटों के ऊपर नीति की बात भी यहां पर सदन में रखी। इन सब बातों का जिक्र बजट में नहीं होना कहीं न कहीं किसानों के हितों पर कुठाराघात है।

माननीय सभापति महोदय, आज दुनिया में मधुमेह जैसे रोग तेजी से फैल रहे हैं, जिसके लिए नागौरी पान मैथी की मांग बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर में होता है। इस बजट में इस महत्वपूर्ण फसल के साथ-साथ ईसबगोल और जीरे के लिए भी नागौर या मूण्डवा में अलग से मण्डी खोली जाये, क्योंकि पान मैथी की फसल हर 15 दिन में किसानों को बिचौलियों के हाथों में औने-पौने दामों में बेचनी पड़ती है। इसके लिए भी कोई ठोस प्रयास इस बजट में नहीं किया गया है। यदि कोई घोषणा होती तो निश्चित रूप से हम उन किसानों की काया पलट कर सकते थे।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी सदन में दो-तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों के आवागमन पर लगी रोक को हटाने की जो बात कही थी। हम यह चाहेंगे, हमारा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा, क्योंकि मेले तो प्राय: खतम हो गये हैं, तो ऊंट और बछड़े दोनों पर कोई ठोस नीति सरकार बनाये तो निश्चित रूप से किसानों को हम अच्छी सौगात दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि बजट में सहकार शब्द का इस्तेमाल कई मर्तबा होना चाहिए था, क्योंकि जब तक सहकार का स्लोगन कि 'सब एक के लिए और एक सबके लिए' पर ईमानदारी से ध्यान नहीं देंगे, तब तक कृषि और किसान की खुशहाली की बात करना बेमानी है।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए सहकारी संस्थाओं के चुनाव नियत समय पर हों, खाद, बीज आदि के आबंटन में सहकारी संस्थाओं का कोटा निश्चित हो, क्रय-विक्रय सहकारी संस्थाओं को भी जी.एस.एस. की भांति सारे सरकारी लाभ प्राप्त हों और नियमों में यह बदलाव किया जाये कि माननीय सांसद एवं माननीय विधायक भी अपने कोटे से बजट जारी कर सकें। सहकारी समितियों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को तत्काल नियमित किया जाये, क्योंकि कृषि आदानों के वितरण के साथ-साथ सहकारी ऋण वितरण एवं एम.एस.पी. पर खरीद जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं लोगों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। सहकारी कार्मिकों को भी अन्य सरकारी कार्मिकों की भांति समस्त लाभ मिल सकें, ताकि वे सही मनोयोग से किसानों की सेवा कर सकें।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, सहकारी संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढांचा पूरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गया है। आज बड़ी विडम्बना की बात है कि कृषि बजट, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था इस बजट का, आज माननीय कृषि मंत्रीजी और सहकारिता मंत्रीजी, दोनों यदि सदन में होते तो निश्चित रूप से कोई अपने अनुभव की बात विधायक कहता तो वह बात सरकार तक पहुंचती।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्य विभाजन तय है, उसी तर्ज पर कृषि आदानों के सम्बन्ध में राजफैड, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में तारतम्य के लिए आवश्यक नियम बनाये जायें। अधिकतर सहकारी संस्थाएं और सहकारी बैंक धीरे-धीरे रसातल में जा रहे हैं। अगर समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सहकारी तंत्र भी डाइनासोर की तरह लुप्त हो जायेगा। इसके लिए समस्त बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऋणों का पुनर्भरण तुरन्त सरकार द्वारा किया जाये, जिससे सहकारी संस्थाओं की तरलता कायम रह सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ सहकारी नियमों में पंजीकृत संस्थाओं के बैंक खाते तथा बड़े प्रोजेक्ट्स के भू-अवाप्ति के बैंक खाते भी आवश्यक रूप से सहकारी बैंकों में खोले जाना सुनिश्चित करायें।

माननीय सभापति महोदय, आज बजट के अन्दर बिजली में 50 यूनिट छूट करने की बात जरूर मुख्य मंत्रीजी ने कही है, लेकिन बिजली के बिल तो बन्द पड़े घरों के भी 200 यूनिट से भी ज्यादा कई बार आ जाते हैं। अगर सही में विद्युत कम्पनियों की दशा सुधारनी है तो कई अधिकारियों की बलि सरकार को लेनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की छीजत व लोड को कम करने के लिए जो अरबों रुपये विद्युत वितरण कम्पनियों ने खर्च किये उस पर किसी तरह की सरकारी मोनिटरिंग नहीं होना ही बिजली कम्पनियों के घाटे का सबसे बड़ा कारण रहा। यह पहली बार हुआ कि कम्पनियां घाटे में जा रही हैं, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी रातोंरात अरबपति बन गये। इसके लिए कोई स्पेशल विंग बनाकर पिछले आठ सालों में कार्यों का भौतिक कार्यों का सत्यापन कराने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी करें तथा अनियमितताओं की रिकवरी सम्बन्धित अफसरों से करके कम्पनियों के खाते में जमा करवाकर नई नजीर इस प्रदेश और देश में करें।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के दातीणा में 132 के.वी. जी.एस.एस. खोलने की अपनी बजट घोषणा की, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं लेकिन अधिक लोड को देखते हुए बिरलोका में 220 के.वी. के जी.एस.एस. की स्वीकृति का आग्रह मैं आपके माध्यम से उनसे करूंगा। इसके अतिरिक्त टेक्नीकल हैल्पर की भर्ती, जो बहुत लम्बे समय से अटकी हुई है, उसको पूरा किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, खींवसर और नागौर में बिजली के सारे सिस्टम को निजी हाथों में देने की जो तैयारी चल रही है। एक तरफ आपकी सरकार केन्द्र पर आरोप लगाती है और निजीकरण के खिलाफ है, ऐसा जो प्रयास वहां की कम्पनी कर रही है अजमेर विदयुत वितरण निगम लिमिटेड, उस पर रोक लगाने की आपसे मैं गुजारिश करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधीजी का वाक्य है कि जब एक रुपया दिल्ली से निकलता है तो गरीब की झोंपड़ी तक पन्द्रह पैसे ही पहुंचता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी हमेशा अपने भाषणों में जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, जबकि आपके इर्दगिर्द बैठे लोग ही सबसे ज्यादा शामिल हैं। हमें सच को स्वीकार करना होगा और यह माद्दा हमें सदन के पटल पर पैदा करना होगा कि सच सुनना और सच बोलना हम जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन जीरो टॉलरेंस की बातें और, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप हमेशा गांधीजी के अनुयायी होने की बात करते हैं तो राजीव गांधीजी का जो सपना था और उनका जो वाक्य है, उस पर जरूर गौर करना है। आपके आसपास के 25 मीटर के घेरे में बैठे लोग अपने आप में सुधार ले आएं तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात सही साबित हो पायेगी। आपके इर्दगिर्द बैठे रहने वाले और सबसे ज्यादा अन्देशा तो आपके कान में बार-बार बात करने वाले लोग यदि जीरो टॉलरेंस की तरफ आयेंगे तो निश्चित रूप से हम राजस्थान को जीरो टॉलरेंस की ओर ले जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए कुछ खास नहीं हुआ और प्रदेश के युवाओं के सपनों से खेलने के लिए बड़े-बड़े वादे करने वाले मुख्य मंत्रीजी ने एक दिन पहले ही आर.ए.एस. की परीक्षा आगे नहीं करने की बात अपने श्रीमुख से कही। दूसरे ही दिन यह फैसला आ गया, यह घटना दर्शाती है कि लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ है और विधायिका

(श्री नारायण बेनीवाल)

का कद धीरे-धीरे घट रहा है। यह महत्वपूर्ण बात हम सबको अपने जेहन में उतारनी होगी।

माननीय सभापति महोदय, आज हम ईमानदारी से बात करें तो गुड गवर्नेंस की बात स्वप्न सी लगती है। कितनी सम्भाग स्तरीय, जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय बैठकों का आयोजन ईमानदारी से हो रहा है? क्या प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस मामले में कभी कोई कार्यवाही की किसी अधिकारी पर? इस बात को यदि हम सोचेंगे और इस पर कोई ठोस कार्ययोजना बनायेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, रेगिस्तानी जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाडमेर, चूरू में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात अच्छी है, लेकिन इसके साथ-साथ नागौर, पाली, अजमेर, सीकर और हनुमानगढ़ को भी शामिल करते तो इन जिलों की दूरदराज की ढाणियों में निवास करने वाले लोगों के बच्चों को शिक्षा के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल की बातें आपने बजट में की हैं, लेकिन खींवसर विधान सभा क्षेत्र में आज तक कोई मॉडल स्कूल नहीं खुल पाया है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मॉडल स्कूल खींवसर में खोलें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखायी, जबकि नई शिक्षा नीति का सबसे ज्यादा फोकस यदि किसी बात पर है तो वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर ही है।

माननीय सभापति महोदय, दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की गयी, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षा विश्वविद्यालय की ज्यादा जरूरत है। प्रदेश में 1,500 बी.एड. कालेजों में आये दिन उपस्थिति के नाम पर विद्यार्थियों से खुलेआम ठगी हो रही है। प्रदेश में प्रति वर्ष 1,500 बी.एड. कालेजों में लगभग 2 लाख विद्यार्थी बी.एड; 60 हजार विद्यार्थी एस.टी.सी;, 30 हजार विद्यार्थी एम.एड. और 2 हजार विद्यार्थी पी.एच.डी. में प्रवेश लेते हैं। बावजूद इसके इतने बड़े प्रदेश में शिक्षा विश्वविद्यालय नहीं होना प्रदेश के शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को भी राज्य सरकार द्वारा जरूर अमल में लाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अधिकतर महाविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर व्याख्याताओं की भर्ती अतिशीघ्र की जाये। खींवसर महाविद्यालय का नाम लोक देवता 'वीर तेजाजी' के नाम पर तथा जायल के राजकीय

(श्री नारायण बेनीवाल)

महाविद्यालय का नाम जगत मामा 'श्री पूरणाराम' के नाम पर करने का भी मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मिला-जुली के इस खेल में प्रदेश में शिक्षा का तो भट्टा ही बैठा दिया जिससे विश्वविद्यालयों में कार्यरत लोग अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 14 से अधिक कुलपति बाहर के आज इस प्रदेश में बैठे हैं। इस प्रदेश के कई ऐसे योग्यताधारी व्याख्याता और प्रोफेसर हैं, वे इससे कहीं न कहीं कुंठित नजर आ रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की तरह जवानों, शिक्षित बेरोजगारों को सरकार के कपट का सामना करना पड़ेगा। बजट में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे यह विश्वास हो जाये कि सरकार समयबद्ध और नकल, लीक, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गम्भीर है।

रीट में चीट की पोल खुलने के बाद सरकार इस बजट को अपने दाग धोने के लिए सर्फ एक्सल की तरह काम लेना चाह रही है और लाखों अभ्यर्थियों वाली इस परीक्षा में अरबों का भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार नई परीक्षा से उस पर आवरण चढ़ाना चाह रही है। युवा नियमित भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेण्डर की मांग कर रहे हैं। परीक्षाओं में बेईमानी रोकने के लिए कड़े कानून और नियामक संस्था की आवश्यकता है। कठोर नीति और सच्चे मन से ऐसा सम्भव है, पर अपने प्रियजनों को बचाने के लिए सी.बी.आई. जांच से बचने वाली सरकार आर.पी.एस.सी; माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों आदि को साफ सुथरा बनायेगी, ऐसा सोचना भी अब बेमानी-सा लगने लग गया है।

माननीय सभापति महोदय, आप इंग्लिश टीचर का अलग काडर बनाने की बात कर रहे हो, जबकि एक ही भर्ती के चार-चार साल तक पेपर नहीं करवा पाते हो।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आबंटन करके प्रत्येक घर तक शुद्ध जल पहुंचाने की प्रतिबद्धता का जिक्र किया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे मांग करूंगा कि जल जीवन मिशन लोगों के लिए जीवनदायी होने की बात सरकार कर रही है, वह ग्रामीण विकास के लिए अभिशाप बनकर आया है। आज इस मिशन ने गांवों की पिछले दस वर्षों

(श्री नारायण बेनीवाल)

की सुन्दरता को उजाड़ दिया, जिसका कोई रूरल डवलपमेंट प्लान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सरकार को शहरी तर्ज पर रूरल डवलपमेंट प्लान का खाका तैयार करना होगा, जिससे गांवों में भी स्मार्ट विलेज जैसी कल्पना साकार हो सके।

श्री सभापति: चलिये, विराजिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15 ट्यूबवैल की घोषणा आपके माध्यम से करूंगा। इसके अलावा जो नरेगा में श्रम दिवस बढ़ाये हैं, उसके लिए उन्हें बधाई, लेकिन इसके साथ ही श्रम सामग्री अनुपात का विश्लेषण सरकार को करना चाहिए तथा नरेगा में पक्के निर्माण को वरीयता देते हुए सभी श्रेणी के लोगों को पीने के पानी के टांका निर्माण की अनुमति तथा मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ने का उचित समय है।

श्री सभापति: सहयोग करें, विराजिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ट्रोमा सेन्टर में बदलने की मांग लम्बे समय से चली आ रही है। माननीय सभापति महोदय, कोविड स्वास्थ्य सहायक, पैरा-टीचर्स, पंचायत सहायक, हैल्पर, होम गार्ड के जवान सहित जो कर्मचारी अल्प मानदेय पर लगे हुए हैं उनका नियमितीकरण करने तक उनका मानदेय कम से कम 20 हजार रुपये करते तो उन्हें अपना घर चलाने में सुविधा होती। इस पर भी सरकार को विचार करना होगा।

मैं नागौर जिला मुख्यालय पर पंचायती राज शोध संस्थान की स्वीकृति की मांग भी आपके माध्यम से करूंगा। मूण्डवा में उप खण्ड कार्यालय भी खुलें और नागौर में आर.ओ.बी. के जो काम अधूरे पड़े हैं, उन कामों पर भी मैं आपकी तरफ से आश्वासन चाहूंगा।

आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि बजट की घोषणाओं की यदि हमने सही मोनिटरिंग नहीं की तो खुशहाल एवं प्रगतिशील राजस्थान की उम्मीद करना बेईमानी है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आपको पढ़ने का मौका दिया है, बोलने का नहीं दिया है। श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जब मैं बाहर से आ रहा था, दो-तीन दिन से टीवी पर न्यूज चल रही है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। आज सुबह जब हमने देखा तो हमला कर भी दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं 15 मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। यूक्रेन कमजोर था, इसलिए वह अन्त तक अमेरिका की तरफ देखता रहा।

श्री सभापति: अपने गांव में एक कहावत है, ''आकाश बान्धूं, पाताल बान्धूं, घरवाली बोली छप्पर बान्ध ले, जो अपन इसमें आराम से सुरक्षित बैठे रहें।'' आप समाप्त करें अपनी बात और यूक्रेन और यू.एस.एस.आर. को करने दें जो उन्हें करना है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी को रिक्वेस्ट भेज दी, आप तो अपनी बात कहें।

श्री अविनाश (जैतारण): हांगकांग ने समृद्धि बहुत कमायी, लेकिन वह अपने रक्षा तंत्र पर काम नहीं कर पाया और चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। नेपाल बहुत कमजोर है...(व्यवधान)

श्री सभापति: विदेश नीति पर चर्चा नहीं हो रही है, कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: 15 मिनट का समय आपको विदेश नीति पर नहीं, बजट पर बोलने के लिए मिला है। बजट पर बोलें। क्या मैं दूसरा नाम पुकारूं?

श्री अविनाश (जैतारण): मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: आप अनुशासित रहें।

श्री अविनाश (जैतारण): आप सभापति की कुर्सी पर बैठे हैं, कांग्रेस के खिलाफ सुनने की...

श्री सभापति: सभापति क्या करेगा? सभापति ने आपको जिस विषय पर बोलने का वक्त दिया है, आप बोलिये न उस पर। विदेश नीति की चर्चा फिर कभी कर लेंगे।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान जिस 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहा है, मैं उसी की तरफ आ रहा था, लेकिन सच्चाई आज-कल स्वीकार नहीं होती। यह बात सच है। इसे सारा सदन जानता है। खैर, मैं अपनी बात को यहां खतम करूंगा, क्योंकि मैं कहना चाहता था कि राष्ट्र केवल व्यापार या संस्कृति नहीं होता। राष्ट्र तब राष्ट्र बनता है, जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं और आज हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री मोदी जी के रहते हुए इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आने वाले समय में दुश्मन देश इस देश की सीमाओं की तरफ नहीं देखे, इसलिए 2014 के बाद से हिन्दुस्तान में जब परिवर्तन हुआ और उसके बाद 2022 तक इस देश ने व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन किया, आज उसी के कारण आप और हम सब लोग सुरक्षित हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ऐसे बहुत से काम किये, जिन्हें कांग्रेस की इस वर्तमान सरकार ने बन्द कर दिया। चाहे किसानों की बिजली की 833 रुपये की सब्सिडी हो, 100 परसेंट टोल फ्री राजस्थान स्टेट हाईवे सड़कें हों, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो। या तो स्कीमों को बन्द किया या उनके नाम बदलकर दूसरे नामों से चालू कीं।

अब चूंकि इस सरकार का चौथा बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया, मैं ज्यादा बात न करके इस सदन का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने राजस्थान सरकार को यह लिखकर दिया कि मेरे यहां नवीन सी.एच.सी. ग्राम बर, आनन्दपुर कालू, लाम्बिया में स्वीकृत किये जाएं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बर में पी.एच.सी. स्वीकृत की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इन घोषणाओं से कुछ नहीं होगा। आपने पिछली बार भी बहुत सी ऐसी घोषणाएं कीं, जिनकी अभी तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अस्तित्व भी नहीं है। ऐसी बहुत-सी घोषणाएं हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 5 बजट घोषणाएं हुई हैं। मैं सिलसिलेवार बताना चाहूंगा। जैतारण सी.एच.सी. में 50 से 100 बैड में क्रमोन्नति की घोषणा हुई, लेकिन आज दिन तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, जो एकमात्र महाविद्यालय है मेरे विधान सभा क्षेत्र का, उसमें विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा हुई, लेकिन आज दिन तक उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। जैतारण में उप जिला परिवहन कार्यालय की स्वीकृति मिली, लेकिन आज दिन तक उसके भवन का, स्टाफ का पता नहीं, वह अस्तित्व में नहीं है।

(श्री अविनाश)

इसके अलावा जैतारण में कालू में उप तहसील की घोषणा हुई लेकिन आज भी न वहां स्टाफ मौजूद है, न किसी को लगाया, भवन का अता-पता नहीं है, न वहां कोई काम शुरू हुआ है। इसके अलावा और भी ऐसी बातें हैं। पांच में से सिर्फ एक जैतारण से निम्बोल तक की जो सड़क थी, उसका काम चल रहा है, बाकी किसी का काम नहीं चल रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट में घोषणाएं करना तो बहुत आसान है लेकिन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उन्हें धरातल पर पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है।

राजस्थान की जनता देख रही है कि जब राजस्थान सरकार का इसके बाद जो अन्तिम बजट होगा, उससे पहले आपने जितनी घोषणाएं की थीं, जितना 2018 के चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कितनी घोषणाएं थीं, इन तीन बजटों में क्या घोषणा की, उनमें से कितना आपने पूरा कर दिया, कितना आप राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, इसका आत्ममन्थन, आत्मचिन्तन करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब सदन के नेता इस बजट की बहस का जवाब दें, मेरे जैतारण में कुछ सब सेंटर्स हैं, उन सब सेन्टर को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करें, जैसे देवरिया है, सेनरा है, कलालिया है, इस तरह की जो इंटीरियर इलाकों की हैं और जहां भवन भी बने हुए हैं उन्हें अगर पी.एच.सीज. में क्रमोन्नत करें तो क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। यहां मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ग्राम पंचायत रास जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा इलाका है उसमें अगर उप तहसील या तहसील स्वीकृत हो जाये तो वहां के क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी की भी स्कीम है 'खेलो इंडिया', 'फिट इंडिया' और राजस्थान सरकार की भी योजना है कि खेलों में राजस्थान की जनता को मौका मिले। मेरे यहां से खेल एकेडमी का प्रस्ताव सरकार के पास भिजवाया गया, जहां स्कूल की एन.ओ.सी. से लेकर, जिला खेल अधिकारी के प्रस्ताव से लेकर वहां सरकार की क्रीड़ा परिषद् को भेजा हुआ है। मैं चाहूंगा कि 8 करोड़ रुपये की लागत का खेल एकेडमी का प्रस्ताव राजस्थान सरकार स्वीकार करे। जैतारण में नेशनल लेवल के हाकी के खिलाड़ी रहे हैं, जिम्नास्टिक्स के खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, तो वह खेल एकेडमी यदि मेरे क्षेत्र में स्थापित हो जाये तो इस क्षेत्र के नौजवान युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

(श्री अविनाश)

इसके अलावा नगरपालिका क्षेत्र में टाउनहाल की स्वीकृति के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब वे बजट का जवाब दें तो टाउनहाल की घोषणा करें। इसके अलावा जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी जैतारण मुख्यालय की पड़ती है, वहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि उसकी भी स्वीकृति करवाएं।

इसके अलावा इस बार आपने बजट में प्रत्येक जिले में तीन प्रमुख रोड्स रिपेयरिंग के लिए दी हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की लाम्बिया से लेकर पुष्कर सीमा तक वाया कुड़की की 20-25 किलोमीटर की रोड अति क्षतिग्रस्त है। यदि इसे डबल लेयर्ड स्वीकृत कर देंगे, इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या का समाधान हो जायेगा। क्षेत्र के लोगों को फायदा मिल जायेगा।

इसके अलावा आपने पिछली बार नवीन ग्राम पंचायतों की भी घोषणा की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जैतारण पंचायत समिति की 5, रायपुर पंचायत समिति की 5 ग्राम पंचायतों का निर्माण आपने किया है, स्वीकृति दी है। मैं चाहूंगा कि उनमें पी.एच.सीज. हों।

मैं चाहूंगा कि वहां जितने भी स्कूल्स हैं सीनियर सैकंडरी स्कूल तक उनकी घोषणा हो। उसके साथ में एक राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, कानूजा है। ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि यहां इस विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा में तीन बार सदस्य रहे स्वर्गीय हीरा सिंह जी चौहान, जिन्हें 'शेर-ए-मगरा' के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर इस स्कूल का नामकरण कर दिया जाये तो पूरे रावत समाज में जिन्हें 'रावत रत्न' कहा जाता है, तो मगरा क्षेत्र में भी इस सरकार के लिए यह बहुत बड़ा स्थान होगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बार बजट में आपने नगरपालिका क्षेत्र में 15 किलोमीटर की सड़कों की घोषणा की है, लेकिन इसके पहले वाले बजट में भी किया, पर आज एक साल गुजर जाने के बाद में वस्तुस्थिति का पता कीजिये कि कितने किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं, एक किलोमीटर की भी सड़क अभी तक नहीं बनी है। इसलिए थोथी घोषणाएं करके जनता में वाहवाही लूटना जनता के साथ में धोखा होगा।

आपने नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। मैं यह पूछना चाहूंगा कि पिछली बार 5-5 करोड़ रुपये के

(श्री अविनाश)

प्रस्ताव आपने हम लोगों से लिये, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज उन सड़कों का क्या हाल है, कितनी स्वीकृत हो गईं, कितनी के काम चल रहे हैं, कितनी पैंडिंग हैं? इस बारे में भी माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब दें कि एक वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद में भी घोषणा तो की, पर धरातल पर कितना काम हुआ?

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में जवाई बांध की 315 करोड़ रुपये की स्कीम है, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जवाई बांध में जैसे इस बार बरसात कम हुई तो पानी कम है, दिसम्बर से ही विभाग ने पानी बन्द कर दिया, जिससे जैतारण में जनता खारा पानी पीने को मजबूर है और दिसम्बर में भी 8-8, 10-10 दिन से पानी की सप्लाई होती है। अगर यही सप्लाई रही तो आने वाले समय में, गर्मी के मौसम में क्या हालात होंगे कि त्राहिमाम-त्राहिमाम वाली स्थिति जैतारण क्षेत्र में हो रही है। इसलिए जवाई बांध की जो योजना है उसको भी समय पर पूरा करें। जैतारण क्षेत्र में लगभग 125 किलोमीटर की 'ए' से 'बी' पाइंट तक रैंज है, उसमें पेयजल व्यवस्था सुचारु हो, उसके लिए भी विशेष इन्तजाम करने की आवश्यकता है।

आपने प्रत्येक जिले के अन्दर दो पर्यटन स्थलों को विकसित करने की इसमें घोषणा की है। मैं चाहूंगा कि मेरे यहां कुड़की, जहां मीरा बाई की जन्म स्थली है, वहां मीरा फोर्ट बना हुआ है, उसको अगर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से जैतारण और राजस्थान में उसका नाम होगा। उसके साथ में रायपुर डैम में पानी भरा रहता है, अगर वहां बोटिंग के माध्यम से पर्यटकों के लिए कुछ व्यवस्था हो जाये तो वहां से राजस्थान सरकार को रेवेन्यू भी आयेगा और यह पर्यटन की दृष्टि से मजबूत हो जायेगा।

इसके अलावा, मेरे वहां निमाज में पौराणिक इतिहास का मगरमंडी माताजी का मन्दिर बना हुआ है, जहां की प्रत्येक मूर्ति खण्डित है, जिनको मुगल शासकों ने तोड़ दिया था। आज अगर उस मन्दिर को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने का राजस्थान सरकार के माध्यम से प्रयास करेंगे तो पर्यटक भी यहां आयेंगे और यहां से राजस्थान सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा।

इसके अलावा, पहले मैंने बता दिया कि पी.जी. महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है।

(श्री अविनाश)

पिछली बार आपने 10-10 सोलर ट्यूबवैल दिये थे। बड़े ताज्जुब के साथ, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दो साल बीत जाने के बाद भी वे सोलर टयूबवैल पूरे नहीं हुए। बोरिंग का ठेका किसी और कम्पनी को मिलता है, उसके ऊपर सोलर सिस्टम लगाने का किसी और को मिलता है। जब बोर हो जाता है उसके बाद में बोर ब्लाक हो जाता है और कम्पनी का कोई अता-पता नहीं होता तथा राज्य सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके अलावा हैण्डपम्प और ट्यूबवैल के लिए बोर तो कर देते हैं, लेकिन उसका बिजली का कनेक्शन टाइम पर नहीं होता है तथा कमीशनिंग भी समय पर नहीं होती, जिससे सारे नाकारा साबित हो रहे हैं। इसलिए यह जो सरकार ने पिछली बार एक विधायक को 10 ट्यूबवैल और 40 हैण्डपम्प दिये थे, उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी एक बार इस सरकार को आत्म-मन्थन करने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डी.एम.एफ.टी. की पिछले तीन सालों में मात्र एक बैठक हुई है। एक बैठक अभी महीने-दो महीने पहले पाली में हुई, उसमें सारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पैसा डिस्ट्रिब्यूट कर दिया गया, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर कोई एग्जिक्यूशन नहीं हुआ, उसमें कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई और अभी उसको पेंडिंग कर रखा है रोककर रखा है, ताकि लोगों को सुविधा नहीं मिल सके, यह राजस्थान सरकार की प्लानिंग है।

इसके अलावा, आपने ग्रामीण गौरव पथ के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक विधायक से दो-दो ग्रामीण गौरव पथ के प्रस्ताव मांगे थे। उसमें मैंने भी निमाज और अमरपुरा, जो बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें दिया, लेकिन आज दिन तक उनका कोई अता-पता नहीं है। पिछली हमारी सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक विकास पथ दिया था, लेकिन इस सरकार ने तीन साल में सिर्फ एक गौरव पथ दिया और उसके बाद प्रस्ताव जरूर मांगे, लेकिन एक की भी स्वीकृति आपने अभी तक नहीं दी है। माननीय सभापति महोदय, इस बार राजस्थान सरकार, बजट में सदन के नेता जब जवाब दें तो मेरा इतना-सा निवेदन है कि जो आपने घोषणाएं की हैं उनकी पहले वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर निश्चित रूप से वे काम शुरू हो जाएं। तब इस क्षेत्र में काम होगा, आपकी जो घोषणा है उसके ऊपर जनता की मोहर लगेगी, नहीं तो यह जो लोक-लुभावना बजट आपने कहा है, कल वसुन्धरा जी ने ठीक ही कहा था कि यह नीतिगत बजट नहीं है, राजनीति का बजट है। यह पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता कह रही है, इस प्रदेश का प्रत्येक युवा कह रहा है।

(श्री अविनाश)

मेरा निवेदन रहेगा कि जैतारण के अन्दर पोक्सो कोर्ट की स्थापना अगर हो सकती है तो करें, नहीं तो कम से कम महीने में एक सप्ताह कैम्प कोर्ट भी कर दिया जाये तो जो 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है उसके लिए, जैतारण क्षेत्र के लोगों को उससे राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं? एक पटवारी के पास चार-चार सर्किल हैं, जिससे वे काम नहीं कर पाते हैं। तीन सालों के अन्दर पटवारियों की भर्ती नहीं हुई। अनेक बार उनके धरने-प्रदर्शन हुए, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है।

गर्मी के मौसम को देखते हुए कंटिंजेंसी प्लान, जो दिसम्बर के अन्दर तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज भी राजस्थान में कंटिंजेंसी प्लान तैयार नहीं हुआ है, अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।

इसके अलावा जैतारण नगरपालिका के अन्दर जो सीवरेज की समस्या है, उसके लिए मैंने पहले भी कहा है कि सीवरेज के कारण जैतारण शहर इतना दंश झेल रहा है कि लोगों के मकानों में दरारें आ गईं, सड़कें धंस गईं, चैम्बर टूट गये। आज की तारीख में लोग यह कह रहे हैं कि अगर सीवरेज की स्कीम स्वीकृत नहीं होती तो हमारा शहर इससे और ज्यादा सुन्दर होता। इसलिए 47 करोड़ जैसी इतनी बड़ी राशि की परियोजना गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसके क्रियान्वयन का जो तरीका था, वह जूनियर इंजीनियर के भरोसे, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के भरोसे था, जिसके कारण आज जैतारण शहर में बहुत मुश्किल हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, ये जो सड़कें स्वीकृत होती हैं या कोई भी काम राज्य सरकार के माध्यम से स्वीकृत होता है, उसमें आज कोई काम 10 परसेंट बिलो, 20 परसेंट बिलो में एक ठेकेदार लेता है। इसमें हमने यह निवेदन किया है कि यह जो 20 परसेंट की राशि है, उसको वापस उसी कनेक्टिंग रोड के लिए, किसी काम के लिए सरकार पास करे क्योंकि हमने जब चीफ इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि यह पूरे राजस्थान की जनरल समस्या है और उनके पास ऐसा पावर नहीं है कि वे कुछ एक्सेस कर सकें, इसलिए सरकार के माध्यम से निवेदन रहेगा कि जो बिलो अमाउंट है, उसको भी उसके अन्दर समायोजित करे, ताकि उसी अमाउंट का फायदा उस क्षेत्र के लोगों को मिल सके।

आपने नन्दीशालाओं की घोषणा की। मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में

(श्री अविनाश)

एक भी नहीं खुली और लगता है कि पाली के अन्दर एक भी नहीं खुली है। आपने अभी पिछली कैबिनेट में एक फैसला किया कि तीस वर्षों के कब्जों के आधार पर गोचर में पट्टे दिये जायेंगे। आपके इस बहुत बड़े अहंकारी निर्णय का राजस्थान के प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन ने विरोध किया, गांव के जो गौ-भक्त हैं, उन्होंने विरोध किया और अनेक सामाजिक संगठन थे, जिन्होंने विरोध किया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): उन्होंने निवेदन किया कि यह जो आपने फैसला किया है, इसको वापस लें और गोचर की जमीन को बचाया जाये।

विद्युत विभाग के अन्दर आज एक गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो एक व्यक्ति अपने खुद के साधन पर वह ट्रांसफार्मर बिजली घर में लेकर आता है, लेकिन योजनाओं की जानकारी के अभाव में, मैंने पता किया कि 700 रुपये उसके बिल में जुड़ कर आते हैं। माननीय सभापति महोदय, तीन साल के अन्दर जहां तक मैंने समझा, किसी व्यक्ति के खाते में 700 रुपये जमा नहीं हुए, भले ही हजारों लोग, ट्रांसफार्मर जले थे, वे लेकर आ गये। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि योजनाओं की जानकारी के अभाव में यह जो लोगों के साथ में छलावा हो रहा है, इसकी जानकारी भी अगर लोगों तक होगी तो इसका फायदा उन तक पहुंचेगा।

सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करूंगा कि आज एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी है, उचित मूल्य की दुकान, राशन की जो भी बनी है....

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में लगभग 6-6, 8-8 किलोमीटर पर समिति बनी हुई है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक रेवेन्यू विलेज पर ग्राम सहकारी समिति स्थापित की जाये, ताकि उससे लोगों को फायदा मिले।

होमगार्ड के जवानों के बारे में मैंने कहा कि होमगार्ड के जवानों का वेतनमान बढ़ाया जाये और 58 वर्ष की आयु तक उनको वर्ष भर के लिए ड्यूटी दी जाये।

(श्री अविनाश)

इस बार आपने एन.पी.एस. के स्थान पर ओ.पी.एस. का सरकारी कर्मचारियों को फायदा दिया है। निश्चित रूप से इतने वर्षों तक चाहे वह राष्ट्रीय शिक्षक संघ हो, चाहे पंचायती राज संघ हो, दूसरे और भी संगठन, टीचर्स के जितने भी संगठन थे, उन सबने संघर्ष किया। हम लोगों को भी ज्ञापन दिया, हमने मुख्य मंत्री जी को लिखा और आपने यह कहा कि आगामी वर्ष से इसका लाभ मिलेगा तो मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि यह जो लाभ आप दे रहे हैं, इसे आगामी वर्ष से नहीं, जब से आपकी सरकार बनी है, यह 2019 से इसका लाभ देना शुरू करें।

इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका, जो अधिवक्तागण हैं, वे भी विरोध कर रहे हैं और इस बात के लिए लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को भी आप लोग प्रस्तुत करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें। विराजिये। श्री अमीन खां।

श्री अविनाश (जैतारण): एक अन्तिम बात कहते हुए कि रीट का जो अभी एग्जाम हुआ था, उसके अन्दर, यह जो मैं पेपर दिखा रहा हूं, राजस्थान में बीते एक साल में लगभग 2,300 बार धरने-प्रदर्शन हुए, उनमें सर्वाधिक एक हजार बेरोजगार संघ ने ये किये थे। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि राजस्थान सरकार रीट की सी.बी.आई. से जांच कराये और प्रदेश के नौजवानों को फायदा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने 23 तारीख के दिन इस सदन में 2022-23 का बजट पेश किया, वह काबिल-ए-तारीफ है। हम ज्यादा अर्थशास्त्री नहीं हैं और न इन आंकड़ों को इतना ज्यादा जानते हैं, पर कामन सेंस से इतना समझ पाये हैं कि राज्य में एक भी आदमी पर किसी प्रकार का एक पैसे का नया टैक्स नहीं लगाया है, बल्कि कुछ स्टाम्प ड्यूटी में और कई टैक्सों में कटौती जरूर करके लोगों को उन्होंने राहत दी है। सरकारी कर्मचारियों की जहां पेंशन बन्द थी, उस पेंशन को उन्होंने चालू करने का फैसला किया, इससे राजस्थान में हर घर में मुख्य मंत्री की अच्छी तारीफ हो रही है। पिछले दो साल में कोरोना की बीमारी ने पूरी दुनिया में, हिन्दुस्तान में और राजस्थान में एक हड़कम्प मचा दिया था। उसमें भी मुख्य मंत्री ने अच्छी पहल की, जिससे राजस्थान में कोई

(श्री अमीन खां)

बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोग आराम से खुशहाली से अपना धन्धा करते रहे और वक्त आराम से गुजर गया।

इस साल भी कई राहत उसमें दी गई हैं। इन राहतों में आम आदमी को, जैसे उपनिवेशन क्षेत्र में किसानों को जमीनें दी गई हैं, वे किश्त भरने से लाचार हैं। उनके लिए भी अच्छी राहत दी, इसी साल के अन्त तक जो पैसे भर देंगे, उनका समस्त ब्याज खतम कर दिया जायेगा। ये एक अच्छी रिलीफ है।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर हायर सैकण्डरी स्कूल खुल जायेगी, मुख्य मंत्री का यह ऐलान भी काबिल-ए-तारीफ है और इसमें किसी के साथ पक्षपात करने का, किसी के साथ ज्यादती होने का भी कोई शक नहीं रहेगा। इसलिए, यह ईमानदारी का ऐलान है।

आखिर में, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहता हूं। सब लोग कोई स्लिप लेकर बोलते हैं, कोई कागज लेकर बोलते हैं। मेरे पास कोई कागज स्लिप नहीं है। मैं मेरे विवेक से बोलता हूं। राजस्थान में कमजोर वर्गों की बात, हम लोग कमजोर वर्ग में आते हैं और सभी लोग जानते हैं, हम लोग 95 परसेंट चुनावों में पोलिंग करते हैं और 99 परसेंट वोट कांग्रेस के पक्ष में डालते हैं। जितना हम पक्ष करते हैं और इन बी.जे.पी. वालों की जितनी जोखिम उठाते हैं, उतना हमको इंसाफ नहीं मिलता है। इसका हम दु:ख जाहिर करते हैं।

उर्दू भाषा कोई पाकिस्तान के बाप की भाषा नहीं है, कोई मुसलमानों की अकेलों की भाषा नहीं, उर्दू असली हिन्दुस्तान की भाषा है। आज भी आपके जिला हैडक्वार्टर या किसी शहर में थाना अलग होता है तो उस थाने का नाम सदर थाना लिखा जाता है। यह कोई हमारे कहने से तो नहीं लिखते हैं। सदर कोई संस्कृत और हिन्दी का लफ्ज नहीं है, उर्दू का लफ्ज है। पुलिस की तफ्तीश में रोजनामचा आम, रोजनामचा तफ्तीश, मौका मुआयना शब्द आज लिखा जाता है, हर थाने में। ये शब्द उर्दू के लफ्ज हैं। इसका मतलब है कि उर्दू एक हाकिम शब्द है, उर्दू एक मोहब्बत और अदब वाला इल्म है। राजस्थान में, गांव में, शहरों में हजारों मदरसे हैं, इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू का महत्व नहीं दिया गया तो कोई मौका नहीं लगेगा और मुसलमानों के साथ हम रिलीफ नहीं मानते हैं।

बी.जे.पी. वालों को हम मयार नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको हम वोट देते नहीं हैं। सिर्फ अभी कांग्रेस की जो पुरानी आदत पायी है, हम कहते

(श्री अमीन खां)

हैं, मेहरबानी करके इस आदत को बदल दो, वरना लोग अब अनजान नहीं रहे और कहीं आप चोट खा जाओगे। बी.जे.पी. हिन्दुत्व की ज्यादा बात करती है। हिन्दू धर्म में साफ लिखा है कि किसी को मारेंगे नहीं, हिन्दू राज हो गया तो भी हमको तसल्ली है कि कोई नहीं मारेगा। ये तो भय बताने की बातें हैं।

मेरे बहुत अदब के साथ मुख्य मंत्री से निवेदन है कि उर्दू की कम से कम वैकेंसी ज्यादा रखें और उर्दू विषय में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की सहूलियत दी जाये। रियायत की बात कहता हूं। पार्लियामेन्ट के चुनाव हुए। पार्लियामेन्ट के चुनाव में हमारे जिले में सात विधान सभा क्षेत्र हैं, सबमें तीस-चालीस-पचास हजार वोटों से कांग्रेस पीछे रही, केवल मेरे क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही।

अभी बजट में सड़कों का कोई नाम आया है, दूसरों के एरिये में जरूर आया है। मेरे एरिये में एक इंच सड़क भी नहीं आयी है इसलिए, मेरा अर्ज है कि इस तरह से आप गलतफहमी में रहकर, पुराने जमाने में अनजान लोग गांव में ज्यादा थे, अब अनजानी काफी दूर हो गयी है, लोग जानकार हैं और इन गरीबों को विशेष रियायत की हम आशा रखते हैं।

किसी भी वर्ग में 95 परसेंट पोलिंग नहीं होती है और किसी भी वर्ग में 99 परसेंट कोई वोट एक पार्टी को नहीं देता है। राजस्थान में चार शिड्यूल्ड कास्ट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुसलमान जनता के काबिल एक भी मंत्री नहीं है। ये शाले मोहम्मद के पास है, क़ब्रों का महकमा, जिसका मुसलमान के सिवाय कोई लेना-देना नहीं है और वो जाहिदा के पास महकमा है गवर्नमेन्ट प्रेस का, इससे कोई हमारी किताब तो छपवानी नहीं है। वसुन्धरा के पास, यूनुस खान मिनिस्टर था। उसके पास दो डिपार्टमेन्ट थे और इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट थे। वह तब्लीगी जमात का आदमी है, सारा राजस्थान जानता है, और मुसलमान पक्के लाइन का आदमी है।

मैं इतना ही कहूंगा अभी अल्पसंख्यकों के आवासीय स्कूल की हमने मांग की थी तो तीन-चार जगह के नाम आये। हमारा क्षेत्र जिस जगह से मैं पांचवीं बार अल्पसंख्यक एम.एल.ए. हूं, एक आवासीय स्कूल, दूसरी तहसील में दो आवासीय स्कूल मांगे थे। दोनों स्कूलों का नाम नहीं आया। क्या यह बड़ी बात है? एक-दो आवासीय स्कूल खोलना कोई बड़ा धन-दौलत का राज्य पर भार नहीं है, लेकिन क्योंकि हमको इग्नोर किया जा रहा है, यह नहीं करना चाहिए।

(श्री अमीन खां)

आखिर में, इतनी ही बात कहकर आम बजट है, कोई हमारे लिये बजट है नहीं, उसकी तारीफ करता हूं। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री धर्मनारायण जी जोशी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा में विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को जादूगर कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जादू एक ऐसी कला है जिसे अत्यन्त सफाई और चातुर्य से प्रस्तुत किया जाता है। जादू में दर्शक को जो होने वाला है उसका आभास कराया जाता है, जो वास्तव में होता नहीं है। परन्तु जादू देखने वाला दर्शक जैसे ही देखता है, वह ताली बजाने लगता है। ऐसा ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया। मेरा निवेदन यह था कि पुरानी बजट की घोषणाओं को माननीय मुख्य मंत्री जी देख लेते। उसकी अगर समीक्षा कर लेते तो आज बजट की ऐसी स्थिति नहीं बनती। मैं 2019-20 के बजट की बात प्रारम्भ कर देता हूं। 2019-20 में, उसके पहले वसुन्धरा जी की सरकार ने मावली में एक कालेज भवन खोला, 25 बीघा जमीन दी।

(समय: 17.00 बजे)

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मैं जब विधायक बना, 2019-20 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस बार राजस्थान में 18 कालेज भवन बनेंगे। 2019-20 के बजट में घोषणा की, कुछ नहीं हुआ। फिर आ गया 2020-21 का बजट। 2020-21 के बजट में मावली को भूल गये। मावली की मैंने उनको उस समय बताई थी। कहा कि राजस्थान के विभिन्न कालेजों में 350 कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आ गया 2021-22 का बजट। 2021-22 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डी.एम.एफ.टी. से राजस्थान के विभिन्न कालेजों में भवन बनेंगे। यह कार्यशैली माननीय मुख्य मंत्री जी की है। जहां चुनाव होना था, मेरे पास के विधान सभा क्षेत्र में वहां डी.एम.एफ.टी. के पैसे लगाये, जबकि वहां डी.एम.एफ.टी. की पंचायतें नहीं हैं। उसके बाद भी वहां पैसे लगाये, क्योंकि चुनाव होने थे तो मेरा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि यह हमारे साथ भेदभाव हुआ है। राजस्थान में छोटे-छोटे शहरों की नगरपालिका की घोषणा की है। मेरा विधान सभा क्षेत्र मावली, अनेक नगरपालिकाओं की घोषणा ऐसी की है जो छोटी हैं, परन्तु मेरे मावली को नगरपालिका की सूची में नहीं लिया।

माननीय सभापति महोदय, फतेहनगर और सनवाड़ में उच्च जलाशय की पूर्ति करेंगे। यह भी 2020-21 के बजट की घोषणा थी, लेकिन एक भी काम वहां नहीं हुआ। राजस्थान में मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अभी घोषणा की कि 19 जिलों में 36 महिला कालेज बनेंगे। पहले भी आपने राजस्थान में 120 कालेज खोले। 98 में प्रिंसिपल नहीं है। प्राइमरी स्कूल में कालेज चल रहे हैं। मावली में भी प्राइमरी स्कूल में चौथा साल है, कालेज चल रहा है, कोई उसका धणीधोरी नहीं है। अभी अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल दिये। राजनीतिक भेदभाव वह नहीं था, जब माननीय वसुन्धरा जी ने एक आदेश से राजस्थान में प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर सात हजार स्कूल खोले। कोई सानी है उसका खोलने का, परन्तु तीन सौ स्कूल की आपने जन घोषणा पत्र में घोषणा की थी बढ़-चढ़ कर।

(समय: 17.02 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सारे माननीय सदस्य कहते थे कि राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय किया है, 22 हजार स्कूल बंद कर दिये, हम राज में आते ही स्कूल खोलेंगे। राज में आते ही स्कूल खोलेंगे यह घोषणा की, क्या हुआ? मुझे जो

(श्री धर्मनारायण जोशी)

जवाब मिला विधान सभा के प्रश्न का, उस जवाब में बहुत ही कम स्कूल, कोई हजार-ग्यारह सौ के आस-पास स्कूल खोले हैं और तीन सौ सैकण्डरी स्कूल खोले, सीनियर कर दिये, उसकी वाहवाही चल रही है। सात हजार स्कूल खोले एक आदेश से पंचायत हैड क्वार्टर पर, जो पंचायतें नयी बनी हैं वहां केवल स्कूल नहीं खुले, यह स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के लिए 2020-21 के बजट में, सौ करोड़ रुपये से बाल संरक्षण कोष की स्थापना की जायेगी और आज दिन तक एक रुपया भी वहां नहीं लगा उसमें। राजस्थान में पहले बजट में घोषणा की कि जयपुर को भिखारी मुक्त करेंगे। भिखारी मुक्त तो राजस्थान हो गया। 'शुद्ध के लिए युद्ध', हो गया? वह भी 'शुद्ध के लिए युद्ध', यानी जितने दीपावली के समय नकली मावे पकड़े हैं, राजस्थान में हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है, एक आदमी को किसी को सज़ा मिली हो तो सदन में बतायें कि उसको सज़ा मिली है।

माननीय सभापति महोदय, यह सारा खेल राजस्थान में चल रहा है। आपने चुनाव के समय घोषणा की थी तीन लाख संविदाकर्मियों को हम परमानेंट करेंगे और इस बजट में आपने घोषणा की है कि बीस प्रतिशत उसका पैसा बढ़ायेंगे। यह क्या है? आपके माननीय सचिन पायलट साहब और प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने, रोडवेज की हड़ताल चल रही थी तो वहां जाकर घोषणा की कि यह रोडवेज की हड़ताल खतम कर दो। आज वह कर्मचारी रिटायर हो गये, उनके जो चपरासी थे, उनको बेटी का विवाह करना है, उनको पेमेंट नहीं हुआ है। यह राजस्थान की स्थिति आप लोगों ने खड़ी कर दी है। पैसा कहां से आयेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल घोषणा है। जादूगर जब घोषणा करते हैं तो लोग ताली पीटते हैं। वहां सिर्फ प्रकट करते हैं, पांच सौ के नोट दिखाता है वह जादूगर, लेकिन वास्तव में नोट होता नहीं है। यह राजस्थान की स्थिति है।

श्रीमान् जी, आपने 2020-21 के बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान में दो होम्योपैथिक कालेज खोलेंगे। अभी जवाब आया मेरे प्रश्न के उत्तर में कि उसकी एन.ओ.सी. जारी हो गयी है। एन.ओ.सी. जारी हुई है, लेकिन आपके जन घोषणा पत्र का क्या हुआ? आपने वादा किया था जन घोषणा पत्र में कि राजस्थान में हस्तशिल्प व हथकरघा बोर्ड व वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का गठन होगा। उसका भी कुछ नहीं हुआ।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय सभापति महोदय, वसुन्धरा जी की सरकार ने बिजली का दस हजार रुपये का बिल माफ किया था। आपने चौथे साल में, यानी सरचार्ज के नाम पर बिजली के पैसे बढ़ते रहे, बिजली के बिल में करंट आता रहा, लेकिन कोई धणीधोरी सम्भालने वाला नहीं था और अब घोषणा की है कि 50 यूनिट पर, 100 यूनिट पर, 150 यूनिट पर फायदा दिया जायेगा।

अभी बढ़-चढ़ कर सारे लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं। कहां खोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टाफ कहां है? मेरे क्षेत्र में एक बालिका स्कूल है सनवाड़ में, उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने के आदेश आ गये। अभी स्टाफ वो ही है, बच्चे वो ही हैं। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे स्कूल को कन्वर्ट मत करिये। नया स्कूल कुछ नहीं खोला, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, भवन नहीं है, परन्तु वास्तविक बात आप लोग स्वीकार नहीं करोगे, मुझे पता है।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के लिए पहले विधायकों को 15 किलोमीटर सड़क मिलती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको कर दिया कि विधायक के अपने क्षेत्र में उसकी अनुशंसा पर पांच करोड़ रुपये की सड़कें मिलेंगी। मान लिया। फिर तीन महीने बाद मुख्य मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि राजस्थान में आठ सौ करोड़ की सड़कें बन रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने इंजीनियर साहब को पूछा कि यह आठ सौ करोड़ की सड़कें कहां बनेंगी तो बताया कि वह जो काम चालू हुए हैं न पहले विधायकों के पांच-पांच करोड़ के, वो ही हैं, और कुछ नहीं है। यानी बीच-बीच में सारे पैसे जोड़ करके बताना, यह क्या है?

आपने किसान बजट पेश किया। किसानों के आंदोलन को जो सबसे बड़ा आंदोलन था, आपने उसको समर्थन दिया, परन्तु आपके अभी किसान बजट में एम.एस.पी. का कहीं वर्णन नहीं है। सारे केवल 10-11 बिन्दु बता करके इसकी थोथी घोषणा की है।

आपने पहले बजट में घोषणा की थी कि पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला खोलेंगे। मैंने प्रश्न पूछा कि कितनी नन्दीशालाएं खोल दीं? मेरे को जवाब मिला कि यह विचाराधीन है, योजना तैयार है। 1 करोड़ 57 लाख रुपये विचाराधीन हैं। ये पैसे उसमें लगेंगे। आज केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक किसान के खाते में 6 हजार रुपये साल के जमा हो रहे हैं। राजस्थान में किसान की यह स्थिति है कि किसान के आपके पास आंकड़े नहीं हैं जमीन के और उसके कारण वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। उसके कारण राजस्थान के किसान को

(श्री धर्मनारायण जोशी)

बहुत भारी नुकसान हो रहा है। आपने, दस दिन में कर्जा माफ करेंगे, यह घोषणा की थी। बजट में प्रावधान नहीं है। अब कह रहे हैं कि हमने केन्द्र को चिट्ठी लिखी है राष्ट्रीयकृत बैंकों में केन्द्र करेगा। क्यों करेगा? घोषणा तो आपने की है। आप उसका कर्जा माफ करिये। आज राजस्थान में किसानों को नोटिस मिल रहे हैं। उनकी जमीनें नीलाम हो रही हैं। कोई धणीधोरी नहीं है, सुनने वाला नहीं है। माननीय वसुन्धरा जी की सरकार ने किया था कि राजस्थान में प्रत्येक पंचायत पर गौरव पथ बनेगा। आपने आते ही उस गौरव पथ को विकास पथ बना दिया। चौथा साल चल रहा है, एक विकास पथ मिला है एक विधान सभा क्षेत्र में। यह आपकी वर्किंग है। केवल एक विकास पथ, वह भी पुरानी घोषणाओं पर हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, थानों में स्वागत कक्ष बनेंगे और वो डी.आई.जी., आई.जी., एस.पी. विधायकों व एम.पी. को फोन कर रहे हैं कि स्वागत कक्ष के पैसे दीजिये आप, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार को वाहवाही लेनी है। मतलब, ऐसी स्थिति में आप देखिये हमारे यहां केन्द्र सरकार ने वेंटीलेटर दिये। उस संकट काल में राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया, मानता हूं। हमारे यहां की पुलिस ने अच्छा काम किया। हमारे मेडिकल के कर्मचारियों ने अच्छा काम किया। डाक्टर्स ने अच्छा काम किया। केन्द्र सरकार ने वेंटीलेटर दिये और राजस्थान में सरकार कह रही है कि वेंटीलेटर खराब थे। खराब क्या था उसमें, आपने भरतपुर में वेंटीलेटर प्राइवेट होस्पिटल को किराये पर दे दिये। खराब उसमें यह था कि दो सौ-तीन सौ रुपये का उसमें वायर नहीं था। वायर सरकार को देना था, तो वायर देते ही वह चालू हो जाता। यानी क्या स्थिति आपने राजस्थान की बना रखी है। केन्द्र सरकार को बजट में कहीं पर भी, यानी फ्री वैक्सीन देने के बाद भी, उस संकट काल में केन्द्र सरकार ने हमको फ्री वैक्सीन दी, कहीं पर प्रधान मंत्री का, केन्द्र सरकार का धन्यवाद देने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है राजस्थान की सरकार के पास।

राजस्थान में 13000 केन्द्रों में फार्मासिस्ट नहीं हैं। वहां बिना डिग्री के लोग दवाइयां दे रहे हैं। तीन साल में पांच बार उनकी परीक्षा स्थगित हो चुकी, श्रीमान, इसको भी आप ठीक कराएं। माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर केवल लुभावनी बातें करके मन बहलाना है। मात्र प्रशंसा करनी है तो अलग विषय है, लेकिन इससे विकास नहीं होगा, आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी। वादे करके मुकर जाने का जवाब जनता उचित समय पर देगी। मैं

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय मुख्य मंत्री जी को दो पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। "खुद से वादा करो कि कभी वादाखिलाफी न करो, वादाखिलाफी की तो फिर हम से वादा किया और खिलाफ हो गये।" आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा जी।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता इस बजट से काफी खुश है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को जनता कोई जननायक कह रही है, कोई महानायक कह रही है, कोई राजस्थान के गांधी कह रही है, कोई गरीबों का मसीहा कह रही है। ऐसा बजट पेश किया जो इतिहास में आज तक किसी ने देखा नहीं और सुना नहीं। मैं भी कहना चाहता हूं कि जो सम्राट अशोक महान हुआ करते थे, यह राजस्थान में इन्होंने करके दिखाया है। कल जैसे ही बजट की घोषणा हुई, राजस्थान में एक अलग लहर चल गयी कि वापस दुबारा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन विपक्ष के नेताओं को रात को नींद नहीं आई। कोई सोच रहा था कि मैं मुख्य मंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। कोई सोच रहा था वापस मंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा। कोई सोच रहा था कि वापस एम.एल.ए. बनूंगा या नहीं बनूंगा और कइयों ने तो खाना ही छोड़ दिया। मुख्य मंत्री जी ने ऐसा बजट पेश किया कि इनके पेट में दर्द होने लग गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जोर से बोलते हैं। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। प्रधान मंत्री जी ने अच्छे दिनों का वादा किया था। कहां गये अच्छे दिन, कहां गये 15 लाख, कहां गई दो करोड़ नौकरियां? ये खाली वादे करते हैं। ये कह रहे हैं कि सी.एम. साहब ने बजट घोषणा में कुछ नहीं किया। जो 5 करोड़ की मिसिंग लिंक रोड दी थी, वह हमारे वहां तो चालू हो गया और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ हो तो 10 करोड़ आप मत लो। कह रहे हैं कि आते ही नहीं है। हमको वापस दे दो, हमारे क्षेत्र में हम काम करायेंगे। आप कह रहे हो कि 10 करोड़ के काम हमको मिलते ही नहीं, खाली खोखली बजट घोषणा है। मत लो, हम तो कहते हैं कि आप लिखकर दे दो कि हमको 10 करोड़ नहीं चाहिये, बजट है ही नहीं क्यों दे रहे हो। हम देने के लिये तैयार हैं और हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिये हम तैयार हैं।

सभापति महोदय, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मुख्य

(श्री गणेश घोघरा)

मंत्री जी ने चालू की, उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नगर परिषद् में जो झुग्गी-झोंपड़ी वाले थे, अल्पसंख्यक हैं, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. वर्ग हैं, सभी वर्गों के लिये यह वरदान साबित हुई। हमारे टी.एस.पी. एरिये में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में उनको वहां रोजगार नहीं मिलता था, कोई ठेला लगाता था। आज उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। वह अशोक गहलोत जी की जिन्दाबाद कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी की फोटो लगाकर वह आज वहां खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं लेकिन इनको यह पसंद नहीं आ रहा है। ये जानते हैं कि ऐसा बजट क्यों पेश किया, हमारे पास मुद्दा नहीं है, हम किस मुद्दे पर वापस सरकार बनायेंगे, हम कैसे जीत कर आयेंगे, इनको यह चिंता हो गई है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। वास्तव में अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, इसकी पूरे हिन्दुस्तान में तारीफ कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने ऐसा शानदार बजट, जानदार बजट और दमदार बजट पेश किया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. एरिया में कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं है, नरेगा से ही हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। नरेगा में जो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किये हैं, यह काफी काबिल-ए-तारीफ है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले 5 लाख था, उसको बढ़ाकर 10 लाख किया। आज गरीब का हास्पिटल में छोटी-मोटी बीमारी का पांच हजार का इलाज भी हो जाता है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन 10 लाख रुपये किये हैं, यह हमारे लिये बहुत बड़ी बात है कि 10 लाख का नि:शुल्क इलाज होगा। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिये क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना, किसी असहाय के अगर एक ही बेटा है और उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई तो उसको देखने वाला कौन है। मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना लागू की। इसमें उसकी दुर्घटना पर पांच लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर होगा। यह रोज रीट-रीट चिल्ला रहे थे। इनके कार्यकाल में कई घोटाले हुए।

श्री सभापति: आप इधर देखकर बात कीजिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अच्छा इधर देखूं क्या? मैं बार-बार उधर देखने लगता हूं, अब इधर ही देखूंगा।

यह चाहते हैं कि रीट की भर्ती न होवे और हम मुद्दा बनाएं लेकिन

(श्री गणेश घोघरा)

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी भी तत्पर हैं और हमारी जनता भी तत्पर है। हमारी इस रीट की भर्ती में 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी और जुलाई में एग्जाम होगा व पुराने अभ्यर्थियों को शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा, हमारे युवाओं के लिये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।

कर्मचारियों की लम्बे समय से मांग थी कि पुरानी पेंशन चालू की जाये। जैसे ही पुरानी पेंशन चालू की, उनके परिवार में उनके माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार, सबने खुशियां मनायीं, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पार्टी का हो। वह कहने लगे कि अशोक जी ने हमारी सुन ली और अशोक जी ने जोरदार काम किया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। इनके पेट में यह दर्द हो रहा है कि पुरानी पेंशन क्यों चालू की।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं कई पंचायतों में जन सुनवाई में गया। जनता की समस्या आई, जैसे गरीब लोग शादी करके अलग मकान बनाकर रहते हैं, अलग झोंपड़ा बनाकर रहते हैं, उनका राशन कार्ड बन गया। खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं जुड़ा तो उनको गेहूं नहीं मिलता है खाली मजदूरी करके वह अपना भरण-पोषण करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने एन.एफ.एस., खाद्य सुरक्षा में 10 लाख नये परिवारों को जोड़ने की घोषणा की। यह पूरे राजस्थान के लिये बहुत ही जोरदार काम है। इससे खाद्य सुरक्षा में उनको गेहूं मिलेंगे इससे हमारे काफी गरीबों का भला होगा।

इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विकास के लिये 5 गुना बढ़ाया गया। 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। जनजाति वर्ग के छात्रों के लिये आवासीय छात्रावास खोलने की घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है।

इस तरह से कई योजनाओं की सौगात दी है। मुख्य मंत्री जी ने हर विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ की मिसिंग लिंक और नोन पेचेबल सड़कों के लिये घोषणा की है लेकिन बी.जे.पी. वाले कहते हैं कि यह तो खाली घोषणा ही है, काम कुछ होता ही नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि आपका काम नहीं होता है तो आपके 10 करोड़ हमको दे दो, हम हमारी विधान सभा क्षेत्र में अच्छा काम करा देंगे।

मैं जितनी तारीफ करूं, उतनी कम है। आज गांवों में जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन मिल रही है, उसको 500 से 750 की, 750 से 1000 की और 1000 से 1500 रुपये की। लोग कहते हैं कि मेरा खुद का बेटा मुझे हर महीने पेंशन नहीं देता है, लेकिन राजस्थान में हमारा मुखिया

(श्री गणेश घोघरा)

बैठा है अशोक गहलोत, वह हर महीने हमारे खाते में पैसा पहुंचाता है। यह गरीब लोगों की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। यह मैं मेरे क्षेत्र की आवाज बोल रहा हूं। आप भले ही कुछ भी कर लो, लाख दुआ कर लो, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, वह वास्तव में पूरे हिन्दुस्तान में कोई भी नहीं कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र गुजरात सीमा से सटा हुआ है। इधर वीरपुर शरम, इधर मेवाड़ा वीरपुर, उसके बाद पालीछोड़ा तलैया से डूंगरपुर मुख्यालय पर पढ़ने आने के लिए छात्र-छात्राओं को 40-45 किलोमीटर आना पड़ता है। वे जीपों पर बैठकर आते हैं। कभी दुर्घटना भी घट जाती है, कभी गाड़ी भी पलट जाती है, कभी देरी भी हो जाती है तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में थाना वाया मेवाड़ा-शरम वीरपुर और तलैया तक दो गाड़ी चालू कराने की व्यवस्था करें तो हमारे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। बिछीवाड़ा उप खण्ड में ..(व्यवधान) बाद में बताऊंगा। बैठ जाओ।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): धरने पर कौन बैठा था?

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): बाद में बताऊंगा।

बिछीवाड़ा उप खण्ड में, डूंगरपुर उप खण्ड और रामसागड़ा में और डूंगरपुर, पालदेवल में महाविद्यालय खोले जाएं, क्योंकि हमारे वहां आदिवासी या किसी भी वर्ग के बच्चों हों, उनको आने-जाने में समस्या होती है। समय पर साधन नहीं मिलते हैं और वे रोज का किराया भी नहीं दे सकते हैं। वहां पर दोनों जगहों पर राजकीय महाविद्यालय खोले जायें, यह मेरे क्षेत्र की डिमाण्ड है। मेरी डिमाण्ड नहीं है, यह युवाओं की डिमाण्ड है, इसलिए वहां पर कालेज खोले जाएं।

पालदेवल उप तहसील या तहसील हो। मेवाड़ा बांध और अपरघोड़ी बांध दो बड़े तालाब हैं। वहां पर 10-12 गांव हैं। वहां पर नहर का जीर्णोद्धार हो गया है, वह आधी-अधूरी है। उन दोनों तालाबों की नहरों का जीर्णोद्धार हो जाये और जो आधी-अधूरी हैं, उसको पूरा किया जाये, ताकि किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। डूंगरपुर में हमारे यहां अल्पसंख्यक वर्ग भी है, गरीब है। मदरसों का सुदृढ़ीकरण हो, उपकरण मिलें, मदरसों का विकास हो। डूंगरपुर में मांग है कि अल्पसंख्यकों के लिए एक छात्रावास खोला जाये।

(श्री गणेश घोघरा)

टी.एस.पी. क्षेत्र में काफी वर्षों से मांग है। हमारे वहां से विपक्ष में एम.एल.ए. बैठे हैं। वे नहीं बोलेंगे। उनको बोलना चाहिए, पर वे नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको जनता सबक सिखायेगी। टी.एस.पी. क्षेत्र के लिए सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और राज्य के एस.टी. के 12 प्रतिशत में से 6 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं, भौगोलिक स्थिति खराब है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है। यह हमारी वास्तविक मांग है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और प्रशासनिक सेवा में 12 में से 6 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। यह पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र की मांग है। भले ही विपक्ष वाले एम.एल.ए. नहीं कहेंगे, लेकिन यह जनता की वास्तविक मांग मैं बता रहा हूं, यह हमारी ज्वलन्त मांग है।

उसके बाद डूंगरपुर में जो आदिवासी बैल्ट बसा हुआ है, नगर परिषद् बाद में बनी, पंचायत पहले थी, गांव पहले बसे, नगरपालिका बाद में बनी, नगर परिषद् बाद में बनी। वे लोग वहां पर नगर परिषद् बनने के पहले बैठे हैं। उन लोगों को मास्टर प्लान में ले लिया गया। पैरीफेरी में ले लिया गया। मैंने कई बार आवाज उठायी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार वहां पर सर्वे कराया जाये कि वास्तव में वे लोग 60-70 साल से वहां पर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। अगर वे वास्तव में बैठे हुए हैं तो उनको पट्टा या खातेधारी हक दिया जाये और नहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, नगर परिषद् अपना मास्टर प्लान बनाये और पैरीफेरी में लिया जाये। मेरा निवेदन है कि इन गांवों में वास्तविक मास्टर प्लान और पैरीफेरी को खतम करना चाहिए। अगर आदिवासियों की वह भी जमीन छिन जायेगी तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा निवेदन है कि पैरीफेरी और मास्टर प्लान खतम किया जाये और आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिया जाये।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि जगहों पर कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं। मैं सम्मान करता हूं कि नरेगा में 125 दिन किये गये हैं, लेकिन टी.एस.पी. के लिए 200 दिन किये जायें। यह मैं सी.एम. साहब से मांग करता हूं। हमारे डूंगरपुर में स्पोर्ट्स काम्लेक्स है, इसमें मल्टीपरपज इंडोर स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रेक, तीरंदाजी इक्यूप्मेंट्स की आवश्यकता है और 50

(श्री गणेश घोघरा)

मीटर का स्वीमिंग पूल बनाया जाये, यह मेरी और क्षेत्र की मांग है। हमारे अन्तरराष्ट्रीय तीरंदाज स्वर्गीय जयन्ती लाल ननोमा की दुर्घटना में डैथ हो गयी। इसलिये हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, डूंगरपुर का नाम स्वर्गीय जयन्ती लाल ननोमा के नाम पर रखा जाये, तो क्षेत्र में काफी खुशी होगी।

काकरी-डूंगरी प्रकरण, पूरा राजस्थान जानता है। रिक्त 1,167 सीटों को लेकर जो रीट अभ्यर्थी काकरी-डूंगरी पर बैठे हुए थे, उन पर असत्य मुकदमे लगाये गये। उस पंचायत में किसी की दुकान है, किसी का ढाबा है, उसकी लोकेशन आ रही है, उसको भी ले गये। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो रीट पिटीशनर्स हैं और जो पंचायत के लोग हैं, उन पर पुलिस ने जो असत्य मुकदमे लगाये हैं, वे मुकदमे वापस लिये जाएं। वास्तव में जो नेता थे या किसी भी दल के नेता हों, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाये। किसने यह उपद्रव करवाया? कौन दोषी है? भले ही मैं दोषी हूंऊं।

श्री सभापति: विषय पर बोलते हुए कन्क्लूड करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, कनक्लूड कर रहा हूं। किसी भी दल का नेता है, इसकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। वास्तव में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जो निर्दोष लोग हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग जानते ही नहीं हैं, बाहर पता नहीं क्या उपद्रव किया, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रीट पिटीशनर्स के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनका मुकदमे से नाम हटाया जाये। इसे वापस लिया जाये। मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से और पूरे राजस्थान के क्षेत्रवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। वे धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में, यही कहूंगा कि अशोक महान हैं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह जी मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व घोघरा जी बोल रहे थे कि जनजाति के लिए कांग्रेस ने यह किया, वह किया, उन्होंने बहुत लम्बा-चौड़ा कहा। मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का यह चौथा बजट है, पर हमारे जनजाति क्षेत्र के लिए क्या दिया? मां-बाड़ी के अन्दर पिछले तीन साल से कोई नयी मां-बाड़ी नहीं खोली गयी है। बच्चों की

(श्री फूल सिंह मीणा)

सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। हमारे उदयपुर के 50 प्रतिशत मां-बाड़ी केन्द्र आज भी बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए अगर भवन नहीं हैं तो वे बरसात में, सर्दी में कहां बैठेंगे? इसकी बजट में कोई घोषणा नहीं है। यही नहीं, सभापति महोदय, हमारे जनजाति क्षेत्र में मां-बाड़ी केन्द्रों में राशन सामग्री घटिया क्वालिटी की मिल रही है। वहां पर 25 रुपये का चावल आता है, बाहर चावलों की रेट 90 रुपये किलो है और उन बच्चों को यह सामग्री बांट रहे हैं। सभापति महोदय, बच्चों के स्टेशनरी, बैग, बिस्तर हर साल दिये जाते हैं। फट गये हैं तो चेंज किये जाते हैं, मगर उनके बैग फटे हुए हैं। उनकी राशन सामग्री और बैग अभी तक नहीं मिले हैं। परीक्षा खतम होने वाली है, दूसरा सैशन चालू होने वाला है, मगर हमारे उन मां-बाड़ी केन्द्रों के बच्चों को अभी तक बैग उपलब्ध नहीं हुए हैं। सभापति महोदय, छात्रावास प्रारम्भ कर दिये। पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास को जनजाति विभाग के अन्तर्गत ले लिया, लेकिन नये वार्डन नहीं लगाये गये हैं। आज एक वार्डन के पास तीन-तीन छात्रावास संचालित हैं। ये संचालित क्यों हैं? क्योंकि भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जनजाति विभाग के लिए, हमारे जनजाति भाइयों के लिए यह सरकार इतनी ही सहानुभूति जताती है तो हमारे हर छात्रावास के अंदर नये वार्डन की भर्ती करके उन बालक और बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर सकती है।

सभापति महोदय, जनजाति एरिया के अंदर कई घोषणाएं की हैं, जैसे जन सहभागिता योजना के बारे में उन्होंने घोषणा की थी कि 70 प्रतिशत सरकार देगी और 30 परसेंट वहां की जनता देगी। मगर आज दिन तक मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर कितने ही प्रपोजल मंगवा लिये, एक नया पैसा अभी तक नहीं दिया है। यह सरकार क्या चाहती है? घोषणाएं करती है, धरातल पर विकास का काम करवाना नहीं चाहती है। अभी घोघरा जी चले गये, उनको यह पता है कि जन सहभागिता योजना की घोषणा की थी और 30 परसेंट हमारे विधायक फंड से हमने दिया कि हमारा विकास ज्यादा होगा। मगर आज दिन तक वह धरातल पर नहीं आयी है। बिजली के बिल हमारे जनजाति एरिया के अंदर जो ट्राइबल एरिया है, वहां पर रीडिंग लेकर नहीं देते हैं। यों ही बिल टेक देते हैं। वह गरीब आदमी एक बल्ब जलाता है और उसके 15-15, 20-20 हजार रुपये बिल आता है। वह रोता हुआ हमारे पास आता है। एम.एल.ए.

(श्री फूल सिंह मीणा)

साहब, हमारे यहां इतना बिल कैसे आ गया? जब हम बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, उसके अंदर वापस रीडिंग दिलवाते हैं तो उनका बिल कम करवाया जाता है। रीडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से क्या बताऊं, इस सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी खोला। मैंने स्वागत किया। मगर बारापाल हमारी एक पंचायत है, उसके अन्दर यह स्कूल तो खोल दी, लेकिन वहां के आजू-बाजू के लोग उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कहां भेजें? हिन्दी मीडियम वाले बालक कहां जाएंगे? ट्राइबल एरिया के बच्चे को 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आपस में बात नहीं करें। वक्ता माननीय सदस्य को डिस्टर्बेंस होता है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): रामनारायण जी भाई साहब मस्त हैं। सभापति महोदय ने कहा है कि बातें मत कीजिए।

श्री सभापति: बोलिए प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस बारापाल के अनेक गांव हैं, जैसे बारापाल तोरण, तालाब, गोयेरा, खरपीना, रमणीघाटी, चांदनी, उमरिया, उमरिया कुंडाल, बड़ी आदि गांवों के बच्चे 15 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहां तक कि बालिकाओं ने तो पढ़ाई छोड़ दी। हमारे शिक्षा मंत्री यहां पर बैठे हैं। हमारे ट्राइबल एरिया में आये हैं। मैं मानता हूं कि आपने अच्छा काम किया है, मगर उन ट्राइबल के बालकों का कौनसा भला किया जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी? 15 किलोमीटर जाते हैं, मोटर साइकिल के अंदर, उनके पास मजदूरी के पैसे नहीं हैं। उनके मां-बाप मजदूरी करके लाकर उनको पेट्रोल भरवाते हैं। हाईवे इतना खतरनाक है कि आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। वह बच्चा स्कूल से जाकर वापस नहीं आता तब तक उनके मां-बाप रोटी नहीं खाते हैं।

सभापति महोदय, यही नहीं, हमारी पंचायत कालीवास है। हमारे शिक्षा मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालय है, मगर वहां पर शौचालय तक नहीं है। तीन साल के अन्दर नयी पंचायत बनी है, लेकिन वहां पर बालिकाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि पीने के पानी की व्यवस्था भी वहां पर प्रोपर नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री नोट कर रहे

(श्री फूल सिंह मीणा)

होंगे। यही नहीं, पैरा 38 में गिर्वा खेल स्टेडियम की गत बजट में घोषणा की थी, मगर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। दोबारा घोषणा कर दी है। सरकार की कई घोषणाएं हुई हैं। सौर ऊर्जा पनघट लगाएंगे। बजट घोषणा में कर दी, लेकिन आज दिन तक वह पनघट चालू नहीं हुई है। अभी हमारे गहलोत साहब ने भी बताया, कोई भी यहां पर जो विधायक बैठे हैं, उनके अगर सौर ऊर्जा पनघट चालू कर दी हो तो बता दें। ये घोषणाएं बड़ी-बड़ी करते हैं। जनजाति एरिया के अंदर पानी है नहीं, सौर ऊर्जा इसलिए दी है कि ट्राइबल एरिया है। एक पनघट चालू हो गयी तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारा हो गया है। हो सकता है आपके वहां पर कर दी होगी। हमारे ट्राइबल एरिया में नहीं की है।

श्री सभापति: आपस में नहीं। आप मुझे बताइए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, पैरा 49 में आप औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और हमारे जनजाति एरिया को भी, जो गरीब आदमी कुछ धन्धा कर ले, ऐसी योजना के अंदर उन्होंने फार्म भरवाया। ये घोषणा करते हैं कि हम जनजाति परिवारों के लिए, ट्राइबल के लिए भला करते हैं। सभापति महोदय, कहते हुए मुझे शर्म आती है कि हमको आरक्षण में जो प्लाट दिए थे, उसमें भी एस.सी./एस.टी. के अंदर जनरल महिला को डालकर हमारे एस.टी. कोटे को खतम कर दिया। यहां तक कि दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ता है कि ट्राइबल के जो प्लाट बिके, वह जनरल प्लाटों से भी महंगे बिके, क्योंकि उनमें जनरल महिला के अच्छे उद्योगपतियों ने फार्म भरवा दिया। ऐसे-ऐसे हमारे साथ में कुठाराघात किया गया।

सभापति महोदय, इंदिरा रसोई प्रारम्भ कर दी। क्या कर दी? पूर्व सरकार ने जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू कर रखी थी, उसकी लोकप्रियता और अच्छे काम को देखते हुए उस नाम को चेंज जरूर कर दिया। उसके लिए इनको धन्यवाद।

यही नहीं, पैरा 57 में स्कूटी देने की जो बात कर रहे हैं, ये आज की नहीं है। ट्राइबल की 65 प्रतिशत अंक लाने वाली बालिका को पूर्व सरकार ने भी स्कूटियां दी हैं। मगर पूर्व में जो हमारी बालिकाएं, 65 परसेंट से ऊपर अंक लाने वाली कई बालिकाएं हैं, जिनको न तो स्कूटी मिली है और न छात्रवृत्ति मिली है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उन बालिकाओं का क्या दोष है? एक बालिका को तो आप स्कूटी दे रहे हैं, उसी

(श्री फूल सिंह मीणा)

कक्षा में पढ़ने वाली गरीब की एक बालिका को स्कूटी नहीं दे रहे हैं। ऐसी अनेक बालिकाएं हैं। आज भी वे इन्तजार कर रही हैं कि हमने भी इतने बढ़िया अंक लाकर पास किया है तो उन बालिकाओं को स्कूटी दी जाए।

सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं कि पैरा 58 में दिव्यांग के लिए कालेज खोला जा रहा है। मैं आपसे मांग करता हूं कि मेरे उदयपुर के अन्दर जो नेत्रहीन विद्यार्थी हैं, वह कहते हैं कि हमको कहीं पर एक आश्रम दे दो, एक मकान दे दो, जहां पर खर्चा भी हम भुगतेंगे। मगर हमारे को रहने के लिए कोई व्यवस्था करवा दें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उन नेत्रहीन बालिकाओं को, जो वास्तव में दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि वे उदयपुर में रहकर अपनी कालेज की पढ़ाई कर सकें।

पैरा 72 में 10 करोड़ रुपये की लागत से हमारे को वास्तव में नॉन-पेचेबल और मिसिंग लिंक के लिए जो दिया, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व में जो हमारा 'गौरव पथ' था, उसको 'विकास पथ' के नाम से कर दिया। मगर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि एक भी न 'गौरव पथ', न 'विकास पथ', एक किलोमीटर भी मेरे को कोई 'गौरव पथ' या 'विकास पथ' के नाम से कुछ नहीं दिया। यही नहीं, जो हमारे नॉन पेचेबल के लिए 7 करोड़ रुपये दे रहे हैं, उसको मैं मांग करता हूं कि मिसिंग लिंक में बदला जाए और 3 करोड़ रुपये को नॉन-पेचेबल में देकर हमारे इस विकास को आगे बढ़ाएं।

सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने 2014 से 2017 तक 96 कार्य हमारी सरकार ने तीन साल में किये थे। लम्बाई तो थी 175 किलोमीटर और उसकी लागत थी राशि 89.5 करोड़ रुपये। इस सरकार ने क्या दिया, आपके माध्यम से आंकड़ा दिया है मैंने, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने 2018 से 2022 तक 31 कार्य दिये और 114 किलोमीटर लम्बाई और लागत 22.48 करोड़ रुपया लगाये हैं। जमीन-आसमान का फर्क है। इसलिए कहते हैं कि वसुन्धरा राजे सरकार में विकास हुआ और गहलोत जी की सरकार में उसके बराबर, आधा परसेंट भी काम नहीं हुआ।

सभापति महोदय, पैरा नम्बर 79 में उदयपुर में प्रताप नगर से बलीचा तक फोर लेन की घोषणा की है, उसके लिए धन्यवाद। आयुर्वेद चौराहे से सुभाष सर्किल, सज्जनगढ़....(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, कन्क्लूड कीजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, 15 मिनट दिये थे।

श्री सभापति: मुझे ध्यान है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उदयपुर के रिंग रोड बना दें तो यह उदयपुर के विकास के लिये, उदयपुर का ट्रेफिक भी कम होगा और हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, बजट 2022-23 के पैरा 88 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की वृहद पेयजल योजना दी, इसमें उदयपुर का कहीं नाम नहीं है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाइप लाइन डालने की घोषणा हुई थी। जयसमन्द से उदयपुर पानी लाना था, उसमें अभी एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। यू.आई.टी. की कालोनी, यू.आई.टी. द्वारा मेगा आवास दिया था। मेगा आवास के अन्दर उद्घाटन भी कर दिया गया, लेकिन वहां न तो साफ-सफाई की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है। पैसे दे दिये, लेकिन न तो टयूबवैल लगाये, न पानी की व्यवस्था पूरी की।

सभापति महोदय, केवल घोषणा से काम नहीं चलने वाला। पैरा 146 में वर्षा जल संरक्षण के लिये जो बताया गया है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना का अच्छा काम किया था, उसमें वाटर लेवल बढ़ा था। मगर राजीव गांधी जी के नाम से इन्होंने, मुख्य मंत्री का जो घोषणा पत्र था, उसमें यह किया, उससे हमारे कम से कम 30 से 50 एनिकट गिर्वा के अन्दर टूटकर, क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मैं मांग करता हूं कि इस योजना के माध्यम से उन एनिकटों को अगर दुरुस्त करवा देंगे, तो हमारे पेयजल का अच्छा काम होगा। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने डी.एम.एफ.टी. का पैसा दिया था।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): तीन वर्षों के अन्दर डी.एम.एफ.टी. का अध्यक्ष चेंज करते रहे, मगर डी.एम.एफ.टी. फण्ड का पैसा अभी तक लागू नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारा डी.एम.एफ.टी. फण्ड का पैसा लागू करके हमें दिया जाये और हमारा विकास पूरा करें। एक बात और बताना चाहता था कि हमारे आंगनबाड़ी केन्द्र

(श्री फूल सिंह मीणा)

में, मां-बाड़ी केन्द्र में, डे केयर केन्द्र में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को संविदाकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाये। वर्तमान में मां-बाड़ी व डे केयर निर्धारित कर नियमित किया जाये व नियुक्ति दी जाये, ताकि हमारे बालक-बालिकाओं का उज्ज्वल भविष्य निर्धारित हो सके।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मियों को, अनेकों को आप 20 परसेंट बढ़ोतरी करके, उनको सन्तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी घोषणा में यह था कि आपको नियमित कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। मैं मांग करता हूं कि आपकी घोषणा के मुताबिक उनको नियमित करें।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री सुरेश टाक।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): नहीं तो, कम से कम उनको 20 हजार रुपये से ऊपर मानदेय दिया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने 2022 का बजट समावेशी और सबको साथ लेकर चलने वाला बजट पेश किया है। राजस्थान में एक नई मिसाल कायम हुई है। एक ऐसा बजट, जिसमें हर वर्ग को शामिल किया है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, उद्योग हो, कर्मचारी हो, पर्यटन हो, बिजली हो, सभी क्षेत्रों के बारे में, इस बार शहर के हर क्षेत्र के वर्ग को शामिल करते हुए विकासोन्मुखी बजट दिया। इस बजट में राजस्थान के हर वर्ग को साधने की, हर वर्ग के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। इस प्रयास के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा।

साथ ही यह कहना चाहूंगा कि यह बजट अगर चुनावी बजट होता तो 2023 में आता। यह बजट क्रियान्वित होने के लिये, धरातल पर उतरने के लिये 2022 में आया है। मैं इस बजट की बहुत बड़ी सराहना करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने जन-जन के गांधी स्वरूप को दर्शाते हुए, राज्य के सभी वर्गों को साथ लेते हुए, राज्य के विकास को पंख लगाये हैं। अब राज्य के इस विकास के बजट को, गति देने वाले बजट को, आवश्यकता

(श्री सुरेश टाक)

है तो केवल इस बात की है कि इस बजट को धरातल पर उतारा जाये। चाहे अधिकारी हो, कोई भी वर्ग हो, यह बजट अगर धरातल पर उतर गया तो इस बजट का कोई सानी नहीं है, इस बजट का कोई मुकाबला नहीं है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरी जनता द्वारा मुझे बताये गये कामों को, मुझे बताई गई समस्याओं को, जब मैंने मुख्य मंत्री जी के सामने रखा, तो उन्होंने बहुत सहृदयता के साथ इस बजट में किशनगढ़ को बहुत बड़ी सौगात दी। सबसे बड़ी सौगात, किशनगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलना है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। एक बहुत बड़ा शहर, औद्योगिक नगरी, जहां बालिकाओं के पढ़ने के लिये, अलग से कोई जगह नहीं थी। मेरे इस निवेदन को बहुत मन से स्वीकार करते हुए आपने यह सौगात मेरे शहर की बालिकाओं को, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी बालिकाओं को दी है, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार करता हूं। मेरी जनता भी इस बात के लिये बहुत खुश है कि आपने महिला कालेज देकर किशनगढ़ को एक बहुत बड़ी सौगात दी है।

इसी के साथ, ग्रामीण क्षेत्र अरांई में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देकर, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बालक-बालिकाएं हैं, उनको कहीं न कहीं रोजगार के नये अवसर प्रदान करने के लिये, आई.टी.आई. खोलना एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। मेरे प्रति सम्मान बढ़ा है। मेरे विश्वास को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरी जनता के बीच बढ़ाया है, मैं इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

राजनीति की अपनी अलग-अलग बातें हैं। हम तो जनता से जीतकर आये हुए हैं। अगर जनता के काम हो रहे हैं, तो हमें सीधा-सीधा मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना है और आभार प्रकट करना है। इस बात के लिये बहुत अहसान मंद हूं कि मेरी किशनगढ़ की जनता की आवाज को, मैं जब यहां बोलता हूं या माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद प्रकट करता हूं तो मेरे हर उस काम पर उन्होंने फोकस किया है। मेरे हर काम को उन्होंने कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। मेरी जनता को बहुत सारी सौगातें देकर मुझे उपकृत किया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को उपकृत किया है।

इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें नई बातें हैं। सबसे बड़ी बात, मैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की तरफ जाता हूं। राजस्थान की जनता को,

(श्री सुरेश टाक)

परिवार मानने का बहुत बड़ा स्वरूप, इसमें दिखा है। कोरोना काल के बाद, इतनी बड़ी बीमारियां फैलीं, उन बीमारियों को रोकने के लिये लोगों के पास पैसे नहीं थे, इलाज कराने के लिये पैसे नहीं थे। मजबूरन लोग बिना इलाज के रह जाते। जब से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुई है, लाखों परिवारों ने इस योजना में अपना इलाज करवाया है। इस योजना को बहुत बड़ा अवतार माना जा रहा है। कल इस योजना में 5 लाख रुपये से बढाकर 10 लाख रुपये करना, जनता के लिये बहुत बड़ी सौगात है, आम जनता, उस गरीब जनता के लिये, जो इलाज के लिये सोचने को विवश हो जाती थी। जहां कर्ज लेकर इलाज किया जाता या इलाज कराया ही नहीं जाता, वहां इतना बड़ा दिल रखकर, राजस्थान की जनता को 10 लाख रुपये तक का बीमा और उसमें बहुत सारी बीमारियों को जोड़ देना, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, सभी में इलाज होना, यह बहुत बड़ी बात है।

इसी के साथ, इसमें एक बहुत बड़ा आयाम जोड़ा है। अगर दुर्घटना में भी किसी की मृत्यु हुई है तो 5 लाख रुपये का बीमा कवर उसको मिलेगा। यह भी बहुत बड़ी बात है। पहले बीमारी कवर थी, अब मृत्यु कवर हो गई। एक्सीडेंटल डैथ भी इसमें कवर हो गई। लोगों की मांग भी थी, लोग इस बारे में बार-बार बात भी करते थे, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर इस बात की बजट में घोषणा कर देना बहुत बड़ी बात है।

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद भी जिला कलेक्टर को एम्पावर्ड किया, ऐसा कोई व्यक्ति जो गरीब है, जो आर्थिक अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा है, तो जिला कलेक्टर को अथोराइज किया गया है कि आप उसका इलाज कराएं। उसको प्रेरित भी करें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में उसका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को और बीमार होने पर किसी भी तरह की कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं पड़े।

पेंशन योजना लागू करना एक अभूतपूर्व काम है। कल मैं बजट के बाद जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में गया तो कर्मचारियों में एक नया उत्साह देखने को मिला। उनका जो जोश था, उनकी जो खुशी थी, वह देखते ही मुझे लगा कि यह बड़ा काम है। मुख्य मंत्री जी ने कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का निदान किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप बात नहीं करें। प्लीज, इस तरह बात नहीं कर सकते, डिस्टर्ब होता है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): शहरी क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना या नरेगा की स्कीम के तहत 100 दिनों का रोजगार अगर शहर में उपलब्ध होगा, तो एक नया नवाचार, इस नवाचार के तहत शहरों में भी जो बेरोजगार लोग हैं, जो मजदूर वर्ग, शहरीकरण हुआ है, गांवों से शहर की तरफ आये हैं, उनको भी सरकार रोजगार उपलब्ध करा देगी, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है।

नरेगा में 125 दिन का, 25 दिन बढ़ा देना ग्रामीण क्षेत्र के लिए, यह बहुत बड़ा काम है। मैं इसी के साथ इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि नरेगा में एक काम और जोड़ दिया जाये। आज गांवों में कीचड़ की बहुत बड़ी समस्या है। हर गांव में जहां पर भी देखो नालियां बना दी गयी हैं, सड़कें बना दी गयी हैं, लेकिन प्रोपर डिस्पोजल नहीं होना और डिस्पोजल के बाद लोगों का ईगो जहां पर टकराता है कि मेरे घर के बाहर नाली नहीं निकलनी चाहिए, मैं नाली नहीं जाने दूंगा। मेरे बैलगाड़ी निकलती है, मेरे जानवरों के पैर पड़ते हैं, ऐसा बार-बार देखने को मिला है तो यह एक बहुत बड़ा काम है, पर छोटे से पैसे में, एक छोटी सी अमाउंट में यह हो सकता है। यह एक नवाचार है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर गांवों में हर घर के बाहर एक सोकपिट बना दिया जाये, चार फुट का एक खड्डा खोदकर उसमें चार फुट का, दो बाई दो का एक पाइप डाल दिया जाये तो वाटर डिस्पोजल उसमें कम्प्लीट हो जायेगा। आपका वाटर लेवल बढ़ेगा, आपकी सड़कें सुरक्षित रहेंगी, गांवों में कीचड़ नहीं होगा और आम जन जीवन में एक सुधार आयेगा तो यह तीन से चार हजार रुपये का खर्चा इस काम में आयेगा। एक सोकपिट बनना है, एक पाइप लगना है और उसके ऊपर एक चैम्बर बनने के बाद वाटर डिस्पोजल होना है। घरों में इतना ही पानी आता है तो वह पानी सोख लिया जायेगा, आराम से जमीन में चला जायेगा। इससे जहां गांवों के हैण्डपम्प रीचार्ज होंगे, गांवों के ट्यूबवैल रीचार्ज होंगे, उसके साथ-साथ में यह गंदगी भी मिट जायेगी और सड़कें भी सुरक्षित होंगी। जो सड़कों में अनावश्यक पैसा खर्च हो रहा है, नालियों में जो अनावश्यक पैसा खर्च हो रहा है, वह बच जायेगा। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें और जब पूरक बजट आये तो इसका समावेश करते हुए राजस्थान की पूरी जनता को यह सौगात दें, ताकि वहां का ग्रामीण जन-जीवन जो कीचड़ में है, वह भी शहरों की तरह से एक अच्छी जिन्दगी जी सके और वहां पर भी साफ-सफाई रह सके।

(श्री सुरेश टाक)

दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटियों का बढ़ा देना भी उन दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला काम है। स्कूटियों की संख्या आपने बढ़ाकर 3 हजार से 5 हजार कर दी और कालीबाई भील और देव नारायण योजना की स्कूटियों की भी संख्या बढ़ा दी, ताकि मेधावी छात्राएं पढ़ने में ज्यादा रुचि दिखाएं, उनको संसाधन मिलें और सरकार के प्रति उनका धन्यवाद हो। वे यह समझें कि सरकार हमारे बारे में हमेशा सोचती है, क्योंकि ईश्वर ने उनको कहीं दिव्यांग किया है तो सरकारों को और हम लोगों को सोचना है कि उन लोगों का भी जीवन यापन अच्छे से हो, उनको भी कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं हो तो ऐसा मुख्य मंत्रीजी ने यह मुख्य मंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में संख्या बढ़ाकर उन दिव्यांग छात्र-छात्राओं को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही, श्रमिक कल्याण कोष जो वर्ष 2017 से श्रमिकों को पैसा नहीं मिल रहा था। बहुत सारी ऐसी योजनाएं थीं जिनमें वे पात्र तो थे, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा था। मुख्य मंत्रीजी ने इस घोषणा को करके इसका टाइम पीरियड तीन माह का करके यह दिखा दिया है कि इस काम को करने की इच्छा शक्ति है और वास्तव में श्रमिकों के कल्याण के लिए उनको काम करना है और जो 2017 से अब तक की पैंडेंसी है, उसको जीरो करना है तो यह साफ-साफ यह दर्शाता है कि मुख्य मंत्रीजी ने श्रमिक कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है।

इसी के साथ-साथ इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, उसमें पूरे राजस्थान को जोड़ लेना, उन सभी महिलाओं को एक बहुत बड़ी सौगात देना है, क्योंकि पहले कुछ जिलों में ही यह योजना थी, जिसमें दूसरी सन्तान के जन्म लेने पर छह हजार रुपये मिलते थे, पर अब पूरे राजस्थान की सभी गर्भवती महिलाओं को यह मिलेगा। यह एक नया नवाचार और एक नयी योजना है। सभी महिलाओं को इससे बड़ी खुशी मिली है। गरीब परिवारों के लिए छह हजार रुपया बहुत मायना रखता है कि छह हजार रुपये से उनका जो समय है, वह पूरा आराम के साथ गुजर जाता है।

एन.एफ.एस.ए. को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी। खाद्य सुरक्षा योजना में बहुत सारे परिवार वंचित थे। यह भी एक नया नवाचार है कि राजस्थान सरकार अपनी तरफ से प्रसंज्ञान लेकर, अपनी तरफ से, खुद की तरफ से इस योजना में कल 22.02.2022 तक जितने भी लोग रजिस्टर्ड हुए

(श्री सुरेश टाक)

हैं, उन सबको जोड़ दिया गया। यह एक बहुत बड़ा काम है, पर इसमें बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रशासन गांवों के संग अभियान में हर गांव में गया हूं। गांव में गया ही नहीं हूं बल्कि मैंने पूरा-पूरा दिन दिया है और पूरे दिन में अगर कहीं सबसे बड़ी समस्या थी तो एन.एफ.एस.ए. की थी। खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा होना लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। अभी भी राजस्थान में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो पात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन पात्र परिवारों को इस बात का बड़ा फायदा मिलेगा और यह राजस्थान की जनता कभी भूल नहीं पायेगी। एन.एफ.एस.ए. में राशन मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है, हर कोई इस बात के लिए परेशान था, हर कोई महिला इस बात के लिए परेशान थी और अब कोरोना के बाद तो यह समस्या बहुत विकट हो गयी तो यह एक बड़ा काम है।

छोटी-छोटी चीजों पर फोकस करके जो नवाचार इस बजट में किये हैं, वे वास्तव में सराहनीय है। आज जी.एस.एस. की वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अब कृषि बजट में जी.एस.एस. हर पंचायत क्षेत्र में खुलना, यह बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही अंशदान को कम कर देना, जो पांच लाख रुपये का अंशदान था, वह तीन लाख रुपये का दिया गया। पांच सौ सदस्यों को तीन सौ सदस्य कर दिया गया, यह बड़ा काम है। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो पांच लाख रुपये का अंशदान था, उसको तीन लाख रुपये किया, इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद है, लेकिन जो अभी तक, जिन पंचायतों में जी.एस.एस. नहीं था और वह दूसरी पड़ोस की पंचायतों में जुड़ें हुए थे, उन सदस्यों को एलीजिबल किया जाए कि वह अपनी पंचायत में जुड़े तो उनके लिए कोई अंशदान की राशि नहीं लगे, ताकि वे वहां से निकलकर अपनी जी.एस.एस. का फायदा उठा लें। यह अनावश्यक एक बड़ा चक्कर काटने वाला काम है। अभी तक मैं यही देख रहा था और यही शिकायतें लगातार आ रही थीं कि हमारे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी, दो मिनट में कर रहा हूं।

हमारी पंचायतों में जी.एस.एस. नहीं था और पड़ोस की पंचायत में जी.एस.एस. था, लेकिन नया खोलने के लिए वह ही पांच लाख और पांच सौ मैम्बर की अनिवार्यता थी, उसको कम तो कर दिया गया है, पर उन मैम्बर्स को एलीजिबल किया जाये जो उस गांव के हैं, जहां पर नया जी.एस.एस. खुलना है।

(श्री सुरेश टाक)

यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह चुनावी बजट नहीं होकर ये जो घोषणाएं हैं, इनको धरातल पर उतराने का बजट है। इसमें ऐसी सुविधाएं भी दी गयी हैं, जैसे- राजकीय अस्पतालों में ओ.पी.डी., आई.पी.डी. को नि:शुल्क कर दिया गया है। इसके साथ ही हर सी.एच.सी. पर डेंटल और डायलिसिस की सुविधा करना भी उन मरीजों के लिए जो किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं और जिनको डायलिसिस करवाने के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता है, अगर सरकार ये सुविधाएं सी.एच.सी. पर दे रही है तो यह स्वास्थ्य सेवा का एक बहुत बड़ा नवाचार है कि लोगों को गांवों में, गांव के आस-पास अपनी सी.एच.सी. में ही यह डायलिसिस की सुविधा मिलेगी और डेंटल का इलाज भी वहां पर हो पायेगा।

प्रदेश में 3,820 स्कूलों को क्रमोन्नत कर देना बहुत बड़ी सौगात है। यह राज्य के लिए एक बड़ी सौगात है और इस सौगात से सभी सैकण्डरी स्कूल हायर सैकण्डरी में तब्दील हो गये, लेकिन मैं यहां पर भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर समानीकरण में स्कूल बन्द हो गये थे, अगर वह एलीजिबल है और विभाग इस बात की अनुमति देता है, स्कूल वहां से दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर दूर है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम उन स्कूलों को सरकार जरूर चालू करे। जहां से विभाग की यह रिपोर्ट आती है कि यहां पर स्कूल जरूरी है, वहां पर पांचवीं तक का स्कूल खुले और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक भी उन स्कूलों को क्रमोन्नत करे।

श्री सभापति: थैंक यू। प्लीज, समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल को भी क्रमोन्नत करे। शहर के एक हजार महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम, ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खुलना बहुत बड़ा काम है। अभी तक जितने भी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल सरकार ने खोले हैं, मैं बहुत ही मजबूत मन के साथ यह कह सकता हूं कि वहां पर एडमिशन लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं और यह एक हजार स्कूल कहीं न कहीं बच्चों को और ज्यादा आकर्षित करेंगे और बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। आज अंग्रेजी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। अंग्रेजी नहीं जानने वाले बच्चे का मनोबल कमजोर रहता है और सरकार ने अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं तो इसके पीछे भी मंशा बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके साथ-साथ दस हजार टीचर्स की भर्ती, अंग्रेजी स्कूल के टीचर की भर्ती भी हो रही है तो सरकार वास्तव में यह

(श्री सुरेश टाक)

चाहती है कि हमारे अंग्रेजी स्कूल में बच्चे अंग्रेजी पढ़ने आएं तो वे वास्तव में अंग्रेजी पढ़ें, यह नहीं है कि केवल खानापूर्ति ही करके रह जाये।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं दो मिनट में कन्क्लूड कर दूंगा। सर, आप मुझे दो मिनट और दे दें।

राज्य सरकार एक लाख विभिन्न पदों की भर्ती कर रही है, यह भी एक बड़ा काम रोजगार के क्षेत्र में है। पंचायत मुख्यालयों पर प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के मानदण्डों के अनुसार क्रमोन्नत करने की बात है। मैं समानीकरण की बात पहले कह चुका हूं तो जहां पर स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल खोले जाएं।

औद्योगिक क्षेत्र की जहां पर बात करते हैं, सरकार ने 32 नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा की है। पिछली बार भी 64 घोषणाएं की थीं, वे 64 घोषणाएं धरातल पर उतर गयीं और काम लगातार जारी है, लेकिन जहां पर भी खुली हैं वहां पर रीको में प्लाट नहीं मिल रहे हैं।

श्री सभापति: थैंक यू वैरी मच।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): ऑक्शन में करीब-करीब सारे प्लाट बिक गये हैं।

मैं इस बजट की मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का फिर धन्यवाद करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि पूरक बजट में किशनगढ़ को और भी कुछ मिले, जो मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया है और अभी इस बजट में जो कुछ सुझाव मैंने दिये हैं, उन सुझावों पर अमल करते हुए उन पर कहीं न कहीं काम होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

यह बजट सभी वर्गों के लिए है, मुख्य मंत्री का ऐसा कहना है। जनता का भी इस बजट पर यह कहना है कि यह बजट घोषणावीर की तीन बार की तरह चौथी बार भी मात्र घोषणाओं का पिटारा है, चौथा बजट है।

(श्री सुमित गोदारा)

माननीय सभापति महोदय, मैं लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। तीन बार की तरह चौथी बार भी इस बजट में लूणकरणसर का नाम नहीं आया है। कल क्षेत्रवासियों ने मुझे फोन किया कि लूणकरणसर का नाम क्यों नहीं आया तो मैंने यह कहा कि तीन बार का तो बजट देख लिया, यह सरकार बचाने के लिए सिर्फ अपने कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय और जो इनको समर्थन दे रहे हैं, उन्हीं को बजट दे रही है, पर आज जब मैंने बाड़मेर के शिव से आने वाले पांच बार के माननीय विधायक की बात सुनी तो तब मुझे यह लगा कि मेरे क्षेत्रवासियों को दु:खी होने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप धीमे बात करें।

(समय: 18.00 बजे)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): यहां के भी कांग्रेसी विधायकों का यही हाल है कि वे खुद ही दु:खी हैं कि उन्हें बजट नहीं मिला है। तब ही तो कल जब बजट मुख्य मंत्रीजी पेश कर रहे थे तब मेजें कम थपथपायी गयीं, क्योंकि मिला कुछ नहीं। वैसे भी लोगों को, जनता और विधायकों को पता है कि मुख्य मंत्रीजी सिर्फ घोषणा करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। यह हकीकत है। इस बात का मैं विवरण देना चाहूंगा। जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें मुख्य मंत्रीजी ने चिरंजीवी योजना के बारे में कहा कि बजट 5 लाख से 10 लाख करेंगे। कौनसा बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी? कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर में आपने भामाशाह योजना को बन्द कर दिया था। आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की। कितने मरीजों की मृत्यु इलाज के अभाव में हुई। जब सरकारी हास्पिटल में जगह नहीं थी और प्राइवेट हास्पिटल ने लेने से मना कर दिया, उसका दोषी कौन है? अब आप लागू कर रहे हो, केन्द्र की योजना है और उसकी राशि बढ़ा रहे हो, पर यह भी तो बताओ, माननीय मुख्य मंत्रीजी, कि प्राइवेट हास्पिटल बीमार को भर्ती नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं कि हमें पैसा राज्य सरकार से नहीं मिल रहा, इसलिए हम आपको भर्ती नहीं करेंगे। अनेक हास्पिटल हैं जहां जाओगे, वह इम्पैनल्ड है इस योजना में, पर आप जाओगे तो वे कहेंगे कि हमारे यहां इलाज नहीं है। बाहर मुख्य मंत्रीजी का मुस्कुराता हुआ फोटो वहां लगा हुआ है जो हास्पिटल इस योजना में है, पर वह गरीबों को इलाज का कोई लाभ नहीं दे रहा है। यह योजना का हकीकत हाल है। चिकित्सा व्यवस्थाओं में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह भी

(श्री सुमित गोदारा)

बताइये कि पिछले दो तीन साल में आपने सरकार बचाने के लिए हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर से लूणकरणसर और इन क्षेत्रों से जितनी भी ए.एन.एम. थीं, उनको सीकर, झुन्झुनूं, जहां एक-एक उप केन्द्र पर दो-दो, तीन-तीन ए.एन.एम. कार्य कर रही हैं और हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खाली पड़े हैं, उनका दोषी कौन है।

(समय: 18.01 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आप नई-नई घोषणा करते जा रहे हो, माननीय घोषणावीरजी, पर धरातल पर बीमार आम आदमी पीड़ित हो रहा है, उसका क्या ध्यान रखोगे। बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कालेज है। वहां के प्रिंसिपल की पोस्ट पिछले तीन साल से खाली पड़ी है। टेम्परेरी लगाते हैं। ऐसा ही पी.बी.एम. हास्पिटल, जो सम्भाग का मेन सबसे बड़ा हास्पिटल है, वहां पर भी अधीक्षक का पद रिक्त है। कार्यभार देते हैं, बदलते रहते हैं। यह हाल इस सरकार का है। वैसे तो सरकार चल ही कैसे रही है, जो मुख्य मंत्री भारत में एकमात्र ऐसे मुख्य मंत्री होंगे, जो 20 महीने तक अपने सी.एम.आर. तक ही सीमित रहे। ऐसे मुख्य मंत्री से हम क्या उम्मीद करें कि राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार होगा।

हम उम्मीद करते थे कि इस बजट में मुख्य मंत्री हमारे लूणकरणसर क्षेत्र के प्रमुख गांव रामसर, मूडसर, मालासर, बामनवाली, पिंपेरा, ढाणी पाण्डुसर, कपरीसर, मकड़ासर में पी.एच.सी., इनमें से कहीं भी खोलने की घोषणा करते, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने नहीं खोली। मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैंने बजट पेश किया है, तो हम उम्मीद करते थे कि कहीं न कहीं कोरोना के बाद, मुख्य मंत्रीजी खुद कोरोना से दो बार पीड़ित हुए खुद उन्होंने चिकित्सा लाभ एस.एम.एस. हास्पिटल में लिया। वह जरूर कुछ सोचते, कुछ विजन लाते कि आगे हम कैसी व्यवस्था करें कि राजस्थान में आम जन को चिकित्सा का लाभ मिल सके, पर उनका कोई विजन नहीं, कोई गोल नहीं। बस सिर्फ घोषणा कर दी, बोल गये और चल दिये, जैसा उनका स्वभाव है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा की बात की। Ella Baker को कोट किया कि 'Give light and people will find the way'. क्या, रोशनी होती है तो रास्ते लोग ढूंढ लेते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी कम से कम भैरोंसिंहजी शेखावत साहब और हमारी पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने जो रोशनी राजस्थान के छात्र-छात्राओं को दिखाई, जब भैरोंसिंह

(श्री सुमित गोदारा)

शेखावत ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिडिल स्कूल खोली और वसुन्धराजी ने अपने प्रथम कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर माध्यमिक और दूसरे कार्यकाल में उच्च माध्यमिक खोले तो आपने भी इस बार खोलने का प्रयास किया। ठीक है, आपने दो कार्यकाल में शिक्षा में कुछ नहीं किया, पर तीसरी बार आपको पता है अन्तिम कार्यकाल है, पिछली बार 21 सीट आयीं, इस बार पता नहीं डबल डिजिट टच हो या नहीं हो, इसलिए कुछ न कुछ घोषणा की आपने। एक बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपने मात्र 200 करोड़ रुपये का बजट रखा है, स्कूल जितने क्रमोन्नत हुए हैं उतने ही कक्षा कक्ष चाहिए, तो क्या 200 करोड़ रुपये से कक्षा कक्ष बन जायेंगे? कहां बच्चे बैठेंगे? इसके लिए आप हजार दो हजार करोड़ का प्रोविजन करते तो हमें आपकी विकास की सोच का पता चलता, लेकिन आपने मात्र 200 करोड़ की घोषणा की और वह भी पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होगी।

सभापति महोदय, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है, पांचवीं तक की स्कूल को मिडिल तक क्रमोन्नत नहीं किया। राजस्थान में पिछले तीन साल में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया। अनेक गांव हैं, जहां पर पांचवीं तक की स्कूल हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत है और वहां पर क्रमोन्नत करना जरूरी है, ताकि बच्चे-बच्चियां पढ़ सकें। बहुत सी लड़कियां स्कूल अपग्रेड नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ रही हैं। इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी का कहीं कोई विजन इस बजट में नहीं दिखा।

आपने 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। कोलायत में फिर आपने एक कालेज खोला है। चौथा कालेज खोला है। लगता है कि राजस्थान में मुख्य मंत्री सिर्फ सीमित एरिया तक, जो मैं बार-बार बात कह रहा हूं, कोलायत में आपने चौथा कालेज खोल दिया, क्या बाकी जगह नहीं हैं, जहां कालेज खुलने चाहिए? क्या बाकी जगहों पर लड़के-लड़कियां नहीं हैं जो पढ़ना चाहेंगे? हमारे लूणकरणसर के नापासर क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। एक भामाशाह 150 करोड़ रुपये की लागत से बीकानेर में मेडिसिन का हास्पिटल बना रहा है। वह भामाशाह नापासर में कन्या महाविद्यालय के लिए भवन बनाने को तैयार है। क्यों नहीं मुख्य मंत्रीजी ने वहां घोषणा की? वहां पर कन्या महाविद्यालय खुलता तो लड़कियों को फायदा मिलता, पर सिर्फ अपनी सरकार बचाने की सोच में बार-बार, कैसे सरकार बचे, इसी उद्देश्य से यह सरकार चल रही है।

(श्री सुमित गोदारा)

सभापति महोदय, औद्योगिक विकास की बात रखी। मेरे क्षेत्र से भारत की सबसे महती योजना ग्रीन एक्सप्रेस कोरिडोर जा रहा है और आप सबको लगेगा आने वाले टाइम में राजस्थान विकास के नये आयाम छूएगा। हमें उम्मीद थी कि मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जिस तरह 32 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है तो ग्रीन एक्सप्रेस कोरिडोर को देखते हुए हमारे क्षेत्र के कालू, नोरंगदेसर और जैतपुर में भी रीको इण्डस्ट्रियल एरिया का कहीं न कहीं प्रोविजन लेते, ताकि प्रोएक्टिव सोच लगे कि जहां विकास की संभावना है वहां कुछ कार्य करके दिखाएं, पर इनकी तो सीमित सोच हर जगह दिखी, वही सोच इस बजट में भी दिखी।

माननीय सभापति महोदय, मैं बीकानेर जिले से आता हूं। हमारे यहां से सत्तापक्ष के तीन विधायक हैं और तीनों ही मंत्री हैं और अच्छे पदों पर हैं। अभी चार बोर्डों के चेयरमैन भी बनाये गये, लेकिन जब बजट पेश हुआ तो विकास प्राधिकरण बनाये गये तो उसमें बीकानेर का नाम नहीं आया। सब सम्भाग मुख्यालयों पर विकास प्राधिकरण बन गये, पर बीकानेर अभी भी पीछे है। हमारे तीनों मंत्री अभी यहां सदन में भी नहीं हैं। वे वैसे काम में भी नहीं रहते तो आज सदन में भी नहीं हैं। हमारे तीनों मंत्रियों ने कोई रुचि नहीं ली, इसीलिए बीकानेर में विकास प्राधिकरण बना नहीं।

मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हर जिले में हम तीन सड़कें बनायेंगे। बीकानेर में भी पिछली बार ली थी। उन्होंने सिक्स लेन लिया था बीकानेर से हल्दीराम प्याऊ तक। आज एक साल हो गया। न उसका टेंडर, न पैसा, न बजट अलाटमेंट। उन्होंने यह काम दे दिया यू.आई.टी. को। यू.आई.टी. कहती है कि हमारे पास तो रुपया एक भी नहीं है। यू.आई.टी. लोन ले रही है। लोन लेगी तो वह कहां से सड़क बनायेगी। जब मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणाओं का यह हाल है तो राजस्थान में कहां से सड़कें बनेंगी। 36 सड़कें बीकानेर शहर में तीन साल में मंजूर हुईं जहां से हमारे तीन-तीन मंत्री आते हैं और अभी चार चेयरमैन बनाये हैं बोर्डों के। सात मंत्री बीकानेर को दिये, पर लग रहा कि वे मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। 36 सड़कें तीन सालों में दीं, पर अभी तक सिर्फ 8 सड़कें बनीं हैं बीकानेर शहर में। हालांकि सभी जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग बी.जे.पी. सरकार को याद कर रहे हैं कि क्या सरकार थी। कहते ही सड़कें बनती थीं। अब तो एक ही काम है, गड्ढे ही गड्ढे हर जगह हो रहे हैं।

सभापति महोदय, विकास पथ के बारे में हमारे यहां से बी.जे.पी. से

(श्री सुमित गोदारा)

बहुत से साथियों ने बात रखी। आज से दो साल पहले, मुझे वह दिन याद है, एक्स.ईएन. साहब के फोन आये, दो एक्स.ईएन. लगते हैं हमारे क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि एम.एल.ए. साहब, फटाफट सड़कों के नाम बताओ, हमसे ऊपर मांगे गये हैं और जो आप एलाइनमेंट दोगे, उसी एलाइनमेंट पर होगा। हमने भी बड़े उत्साह में कहा कि जिस तरह बी.जे.पी. सरकार में कार्य हुए, गौरव पथ हमारे बने, उसी तरह मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है तो काम अवश्य होगा। हमने भी बड़े उत्साह से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फोन करके कहा कि कहां-कहां सड़कें बनानी हैं, विकास पथ बताओ। अब हम गांवों में जाते हैं, लोग पूछते हैं कि आपके विकास पथ कहां गये? मैंने कहा मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्रीजी का तो हमें विश्वास नहीं है, कोरी घोषणा करते हैं। सभापति महोदय, आम जनता की बात है। वही बात आज है। हमसे मांगी थी, उन सड़कों के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वे सड़कें कहां गयीं विकास पथ की। वे सड़कें विकास पथ की मिल नहीं रही हैं।

सभापति महोदय, पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट हाईवे 20बी बीकानेर से नापासर से जसरासर, यह बीकानेर की पांच विधान सभा क्षेत्रों से जाता है। बीकानेर पूर्व, लूणकरणसर, नोखा, कोलायत और डूंगरगढ़, 60 किलोमीटर स्टेट हाईवे पांच विधान सभा क्षेत्रों से जाता है। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, पर घोषणावीर का अभी तक न तो टेंडर हुआ, न कुछ हुआ, बात वहीं की वहीं है। एक साल हो गया उस सड़क में गड्ढे पड़ गये हैं। लोग कहते हैं कि घोषणा तो कर दी, पर बनेगी कब? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो पांच साल में वह सड़क ऐसी चमकती जाती थी। लोग कहते थे कि वास्तव में क्या सड़क है और अब उस सड़क में गड्ढे पड़ गये। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी और पांच विधान सभा क्षेत्रों के लोग कोस रहे हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को। इससे अच्छा तो घोषणा नहीं करते तो कम से सड़क के पेच वर्क का काम तो हो जाता। अब न तो पेच वर्क का काम हो रहा है और न टेंडर लग रहे हैं, और न ही हमारी सड़क बन रही है।

माननीय सभापति महोदय, अब पेयजल की बात रखूं, उससे पहले एक बात और कहूंगा। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि हमारे तीन मंत्री हैं और चार चेयरमैन बीकानेर जिले से हैं, गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी आवासीय योजना लेकर आयी थी हाउसिंग बोर्ड की, जिसके लिये मुख्य मंत्री बड़ा चौड़ा सीना करके कहते हैं कि हमने हाउसिंग बोर्ड को खड़ा कर दिया पर हम

(श्री सुमित गोदारा)

बीकानेर में जो आवासीय योजना, जिसमें लगभग 13 हजार आवास गरीबों के लिये, मध्यम वर्ग के लिये, उच्च मध्यम वर्ग के लिये, जिनमें लोग रह सकें पर आज तीन साल हो गये, इस सरकार ने उसमें एक पैसा तो दूर, कहीं कोई परियोजना में विकास नहीं किया। उस वजह से बीकानेर में भूमाफियाओं की बल्ले-बल्ले हो गयी है। उसमें कुछ न कुछ राजनीतिक नेताओं का भी संरक्षण है, तभी वह भू-माफिया आवासीय योजना आने नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि वह आवासीय योजना आएगी तो गरीबों को सस्ते दर पर मकान मिलेंगे तो सरकार खुद उसे आने नहीं देना चाह रही। तीन-तीन मंत्री, चार-चार चेयरमैन बोर्ड के और बीकानेर के इन्फ्रास्ट्रक्चर का यह हाल है।

अभी पेयजल की बात रखी। पेयजल में पिछले मुख्य मंत्रीजी ने दो घोषणाएं कीं ट्यूबवैल को लेकर, कि 10 ट्यूबवैल देंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं लूणकरणसर, उसका नाम ही लूणकरणसर, मतलब वहां खारा पानी है। 10 ट्यूबवैल की हमने लिस्ट बड़े जोश से दी। जोश से हम देते हैं न, माननीय सभापति महोदय, जब भी हमसे सरकार का कोई अधिकारी मांगता है तो हम जोश से देते हैं कि अब तो कुछ आयेगा। हमने ट्यूबवैल की सूची दी, एक साल हो गया, पर अभी तक उन ट्यूबवैलों की न तो स्वीकृति हुई, न मशीनें आयीं, पता नहीं कब आएंगी। कई माननीय विधायक कह रहे थे कि 15 की और घोषणा करो। मैंने कहा घोषणा करके क्या होगा, पहले जो घोषणा हुई, उसका ही कुछ नहीं हुआ। घोषणा से कुछ ही काम नहीं होता। इसलिए मुझे कोई दु:ख नहीं कि काम की घोषणा मुख्य मंत्रीजी द्वारा नहीं की गयी, क्योंकि इनके खुद के विधायक ही परेशान हैं।

अब पहला कृषि बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी लेकर आये तो पूरे राजस्थान को आस थी कि मुख्य मंत्रीजी ने जो हाइप क्रिएट किया कि मैं फर्स्ट कृषि बजट लेकर आ रहा हूं राजस्थान का, हम भी उस क्षेत्र से आते हैं जहां किसान ही हैं, तो हमें भी लगा मुख्य मंत्रीजी जब बार-बार इस तरह कह रहे हैं कि मैं पहला किसान बजट लेकर आऊंगा। पिछले साल के बजट में बोले और एक साल का समय लगा, अखबारों में चर्चा हुई तो हमें भी लगा कि मुख्य मंत्रीजी कुछ न कुछ बजट में लाएंगे जिससे राजस्थान के किसानों को बड़ी प्रसन्नता होगी और किसानों का बड़ा विकास होगा और लगेगा कि किसान खुशहाल होगा, पर बड़े दु:ख के साथ कह रहे हैं कि कोई विजन नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, वही ढाक के तीन पात। कुछ इनोवेशन लेकर आते, कुछ

(श्री सुमित गोदारा)

टैक्निक्स लेकर आते, एरिया स्पेसिफिक लेकर आते, क्रोप कल्टीवेशन करके लाते कि बीकानेर है, चूरू है, यहां पर क्या फसल उगा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, कोई विजन ही नहीं। यह क्या लेकर आए मुख्य मंत्रीजी? मुख्य मंत्रीजी बोले कि डिग्गियों के लिये हम देंगे, 15 हजार किसानों को साढ़े चार सौ करोड़। माननीय मुख्य मंत्रीजी, 10 साल से आप इसमें तीन लाख रुपये एक डिग्गी को दे रहे हो। 10 साल से आप तीन लाख रुपये एक डिग्गी को दे रहे हो। 10 साल पहले भी तीन लाख था, अब कितनी महंगाई हो गयी, आप किसान के साथ यह अन्याय कर रहे हो। अब महंगाई हो गयी, अब डिग्गी बनती है पांच-छह लाख में। इस घोषणा को, यदि आप पहला कृषि बजट लेकर आ रहे थे तो इस डिग्गी का तीन लाख की जगह पांच-छह लाख कहते तो हम मानते कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हितों के लिये बजट लेकर आये हैं, पर कहीं उसकी घोषणा नहीं की।

फूड प्रोसेसिंग मिशन की इन्होंने बात कही। सिर्फ सीमित क्षेत्र तक कुछ क्षेत्रों का नाम लिया। हमें प्रसन्नता होती लूणकरणसर, जो कि राजस्थान का राजकोट कहा जाता है मूंगफली प्रोडक्शन में, यदि वहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये, जिस तरह सरसों के लिये कई जगह इन्होंने अनुदान दिया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिये 50 प्रतिशत, जिसमें अधिकतम एक करोड़ तक अनुदान, यदि हमारे लूणकरणसर को भी देते तो यहां के किसान खुशहाल होते। यहां पर जिस तरह सरसों का कल्टीवेशन है, जिस तरह खेती की क्रान्ति आ रही है, तो कुछ न कुछ लाभ मिलता, पर कोई योजना वहां पर लेकर नहीं आये।

मण्डी रोड का नाम मुख्य मंत्रीजी ने कृषि बजट में लिया ही नहीं कि मैं मण्डी की सड़कों का कुछ निर्माण करूंगा। मण्डी की सड़कों के हम कागज दे-देकर थक गये, पता नहीं कहां पर कागज पड़े रह जाते हैं, कहीं निर्माण हो नहीं रहा। मण्डी में ईश्वर की दया से और मोदीजी की योजनाओं से किसानों को बहुत शानदार भाव पिछले तीन सालों से मिल रहे हैं। किसान खुशहाल हैं, मण्डी की रेवेन्यू भी बढ़ी है, पर पता नहीं मण्डी की रेवेन्यू कहां जा रही है और सड़कें कहां बन रही हैं। सड़कें कहीं पर भी नहीं बन रही हैं। बार-बार कागज देकर चले जाते हैं, इसीलिए मुख्य मंत्रीजी ने मण्डी सड़कों के निर्माण का नाम नहीं लिया और इस बजट में, किसानों के हित की बात करते हैं, पर, माननीय सभापति महोदय, घोषणा क्या करते हैं किसानों के लिये बजट में, कि सात 132 के.वी. जी.एस.एस. बनाएंगे। पूरे राजस्थान में केवल सात और

(श्री सुमित गोदारा)

चौदह बनाएंगे 33 के.वी. के जी.एस.एस.। माननीय सभापति महोदय, 14 जी.एस.एस. तो 33 के.वी. के तो मुझे लूणकरणसर में ही चाहिए। अब बताओ पूरे राजस्थान के लिये मुख्य मंत्रीजी 200 विधान सभा क्षेत्रों के लिये क्या घोषणा करेंगे? जब 33 के.वी. के चौदह जी.एस.एस. तो पूरे राजस्थान को दे रहे हैं। अब वह कह रहे हैं कि हम 3 लाख 38 हजार किसानों को कनेक्शन देंगे। आप कहां से दे पाओगे? आपका सिस्टम ही फेल हो रहा है। किसान आपस में रोज लड़ रहे हैं कि लाइट मिलती नहीं है। वे कहते हैं कि हमारी लाइन का अलग डालो, वोल्टेज छह घण्टे मिल नहीं रहा, तो कहां से देंगे? मुख्य मंत्रीजी का कोई विजन ही नहीं है बजट का। किसानों के लिये आप साथ में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करते। कम से कम 33 के.वी. के 300-400 जी.एस.एस. लेते, तभी आपका सिस्टम सस्टेन कर पाएगा, पर कोई विजन नहीं। बस बोल दिया, बोलने में क्या जा रहा है। पता वैसे ही है कि अगली बार डबल डिजीट में आना नहीं, तो बोल दो, क्या जा रहा है।

ऐसे ही हमारे डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे थे, पर उन्हें बिजली के खम्भों की बड़ी दिक्कत आयी थी, तो माननीय विधायक महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे कहते, हम धरना देने आ जाते। हमने बीकानेर में धरना दिया और खम्भे फटाफट लेकर गये और सब किसानों को लगाये। धरना देने की आपको सत्ता में जरूरत पड़ रही है, हम विपक्ष में ही होकर खम्भे लगा लेते हैं। आपने दिया, अख़बार में आया। आप बोलो तो थोड़ा ऐसा बोलो कि लगे कि बात में कुछ सच्चाई है। हमने बीकानेर में किसानों के लिये जो धरना दिया था 4 अक्टूबर को, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा, उस दिन क्या हाल था जब हम कलेक्टर साहब से मिलने गये? लगभग चार हजार किसान थे तो हमने पूछा कि बिजली के पोल क्यों नहीं मिल रहे? तब एस.ई. महोदय बोले कि, साहब, बीकानेर में हमारे पास बिजली के खम्भे नहीं हैं तो कलेक्टर साहब बोले कि यदि मान लो कोई तूफान आ जाए तो खम्भे कहां हैं? साहब आज की डेट में एक भी खम्भा बीकानेर जिले में नहीं है। यह इस सरकार का हाल है। जब इस सरकार के पास चार महीने से एक भी पोल नहीं है तो आप क्या उम्मीद करोगे कि 3 लाख 38 हजार किसानों को यह सरकार बिजली दे देगी और मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम दिन में भी बिजली देंगे। बीकानेर जिला हमारा काफी ठण्डा इलाका है। दिन में बिजली देंगे तो हम मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देंगे।

(श्री सुमित गोदारा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय और है पेज नम्बर 80 पर। IGNP कैनाल के लिये मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि सभी मोटर पम्प ठीक करेंगे पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में ही मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया था और माननीय IGNP मंत्री द्वारा 6 करोड़ 56 लाख रुपये कंवरसेन लिफ्ट के लिये, मोटर पम्प के लिये आबंटन की घोषणा की गयी और आज तक एक मोटर पम्प तो बहुत दूर की बात है, उसमें एक वॉल्व भी नहीं लगा, एक स्विच भी नहीं लगा, यह हाल है। ये बजट भाषण में घोषणा करते हैं तो किसान कैसे इन पर विश्वास करे कि जो ये बात कहेंगे, ये उन पर अमल करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज बीच में इन्टरवीन नहीं करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): पहले अमीन खां जी को तो दे दो। वे मांग रहे हैं। उनको तो दो। ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इनका अंकित नहीं होगा। आप अपनी बात कहें। आप समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, बस दो मिनट लूंगा।

14 नवीन नगरपालिकाओं की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की और बीकानेर जिले में वही हमारे एक मंत्री आते हैं, खाजूवाला को नगरपालिका बनायी, पर लूणकरणसर और नापासर को इन्होंने नगरपालिका क्यों नहीं बनाया? हमने अनेक बार बात रखी। 2008 में वसुन्धरा जी ने इनको नगरपालिका बनाया, पर कांग्रेस सरकार ने आते ही इनको ग्राम पंचायत बना दिया। हम लगातार मांग रख रहे हैं कि लूणकरणसर और नापासर को नगरपालिका बनाया जाये।

एक विषय का जिक्र मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में किया है कि 10 करोड़ रुपये शराब के विरुद्ध जन-जागरण चलाने के लिये दिये जाएंगे। अब, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में यह हाल है कि गली-गली में शराब की दुकानें खुल गयी हैं। हर जगह यह चर्चा है कि जबसे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत आये हैं तो गली-गली में शराब की दुकानें खोल दीं। हर जगह शराब की दुकानें खोली हैं। आप यह संख्या निकाल लो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आपको पकड़ लेंगे पुलिस में। आपको अपनी ही सरकार पकड़ लेगी, थोड़ा ध्यान से बोलो। अभी थाने में बैठना पड़ेगा धरने पर। गली-गली में शराब की दुकानें खोल दीं। मैं भी सिरसी रोड पर, जहां मेरा आवास है, वहां से आता हूं..(व्यवधान)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): पहले था 8 PM No CM.

एक माननीय सदस्य: घोघरा चुप रह।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है? अपने स्थान पर जाइए आप। आपका स्थान कहां है? आप अपने स्थान पर जाइए। (व्यवधान) एक माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और आप बीच में इस तरह से उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज बिराजिए। प्लीज लैट हिम कन्क्लूड। समाप्त करें अपनी बात।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, यह जो विषय है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): बस लास्ट। हर जगह जो शराब की दुकानें खोली हैं, उससे आप देखो बच्चों में क्या प्रभाव जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): आप यह देखो। मैं कर रहा हूं। मैं लूणकरणसर कस्बे से आ रहा हूं, वहां अवैध शराब की ब्रांचें खुली हुई हैं और जब पुलिस अधीक्षक को कहते हैं तो वे कहते हैं कि मेरा काम नहीं है।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): यह हाल राजस्थान का है। अन्त में, समाप्त करते हुए, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करते हुए कि मक्का और बाजरा, इनको पी.डी.एस., आंगनबाड़ी और मिड-डे-मील में लिया जाये, ताकि बच्चों को सही खुराक मिले। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय और लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2022-23 का राजस्थान के विकास के लिये बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान के जन नायक, राजस्थान का चहुंमुखी

(श्री पदमाराम)

विकास करने वाले लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय गहलोत जी ने जो कल बजट पेश किया है, वह 36 कौम का विकास करने वाला है, राजस्थान के विकास को पंख देने वाला है। युवाओं को रोजगार देने वाला है, किसानों को सम्मान देने वाला है, गरीब का सहारा बनने वाला और आम आदमी को मजबूती देने वाला है। शिक्षा विहीन बालकों को शिक्षा देने वाला बजट प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिये उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सुबह से चर्चा हो रही है। हमारे विपक्ष के साथी बार-बार एक ही बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घोषणाएं हो गयी हैं, इनको धरातल पर कैसे लायेंगे। इससे पहले जो भी बजट पेश किये, उसकी आज दिन तक क्रियान्विति नहीं हुई है। पता नहीं इनके यहां क्रियान्विति हुई या नहीं हुई, हमारे यहां तो जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उनकी 100 प्रतिशत क्रियान्विति हो गयी है। इनके पता नहीं, कैसे क्रियान्विति नहीं हुई?

सभापति महोदय, 3 साल पहले इनका राज था। इनके राज में इनका पूरा विकास हुआ। इनके जो भी माननीय विधायक बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों का काम हो रहा हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का तो बड़ा दिल है। उन्होंने तो सबका सम्मान करते हुए, हर विधान सभा के अन्दर कुछ न कुछ काम किया है। यहां मेवाराम जी विराजमान हैं। पिछले 5 साल के अन्दर ये और सुखराम जी धरने पर बैठकर, झगड़ा करके चले गये, एक कौड़ी, टके का काम इनका नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा दिल रखकर गत बजट में भी 5-5 करोड़ रुपये सभी को दिये। इस बजट में भी 10-10 करोड़ रुपये सभी को दिये। लेपटोप दिया, टैबलेट दिया। इस बार सभी को मोबाइल दिये। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया। कुछ दिया ही नहीं। पता नहीं क्या लेना चाहते हैं? क्या विकास करना चाहते हैं?

आजादी के बाद पहली बार किसान को सम्मान देने के लिये कृषि बजट अलग से लाये। किसान 13 महीने धरने पर बैठे रहे। उस समय उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सम्माननीय प्रधान मंत्री जी से 50 किलोमीटर दूरी पर 13 महीने आजादी से बाद आज तक कोई नहीं बैठा। 700 से अधिक किसान शहीद हो गये। उनको पूछने वाला कोई नहीं था। जी.एस.टी. में 350 किसान खतम हो गये, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। नोटबंदी के अंदर कई किसान खतम हो गये, उनको कोई पूछने वाला नहीं। उसकी कोई बात नहीं करेगा।

(श्री पदमाराम)

इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों को उपज का अच्छा मूल्य देने के लिये, किसान अधिक से अधिक अनाज कैसे पैदा करें, राजस्थान और पूरे देश का भरण-पोषण कैसे करें, उनका सम्मान करने के लिये शानदार बजट प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसानों को रात के अलावा दिन में बिजली देने की घोषणा की। किसानों के लिये जो आज से पहले 9-9 साल से पैण्डिंग कनेक्शन थे, उसके लिये पिछले 3 बजटों में और 2008 के बजट से मांग थी कि हमारे यहां अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, उनका जीवन सुधारने के लिये उनको कृषि कनेक्शनों में प्राथमिकता दी जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा दिल रखकर जितने भी किसानों ने अपनी फाइलें जमा की थीं, उन सभी को 2 साल के अंदर कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है। मैं इसके लिये इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके दिल में किसान के लिये सम्मान है।

सभापति महोदय, किसान वह है जो दिन-रात खून-पसीना करके सर्दी में, गर्मी में मेहनत करके अनाज पैदा करता है। 6-6, 7-7 महीने मेहनत करने के बाद में भी उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद में भी वह आम आदमी का पेट भरने का काम करता है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है उसमें को-आपरेटिव बैंकों से जितने भी काश्तकारों ने लोन लिया है, उसमें उनका प्रीमियम डेढ़ परसेंट लिया है। इससे पहले जीरे का अलग प्रीमियम लिया जाता था। ईसबगोल का अलग लिया जाता था। बाजरे का अलग लिया जाता था। ग्वार का अलग लिया जाता था। उससे किसानों को जितना भी नुकसान होता था, उसकी पूरी भरपायी की जाती थी। इस बार कम्पनियों को बेनिफिट देने के लिये किया गया है। यह तो बड़ी-बड़ी कम्पनियों को, उद्योगपतियों को, बड़े-बड़े सेठों, साहूकारों के लिये है। गरीब की सुनने वाले कहां हैं। इन्होंने जो किया है, उसमें मैं कृषि मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सुधार किया जाये। किसानों को अभी बेमौसमी बरसात और हवा चलने से ईसबगोल, जीरे और अरण्डी की फसल में भारी नुकसान हुआ है। उसका आंकलन किया

(श्री पदमाराम)

जाये। किसानों को अधिक से अधिक राहत दी जाये। उससे किसानों का भला होगा। वह अपना भरण-पोषण भी आराम से कर सकेगा और जिन बैंकों से लोन लिया है, वह भी चुका सकेगा।

सभापति महोदय, आम गरीब आदमी, मजदूर का सहारा बनने के लिये 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को 50 परसेंट की छूट दी है। ग्रामीण इलाकों में एक लट्टू और एक पंखा ही चलता है। वे 50 से ज्यादा यूनिट खर्च नहीं करते हैं। उनको इन्होंने सम्मान दिया है। लाखों लोगों के घरों में एक नई रोशनी देने का काम किया है। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच है कि गरीब आदमी मजदूरी करता है। हर महीने उसके 200 और 300 रुपये का बिल आता है। वह कहां से भरेगा। उनको सम्मान देने के लिये यह बहुत शानदार योजना है। 150 पर 3 रुपये अनुदान दिया है। 150 से 300 तक के लिये 2 रुपये अनुदान दिया है। बहुत बढ़िया चीज है।

इसके साथ-साथ किसानों को सम्मान देने के लिये दूध के अन्दर 5 रुपये अनुदान देना बहुत बड़ी बात है। अनुदान देना अच्छी बात है। इनकी कोई बात नहीं करता था। जो सम्मान इनको मिलता है, वह अच्छी बात है। यह तो ढूंढ-ढूंढकर के कमी निकालते हैं। कितना शानदार बजट है और हर जगह, हर गांव, हर गली, हर समाज में इसके लिये वाहवाही हो रही है। इनकी किरकिरी कैसे करें, उसके लिये सभी नोट करके आते हैं। लेकिन इनकी थोथी बातें अब कोई सुनने वाला नहीं है। ये बड़ी-बड़ी बातें करके लोगों को झांसा देने वाले हैं। लोगों में भ्रम पैदा करने वाले हैं। यह जो इनकी भावना है, इसको जनता जान चुकी है। आज जनता जाग चुकी है। यह सोशल मीडिया पर जो दुष्प्रचार करते हैं, अब उसको सुनने वाला कोई नहीं है।

राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे हर घर में खुशियां आयी हैं। ओ.पी.एस. कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग थी। वे इसके लिये 2004 से आज दिन तक संघर्ष कर रहे थे। जो भी इलेक्शन आता था, उसमें इनकी यह बड़ी मांग थी कि कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये। कई लोगों ने इस बारे में बात की थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे बढ़कर यह शानदार काम किया है। एक जानदार काम किया है। एक कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको सम्मान देने के लिये, उसके परिवार में उसका सम्मान रहे, उसके लिये काम

(श्री पदमाराम)

किया है। उसके लिये मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी कर्मचारी और उनका परिवार इसके लिये मुख्य मंत्री जी का साधुवाद करते हैं। ऐसे महान आदमी ने जो महान काम किया है, इसको जिन्दगी भर लोग याद करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मुख्य मंत्री जी ने संविदा कर्मचारियों के लिये नया Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules लागू किया है। इसके अंदर संविदा पर जितने भी कर्मचारी हैं, उनके लिये नये नियम बनेंगे और कानूनी दायरे के अंदर उनकी आगे सेवाएं बढ़ाई जायेंगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैरा मेडिकल स्टाफ हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, सहयोगिनी हो, पैराटीचर हो, मदरसा पैराटीचर हो, उनके लिये 20 परसेंट मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, कई कर्मचारी, पैराटीचर्स 40-50 साल से सर्विस कर रहे हैं। कोई-कोई तो एक साल में, 2 साल में रिटायर होने वाला है। मदरसा पैराटीचर्स कई सालों से अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी ही जो आपने एक्ट बनाया है उसमें सेवा नियम बनाये जायें और उनको समान वेतन देने का प्रावधान किया जाये। 8 हजार, 9 हजार से आज इस महंगाई में काम नहीं चलता। आज बहुत महंगाई चल रही है। हर चीज में हाथ डालते ही सीधा लाइट का झटका लगता है। जो अल्प वेतन भोगी हैं, उनका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जो रसोई में हमेशा यूज आने वाली चीजें हैं, वे महंगी होकर आकाश में पहुंच गयी हैं। मिर्ची भी 250 रुपये किलो है। खाने वाला तेल 200 रुपये किलो है। शक्कर कहां पहुंच गयी? ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इस महंगाई के युग में उनको सम्मान देने के लिए, उनको राहत देने के लिए अगर आप काम करेंगे तो लोग आपको आशीर्वाद देंगे। जनता उम्मीद उससे करती है जो हमेशा देता है। जो देता नहीं है, लेकिन बड़ी बातें करता है, उससे जनता कोई उम्मीद नहीं रखती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आप थोड़ा बड़ा दिल रखें और आने वाले बजट, जब फाइनल पास करो तो उसके अन्दर कुछ न कुछ नया करें तो जिस प्रकार से कर्मचारी आपकी वाहवाही कर रहे हैं उससे ज्यादा बढ़कर ये संविदा कर्मी आपका सम्मान करेंगे।

आपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, नई नौकरियों के लिए सवा

(श्री पदमाराम)

लाख नौकरियां दे दीं। ये सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपने एक भी नौकरी नहीं दी। सवा लाख नौकरियां देना बहुत बड़ी चीज है और एक लाख बीस हजार नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। एक लाख और नौकरियां देने की घोषणा की है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। युवाओं को रोजगार देने के लिए, कई सालों से इन्तजार कर रहे हैं। अभी जो रीट की घोषणा हुई, इससे पहले रीट के पेपर के बारे में बहुत बड़ी बात हुई, वास्तव में जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। परन्तु जागता सूं ताकता, हमारे यहां की कहावत है कि जागते रहने वाले से ताकने वाला, इन्तजार करने वाला मजबूत होता है। जो भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जिन्होंने 26 लाख बच्चों के साथ इस प्रकार का विश्वासघात किया है। हमारे सम्माननीय विपक्ष के साथी इसके अन्दर डिले करना चाहते थे कि ऐसी संस्था को जांच दी जाये, इनके दो साल बचे हैं तो ये चाहते हैं कि उसमें यह भर्ती नहीं हो और इसकी वाहवाही हम लें, परन्तु राजस्थान के मुख्य मंत्री, जिनके अन्दर दृढ़ संकल्प है, उन्होंने यह फैसला किया कि यह भर्ती मैं करके रहूंगा और जो अन्याय किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, उनके लिए नया एक्ट लाये हैं। उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निरोगी राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए 2011 के अन्दर जब निःशुल्क दवा की योजना घोषणा की उस घोषणा के अन्दर आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए संजीवनी थी, उस समय हमारे विपक्ष के साथियों ने इसका घोर विरोध किया और बाहर जितने भी थे उन्होंने यह दुष्प्रचार किया कि ये दवाई आप लेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते हो, परन्तु ये दवाई इतनी संजीवनी है कि इस कोराना काल के अन्दर इन जेनरिक दवाइयों के पांच-पांच का किट बनाकर घर-घर वितरित की। हमारे अध्यापक बन्धुओं ने, पैरा मेडिकल स्टाफ ने, हमारी नर्स बहनों ने, उन्होंने जनता को बचाने के लिए जो काम किया, वो बहुत सराहनीय काम हुआ। इससे हमारा राजस्थान एक मॉडल साबित हुआ इसका मेन कारण राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कोरोना काल में जो शानदार मैनेजमेंट किया अभी जो दूसरी लहर आयी, बहुत भयानक और खतरनाक लहर थी।

(श्री पदमाराम)

आक्सीजन की एक-एक बून्द के लिए लोग तड़प रहे थे, कई लाखों रुपयों के इंजेक्शन के लिए लोग तड़प रहे थे, उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़कर बाम्बे एरोप्लेन भेजकर भी दवाई मंगवायी, लेकिन राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो लागू की है, वो बहुत संजीवनी योजना है। इस बीमा योजना से आम आदमी, गरीब आदमी को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब की जेब में पैसे नहीं है तो उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के लोगों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने यह व्यवस्था कर दी है कि कोई भी बीमार राजस्थान के सरकारी हास्पिटल में जायेगा या मान्यता प्राप्त हास्पिटल में जायेगा तो वह उसका इलाज करेगा, चाहे जितने भी पैसे खर्च होंगे तो उसका भरण करने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है।

मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इसकी राशि को पांच लाख रुपये से दस लाख रुपये किया। इससे भी आगे बढ़कर इन्होंने यह काम किया है कि दुर्घटना होने पर, आज आबादी बढ़ गयी है, संसाधन बढ़ गये हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है उससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटना में गरीब असहाय लोगों के परिवार से यदि कमाने वाला चला जाता है तो उनके बच्चों का भरण-पोषण करना बहुत मुश्किल है। उनको सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की है, यह बहुत शानदार और सराहनीय कदम है इससे आम आदमी, गरीब आदमी और मजदूर आदमी को सहारा मिलेगा। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता इनको इतना बड़ा आशीर्वाद देगी कि आने वाले 2023 के चुनाव में जो मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखते हैं कि लोग तैयार बैठे हैं कि यह सरकार जाने वाली है, हम आने वाले हैं, कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये लंगड़ी-लूली सरकार है, ये कहीं नहीं जाने वाली है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता की सेवा करने वाली सरकार है और 7 करोड़ जनता ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के बलबूते पर सेन्टर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करने के उपरान्त भी जो शानदार आर्थिक मैनेजमेंट किया, शानदार बजट पेश किया, इसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का जो सराहनीय काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री पदमाराम)

राजस्थान की जनता ने राजस्थान के 25 के 25 सांसद चुनकर दिल्ली के अन्दर भेजे हैं और माननीय मोदी साहब को प्रधान मंत्री बनाया है। मैंने तो आज दिन तक हमारे 25 सांसदों को राजस्थान के विकास के लिए कोई मांग करते सुना नहीं है। यदि और किसी ने सुना होगा तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर तो केवल दो लोग ही बोल सकते हैं और किसी की तो कोई औकात ही नहीं है। मंत्री भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ये तो दूसरे की बात करते हैं, कोई मंत्री भी किसी के बारे में बोलकर बात नहीं कर सकता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो 25 सांसद हैं, वे मेहरबानी करके, 3 साल से उनका एम.पी. फंड भी बन्द है, राजस्थान के अन्दर कोई नई योजना लागू नहीं की। अभी राठौड़ साहब कह देंगे कि हमारा हिस्सा जल जीवन मिशन में है, पेंशन में है, वो तो संघीय ढांचे के आधार पर संविधान में प्रावधान है, नहीं तो आप एक फूटी कौड़ी भी नहीं दो। संविधान के अन्दर प्रावधान है, उस प्रावधान की पूर्ति आपको करनी पड़ती है। भारत के संविधान के अन्दर जो लेख लिखा है, वही मजबूती है, उसी संविधान के कारण ही तो मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल सकता हूं नहीं तो मेरे को कौन बोलने दे? तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, और तो और राजस्थान के अन्दर पानी की किल्लत है और पानी हर वोटर के लिए, केवल कांग्रेस के लिए ही जरूरत नहीं है, आम आदमी के लिए पानी एकमात्र चीज है। उसको सम्मान देने के लिए जल शक्ति मंत्री हमारे हैं। उनके पास करोड़ों रुपयों का खजाना है। राजस्थान के पास कम संसाधन हैं, राजस्थान के पास आय कम है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा और सभी, कटारिया साहब, राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लोगों को पानी नहीं पिलाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने लोगों को पानी पिलाने के लिए योजना तो चालू करो। वहां से पैसे तो लाओ। फंड होगा तो आगे बढ़ने की राज्य सरकार भी कोशिश करेगी।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंच को आगे बढ़ाने के लिए, एस.सी., एस.टी. के लोगों के कल्याण के लिए पहले 100 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की, अभी 500 करोड़ रुपयों की घोषणा की है। यह बहुत बड़ी घोषणा है। हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जीवन सुधारने के लिए कई नई योजनाएं हैं, उनमें बच्चों को शिक्षा देने के कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में समाज कल्याण के जितने भी छात्रावास हैं, उनमें बच्चों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की, वहां बिल्डिंगों का नवीनीकरण करने की घोषणा

(श्री पदमाराम)

की, वहां के संसाधनों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष तौर पर, अभी इस बजट में पालनहार योजना, जो एक ऐसी शानदार योजना है, भगवान रूठ जाता है, उन मासूम बच्चों के सिर से उनके पिता का सहारा हट जाता है, उस समय राजस्थान सरकार उनका सहारा बनती है और प्रत्येक बच्चे को, जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको 1,000 रुपये पालनहार योजना में सहायता दी जाती थी, इसको बढ़ाकर 1,500 और 2,500 किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। यह बहुत शानदार और पुण्य का काम है। गरीब के घर पर पैसे जायेंगे, रुपये किलो उनको गेहूं मिल रहा है और ये 1,500 रुपये उनको यह छात्रवृत्ति मिलेगी और उनकी माताजी को पेंशन मिलेगी, उससे उनका भरण-पोषण करने में आसानी होगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों, गरीब इलाकों में लाखों परिवार ऐसे थे, जो खाद्य सुरक्षा के लिए योग्य थे, परन्तु वे वंचित रह गये थे। उन्हें संजीवनी देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी 10 लाख रुपये की घोषणा की है, बहुत शानदार, जानदार और सराहनीय कदम है। गरीब को सहारा मिलेगा। उसके घर बच्चा भूखा नहीं सोयेगा। उसके मां-बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। एक रुपये किलो गेहूं मिलता है, मजदूरी करके वह अपने घर का भरण-पोषण करेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं को मोबाइल देने की जो योजना की है, संविदाकर्मियों को सम्मान दिया है, कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए, कर्मचारियों के लिए पेंशन दी है, शानदार, जानदार और दमदार बजट पेश किया है। मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने बीच में टोका नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय जी, अभी हमारे चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, वाकई में सही बात कही है, क्योंकि यह जो 2022-23 का बजट है, वह हवाई है। मैंने चौथा बजट

(श्री अमृतलाल मीणा)

देखा, यह कांग्रेस सरकार अगले साल में हवाई हो जायेगी, ऐसा मेरा अन्दाज है। पूरे राजस्थान, पूरे हिन्दुस्तान, पूरे इंडिया में नेक्स्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की आना तय है। यह सत्य है। चाहे कितनी भी घोषणाएं कर दें, नदियों पर पुल बना दें, लेकिन इनका जाना तय है।

पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां पहाड़ी इलाका है, नदियों का संगम है और नदी-नाले हैं, वहां आपने 2021-22 के बजट में घोषणा की थी कि हम तीन रोड्स डिस्ट्रिक्ट रोड से जोड़ेंगे। बजट घोषणा का एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज मौके पर कोई काम नहीं। माननीय सभापति महोदय जी, आपके वहां भी है। आपके पेट में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप उस न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहे हैं।

अब रीट का क्या हुआ? वास्तविक दशा हम जान रहे हैं। रीट के साथ चीट हुई। सत्य बात है। एक करोड़ से ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए थे। आपने कहा था कि हम ऋण माफ करेंगे। दो-दो लाख रुपये का किसानों का ऋण माफ करेंगे। अभी तक नहीं हुआ। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य भी जान रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनकी समस्या है। वे एडवाइजर हैं, चाहे हैं या नहीं, पर कहना पड़ेगा। आप कहेंगे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी तक नहीं दिया। धक्का दे दिया। रोडा एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान में कई किसानों को नोटिस मिल गया। जमीन नीलाम होने जा रही है।

जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लगातार राजस्व घाटा हो रहा है, सत्य बात है। कानून-व्यवस्था भी बिल्कुल चरमरा गयी है। आज अलवर और नागौर में जो स्थिति देखने को मिली, हमारी बहन-बेटियों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है, वह सरकार की जिम्मेदारी है। यह चौथा बजट पेश हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी अच्छे हैं, भले भी हैं, कम बोलते हैं, जादूगर भी हैं, लेकिन इनकी कलम का उपयोग हमारे क्षेत्र में नहीं उतरा है। सलाहकार इनके जो बनाये गये हैं, वे भी बिल्कुल मजे में आकर के बनाये गये हैं।

जितनी हम शिक्षा की बात करते हैं, राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में आज विद्यालयों की बिल्डिंग्स की जो हालत है, वह बिल्कुल जर्जर है, बरसात में बैठ नहीं पाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में है। बिजली की व्यवस्था का तो कहना ही क्या। बिजली में आज कहा था कि 700 रुपये की

(श्री अमृतलाल मीणा)

हमारी बिजली अगर आप डी.पी. ले जायेंगे, ट्रांसफार्मर ले जायेंगे, लेकिन वाकई में नहीं आये। किसी के नहीं आये। वी.सी.आर. बन रहे हैं। वायदे करके भूलना हमारी कांग्रेस की सरकार के खून में है। यह सत्य बात है, क्योंकि बिजली के बिलों में किसानों के पशुपालन के लिए आपने कहा था।

माननीय सभापति महोदय जी, आपने कहा था, हम ऋण उपलब्ध करायेंगे, नहीं किया। संविदाकर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, शिक्षाकर्मियों को करेंगे, नियमित करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। पंचायती राज के लिए काफी सरपंच आये हुए हैं, आज वे धरना दे रहे हैं। उनके हिस्से की राशि राजस्थान सरकार द्वारा रोक दी गयी है। जितने भी स्टेट हाईवेज हैं, उन पर टोल लागू कर दिया। इसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुन्धरा जी की सरकार ने माफ किया था।

क्या तो ग्रामीण क्षेत्रों में 'गौरव पथ' थे। मिसिंग लिंक का ठाठ अलग ही था। नदियों पर पुलियाओं का निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों का क्या चौड़ाईकरण हुआ उस जमाने में। पिछले 2019-20, 2020-21, 2021-22 और अब 2022-23 की बजट घोषणाएं जमीन पर वाकई में नहीं हैं। मेरे वहां एक हास्पिटल की घोषणा हुई। अभी तक पता ही नहीं है कि कौन-से कमरे में चल रही है, कौन-सी व्यवस्था हुई है, कहां निर्माण होगा, कहां नहीं होगा? इसी प्रकार से दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखनखेड़ा और कूण्डा, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आते हैं, वहां आज तक भवनों का निर्माण नहीं हुआ है। जो उथरदा पी.एच.सी. है, वहां आज तक सरकारी भवन नहीं बना है। किस घर की बात कर रहे हैं, किस सरकार की बात कर रहे हैं?

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): साहब, मैं लास्ट हूं। सही बोल रहा हूं मैं, साहब, बोलने दें। चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जिला हास्पिटल्स में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लोग भटक रहे हैं। सही इलाज नहीं हो पा रहा है। विद्यालय में बच्चों को जो दूध मिलता था, वह आप आज बन्द करके बैठे हुए हैं। यह बहुत बड़ा कुठाराघात बच्चों के साथ किया जा रहा है। आज बेरोजगारी में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की। युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करने के बाद अभी तक कुछ हुआ न्हीं। भामाशाह आपने बन्द कर दी।

(श्री अमृतलाल मीणा)

मैं एक निवेदन कर रहा हूं। अभी हमारे पीई.एच.डी. मंत्री यहां हैं ही नहीं। वे शिक्षा मंत्री हो गये। उन्होंने घोषणा की, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हम 40 हैडपम्प प्रत्येक विधायक को देंगे और 10 सोलर पनघट देंगे। अभी तक जमीन पर उतारने का काम ही नहीं किया। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या हो रहा है यह?

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कहना नहीं चाहूंगा, हमारे में से 8 माननीय मंत्री और विधायक नहीं रहे, उन सबके नाम से कालेज का नामकरण किया गया, लेकिन गोतमलाल मीणा जो हमारे धरियावद के विधायक थे, एस.टी. कैंडीडेट, आदिवासी होने के नाते उनका नामकरण नहीं किया। उनके साथ कुठाराघात किया। (व्यवधान) सबका नामकरण किया गया। (व्यवधान) मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपसे बात नहीं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय गोतमलाल जी के नाम से नामकरण किया जाये, मेरा आपसे यही निवेदन है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बोल रहे हैं। जरूरी है आपका बीच में इंटरवीन करना? मत करिये ऐसा। अच्छी परम्पराएं सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। सदन में आप नये-नये आये हैं, सीखिये कुछ। उनको मैंने अलाउ किया है। आपसे पूछकर बोलेंगे वे कुछ? अपनी बात आप उनके मुंह में ठूंस दीजिये, फिर बुलवाइये आप उनसे।

एक माननीय सदस्य: आप एक-दूसरे के रिश्तेदार लग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैं इनका साला लगता हूं और ये जीजा लगते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर। दोनों साले-बहनोई बाहर जाकर मिलिये, जाइये। समाप्त करें। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये। अलाऊ नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): यह नीतिगत बजट के बजाय राजनीतिक बजट है। सलूम्बर जिला हास्पिटल को,.....

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर, बोलिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये अब आप।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा अब। प्लीज, विराजिये आप।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक शानदार बजट हमारी सरकार ने देने का काम किया। सभापति महोदय, अभी पूरे दिन मैं बजट पर पक्ष और प्रतिपक्ष की बहस सुन रहा था। अच्छी बात का हमेशा प्रतिपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। सभापति महोदय, एक वह जमाना था जब इलाज के अभाव में आदमी दम तोड़ देता था, लेकिन यह हमारी सरकार की देन है कि आज 10 लाख रुपये तक का इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में नि:शुल्क किया गया है। सभापति महोदय, दूसरे स्टेट के लोग भी राजस्थान की मेडिकल सुविधाओं से इतने खुश हैं कि यहां पर इलाज करवाने के लिए आते हैं।

सभापति महोदय, पिछले बजट में जब डिमांड चल रही थी और मैंने एक मांग की थी कि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है....(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, साइलेंस।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): तो इस राजस्थान में विधवा और उसके बच्चे हैं, जो पालनहार योजना में आते हैं। सभापति महोदय, हम राजनीतिक लोग हैं, रोज कहीं न कहीं मौत-मरण में हम लोगों का जाना होता है तो ऐसे-ऐसे परिवार भी हमने देखे हैं जिनकी विधवा अकेली है, वह भी विकलांग है, उसके बच्चे भी विकलांग है, उनके पास खाने के लिए दाने की व्यवस्था नहीं है। आज पहली बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि पालनहार योजना में 5 गुना पैसा उन्होंने किया है। सभापति महोदय, किसी गरीब विधवा औरत के दो बच्चे हैं तो आज उसको दोनों के 2,500-2,500 रुपये महीने के हिसाब से 5 हजार रुपये मिलेंगे। उसको विधवा पेंशन मिलेगी, जिससे उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय, एक समय होता है और जब कोई व्यक्ति गरीबी में होता है तो सगे रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने उन गरीबों का, उन विधवाओं का साथ नहीं छोड़ा। सभापति महोदय, क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा इस बात के लिए बोला था कि चाहे एम.एल.ए., एम.पी., हमारी तनख्वाह काट लीजिये, लेकिन पालनहार

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

और विधवा पेंशन का पैसा बढाइये। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि बजट भाषण का जब आप उत्तर दें तो विधवा पेंशन भी बढ़ाने का काम करें। विधवा पेंशन दो से ढाई हजार रुपये करने का आप काम करें, ताकि वह विधवा अपने बच्चों का पेट पालन कर सके।

सभापति महोदय, एक ज्वलन्त मुद्दा हमारे राजस्थान का, हमारे पूर्वी राजस्थान का है। आज दिन-पर-दिन जल स्तर नीचे चला गया है। ईस्टर्न कैनाल की जो हमारी मांग काफी सालों से चल रही है, सभापति महोदय, आज जल जीवन मिशन में गांवों में बोरिंग खुद रहे हैं, लेकिन वे बोरिंग भी सूखी हो रही हैं। मुख्य मंत्री जी ने कई बार प्रतिपक्ष के नेताओं से भी आग्रह किया कि आपके भी 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजे हैं, उनका भी कोई धर्म बनता है, उनका भी कोई कर्म बनता है। आज मेरे क्षेत्र की कोई मांग होती है तो मैं राजस्थान की विधान सभा में बोलता हूं, लेकिन एक बार भी पूर्वी राजस्थान के किसी सांसद ने लोक सभा में या पत्र के माध्यम से ईस्टर्न कैनाल की मांग नहीं उठायी, यह उनके लिए शर्मनाक बात है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ईस्टर्न कैनाल के लिए उन्होंने 9,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसका बोर्ड भी बनाया है।

सभापति महोदय, एक कर्मचारी पूरी जिन्दगी सरकार की नौकरी करता है, पूरी जिन्दगी मेहनत करता है। आज हम गांवों में रोज देखते हैं कि जब वह रिटायर होता है उसकी पेंशन के, रिटायरमेंट के जो पैसे आते हैं तो उसके जो दो बेटे, तीन बेटे होते हैं वे उस रिटायरमेंट के पैसे को बांट लेते हैं। फिर वह बुढ़ापे में अकेला परेशान होता रहता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि वापस पुरानी पेंशन स्कीम हमारी सरकार ने लागू की और उन कर्मचारियों का मान और सम्मान वापस लौटाने का काम किया।

सभापति महोदय, अभी रीट का काफी दिनों से आन्दोलन चल रहा है। आप देखिये कि हमारी सरकार ने रीट की परीक्षा रद्द भी की और डबल पद करते हुए 62 हजार पदों पर वापस से भर्ती करने का काम किया। मैं आज सुबह अख़बार में पढ़ रहा था कि वापस उसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है।

अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, कृषि मण्डी की सड़कों की बात हो रही थी। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि मण्डी में जो पिछले दो साल के हालात थे, जो काले कानून मोदी जी किसानों के खिलाफ

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

लेकर आये थे उनसे कृषि मण्डी की आय खतम हो चुकी थी। मेरा भी कई बार मण्डी से नाता पड़ा, मैंने भी कई बार सड़कों के लिए बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यह कानून आने के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। यह तो मैं धन्यवाद देता हूं उन किसानों को, उनकी शहादत को नमन करता हूं कि उनकी शहादत की वजह से वह काला कानून मोदी जी को वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को खालिस्तानी बताते थे, जिनको आतंकवादी बताते थे उन्हीं किसानों के आन्दोलन की मजबूरी और यू.पी. तथा पंजाब के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वापस झुकना पड़ा और उस कानून को वापस लेना पड़ा। मैं उन किसानों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस आन्दोलन में बलिदान दिया।

इसके अलावा विद्युत कनेक्शन के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई लगातार जिन कनेक्शनों को लेकर परेशान रहते थे और 2012 तक के कनेक्शन देने का पहले प्रावधान था उसको बढ़ाकर आज तक, 2022 तक के जितने भी कनेक्शन हैं, उन किसानों को कृषि कनेक्शन दिये जायेंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

इसके अलावा बिजली की जो सब्सिडी दी है, आप देखिये कि गांवों में हर आदमी, जो छोटे-छोटे मजदूर, जो छोटे-छोटे किसान परिवार हैं उनको बिजली की बहुत ज्यादा समस्या थी। आज 50 यूनिट, 150 यूनिट, 300 यूनिट तक सब्सिडी देने का, छूट देने का काम जो हमारी सरकार ने किया है, सभापति महोदय, इतना शानदार बजट शायद मैंने इतिहास में कभी सुना नहीं है।

सभापति महोदय, पहली बार शिक्षा के ढांचे को इतना मजबूत करने का काम किया है कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर जो मिडिल स्कूल थी उसको सीनियर सैकण्डरी करने का काम किया है, जितनी सैकण्डरी स्कूलें थीं उनको सीनियर सैकण्डरी करने का काम किया है। 3,820 सैकण्डरी स्कूलों को एक साथ क्रमोन्नत करने का काम किया है जो शायद इतनी स्कूलें एक साथ कभी क्रमोन्नत नहीं हुई होंगी। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूलें, हमारे गरीब परिवार का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जो लाखों रुपये देकर प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, उसकी भावनाओं को देखते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल का इतना शानदार पैटर्न हमारे राजस्थान की सरकार लेकर आयी है। अब उनका कैडर भी अलग से बनाया जा रहा है, यह खुशी की बात

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

है। अभी तो इंटरव्यू बेसिस पर हमारी इन्हीं स्कूलों से टीचर्स लिये जा रहे थे, पर अब एक अलग कैडर बनाकर दस हजार टीचर्स की अलग से भर्ती की जा रही है, जिससे उनको क्वालिटी भी मिलेगी, सभी टीचर्स उपलब्ध भी रहेंगे और गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, जो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का सपना नहीं ले सकता था, वह किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का काम करेगा। लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी गांवों में दूर-दूर तक इंग्लिश मीडियम स्कूलें नहीं हुआ करती थीं। आप देखिये कि इतनी शानदार स्कीम है कि जो वैकेंसी होती है उसके 4-4, 5-5 गुना फार्म आ रहे हैं, इसके लिए, सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, सड़कों के मामले में मैं कुछ मांग भी बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से करता हूं कि जब बजट भाषण का उत्तर दें तो मेरे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में कुहाड़ा मोड़ से भालोजी मोड़ तक कोटपूतली को जोड़ते हुए 33 किलोमीटर एक सड़क है, जिससे कम से कम 20 से 25 गांव जुड़ते हैं। वह सड़क अगर बजट भाषण में हम लोगों को दी जाये तो पूरे विधान सभा क्षेत्र को फायदा मिलेगा। उससे कोटपूतली और विराटनगर की कम से कम बीस किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी। इसके अलावा जो विराटनगर का अन्तिम छोर है उसको विधान सभा हैड क्वार्टर से जोड़ने का काम हो जायेगा।

सभापति महोदय, अभी बजट में हमारे पावटा में अतिरिक्त सिविल न्यायालय का कोर्ट दिया गया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

(समय: 19.00 बजे)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इन्द्राज जी, एक मिनट।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्य का वक्तव्य पूरा होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य के वक्तव्य के समापन तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज जिस तरीके से कोरोना महामारी में चारों तरफ हाहाकार मचा है। इसलिए जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में पी.एच.सी. और सी.एच.सी. खोली जायें। पी.एच.सी. और सी.एच.सी. ज्यादा खुलेंगी तो निश्चित रूप से आम आदमी को गांव में सुविधा मिलेगी। हमने कोविड हैल्थ सहायक वहां भी भर्ती किये हैं, डाक्टर भी संविदा पर भर्ती किये हैं तो इससे एक बड़ा फायदा हम लोगों को मिलने वाला है।

मैं मांग करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि बजट भाषण के उत्तर में पी.एच.सी. और सी.एच.सी. बढ़ाने का काम करें। एक विशेष, अभी बजट में मिडिल स्कूलों को सीनियर सैकण्डरी में करने का काम किया है, पंचायत हैड क्वार्टर पर। माननीय सभापति महोदय, एक पंचायत में चार-चार, पांच-पांच गांव हैं, बड़े गांव हैं, उनमें मिडिल स्कूल हैं। वहां भी स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है तो मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि उन मिडिल स्कूलों को भी सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करें, क्योंकि डिस्टेंस चार -चार, पांच-पांच किलोमीटर का, एक-एक पंचायत में, गांवों में होता है। उन गांवों को भी इस बात का फायदा मिले। विशेषकर गर्ल्स, सरकारी स्कूल में गर्ल्स ज्यादा पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, वे पांच किलोमीटर दूसरी स्कूल में जाने में अक्षम होती हैं और उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हमारी पड़ोसी कान्स्टीट्यूएंसी से हैं और पावटा उनके और मेरे बराबर जॉइन्ट सब-डिवीजन है। सब-डिवीजन भी है, बड़ी नगरपालिका भी है, वहां कालेज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं मांग करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि वहां के छात्रों को ध्यान में रखते हुए, कम से कम 60 से 70 गांव हैं आसपास में, उन गांवों को ध्यान में रखते हुए पावटा में कालेज खोलने का काम करें।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

हमारे अन्तेला गांव, जो बड़ा कस्बा है हमारे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र का, वहां पी.एच.सी. है, उसको क्रमोन्नत करके, सी.एच.सी. बनाने का काम किया जाये, जिससे वहां आस-पास में लोगों को काफी फायदा मिले।

सभापति महोदय, इस बजट भाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.01 बजे शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

वन्यजीवों के संरक्षण हेतु आनररी वार्डन का गठन

88. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्ष में अवैध रूप से वन्यजीवों को शिकारियों के फंदों में पकड़े जाने व शिकार के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं? क्या उक्त प्रकार की घटना को रोकने हेतु विभाग के पास पर्याप्त सूचना तंत्र व कर्मचारी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वन्यजीवों के संरक्षण हेतु जिला स्तर पर आनररी वार्डन गठन की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो उक्त के चयन का क्या आधार होता है तथा उक्त का चयन कौन करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वन्यजीव प्रेमियों को सहयोग हेतु कोई मानदेय प्रदान नहीं किया जाता है? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त का सहयोग नहीं लेने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में अवैध रूप से वन्यजीवों को शिकारियों के फंदो में पकड़े जाने के 33 प्रकरण व शिकार के 691 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। उक्त प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपलब्ध कर्मचारियों के साथ सूचना अन्य विभागों से व आम जनता से समन्वय एवं तकनीक का उपयोग कर एकत्रित की जाती है। इस क्रम में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वन्यजीवों के सरंक्षण हेतु जिला स्तर पर आनररी वार्डन, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 4(1) (बी.बी.) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव प्रेमियों को सहयोग हेतु कोई मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा वन्यजीव प्रेमियों का सहयोग संरक्षण के कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार समय-समय पर लिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में आवेदन

100. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के कुल कितने आवेदन लम्बित हैं तथा कितने पात्र बेरोजगारों को भत्ता दिया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना की शर्तों में 01 जनवरी, 2021 से भत्ता लेने के पात्र युवाओं को सरकारी आफिस या RSLDC के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है? यदि हां, तो परिवर्तित शर्तों के अनुसार कितने पात्र बेरोजगारों को उक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में जनवरी, 2021 से जनवरी, 2022 तक कुल कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में 31 जनवरी, 2022 तक जिला कार्यालयों में कुल पात्र पाये गये 1,90,641 आवेदन बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित हैं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021 हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं को लाभांवित किया जा सकता है। वर्तमान में योजनान्तर्गत 1,97,717 आशार्थियों को लाभांवित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2021 से भत्ता लेने हेतु पात्र युवाओ को सरकारी आफिस या RSLDC के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य नहीं किया गया। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में समायोजित बिन्दु संख्या 56 के अनुसरण में पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2019 को और बेहतर बनाते हुए संशोधित नवीन योजना-मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021 (संलग्न परिशिष्ट-अ) के अनुसार 01 जनवरी, 2022 से योजना के पात्र बेरोजगार युवाओं को आर.एस.एल.डी.सी. के

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)
मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं से न्यूनतम तीन माह का कौशल प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेटधारी बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त दोनों परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ते के स्वीकृत आवेदक को किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन चार घंटे की सेवाएं प्रदान कर इन्टर्नशिप करना अनिवार्य होगा।

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा 84 प्रशिक्षण प्रदाताओं को Sanction order प्रदान कर लक्ष्य आबंटन कर दिया गया है। प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कौशल विकास केन्द्रों (SDC) की स्थापना प्रक्रियाधीन है। तदोपरान्त मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2021 के अन्तर्गत पात्र बेरोजगार युवाओं का प्रशिक्षण प्रारम्भ कर दिया जायेगा। (संलग्न परिशिष्ट-'ब')

(3) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत जनवरी, 2021 से जनवरी, 2022 तक बेरोजगारी भत्ते हेतु लाभांवितों का माहवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

नाथद्वारा के नन्दसमन्द बांध की मरम्मत

101. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान एवं विगत दो वित्तीय वर्षो में नन्दसमन्द बांध, नाथद्वारा की मरम्मत व क्षमता संवर्धन के लिये विभाग ने किस-किस कार्य के कितनी लागत के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध की मरम्मत, क्षमता संवर्धन के लिये उक्त अवधि में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई एवं किन-किन कार्यों पर कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान एवं विगत 2 वर्षों में नन्दसमन्द बांध, नाथद्वारा के मरम्मत के लिए विभाग द्वारा कुल 1,389.89 लाख रुपये के प्रस्ताव प्रस्तावित किए हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। क्षमता संवर्द्धन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) नन्दसमन्द बांध के मरम्मत हेतु उक्त अवधि में 2 कार्य राशि रुपये 77.88 लाख रुपये के स्वीकृत कर 22.27 लाख रुपये का व्यय किया गया। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक की देनदारियां

102. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक की आज दिनांक तक कितनी देनदारियां शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैंक की जमा पूंजी, चल व अचल सम्पत्तियां कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बैंक के खाताधारकों को उनकी जमा पूंजी लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक की 24.27 करोड़ रु. की देनदारियां (हिस्सा राशि + डिपोजिट जमाकर्ता) आज दिनांक तक शेष है।

(2) चल सम्पत्ति के रूप में 6.98 करोड़ रु. की जमा पूंजी, 22.55 करोड़ रु. का निवेश गवर्नमेन्ट इण्डिया के बोण्ड्स में है (GOI bonds) और 2.08 लाख रु. का फर्नीचर इत्यादि एवं अचल सम्पत्ति के रूप में एक भूखण्ड 50.18 लाख रुपये की है।

(3) अवसायन में आने की दिनांक 18.09.2014 को बैंक में 11,853 खाताधारकों की 86.76 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। अवसायन दिनांक से अब तक 5,994 खाताधारकों को कुल 62.49 करोड रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। प्रथम चरण में 29.03 करोड़ रु. एवं द्वितीय चरण में 33.45 करोड़। इस प्रकार वर्तमान में बैंक की देनदारियां 24.27 करोड़ रु. की रह गई हैं।

इस राशि के भुगतान हेतु बैंक के पास लगभग 22.55 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां, बॉण्ड, म्यूचुअल फण्ड एवं बकाया ऋण 9.30 करोड़ रु. के उपलब्ध हैं।

मार्च 2022 में तृतीय चरण का भुगतान आरम्भ किया जावेगा। इस हेतु बैंक के पास वसूल की गई राशि 4.07 करोड़ रु. उपलब्ध है, जिससे शेष रहे 269 जमाधारकों को अधिकतम रुपये 1,70,000/- तक का भुगतान किया जा सकेगा।

बैंक निवेशित राशि व ऋणों की वसूली एवं लम्बित वादों का अधिवक्ता के माध्यम से जल्द निस्तारण करवाकर दोषियों से राशि वसूल कर

(सहकारिता मंत्री)

खाता धारकों को लौटाने के लिए प्रयासरत एवं कृत संकल्पित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

रामगढ़ (अलवर) में 132 के.वी. का जीएसएस

103. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र की विद्युत की मांग को दृष्टिगत रखते हुए 132 के.वी. का जी.एस.एस. बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रामगढ़ (अलवर) क्षेत्र के नोगांवा में 132 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन उपरान्त तकनीकी एवं आर्थिक रूप से वर्तमान में साध्य नहीं पाया गया।

चित्तौड़गढ़ में अग्नि दुर्घटनाओं में देय सहायता

104. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौडगढ़ में विगत तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा उक्त दुर्घटनाओं में जान-माल का कितना नुकसान हुआ है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में वर्तमान में कितने अग्निशमन यंत्र तथा अग्निशमन वाहन, पानी के टैंकर व अग्निशमन से संबंधित अन्य उपकरण उपलब्ध हैं तथा कितनी ग्राम पंचायतें उक्त वाहनों तथा उपकरणों से वंचित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में वार्षिक बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु नगरपालिका की भांति प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर अग्निशमन वाहन, पानी टैंकर व अन्य अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने के आश्वासन दिये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों में अग्निकांड की कुल 28 दुर्घटनाएं हुई हैं तथा उक्त दुर्घटनाओं में 44.00 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	**वर्ष**	**घटनाओं की संख्या**	**अनुमानित नुकसान की राशि (लाख रुपये में)**
1	2019	17	30.00
2	2020	4	2.00
3	2021	7	12.00
कुल		**28**	**44.00**

(2) चितौड़गढ़ जिले की 299 ग्राम पंचायतों में से वर्तमान में किसी भी ग्राम पंचायत में अग्निशमन यंत्र तथा अग्निशमन वाहन, पानी के टैंकर व अग्निशमन से सम्बन्धित अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

(3) विगत तीन वर्षों में पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित वार्षिक बजट में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड की दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु नगरपालिका की भांति प्रत्येक पंचायत स्तर पर अग्निशमन वाहन, पानी टैंकर व अन्य अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

अजमेर में नवीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण

105. श्री रघु शर्मा (केकड़ी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला अजमेर में विगत बजट में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणा के तहत कितने नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गये तथा अब तक उक्त घोषणाओं के तहत कितने भवनों के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त नवीन महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गत बजट वर्ष 2021-22 में कालेज शिक्षा विभाग में अजमेर जिले में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा नहीं की गयी।

(2) गत बजट वर्ष 2021-22 में कालेज शिक्षा विभाग में अजमेर जिले में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा नहीं की गयी है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध ब्यूरो में दर्ज प्राथमिकी

79. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में पदस्थापित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध ब्यूरो में प्रकरण दर्ज है? यदि हां, तो प्रकरण की दर्ज प्राथमिकी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) ब्यूरो द्वारा उक्त व अन्य दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित अधिकारी एवं अन्य के विरुद्ध तीन अभियोग (368/2018 143/2021 एवं 158/2021) पंजीबद्ध किए गये हैं। अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट्स (एफ.आई.आर.) का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) 1. अभियोग संख्या 368/2018 विरुद्ध डा. आर.एन. यादव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग के आरोप में दर्ज किया गया जिसका अनुसंधान प्रक्रियाधीन है।

2. अभियोग संख्या 143/2021 श्री महेन्द्र कुमार मालीवाल, जिला लेखा प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा परिवादी से अनुबन्धित गाड़ियों के बिल पास कराने की एवज में डा. भूपेन्द्र सिंह तंवर के लिए रिश्वत मांगने एवं प्राप्त करने के आरोप के सम्बन्ध में पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें श्री भूपेन्द्र सिंह तंवर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप लगाये गये थे। प्रकरण के अनुसंधान से श्री भूपेन्द्र सिंह तंवर के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्पूर्ण टिप्पणी प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री महेन्द्र कुमार मालीवाल, जिला लेखा प्रबंधक के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में माननीय न्यायालय में दिनांक 28-06-2021 को चालान पेश किया गया है।

(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री)

3. अभियोग संख्या 158/2021 श्री भंवर सिंह हाडा, मेल नर्स द्वितीय, कार्यालय अधीक्षक महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, कोटा के विरुद्ध रिश्वत मांग के आरोप में पंजीबद्ध किया गया जिसमें श्री भूपेन्द्र सिंह तंवर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप लगाये गये जो अनुसंधान से प्रमाणित नहीं पाये गये, अभियोग में श्री भंवर सिंह हाडा मेल नर्स द्वितीय के विरुद्ध चालान निर्णय अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में लिया गया है। श्री भंवर सिंह हाडा, मेल नर्स द्वितीय के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होना अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

पेट्रोल डीजल पर वैट

80. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से 31 अगस्त, 2021 तक पेट्रोल-डीजल पर कब-कब व कितना-कितना वैट बढ़ाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की दरें अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की दरें कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से 31 अगस्त, 2021 तक पेट्रोल-डीजल पर वैट की सूचना सारिणी-01 में संलग्न है।

(2) प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल पर वैट दरों का अन्य प्रदेशों से तुलनात्मक विवरण सारिणी-02 में संलग्न है।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विपरीत आर्थिक स्थितियों के होते हुए भी सरकार द्वारा दिनांक 29.01.2021 से पेट्रोल एवं डीजल पर 2 प्रतिशत वैट कम किया गया था।

केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 03.11.2021 को पेट्रोल पर रुपये 5 प्रति लीटर एवं डीजल पर रुपये 10 प्रति लीटर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कम किया

(वित्त मंत्री)

गया था, जिसके फलस्वरूप राज्य में पेट्रोल पर रुपये 1.80 प्रति लीटर एवं डीजल पर रुपये 2.60 प्रति लीटर का वैट स्वतः ही घट गया।

पुनः दिनांक 17.11.2021 से पेट्रोल पर वैट 4.96 प्रतिशत एवं डीजल पर वैट 6.70 प्रतिशत कम किया गया है।

वर्तमान में डीजल तथा पेट्रोल पर वैट की दर और कम करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

लोक कलाकारों के संरक्षण की योजना

81. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार लोक कलाकारों के संरक्षण व उनकी आर्थिक मदद करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में प्राचीन वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोक कलाकारों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर रजिस्ट्रेशन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस विभाग के अधीन विभिन्न अकादमियों तथा संस्थानों के द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोक कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है तथा लोक कलाकारों को मानदेय आदि का भुगतान किया जाता है, जिससे कला के साथ लोक कलाकारों को संरक्षण एवं आर्थिक सहायता मिलती है।

इस विभाग के अधीन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर द्वारा संचालित कलाकार कल्याण कोष के माध्यम से आदिनांक 10313 कलाकारों को पांच करोड़ पैंतालीस लाख बीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

विभाग के अधीन रवीन्द्र मंच, जयपुर के माध्यम से कोरोना काल में वर्ष 2020 में राजस्थान के लगभग 308 ग्रामीण लोक कलाकारों को मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लोक कलाकार को रुपये 2500/- प्रति कलाकार की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री)

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा The Rajasthan Art & Culture Grant -in-aid Rules, 1985 के तहत लोक कलाकारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार अनुदान प्रदान किया जाता है।

(2) राज्य में प्राचीन वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोक कलाकारों का जिला स्तर पर अभियान चलाकर रजिस्ट्रेशन करने का विभाग में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

बाड़ी के पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय

82. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के कुछ पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है? क्या यह भी सही है कि सरकार की घोषणानुसार प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित किया जाना है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों पर संचालित विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के 07 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2020-21 के बिन्दु संख्या 95 के अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत राज्य में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिक से लेकर उ.मा.वि. तक विद्यालयों का होना सुनिश्चित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में सम्भावित गेप को भरने के लिए आवश्यकतानुसार उ.प्रा.वि./मा.वि./उ.मा.वि. खोले जाने प्रस्तावित हैं।

उक्त की पालना में विभाग को प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

रेवदर के स्कूलों में विद्‌युत कनेक्शन

83. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के राजकीय स्कूलों में विद्‌युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अभियान चलाकर प्रत्येक स्कूल में विद्‌युत कनेक्शन मिनिमम दर पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर के 33 राजकीय स्कूलों में विद्‌युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसे विद्‌यालयों की सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत विद्‌युत विहीन राजकीय विद्‌यालयों में विद्‌युत कनेक्शन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रति वर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्‌वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रति वर्ष विद्‌युत कनेक्शन, निर्माण इत्यादि की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्‌वारा निर्माण कार्यों एवं विद्‌युत कनेक्शन का सम्पादन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विद्‌युत विहीन राजकीय विद्‌यालयों में विद्‌युत कनेक्शन का कार्य सी.एस.आर., जन सहयोग एवं विद्‌यालय विकास कोष इत्यादि से करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह कार्य इन योजनाओं के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) वर्तमान में विद्‌युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021 व विद्‌युत आपूर्ति हेतु टैरिफ-2021 में वर्णित प्रावधानों अनुसार विद्‌यालयों के विद्‌युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर पात्र आवेदकों को निगम नियमानुसार राजकीय विद्‌यालयों में घरेलू श्रेणी व ऐसे शैक्षणिक संस्थान, जो कि सरकार या सरकारी एजेंसी द्‌वारा नहीं चलाये जा रहे हैं, उनको अघरेलू श्रेणी में तथा ऐसे शैक्षणिक संस्थान (राजकीय विद्‌यालयों को छोड़कर) जो कि किसी सरकार या सरकारी एजेंसी द्‌वारा चलाये जा रहे हैं, उनको मिक्स लोड श्रेणी में निर्धारित मांग पत्र राशि के मांग पत्र जारी कर आवेदक द्‌वारा मांग पत्र की राशि जमा करवाने पर विद्‌युत आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें-2021 के प्रावधान अनुसार वर्णित

(शिक्षा मंत्री)

समयावधि में जारी किये जा रहे हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। उपरोक्तानुसार राजकीय विद्यालयों में घरेलू श्रेणी हेतु ही मांग पत्र की राशि ली जा रही है जो कि अन्य श्रेणियों में ली जाने वाली मांग पत्र राशि से कम है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

उदयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्यालय में रिक्त पद

84. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) उदयपुर में कितने-कितने पद रिक्त हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं वर्तमान में रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर तथा अनुकम्पा नियुक्ति के माध्यम से उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं के अशोक विहार में मंदिर माफी की भूमि पर फ्लैटों का निर्माण

85. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में अशोक विहार कालोनी में आवासीय क्षेत्र होने के उपरान्त भी बिना भू-परिवर्तित कराये बहुमंजिला फ्लैट बनाए जा रहे हैं? यदि हां, तो जे.डी.ए. में किन-किन व्यक्तियों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई तथा जे.डी.ए. अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी मंदिर माफी की भूमि में बसी होने के उपरान्त भी फ्लैटों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ज.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित कालोनी अशोक विहार, चौमूं के भूखण्ड संख्या 22 पर जे.डी.ए. की बिना स्वीकृति के सैटबैक का उल्लंघन कर चार मंजिला निर्माण कर 13 आवासीय फ्लैटों का अवैध निर्माण किया गया है।

इस सम्बन्ध में श्री बनवारी लाल शर्मा, श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, श्री ललित सिंह पुत्र श्री विशाल सिंह, राजेश कुमार रावत पुत्र श्री प्रभुदयाल व श्री श्याम सुन्दर पारासर पुत्र श्री परमेश्वर लाल ने ज.वि.प्रा. में शिकायत दर्ज करवाई थी।

ज.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित कालोनी, अशोक विहार के भूखण्ड संख्या 22 के सैटबैक कवर कर चतुर्थ छत निर्माणाधीन होने पर ज.वि.प्रा. द्वारा दिनांक 07.11.2017 को अवैध निर्माणकर्ता श्री बिरदी चन्द कासलीवाल को ज.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 32, 33 का नोटिस जारी किया जाकर निर्माण कार्य बन्द करवाया गया। तत्पश्चात् शिकायत पर अवधान में आते ही दिनांक 17.05.2021 को भूखण्ड संख्या 22 अशोक विहार कालोनी का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण एवं मौके की जांच के अनुसार उक्त भूखण्ड पर निर्माण वर्ष 2017 में होना पाया गया। फ्लैटों का निर्माण पूर्व से ही पूर्ण निर्मित होकर कुछ परिवार निवासरत थे। स्टिल्ट पर फिनिशिंग का कार्य हो रहा था। उक्त भूखण्ड पर ज.वि.प्रा. की बिना स्वीकृति अनुमोदन के सैटबैक व बिल्डिंग बायलाज का उल्लंघन कर चार मंजिला बिल्डिंग में 13 आवासीय फ्लैटों का अवैध निर्माण कर लिये जाने पर अवैध निर्माणकर्ता श्री बिरदी चन्द कासलीवाल को दिनांक 17.05.2021 को ही धारा 32, 33 जे.डी.ए. एक्ट का नोटिस जारी किया गया। उक्त भूखण्ड पर आवासीय फ्लैटों में रहवास शुरू होने के कारण प्रकरण में दिनांक 10.08.2021 को धारा 32, 33 जे.डी.ए. एक्ट का चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 22.12.2021 को निर्णय करते हुए अभियुक्त श्री बिरदी चन्द कासलीवाल को ज.वि.प्रा. अधिनियम 1982 की (संशोधित

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नियम 2010) में दोषी करार दिया जाकर धारा 31(1), 32(7) व 33(2) के तहत प्रत्येक में 33,000/- रुपये, कुल 99,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में क्रमश: सात-सात-दस दिन का साधारण कारावास अलग से भुगताया जावे। बाद मे जमा होने पर जुर्माना राशि नियमानुसार सम्पूर्ण राशि जे.डी.ए. कोष में जमा करायी जावे। निर्णय की अनुपालना में दिनांक 22.12.2021 को अभियुक्त द्वारा जुर्माना राशि 99,000/- रुपये जे.डी.ए. कोष में जमा करवाये गये हैं।

(2) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अशोक विहार कालोनी का अनुमोदन खसरा नम्बर 6449, 6448, 6431, 6432, 6433, 6464/7900, 6430, 6465/4, 6465/1, 6465/7329 में किया गया है, जो कि मंदिर माफी भूमि नहीं है।

ज.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित अशोक विहार कालोनी के लगते हुए खसरा नं. 6436, 6434, 6450, 6452, 6461 मंदिर माफी भूमि के हैं। मंदिर माफी के उक्त खसरों का अनुमोदन ज.वि.प्रा. द्वारा नहीं किया गया है।

कृषि भूमि के खातेदारों को आवासीय पट्टे

86. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह यही है कि सरकार के द्वारा परिपत्र क्रमांक प.2(30) नवीवी/3/2016पार्ट/1516, दिनांक 25.04.2017 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि प्राधिकरण, न्यास परिधि क्षेत्र स्थित कृषि भूमि खातेदार द्वारा आवासीय निर्माण करने पर 500 वर्गमीटर तक का पट्टा दिया जा सकेगा? यदि हां, तो क्या उक्त नियम से नगरपालिकाओं में वर्तमान में पट्टे जारी किये जा सकते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में नवीन आदेश जारी करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के तहत नगरपालिका, नगर परिषद् क्षेत्र में वर्तमान में आमजन को पट्टे जारी किये जा सकते हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2017 के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

द्वारा नगरीय क्षेत्रों एवं उनके परिधीय क्षेत्रों में सम्मिलित गांवों के खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी/सहखातेदारी की भूमि पर 500 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल पर निर्मित आवास का पट्टा दिया जाने का आदेश दिया गया था। वर्तमान में संचालित 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021' में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 30 के अनुसार नगरपालिकाओं के मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवायचक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत पट्टे दिये जाने की अधिकारिता अभियान अवधि में ग्राम पंचायतों की रहेगी। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) इस बिन्दु का उत्तर बिन्दु संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

कोटा में गोबरिया बावड़ी से घटोतगच्छ चौराहे तक अतिक्रमण

87. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कोटा में गोबरिया बावड़ी से घटोतगच्छ चौराहे तक अतिक्रमियों ने सड़क पर कई जगह अवैध अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किन-किन ने कहां-कहां अतिक्रमण कर रखा है व उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जाएगा?

उत्तर

कोटा में गोबरिया बावड़ी से घटोतगच्छ चौराहे तक सड़क पर कोई स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण नहीं हो रहा है।

लूणी नदी में प्रदूषित पानी के रोकथाम के उपाय

88. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर की मरू गंगा-लूणी नदी में पाली, बालोतरा एवं जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी आने से नदी के आस-पास के कुओं का जल प्रदूषित हुआ है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित पानी से रामपुरा-समदड़ी की

(श्री हमीर सिंह भायल)
सरहद से लगाकर लूणी के राड़धरा, गुडामालानी तक किसानों के खेतों एवं खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो उक्त किसानों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार क्या प्रबन्धन करने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त औद्योगिक इकाइयों से जो प्रदूषित पानी निकल रहा है उक्त के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रदूषित जल से इस क्षेत्र की जनता, पशुधन, पेड़-पौधे एवं उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम हेतु सरकार क्या-क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग, भू-जल विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त सूचना के आधार पर पाली, बालोतरा एवं जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों के रासायनिक पानी आने से नदी के आस-पास के कुओं का जल प्रदूषण के विश्लेषण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार दूषित पानी से प्रभावित कृषि योग्य भूमि का निरीक्षण कर कृषकों को विभाग प्रदूषित पानी को खेत में आने से रोकने व भूमि सुधार हेतु जिप्सम का उपयोग एवं ढेंचा की हरी खाद लेने हेतु सलाह दी जाती है। साथ ही लवण सहनशील फसलों की बुवाई की भी सलाह दी जाती है।

(3) औद्योगिक इकाइयों से जो प्रदूषित पानी निकल रहा है इसके नियंत्रण हेतु उद्योग विभाग, पशुपालन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। कृषि विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार बिठुजा-68, बजावास -36, मेकरना-20, भीमरलाई-11, गोलसोढा-31, बालोतरा-82, जसोल-8, खेड-36, सोढों की ढाणी-7, तेमावास-13, बामसीन-7, मण्डावास-7, शोभावास-22, सिंणली जागीर-5, तिलवाडा-33, बोरावास-2, थान मल्लीनाथ-2, सिणली सोचिरा-3, असाडा-10, माजीवाला-10, आसोतरा-10, भिण्डाकुआ-10, दुदवा-10, मूगडा-10, बागुण्डी-10, जेरला-10 इस प्रकार कुल 473 मृदा नमूनों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में 121 नमूनों में पी.एच. क्षारीय व शेष नमूने सामान्य

(पर्यावरण मंत्री)

पाये गये। इसी प्रकार ई.सी. 144 नमूनों में लवणीय से अत्यधिक लवणीय व शेष नमूने सामान्य पाये गये।

किसानों को खेत की मिट्टी की जांच रिपोर्ट सोइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से दी जाकर रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसार विभिन्न फसलों में खाद एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग द्वारा मृदा उर्वरकता बरकरार रखते हुए अधिक उत्पादन लिये जाने हेतु विभिन्न विस्तार गतिविधियों यथा प्रशिक्षण, कृषक गोष्ठियों, प्रदर्शन आदि के माध्यम से प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जाता है। किसानों को क्षारीय भूमि सुधार हेतु मिट्टी जांच रिपोर्ट में जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी.आर. वैल्यू) के आधार पर अनुदान पर किसानों को जिप्सम एवं हरी खाद हेतु ढैंचा बीज उपलब्ध कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

ईसरदा बांध का निर्माण

89. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ईसरदा बांध का कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कितना कार्य पूर्ण हो चुका है व कितना अपूर्ण है? प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बांध से बौंली को पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ईसरदा डैम का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। बांध का निर्माण कार्य लगभग 30 प्रतिशत पूर्ण हो गया है एवं 70 प्रतिशत कार्य अपूर्ण है। बांध निर्माण के संबंध में अब तक हुई प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त बांध का निर्माण 07 फरवरी, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) ईसरदा बांध से बौंली को पेयजल दिये जाने सम्बन्धित कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हेतु किसानों के आवेदन

90. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत कितने किसानों के आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों में से कितने स्वीकृत हुए व कितने अस्वीकृत व कितने लम्बित हैं? उक्त सभी आवेदनों का ग्रामवार, संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी राशि का भुगतान किसानों को किया गया?

(3) क्या सरकार अधिकतम किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाये जाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक के सरकारी कार्मिकों को पाबन्द कर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पीएम किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत विवरण निम्न है :

प्राप्त आवेदन पत्र	सत्यापित आवेदन पत्र	निरस्त आवेदन पत्र	सत्यापन प्रक्रियाधीन
62,644	59,742	1,682	1,220

कृषकों का ग्रामवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विगत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जैतारण में 58,664 कृषकों को विभिन्न किश्तों की रु. 91.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(3) जी हां। राज्य सरकार समस्त पात्र कृषकों को योजनान्तर्गत लाभान्वित करवाने के लिए प्रतिबद्ध है एवं योजनान्तर्गत निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी द्वारा की जाती है। इसके उपरांत तहसीलदार व जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापन पूर्ण होने के बाद पात्र कृषकों को लाभ प्राप्त हो रहा है एवं पात्र कृषकों को लाभान्वित करना सतत प्रक्रिया का अंग है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

टोंक में नवीन सहकारी समितियों का गठन

91. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल)

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में नवीन सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। जिला टोंक में 25 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है, जिनमें गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 04 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भण्डारण गोदामों के निर्माण करवाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सूची परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

92. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नवम्बर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक ओलावृष्टि से हुए नुकसान का गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त अवधि में जिला भीलवाड़ा में कौन-कौन से स्थानों पर ओलावृष्टि की पुष्टि हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा औलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करवा लिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक आंकलन करवाकर मुआवजा राशि का वितरण करा दिया जायेगा। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में रबी फसल वर्ष 2021-22 में ओलावृष्टि से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

आपदा मोचन निधि के नोर्म्स अनुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान बजट उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

जिला भरतपुर एवं जोधपुर में रबी फसल 2021-22 में ओलावृष्टि से फसल खराबा होने पर प्रभावित कृषकों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

भीलवाड़ा जिले में ओलावृष्टि से रबी फसलों में नुकसान नहीं होने के कारण आंकलन नहीं करवाया गया।

वर्तमान में गिरदावरी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(2) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

आबू पर्वत से जयपुर वोल्वो बस का पुन संचालन

93. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आबू पर्वत से जयपुर तक संचालित वोल्वो बस सेवा वर्तमान में बन्द है? क्या सरकार उक्त बस को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रश्नगत बस सेवा का संचालन कम आय एवं यात्री भार प्राप्त होने के कारण माह अक्टूबर, 2019 से बन्द था।

उक्त बस सेवा का पुन: संचालन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही निगम में विचाराधीन है।

माण्डलगढ़ में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

94. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने पुरुष व कितनी महिलाओं को वर्ष 2019-20, 2020-21 तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया व कितनों को उक्त भत्ता दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कुल 1,449 बेरोजगार पंजीकृत है। पंजीकृत बेरोजगारों में से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 150 पुरूष एवं 115 महिलाओं एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 136 पुरुष एवं 99 महिलाओं को बेरोजगारी भत्ते से लाभांवित किया गया। उक्त विधान सभा क्षेत्र के 31 जनवरी, 2022 तक वेरिफाई किये हुए कुल 126 को भत्ता दिया जाना शेष है।

सुमेरपुर में विद्यालयों के खेल मैदान

95. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कौन-कौन से गांवों में खेल मैदान आबंटित हैं जो विद्यालयों के नाम से इन्द्राज है? कौन-कौन से गांवों में खेल मैदान विद्यालयों के नाम से आबंटित नहीं हैं? क्या सरकार जिन गांवों में खेल मैदान आबंटित नहीं हैं वहां खेल मैदान आबंटित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदानों को विकसित करने हेतु 01 दिसम्बर, 2018 से 01 जनवरी, 2022 तक जिला परिषद् द्वारा किन योजनाओं में स्वीकृतियां जारी की गई हैं? क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के 34 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय के नाम से खेल के मैदान आबंटित हैं, जिनकी ब्लाकवार, ग्राम पंचायतवार एवं राजस्व ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है एवं 73 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय के नाम से खेल के मैदान आबंटित हैं, जिनकी ब्लाकवार, ग्राम पंचायतवार एवं राजस्व ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। साथ ही 02 के.जी.बी. विद्यालय में भी विद्यालय के नाम से खेल के मैदान आबंटित हैं, जिनकी ब्लाकवार, ग्राम पंचायतवार एवं राजस्व ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

प्रारम्भिक शिक्षा विभागान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के 10 राजकीय प्राथमिक एवं 36 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय के नाम से खेल के मैदान आबंटित नहीं हैं, जिनकी ब्लाकवार, ग्राम पंचायतवार एवं राजस्व ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'घ' एवं 'च' पर संलग्न है। परिशिष्ट 'घ' एवं 'च' पर संलग्न सूची में उल्लेखित सूचना के अनुरूप खेल मैदान विहीन विद्यालयो में खेल का मैदान आबंटन के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर विचाराधीन हैं तथा शेष विद्यालयों के प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित विभाग को भिजवाये जाने हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर, जिला पाली में राजकीय क्षेत्र में संचालित 31 राजकीय माध्यमिक एवं 67 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से ऐसे विद्यालय जिनके नाम से खेल मैदान आबंटित नहीं है तथा ऐसे राजकीय विद्यालय, जिनके नाम से खेल मैदान आबंटित है, का विद्यालय नामवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

जिन राजकीय विद्यालयों के नाम से खेल मैदान आबंटित नहीं है, को खेल मैदान आबंटन हेतु स्थानीय प्रशासन/जिला कलेक्टर कार्यालय स्तर से सम्पर्क कर भूमि आबंटन की कार्यवाही तत्काल करवाये जाने हेतु पत्र दिनांक 16.04.2019 की अनुपालना में विभागीय पत्र दिनांक 18.04.2019 एवं दिनांक 15.05.2019 के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं। उक्त पत्रों की छाया प्रतियां परिशिष्ट '2' पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की पंचायत समिति सुमेरपुर, पाली एवं रानी के राजकीय माध्यमिक विद्यालय या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान विकसित करने हेतु पिछले 01 दिसम्बर, 2018 से 01 जनवरी 2022 तक कुल 30 खेल मैदान कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं, जिनकी भौतिक प्रगति एवं पूर्ण व पूर्ण करने की संभावित तिथि की सूचना कार्यवाही परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. में हेल्पर ग्रेड-II के पदों पर भर्ती

96. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश चन्द्र)

(1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भर्ती, 2018 हेल्पर ग्रेड-।। में कितने पदों पर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति होने पर पदभार ग्रहण नहीं किया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भर्ती में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर डिस्काम द्वारा हेल्पर ग्रेड-।। के 1,414 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 1,406 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। शेष 8 पदों में से 6 पद सहरिया आदिम जाति तथा 2 पद "उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी" के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं पाये गये। उपरोक्त 1,406 सफल अभ्यर्थियों में से 100 अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने पर प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई, परन्तु उनमें से 3 अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त भर्ती में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। प्रतीक्षा सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से 12 महीने तक ही नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

खानपुर में कृषि कनेक्शन

97. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कृषि कनेक्शन हेतु कितने किसानों की डिमान्ड राशि कब से जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त कृषकों को कब तक कनेक्शन जारी कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कृषि कनेक्शन हेतु 36 किसानों के डिमाण्ड राशि जमा है, जिनके कृषि कनेक्शन जारी कराना शेष है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(2) विधान सभा क्षेत्र में कृषकों की फसल कटने के बाद व जॉब कार्य पूर्ण होने पर कनेक्शन माह अप्रैल, 2022 तक जारी किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

सूरजगढ़ में पृथक् फीडरों की स्थापना

98. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए पृथक फीडरों की स्थापना की जा रही है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कौन-कौन से गांवों में पृथक फीडर के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में कौन-कौन से शहरों में गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए नए फीडरों का चयन किया गया है? क्या उक्त फीडरों का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आगामी तीन वर्षों हेतु कौन-कौन से ग्रामों को उक्त योजना में शामिल किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र सरकार की योजना Revamped Reforms-Linked Results-Based Distribution Sector Scheme (RDSS) की स्वीकृति पश्चात् एवं उपलब्ध बजट अनुसार पृथक्कीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्र सरकार की RDSS योजना के अन्तर्गत बजट उपलब्धतानुसार सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में योजना की शर्तों के अनुसार फीडर पृथक्कीकरण योजना प्रस्तावित हैं। ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) तीनों डिस्काम क्षेत्र में सामान्यत: 24 घण्टे गुणवत्तापूर्ण निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। शहरों में विद्युत आपूर्ति वाले फीडरों के भार वृद्धि अनुसार नवीन फीडरों का चयन करना सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में RDSS योजना में नये फीडरों का निर्माण प्रस्तावित है।

(3) आगामी तीन वर्षों हेतु फीडरों का पृथक्कीकरण आवश्यकतानुसार

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

एवं तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने की स्थिति में एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार RDSS योजना में किया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्र सरकार की योजना "रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम" के तहत कृषि-अकृषि फीडरों के पृथक्कीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए कुल जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्काम के क्रमश: 2,500, 1,776 एवं 3,739 फीडरों पर पड़ने वाले ग्रामों का चयन किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

सिवाना की सड़कों हेतु विशेष बजट प्रावधान

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र की बसावट के आधार पर देखा जाये तो अधिकतर गांवों की बसावट ढाणियों में है, जिनमें सड़क सुविधाएं भी कम हैं। आज भी सिवाना क्षेत्र के लगभग 28 राजस्व गांव पक्के सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं वही कई धार्मिक स्थल भी अभी सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल पीपलीया महादेव मंदिर बालियाना 7 किलोमीटर कच्चा मार्ग है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाईवे भारत माता प्रोजेक्ट, स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़क मार्ग है। आज के समय में ग्रामीण सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। पिछले तीन वर्षों में सिवाना, सिणधरी और समदड़ी सहायक अभियंता के परिक्षेत्र में एक भी सड़क मार्ग का नवीनीकरण, चौड़ाई बढ़ाना आदि कार्य नहीं हुआ है। लगभग 70 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जो नॉन पेचेबल हैं, जिनमें मिठोड़ा, सियाना, सिणधरी सड़क की स्थिति आज भी चलने लायक नहीं है। सिवाना विधान सभा क्षेत्र की 22 सड़कें आज भी खराब स्थिति में हैं, जिनका नवनीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। पिछले तीन वर्षो से राज्य मद मिसिंग लिंक, कृषि मंडी की सड़कें, प्रधानमंत्री सड़क योजना से कोई भी सड़क का कार्य नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र की सबसे प्रमुख सड़क मार्ग सिणधरी-मिठोड़ा-सिनेर-सिवाना और मोकलसर-राखी-खंडप से भाद्राजून-आहोर-जोधपुर मार्ग से पाली तक डबल लाइन में परिवर्तन करके राजधानी जयपुर तक सीधा सड़क मार्ग किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सरकार की सबसे महती योजना ग्रामीण विकास पथ निर्माण, जो कि बंद की है, तीन वार्ड में एक मात्र ग्राम पंचायत मुख्यालय पर निर्माण करवाया गया है, जबकि बजट घोषणा के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकास पथ बनाया जाना प्रस्तावित था।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि सिवाना क्षेत्र की सड़कों की माली हालत को सुधरने के लिए विशेष बजट प्रावधान करके राहत प्रदान करावें।

धन्यवाद ।

हमीर सिंह भायल

(सिवाना)

ऊंटों के संरक्षण की नीति बनाना व छोटे बछड़ों के विक्रय पर लगी रोक हटाना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और नियम 295 के तहत निवेदन है, जैसा कि विदित है कि राजस्थान का जहाज ऊंट आज विलुप्त होता जा रहा है। वर्ष 2012 में राजस्थान में जहां ऊंटों की संख्या 3 लाख 26 हजार थी, यह संख्या साल 2019 में घटकर 2 लाख 30 हजार पर आ गई है। ऊंटों की संख्या घटने का चिंताजनक परिणाम यह है कि इस महीने बी.एस.एफ. को बार्डर सिक्योरिटी के लिए 2015 में ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के कारण जो संख्या घटी है व विक्रय पर रोक लगाने से जितने ऊंटों की जरूरत थी, उतने ऊंट भी राजस्थान में नहीं मिले।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997 में राजस्थान की तत्कालीन भा.ज.पा. सरकार ने ढाई साल से छोटे बछड़े के विक्रय पर रोक लगा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे राजस्थान के पशु मेले खतम हो गए हैं और राजस्थान की गाय दर-दर की ठोकरें खा रही है। वह 6 महीने का बछड़ा, जो 1997 में 1,500 से 2,000 रुपये से ज्यादा का बिकता था, आज सड़कों पर आवारा पशु की तरह घूम रहा है। यह आवारा पशु किसान की फसल को भी बर्बाद कर रहा है और आमजन को भी मार रहा है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति बनाए और ढाई साल से छोटे बछड़ों की विक्रय पर लगी रोक को हटा दे ताकि गाय को भी बचाया जा सके और ऊंट को भी बचाया जा सके।

गिरधारीलाल

(डूंगरगढ़)

ऑडिट के नाम पर विद्युत उपभोक्ताओं से अधिक राशि की वसूली

महोदय,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में दिनांक 11 फरवरी, 2022 को स्थानीय समाचार पत्र भास्कर न्यूज़ में प्रकाशित खबर एवं दूरभाष से ज्ञात हुआ कि विद्युत विभाग आडिट के नाम पर 10 वर्ष पूर्व की बकाया राशि निकाल रहा डिस्काम विद्युत उपभोक्ताओं को ऑडिट के नाम पर 2012,

2013 की बकाया राशि बिलों में जोड़कर दे रहा है। क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने बताया कि जनवरी-फरवरी का बिल जारी किया गया है, उसमें विद्युत खर्च के साथ अन्य राशि को भी जोड़कर बिल में दिया है। उपभोक्ताओं ने जयपुर डिस्कॉम कार्यालय में जाकर जानकारी ली तो सिर्फ यह बताया कि 2012, 2013 की आडिट के अनुसार बकाया राशि है, जिसे जमा करना है। मनोहर थाना निवासी सत्यनारायण ने बताया कि 180 यूनिट का बिल 10551 रुपये का दिया गया है, जब विभाग में जाकर जानकारी ली तो आडिट 2012, 2013 का जोड़ना बताया। उस समय उपभोक्ता के निजी मकान नहीं था। बुधवाड़ा निवासी राधेश्याम ने बताया कि 123 यूनिट का 4,174 रुपये का बिल दिया गया है, जबकि उसके पूर्व में 1,000 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से बिल आता था। मनोहर थाना निवासी रमेशचन्द ने बताया कि 172 यूनिट का बिल 19,172 रुपये आया है, जबकि बिल में बकाया राशि 2 रुपये है। इस प्रकार बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहें या सरकार की लापरवाही के कारण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बेवजह लाखों रुपये की लूट मचा रखी है। अध्यक्ष महोदय, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाकर इस समस्या का तुरन्त समाधान कराया जाये, जिससे आमजन को होने वाली आर्थिक हानि से बचाया जा सके।

सादर।

1. बिलों की प्रति एवं प्रकाशित समाचार संलग्न हैं।

गोविन्द प्रसाद

(मनोहर थाना)

नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि नीम का थाना रियासत काल से आस-पास के 50 किलोमीटर क्षेत्र की निजामत अर्थात् प्रशासनिक व्यवस्था का केन्द्र रहा है। वर्तमान में सीकर जिले से इसकी दूरी 80 से 135 कि.मी. है।

आपसे निवेदन है कि नीम का थाना को जिला बनाना आवश्यक है। अत: इसी बजट में घोषणा कर स्वीकृत करावें।

सुरेश मोदी

(नीम का थाना)

कोटा शहर की उखड़ी व टूटी सड़कों का नवीनीकरण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में सड़कों का बुरा हाल है। जगह-जगह सड़कें खुदी हुई हैं सड़कों पर वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना लोग खराब सड़कों पर चलने से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कई लोग गम्भीर रूप घायल होकर चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं तथा कई बार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में 30 किलोमीटर सडक निर्माण की घोषणा की थी। सार्वजनिक विभाग द्वारा सड़क निर्माण के नगर निगम कोटा से प्रस्ताव भी लिये गये। विभाग की लापरवाही के कारण आज तक कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को रोजाना दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों में आक्रोश व्याप्त है। विधान सभा क्षेत्र के तलवंडी, विज्ञान नगर, गणेश तलाब, तलवंडी, शिवपुरा, दादाबाड़ी, रामतलाई मुख्य मार्ग, कैथुनीपोल क्षेत्र, दादाबाड़ी, बालाकुंड बसंत विहार, संतोष नगर सम्पूर्ण महावीर नगर एवं विस्तार, केशवपुरा शापिंग सेन्टर, गुमानपुरा बाजार, श्रीनाथपुरम आर.के. पुरम, महावीर नगर, अनन्तपुरा, जवाहर नगर आदि क्षेत्र की मुख्य सड़कों के निर्माण करवाने की महती आवश्यकता है।

अतः आपसे सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इस लोक महत्व पर विचार करते हुए कोटा शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करवाया जाये, ताकि रोजाना हो रहे हादसों पर विराम लगे और लोग अकारण मृत्यु का शिकार न हों।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा, 2018 में पदों की बढ़ोतरी

महोदय,

मैं, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा, 2018 में वर्ष 2018 के बाद विभिन्न विभागों में पदोन्नति/सेवानिवृत्ति

या अन्य कारणों से लगभग 300 पद और रिक्त चल रहे हैं। इन पदों को प्रक्रियाधीन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा, 2018 में जोड़कर बेरोजगारों को राहत प्रदान की जाए। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन पूर्व में वर्ष 2011 में किया गया था और दस साल बाद यह भर्ती निकली है और इसकी प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। वर्ष 2011 से पूर्व वर्ष 1995 में इस स्टेनोग्राफर परीक्षा का आयोजन किया गया था। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा लगभग दस वर्षों बाद आयोजित की जा रही है और भविष्य में फिर नई भर्ती कब होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है।

अतः इस अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करती हूं कि वर्ष 2018 के बाद विभिन्न विभागों में पदोन्नति/सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से रिक्त हुए लगभग 300 पदों को प्रक्रियाधीन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा, 2018 में जोड़कर बेरोजगारों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही स्टेनोग्राफर भर्ती को प्रतिवर्ष होने वाली परीक्षाओं के भर्ती कैलेण्डर में भी शामिल करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

इन्द्रा

(बामनवास)

सुमेरपुर महाराजा उम्मेदसिंह कृषि उपज मण्डी में अधिक डी.एल.सी. दर

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सुमेरपुर महाराजा उम्मेदसिंह कृषि उपज मंडी समिति स्थित है। इस मंडी में पाली जालौर व मोरोही जिलों के किसान अपनी कृषि जिन्स बेचने हेतु आते हैं व यहां से अन्य प्रदेशों में कृषि जिन्स बेचने हेतु मंडी के व्यापारी भेजते हैं। कृषि मंडी में दुकानें मंडी समिति द्वारा निर्माण कर व्यापारियों को लीज पर दे रखी हैं। इन दुकानों की खरीद बेचान करने पर डीएलसी दर से चार्ज लगता है। सुमेरपुर मंडी की डी.एल.सी. दर राजस्थान की अन्य मंडियों से ज्यादा है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

सुमेरपुर मुख्य मंडी- 4,856 प्रति वर्ग फुट, मुख्य मंडी- 2,386 रुपये उदयपुर नवीन मंडी बलीचा 2,563 "रुपये, जोधपुर भगत की कोठी मुख्य मंडी - 3,900 रुपये, जोधपुर मुख्य मंडी मंडोर- 4,020 रुपये, रामगंज मुख्य मंडी - 2,182 रुपये, बारां मुख्य मंडी - 3,773, 2,651, 1,782 रुपये, भवानी मंडी

मुख्य प्रांगण - 2,350 रुपये बूंदी मुख्य मंडी- 920 रुपये, पदमपुर मुख्य मंडी- 2,673 रुपये, विजयनगर मुख्य मंडी- 3,716 रुपये, केकड़ी मुख्य मंडी- 1,987 रुपये, नागोर मुख्य मंडी- 3,280 रुपये, मेड़ता सिटी मुख्य मंडी- 2,425 रुपये, बालोतरा मुख्य मंडी- 621 रुपये, बाड़मेर मुख्य मंडी- 1,750 रुपये, बिलाडा मुख्य मंडी- 3,765 रुपये, जैसलमेर मुख्य मंडी- 1,990 रुपये, जैतारण मुख्य मंडी- 2,376 रुपये, जालौर मुख्य मंडी- 2,459 रुपये, जोधपुर फल सब्जी मुख्य मंडी 3,618 रुपये, जोधपुर अनाज मुख्य मंडी- 3,618 रुपये, मुख्य मंडी पाली- 3,664 रुपये, मुख्य मंडी फलौदी- 2,247 रुपये, मुख्य मंडी पीपाड़ शहर- 3,564 रुपये, मुख्य मंडी रानी स्टेशन- 3,710 रुपये, मुख्य मंडी रानीवाड़ा -2,764 रुपये, मुख्य मंडी सांचौर- 2,491 रुपये, मुख्य मंडी सोजत रोड- 825 रुपये। इस तरह कई मंडियों के मुकाबले सुमेरपुर मंडी की डी.एल.सी.दरें काफी ज्यादा हैं।

कृषि उपज मंडी प्रांगण सुमेरपुर की डी.एल.सी. दरें पृथक से निर्धारित हैं जो शहर के अन्य स्थानों से ज्यादा हैं। कृषि मंडी के सामने कामर्शियल मार्केट है, वहां आर्य समाज मन्दिर से भुवनेश्वरी माता मन्दिर तक वाणिज्य दर 2,356/- रुपये व आवासीय दर 975/- रुपये प्रतिवर्ग फुट है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मंडी के सामने व मंडी परिसर के भीतर की दरों में काफी अंतर है। कृषि उपज मंडी प्रांगण की पृथक से निर्धारित दरें ज्यादा होने से दुकानों की खरीद बिक्री नहीं हो पाती है व होती है तो आपसी सहमति बनाकर चलते हैं। एग्रीमेन्ट पर खरीद विक्री होती है. खरीद बिक्री की रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती हैं, जिनसे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। मंडी के निर्माण के बाद अब तक दुकानों के क्रय-विक्रय की रेवेन्यू शून्य रही है। डी.एल.सी. दरों को घटाने हेतु लम्बे समय से व्यापार संघ व जन प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं। कृषि मंडी से दरें घटाने हेतु प्रस्ताव बनाकर भी जिला कलेक्टर, पानी को कई बार भेजा हुआ है। पिछले वर्ष हुई जिला स्तरीय मीटिंग में भी सुमेरपुर मंडी की डी.एल.सी दरों को घटाने का प्रस्ताव बनाकर जिलाधीश महोदय ने राज्य सरकार को भेजने का कहा था लेकिन अभी तक इसका परिणाम शून्य है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जनहित में सुमेरपुर की महाराजा कृषि उपज मंडी समिति की डी.एल.सी. दरों को घटाकर मंडी के बाहर लग रही डी.एल.सी दर के समान 2,000 रुपये प्रति वर्ग फुट करवाने की कार्यवाही करावें, जिससे व्यापारियों को राहत मिले व राज्य सरकार को रेवेन्यू मिले।

जोराराम कुमावत

(सुमेरपुर)

पालनहार योजना में शिथिलता

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा संचालित "पालनहार योजना" एक महती योजना है जिसमें परिवार के पालक (पिता) की मृत्यु अथवा माता-पिता दोनों की मृत्यु या माता-पिता आजीवन कारावास होने पर उनके आश्रित बच्चों को पालने के लिये सरकार सहारा बनती है लेकिन इस योजना में एक कमी नजर आती है। अगर माता की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार में मां का साया उठ जाता है और पिता दूसरा विवाह कर लेता है व बच्चे ननिहाल में नाना-नानी आदि के पास रहने को मजबूर होते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में नियमों में शिथिलता देते हुए उक्त परिवार के बच्चों को भी पालनहार का लाभ मिले तो उनके साथ न्याय होगा तथा बच्चों को सहारा मिल जायेगा। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि अगर माता के निधन हो जाने पर बच्चे पिता के घर भी रहे तो कई घर ऐसे भी हैं जहां पिता उन बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, पिता असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उन बच्चों की भी इस योजना "पालनहार" से जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को संरक्षण मिल सके।

माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि माता या पिता दोनों में से किसी का निधन हो जाने पर उनकी सन्तान को पालनहार योजना से जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही पिता के निधन पर इस योजना का लाभ मिलता है लेकिन मां का निधन हो जाने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है।

अतः इस योजना के नियमों में शिथिलता प्रदान कर और अधिक लाभप्रद बनाने की कृपा करावें ताकि राज्य के पीड़ित परिवार को "पालनहार" योजना का लाभ मिल सके।

मंजु देवी
(जायल)

बांदीकुई के मुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड बैंक की स्वीकृति

महोदय,

आपने मुझे नियम 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका ध्यान निर्वाचन क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

बांदीकुई की ओर आकर्षित कर बताना चाहूंगा किबांदीकुई कस्बे की जनसंख्या लगभग 75,000 के करीब है और बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ा स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई है, जहां प्रतिदिन लगभग 1,200 मरीजों की ओ.पी.डी. रहती है व 100 से 120 मरीज उपचार हेतु भर्ती होते हैं। साथ ही प्रतिदिन 10 से 15 प्रसव भी होते हैं। प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं में खून की कमी होने पर अन्यथा किसी भी दुर्घटना व आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों को खून की कमी होने परब्लड बैंक के अभाव में जिला चिकित्सालय, दौसा अथवा उच्च चिकित्सा संस्थानों पर रैफर करना पड़ता है। बांदीकुई के आसपास लगभग 40 किमी. तक अन्य कोई ब्लड बैंक नहीं है।

महोदय, ऐसी परिस्थितियों में ब्लड बैंक का नहीं होना बेहद ही चिंताजनक विषय है। ब्लड बैंक के अभाव में हमेशा किसी अनिष्ट की आशंका बनी रहती है।

अतः मैं सदन के माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जनहित को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई में ब्लड बैंक स्वीकृत कर जनता को इस समस्या से निजात दिलवाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

गजराज खटाणा

(बांदीकुई)

राजीव गांधी पैराटीचर्स/शिक्षाकर्मी/संविदाकर्मी अध्यापकों के योग्यतानुसार राजकीय सेवा में समायोजन व नियमितीकरण

महोदय

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सादर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 तक लगाये गये शिक्षाकर्मी एवं 1999 में से 2004 तक लगाये गये पैराटीचर, जो वंचित बालक एवं बालिकाओं को पढ़ाने हेतु शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर, महिला पैराटीचर की नियुक्ति की गयी थी, शिक्षा के इस कार्य को वे अल्प मानदेय में आज दिनांक तक कर रहे हैं।

उक्त कार्मिक विद्यालयों में एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान पूर्ण राजकीय शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इनका चयन राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत हुआ। केवल इन्हें सुविधाओं से वंचित रखा गया है। इनका मांग पत्र इस प्रकार से है:-

मांग पत्र

1. पैराटीचर, शिक्षाकर्मी को ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा अधिनियम 2010 के तहत समसा या शिक्षा विभाग में अन्य पद पर सीधा समायोजन/नियमितीकरण किया जावे।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पैराटीचर/शिक्षाकर्मी के लिए पारित आदेश समान काम समान वेतन के अनुरूप तृतीय श्रेणी शिक्षक वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन मानदेय शीघ्र दिलवाया जाये।
3. पैराटीचर की भविष्य निधि, राज्य बीमा, दुर्घटना बीमा कटौती प्रारंभ की जाये।
4. शिक्षा कर्मियों के 30 जून, 2005 से रोके गये समस्त परिलाभ पुनः चालू किये जायें।
5. मंत्रिमंडलीय उप समिति का कार्यकाल निश्चित किया जावे एवं उक्त कार्मिकों को वरीयता देते हुए प्रथम चरण में स्थायी करने की अभिशंसा की जावे।
6. पूर्व की भांति वार्षिक मानदेय वृद्धि पुनः चालू कर महंगाई के हिसाब से ऐरियर के रूप में आर्थिक सहायता दी जाये।
7. पैराटीचर/शिक्षाकर्मी की आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुकंपा का लाभ दिया जावे एवं 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये।
8. आकस्मिक अवकाश एवं पी.एल; मेडिकल एवं ग्रेचुएटी का लाभ एवं स्थानान्तरण का लाभ दिया जाये।

अमृतलाल मीणा

(सलूम्बर)

उदयपुर शहर की कालोनियों को नगर विकास प्रन्यास द्वारा नगर निगम को स्थानान्तरण नहीं करने से बिगड़ती सफाई-व्यवस्था

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत लेख है कि उदयपुर शहर में नगर विकास प्रन्यास द्वारा अनेक कालोनियां बनाकर विकसित तो कर दी गई हैं, लेकिन वहां की साफ सफाई ज्यों की त्यों ही है, जबकि इससे पूर्व नगर निगम यहां पर साफ सफाई कार्य वर्षों से कर रहा था तथा कालोनियों को साफ सुथरा रखने के बदले नगर विकास प्रन्यास द्वारा जो राशि बनती थी, वर्ष 2010 तक तो इसका भुगतान किया जा रहा था, किंतु इसके पश्चात् भी 11

वर्ष हो गये हैं, मगर कोई भुगतान नहीं किया गया है। उक्त कॉलोनियों की समय पर साफ सफाई नहीं की जाये तो इस क्षेत्र की हालत बहुत बुरी हो जायेगी। इस सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा लिखित में भी उक्त कालोनियों को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था, लेकिन नगर विकास प्रन्यास उक्त कॉलोनियों का स्थानान्तरण अभी तक क्यों नहीं करती है?

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा शेष रहे भुगतान तुरंत करवाकर एवं उक्त कालोनियों का नगर निगम में स्थानान्तरण कर आमजन को राहत प्रदान करावे।

फूल सिंह मीणा

(उदयपुर ग्रामीण)

रेवदर की राजकीय भूमि व भवन पर निजी कम्पनी द्वारा किये गये कब्जे का ध्वस्तीकरण व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर की सरकारी भूमि एवं सरकारी भवन पर निजी कम्पनी द्वारा कर लिये गये अतिक्रमण को अविलम्ब हटाने के सन्दर्भ में सरकार से आग्रह है कि आबूरोड के ग्राम मीन तलेटी में क्षेत्र के आदिवासियों के सार्वजनिक उपयोगार्थ विधायक फण्ड से बनाये गये सामुदायिक सरकारी भवन एवं गैर मुमकिन मगरी सरकारी भूमि के खसरा नम्बर 188 के रकबा 0.2403 को गुजरात राज्य की प्राइवेट कम्पनी "गुड जोन हास्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड" ने बिना सरकारी इजाजत के लगभग 20-20 फीट ऊंची दीवार बनाकर अपने कब्जे में लेकर सरकारी भवन एवं सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। स्थानीय प्रशासन एवं राजस्थान सरकार को बार-बार अवगत कराने के बावजूद भी सरकारी सम्पत्तियों के रक्षण, संरक्षण व राज हित में स्थानीय सरकारी मशीनरी काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। अतिक्रमण करने वाली कम्पनी के पक्ष में लिखित टिप्पणियां करते हुए मुझे लिखित में बताया गया है कि राजकीय सामुदायिक भवन कम्पनी की भूमि में बनाया गया है। इस बाबत तथ्य यह है कि सामुदायिक भवन कई वर्षों पूर्व सरकारी भूमि पर बनाया गया था, जबकि कम्पनी ने हाल में अतिक्रमण किया है। यह जांच का विषय है कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों एवं सरकार ने कब एवं किन परिस्थितियों में राजकीय सामुदायिक भवन की

भूमि को कम्पनी को बेच दिया? जिले के जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों ने उक्त खसरा नम्बरान 188 गैर मुमकिन मगरी सरकारी भूमि रकबा 0.2403 के चारों ओर उक्त कम्पनी को दीवार बनाकर अपने कब्जे में लेने की मौन स्वीकृति क्यों व किन अधिकारियों ने कितना प्रलोभन लेकर दे डाली? बेशकीमती सरकारी भवन एवं सरकारी भूमि को निजी कम्पनी के हाथों ओने-पौने दामों में बेचने एवं मौन स्वीकृति देकर अतिक्रमण करवाने वाले जिले के राजस्व अधिकारियों, सरकारी मशीनरी के जिम्मेदार उच्चाधिकारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण रहे? उक्त गम्भीर प्रकरण में आज भी सरकार एवं राजस्व अधिकारी कम्पनी के अतिकमण को ध्वस्त करने के बजाय कम्पनी पर राजस्व न्यायालय की ओर से फौरी तौर पर देखे-दिखावे की कार्रवाई की जा रही है। अतः राज हित व लोक हित में सरकार से निवेदन है कि प्रकरण में त्वरित गति से कम्पनी एवं जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सरकारी सम्पत्ति एवं सरकारी भूमि से निजी कम्पनी के अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाये।

जगसी राम

(रेवदर)